लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 43, मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978/5 वैशाख, 1900 (शक)

No. 43, Tuesday, April 25, 1978/Vaisakha 5, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1–12
तारांकित प्रश्न संख्या 845, 849, 850, 852, 854 और 855	Starred Question Nos. 845, 849, 850, 852, 854 and 855.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	13–156
तारांकित प्रश्न संख्या 843, 844, 846 से 848, 851 और 856 से 863	Starred Question Nos. 843, 844, 846 to 848, 851 and 856 to 863.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 7920 से 7978, 7980 से 8000 और 8002 से 8118	Unstarred Question Nos. 7920 to 7978, 7980 to 8000 and 8002 to 8118.	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377	157–158
(एक) साढ़े सात लाख प्रशिक्षुओं की बेरोजगारी का कथित समाचार—	(i) Reported unemployment of seven and a half lakhs apprentices—	157
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	157
(दो) उत्तर-प्रदेश के अलकोहल पर आधारित और अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता—	(ii) Need for setting up of more Alcohol based industries in Uttar Pradesh—	157
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram	157
(तीन) भारत-चीन सीमा समस्या और भारत चीन के बीच संबंधों पर चीन के उप विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य—	(iii) Reported views of the Vice Foreign Minister of China on Sino-Indian border issue and India-China relations—	157
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendra Nath Basu	157

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—138 एल० एस० एस० (एन डी)/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
(चार) चीन के उपनिवेश मंत्री के भारत-चीन संबंधों पर पीकिंग में दिया गया कथित वक्तव्य—	(iv) Reported statement by the Chinese Vice Minister of Foreign Affairs in Peking on Sino-Indian relations—	157
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	157
(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों के बीच 1974 में हुए द्विपक्षीय करार को समाप्त करने के भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों के कथित इरादे का समाचार—	(v) Reported intention of L.I.C. management to terminate bipartite settlement between LIC and its employees—	158
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram	158
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	158–159
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	159–165
भारत को समृद्ध यूरेनियम सप्लाई करने के अपने करार दायित्व की अमरीकी परमाणु विनियामक आयोग द्वारा उपेक्षा करने का निर्णय—	U.S. Nuclear Regulatory Commission's reported decision to ignore its contractual obligation to supply enriched Uranium to India—	159–165
श्री प्रद्युमन बाल	Shri Pradyumna Bal	159
श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai	160–165
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	163
डा० बलदेव प्रकाश	Dr. Baldev Prakash	164
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	164
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	165
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	165
77वां प्रतिवेदन	Seventy-seventh Report	165
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings—	165
8 वां प्रतिवेदन	Eighth Report	165
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	165
19 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही	Nineteenth Report and Mi-	165

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	166
17 और 18 वां प्रतिवेदन—	Seventeenth and Eighteenth Reports—	166
अनुदानों की मांगे, 1978–79	Demands for Grants, 1978-79—	166–198
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation—	166–177
श्री सुखन्द्र सिंह	Shri Sukhendra Singh	166–167
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	167
श्री वी० दण्डयुतपाणि	Shri V. Dhandayuthapani	167
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	168
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	168–169
श्री गणनाथ प्रधान	Shri Gananath Pradhan	169
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena	159–170
श्री मदन लाल शुक्ल	Shri Madan Lal Shukla	171
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	171–177
गृह मंत्रालय—	Ministry of Home Affairs—	177–198
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	178
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwary	188–189
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	189–190
श्री बी० पी० मंडल	Shri B. P. Mandal	190–191
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Smt. Ahilya P. Rangnekar	191–192
श्री आर० एन० राकेश	Shri R. N. Rakesh	192–193
श्री कोलनथाइवेलु	Shri R. Kolanthaivelu	193–194
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	194–195
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	195–196
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	196–197
श्री नानासाहिब बोंडे	Shri Nanasahib Bonde	197
श्री हुकम नारायण यादव	Shri Hukam Deo Narain Yadav	197–198

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 अप्रैल, 1978/5 वैशाख, 1900 (शक)
Tuesday, April 25, 1978/Vaisakha 5, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Tunnel East of Jamalpur

†*845. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the tunnel east of Jamalpur is now not completely safe for operation of train ;

(b) if so, whether Government have drawn up a scheme for laying an alternative railway track by the hill side ;

(c) whether this hill tunnel with single railway line is one of the hurdles in the construction of a double line necessary for removing difficulty in movements of railway traffic because of the location of workshop at Jamalpur ; and

(d) if so, how do Government propose to remove these difficulties ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d): The existing tunnel cannot accommodate double line. A survey for augmentation of sectional capacity including doubling between Kiul-Bhagalpur-Barharwa is in progress. Only on completion of the survey it will be possible to determine whether a double line is necessary or not.

Dr. Ramji Singh : The hon. Minister is aware that existing tunnel cannot accommodate double line. This line was laid in the year 1861 and now when the population has increased many times, double line has not been laid there. May I know whether there is any proposal line to construct double line there for the convenience of travelling public ?

Prof. Madhu Dandavate : As I have already stated that survey is in progress and it will not be proper to state any thing before the results of the survey come. At present, 17 trains are running on this line as against the capacity of

22 trains. So full capacity is not being utilised. At present there is no difficulty. In case, the survey necessitate doubling of the line, a second tunnel will have to be constructed there. But it all depends on the results of the survey.

Dr. Ramji Singh: The hon. Minister has given the same reply which he has received last year in the office. Perhaps he does not know that in addition to passenger and express trains, 6 up and 6 down trains are also running but no such mention has been made in the reply. If he takes all these things in views, he will come to know that there is lot of inconvenience in the matter of railway traffic. I agree that double line cannot be constructed in the tunnel but an alternative railway track can be laid by the hill side. Efforts have also been made in this direction. Will he assure that he will give due consideration on the facts produced by me and will the survey team also keep in view all these things ?

Prof. Madhu Dandavate : Hon. Member has stated that I gave the same reply which I had given last year. I do not change my proposals every year. But if the survey necessitate it, we will certainly change our proposals. So far as construction of alternate line is concerned, it will be better to build a second tunnel. But same tunnel cannot accommodate double line. So results of survey must be awaited.

Shri Yuvraj: Hon. Minister has stated that there is capacity of running 22 trains there. May I know the circumstances under which orders for conducting survey were issued ?

Prof, Madhu Dandavate : Several Members of Parliament suggested that survey be conducted there. It has also been pleaded that it will be better to construct a new line there keeping in view the traffic potential and development of area. Our approach is always towards development and not towards traffic potential. Hence we have agreed to conduct survey.

Utilisation of Petroleum Gas

*849. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal regarding utilisation of petroleum gas which is either burnt or destroyed on large scale in various refineries of the country;

(b) the total quantity of petroleum gas so wasted annually; and

(c) whether Government propose to draw up a scheme to make use of this gas as domestic or industrial fuel ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b) and (c) : A statement is being placed on the Table of the House.

Statement

(a) It is not correct to say that petroleum gas is burnt or destroyed on a large scale in the various refineries. Certain amount of flaring of gas is unavoidable on account of technological reasons and safety, and for this purpose the flare has to be maintained whenever the refinery is in operation.

(b) Since the normal flaring is minimum and the flaring occurs at considerable levels only during emergencies and that too for short periods, only approximate figures for individual refineries are available and the same are given below:

(Figures in tonne

Name of Refinery	1976-77	1977-78
Gauhati	7,500	4,700
Barauni	10,300	3,800
Gujarat	2,600	1,900
Haldia	4,900	5,100
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. . .	1,700 (for the calender year 1977)	
Bharat Petroleum Corporation Ltd. .	1,500	1,600
Madras Refineries Ltd.	3,500	4,900
Cochin Refineries Ltd.	4,000	8,000

(c) The flaring is kept minimised in all refineries and it is only in emergencies like 'unit upsets' that the flaring of gas may be unusual for short periods of time. Hence it is neither practicable nor economical, nor even technically feasible to utilise the flared gas as a domestic or industrial fuel. In view of the above, the question of plans to utilise the gas flared in alternate ways does not arise.

Shri Sukhendra Singh : I want to know whether the storage capacity in Oil Refineries and pipe lines is not adequate ? As a result the gas is burnt. I would like to know whether arrangements would be made to increase the storage capacity so that this gas may not go waste and it could be utilized for domestic and industrial purposes ?

Shri H. N. Bahuguna : Sir, inadequate capacity of storage is not its reason. There are six reasons. Firstly, it depends on heater and boiler. We have to see how much fuel oil is being utilized. Secondly, we have to see production of L.P.G. can be increased to what extent and decreased. Thirdly we have to ensure proper monitoring system for cooling water. The fourth factor is preventive maintenance. The fifth reason is preventive maintenance check, and lastly we have to see whether our power supply is uninterrupted or not. Therefore inspite of every care the gas in refinery goes up and down every time.

Shri Sukhendra Singh : In part (c) of my question I had asked the Hon. Minister whether Government is formulating any scheme to use this gas for domestic and industrial purposes ? The Minister in his reply has said that it is not feasible to use this flare gas for domestic and industrial purposes. It is not possible from technical point of view. Moreover, it is uneconomic. Today there is shortage of power and other fuels in the country. Usually it takes four to five years for getting gas connection. Keeping in view these all difficulties, how far it is correct to say that it is not feasible? I am not able to understand it.

Shri H. N. Bahuguna : Sir, "Gas" word itself is a wide word and it is not proper to link it with L.P.G. The gas which is used for domestic purposes is not a complete gas and the gas flare can not be used for domestic purposes. It is used for boilers and other things. Therefore, that is not L.P.G.

श्री एम०सत्यनारायण राव : क्या मंत्री जी को पता है कि देश में कुकिंग गैस की अत्यधिक कमी है। विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के किसी भी जिले में कोई एजेन्सी नहीं है। हमारी कई कठिनाइयां हैं। क्या मंत्री जो उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस सप्लाई करने के लिए कदम उठा रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम फ्लेयर वाली गैस की बात कर रहे हैं न कि कुकिंग गैस की। दोनों गैसों में पूर्ण भिन्नता है। यदि माननीय सदस्य गैस पर आधारित किसो दवाई के बारे में पुछेंगे तो मेरे लिए उसका जवाब देना असम्भव होगा।

श्री एस० आर० दामाणी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फ्लेयर गैस की कुछ मात्रा को रोकना अपरिहार्य है। मैं जानना चाहता हूं कि वह निश्चित मात्रा कितनी है ? क्योंकि विवरण में यह दिखाया गया है कि 1976–77 में गोहाटी में यह 7500 थी किन्तु 1977-78 में यह कम होकर 4700 हो गई। बरौनी में यह 10300 थी जो घटकर 3800 हो गई तथा कोचीन में 4000 से बढ़कर 8000 हो गई। आप इसे कम से कम रखने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य ने गौहाटी, बरौनी तथा कोचीन में फ्लेयर गैस की सही तुलना की है। गौहाटी में फ्लेयर में लगभग आधी कमी हो गई है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह कई बातों पर निर्भर करती है। उनमें से एक बात यह है कि गौहाटी परिशोधनशाला से एल० एस०/एच० एस० आसाम के चन्दपुरी पावर हाउस को सप्लाई करनी पड़ी थी। यह पावर हाउस वहां से 25 किलो मीटर की दूरी पर है। गत वर्ष हमने इसका एक भी अंश नहीं लिया। इसी कारण इसमें फ्लेयर हुआ। इसी कारण से फ्लेयर अधिक था। गौहाटी में यह इस बात पर निर्भर करता था कि हम उपभोक्ताओं के लिए क्या उत्पादन कर रहे थे जिनके लिए इसमें उत्पादन करना था। यह शर्त आसाम सरकार के साथ हुआ था। जहां तक कोचीन का सम्बन्ध है, कोचीन परि-शोधन शालाओं ने जो उत्तर दिया हो उसे मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं। कोचीन में मौनिटरिंग प्रणाली नहीं है। यह एक विशेष प्रकार का मीटर है जो बताता है कि किस तरह की गैस फ्लेयर हुई है और क्यों हुई है। अत: कोचीन में यही एक कमी है जिसे हमें मौनिटरिंग प्रणाली लागू करके दूर करने जा रहे है। यही अकेले मात्रा निश्चित कर लेगा। बरौनी में कुछ तकनीकी समस्याएं है। किन्तु मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रत्येक संयंत्र के लिए गैस के फ्लेयर का न्यूनतम आकार परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

Invention of Equipment to prevent accidents by an official of DESU

†*850. **Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that a Superintendent in Delhi Electric Supply Undertaking met him and told him that he had invented such an equipment which can prevent railway trains from collusion ;

(b) if so, the action taken by Government to find out the utility of his invention ;

(c) whether the Superintendent has made a request for an opportunity to prove the utility of his invention in some railway yard and if so, whether he was given an opportunity and if not, the reasons therefor; and

(d) whether the Superintendent has been informing Government about his invention for the last seven years and if so, the reasons for showing indifference towards it ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (d) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (d): Shri B. P. Sharma, Superintendent in Delhi Electric Supply Undertaking had claimed that he had invented a system which would avoid train accidents. Shri Sharma, was, however, not prepared to indicate the details of his design but insisted on first giving a demonstration before divulging anything about the system.

Later Shri B. P. Sharma gave a demonstration of his model on 12th and 13th Sept. 1977 at Research Designs and Standards Organisation, Lucknow. To enable a complete assessment of the model being made, he was requested by Research Designs and Standards Organisation to give circuit details with all technical data, which he failed to comply.

It was only on 18-3-78 that Shri Sharma furnished the circuit diagram of the system. The scheme has been examined and it is found to be extremely costly, impractical and unreliable. The system developed by him is also not fail-safe.

Shri Anant Ram Jaiswal : I want to know whether Shri B. P. Sharma claimed about his equipment orally or he demonstrated that equipment and whether it is not a fact that this equipment gives warning in advance to the train standing at a station about the trains coming there and in this way there is no possibility of a train collusion ? At the same time whether this equipment gives advance information about the damaged rail lines and bridges ?

Prof. Madhu Dandavate : Shri B. P. Sharma, Superintendent in Delhi Electric Supply Undertaking has invented a new equipment. This equipment gives advance indication about a train collusion. Our officers of R.D.S.O. have examined that equipment. I also saw that equipment. This device was brought at my residence and demonstrated there. For four or five reasons this equipment can not be useful.

The first reason is that if this device is to be utilized, we will have to use wooden sleepers. Our difficulty is that we cannot use wooden sleepers every where. Because for welded rails concrete sleepers are more suitable and for bringing in use the said device wooden sleepers are necessary.

The second difficulty to bring this device to use is that it requires intermediate rails at large scale at every station on both sides. These rails will be 20 feet long. In this way we will have additional rails. If it so happens, there will be great difficulty in ballasting packing. I think there are financial and practical difficulties in bringing this device in use and therefore this device has not been accepted.

Shri Anant Ram Jaiswal: What is the objection to your Ministry or Railway Board to give him an opportunity for demonstration at some railway yard or on the rails?

Prof. Madhu Dandavate: I have told that this model can be demonstrated in some Laboratory. He asked for electric circuit. It was difficult to take the responsibility until and unless he gave full details. R. D. S. O. has seen full details. They have seen the circuit and the design. We think it will not be proper to bring that device in use for safety purposes. Instead, the automatic warning system, which has been introduced in two sections, is better.

श्री कृष्णचंद्र हलदर : रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का उत्तर देते हुए कहा था कि उन्हों ने पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बर्दवान सेक्शन में रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपकरण लगाया है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री शर्मा द्वारा बनाए गए उपकरण तथा उनके मंत्रालय ने पूर्वी रेलवे के हावड़ा-बर्दवान सैक्शन में जो उपकरण लगाया है, उनमें क्या अन्तर है ?

प्रो० मधु दंडवते : आटोमैटिक वारनिंग सिस्टम, जिसे हमने हावड़ा-बर्दवान तथा मुगल सराय-गया, दो मार्गों पर शुरू किया है, एक ऐसा उपकरण है, जिसे लोकोमोटिव पर लगा दिया जाता है। इसके बाद यह जिस क्षेत्र में काम करता है यदि वहां सिग्नल पर ड्राइवर का ध्यान नहीं गया हो तो ऐसी स्थिति में लाल रोशनी रेल पथ मैगनट पर पड़ती है और विद्युतीकरण सरकिट को उत्तेजित करती है। लोकोमोटिव पर करंट आता है और उसके बाद सीटी बजती है और ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि यह खतरे का सिग्नल है। यदि वह बहुत ही अधिक भुलक्कड़ हो और उसे सीटी बजने का ज्ञान न हुआ हो तो फिर स्वतः ही ब्रेक लग जाती है और गाड़ी रुक जाती है। मेरे ख्याल से यह सबसे बढ़िया उपकरण है और यदि हमें काफी अनुदान मिलें और इस उपकरण को कई अन्य मार्गों पर लगाया जाये तो यह उपकरण श्री शर्मा द्वारा बनाए गए उपकरण से बहुत बेहत्तर होगा।

Shri Anant Ram Jaiswal: My question has not been replied to.

Mr. Speaker: You cannot ask third supplementary question.

Shri Anant Ram Jaiswal: Railway accidents are taking place every day and you are not allowing to ask questions.

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार आप दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति नही है।

Shri Om Prakash Tyagi: I want to know the total number of accidents took place during the year 1977.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठता।

Shri Om Prakash Tyagi: What is the total number of rail accidents which took place due to negligence of officers or drivers?

अध्यक्ष महोदय : हम मशीन की बात कर रहे है न कि मनुष्य की। यदि आप मशीन के बारे में पूछना चाहते है तो पूछिए अन्यथा नही।

Shri Anant Ram Jaiswal: Mr. Speaker let me ask one question.

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियमों को पढ़िये। फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे।

Railway line from Ranchi Road to Girdih

†*852. **Dr. B. N. Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have since made traffic assessment and other technical survey for laying broad gauge line from Ranchi Road to Girdih via Koderma-Hazaribagh; and

(b) if so, when laying of this line is likely to be started on priority basis with a view to provide transport facility to lakhs of backward people of the area having mica and coal deposits and provide concrete facilities for transportation of these minerals?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b): A Traffic-cum-Engineering appreciation of the new broad gauge rail link between Ranchi Road and Giridih via Koderma and Hazaribagh Town is in progress. A decision regarding construction of the line will be taken after the survey is completed and the report examined and also depending on the availability of resources.

डा० बी० एन सिंह : मैं मंत्री जो को सादर सहित कह दूं कि यह नौकरशाही ढंग का उत्तर है जिससे मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सर्वेक्षण कर दिया गया है। मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि सर्वेक्षण का काम कब तक पूरा हो जाएगा। यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां हरिजन तथा आदिवासी लोग रहते हैं। यहां विकास की सभी सम्भावनाएं हैं, किन्तु जब तक रेल लाइनें नहीं बिछायी जाएंगी तब तक यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ रहेगा। हजारी बाग जिले के 82 प्रतिशत लोग निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन स्तर बिता रहे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इतने सर्वेक्षण कराने की क्या आवश्यकता है। तीन बार पहले ही सर्वेक्षण हो चुका है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब यह चौथी बार सर्वेक्षण हो रहा है। दुसरे क्या मैं जान सकता हूं कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तथा साथ ही रेल लाईन बिछाने की योजना की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए समय निर्धारित किया गया हो ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हमने पहले ही हजारी बाग होते हुए रांची रोड से गिरडीह तक एक वैकल्पिक मार्ग के लिए सर्वेक्षण करने का प्रयास किया था और पता चला कि वह मार्ग लाभप्रद नहीं होगा। जिन लोगो ने इस सर्वेक्षण का सुझाव दिया था, उन्होंने ही सर्वेक्षण कर्ताओं द्वारा बताई गई बातों के आधार पर एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया। अब जिस वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया गया है वह हजारी बाग टाउन होते हुए बरकटना से कोडेरमा तक है। जहां तक इस मार्ग का सम्बन्ध है, इसका लाभ यह है कि वहां आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है, और वह क्षेत्र अविकसित है। इस मार्ग से उस विशेष क्षेत्र का विकास हो सकता है, अतः हम सर्वेक्षण के निष्कर्षों की प्रतिक्षा कर रहे है। ज्यो ही सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाएगी, हम आपको आश्वासन देते है कि हम उसके बाद कुछ महीनों के अन्दर निर्णय ले लेंगे और संसद को उस मार्ग के भविष्य के बारे में अवगत करायेंगे।

डा० बी० एन० सिंह : मंत्री जी हमें अभी भी यह नही बता पाये है कि यह रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। नही तो वे इसमें

मनमाने ढंग से समय लगायेंगे और पांचवीं तथा छटो योजना में केवल सर्वेक्षण ही हो पायेगा। इसलिए मंत्री जी हमें बताएं कि क्या ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अंदर यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान, दो एसी बातें है जिनका पता नहीं है। पहली बात यह है कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी और दूसरी बात यह है कि हम कब तक निर्णय लेंगे। ऐसी ही एक बात तीसरी बात भी है कि योजना आयोग जो कुछ हम निर्णय लेंगे उस पर कब तक अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात 6 महीनों के अन्दर हम निर्णय ले लेंगे। किन्तु चूंकि सर्वेक्षण कुछ अनुभवों के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता। अन्यथा इसका अर्थ सभा को आश्वासन देकर उसे पूरा न करना होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। किन्तु ज्योंही सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिलेगी हम तत्काल निर्णय लेने का प्रयास करेंगे और सभा को उससे अवगत करेंगे।

डा० बी० एन सिंह : मंत्री जी हर बात आसानी से योजना आयोग पर डाल देते है यह मानो कि मंत्रि-मण्डल से बढ़कर हो। यदि मंत्री जी हजारी बाग को रेल लाईन से जोड़ दें तो यह भारत का सदर बन जायेगा। किन्तु विडम्बना है कि वहां के लोग बहुत ही गरीब है। अत: यदि मंत्री जो कोई निश्चित तिथि नही बता सकते है तो वह कम से कम सभा को यह आश्वासन दे दे कि सर्वेक्षण का काम शीघ्रतासे किया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : सर्व प्रथम मुझे रिकार्ड ठीक करने दीजिये। मै योजना आयोग को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं और नहीं इसे मैं एक सुपर सरकारी एजेन्सी बता रहा हूं। योजना आयोग का मुख्य काम यह है कि जब किसी परियोजना को कई मंत्रालयों द्वारा आरम्भ करना होता है, जैसे कहीं उर्वरक परियोजना हो, कहीं एल्यूमिनियम परियोजना हो, कही रेल लाइनें हों, आदि-तो स्वाभाविक रूप से उन्हें वित्त-समन्वय के लिए निर्णय करना पड़ता है। ऐसा उन्हें अपने हित में नहीं, बल्कि देश की आम अर्थ व्यवस्था के हित में करना होता है। उन्हे समन्वित निर्णय लेना होता है। अत: हम योजना आयोग को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। किन्तु जहा तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभायेंगे। किन्तु चुंकि योजना आयोग के साथ समन्वय करना पड़ता है, इसलिए हमें मामला उनके पास भेजना ही होगा। किन्तु हम इस मामले में यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लेने का भरसक प्रयास करेंगे। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री वसंत साठे : माननीय सदस्य द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी मंत्री जी सहर्ष उत्तर देने से कतरा रहे है। मै उनकी कठिनाई को समझ सकता हूं। क्योंकि हमारा अतीत का यह अनुभव है कि जहां कही सर्वेक्षण पूरा हुआ है तथा सभा में कोई आश्वासन दिया गया है—उदाहरण के लिए बडनेरा-अमरावती लिंक आदि-आदि को आप भली भांति जानते है। मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं इन सब बातों को याद रखने लगा तो मैं पागल हो जाऊंगा।

श्री वसंत साठे : मैं नही चाहता कि आप ऐसा करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके हित में ?

श्री वसंत साठे : हमारे अपने हित में ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, विशेषकर जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि एक नीति वक्तव्य में रूप में जो उन्हों ने यहां दिया है, जब कोई क्षेत्र पिछड़ा हो तो फिर आर्थिक क्षमता का प्रश्न एक मात्र मापदण्ड नहीं होगा । तो फिर तथा कथित सर्वेक्षण तथा योजना आयोग को इस विशेष क्षेत्र में आधार क्यों माना जा रहा है । जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है । कोंकण रेलवे की भांति इस लाइन के सम्बन्ध में भी आप सभा में वचन क्यों नहीं देते कि इस रेल लाइन का निर्माण किया जायेगा । क्या सर्वेक्षण, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति निश्चित सीमा अवधि के अन्दर दे दी जायेगी ? इस तरह का विवरण क्यों नहीं दिया जा सकता ।

प्रो. मधु दंडवते : सर्वप्रथम मैं इस दोष का खंडन करूंगा कि टाल बराई की गई है । मेरे मित्र श्री साठे मेरे में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं । मैं उन्हें आश्वासन दे दूं कि मैं इस मामले में या किसी भी अन्य मामले में उत्तर देने में टाल बराई नहीं करूंगा ।

यहां मैं उन्हे बता दू कि गत बजट में योजना आयोग द्वारा जो स्वीकृति दी गयी थी—एक महीना पूरा होने से पूर्व बंगाल में हमने कल्याणी-कल्याणी परियोजना का उद्घाटन कर दिया था । दूसरी परियोजना, मौदासा-नडियाद है जिसका उद्घाटन हो चुका है और 20 तारीख को हम पश्चिम घाट रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं ।

20 तारीख को हम पश्चिम तटीय रेलवे का उद्घाटन कर रहे हैं । योजना आयोग से स्वीकृति मिलते ही हम काम चालू कर देंगे । सर्वेक्षण का कार्य बहुत जरूरी होता है । पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में मैं योजना आयोग से आग्रह करूंगा और पिछड़े क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करूंगा ।

Demand for a High Court Bench for Marathwada Division

†*854. **Shri Keshav Rao Dhondge:**
Dr. Vasant Kumar Pandit:

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the action taken on the demand of the people of Maharashtra for setting up a separate bench of the High Court for Marathwada Division;

(b) if no action has been taken, the reasons therefor; and

(c) how much more time Government will take in meeting the above demand?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a), (b) & (c): In February, 1977, Government of Maharashtra submitted a proposal for setting up a Bench of the Bombay High Court at Aurangabad. The State Government were requested to obtain, the views of the Chief Justice of the Bombay High Court. A communication has very recently been received from the State Government that their Legislative Assembly has passed a resolution asking for the establishment of Benches at Aurangabad and Pune. The State Government have added that the views of the Chief Justice are being obtained and will be sent to the Government of India with the recommendations of the State Government. Further action in the matter can be taken only after receipt of the views of the Chief Justice of Bombay High Court and the further communication of the State Government.

Shri Keshavrao Dhondge: People have been demanding setting of a Bench of the Bombay High Court at Aurangabad for the last 20 years. Maharashtra Government also submitted a proposal to this effect. Did the Hon'ble Minister write to the Chief Justice for obtaining his opinion and if so, when?

Shri Shanti Bhushan: The opinion of the Chief Justice has not been obtained so far. The Law Minister of Maharashtra has informed that Maharashtra Legislative Assembly has adopted a resolution demanding setting up of a bench of High Court at Aurangabad and Poona.

There are different opinions about the place where the bench of the High Court should be set up. The matter will be given serious thought when the opinion of the High Court there is received by us.

Shri Keshavrao Dhondge: I would like to know the opinion of the Central Government in this regard—whether the Central Government wants to have the said bench set up there?

Shri Shanti Bhushan: The Central Government has not formed any opinion so far. Such demands are being received from different States. We can take action only after obtaining the opinion of the Chief Justice of the concerned High Court. About 20 years ago, Setalwad Commission had gone into this question and had opined against setting up such benches of the High Courts. Similar was the opinion of Arrears Committee constituted under the chairmanship of Justice Shah. **(Interruptions).** The Central Government will formulate its policy in this regard after obtaining the opinion of the Chief Justice.

डा० वसन्तकुमार पण्डित : उच्च न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या दिनोदिन बढ रही है। हमें निपटाने के लिए सरकार को राज्य सरकारों और सम्बन्धित मुख्य न्यायाधिशों से पूछने के बजाय स्वयं कार्यवाही करनी चाहिये क्यों कि उन्होंने तो बहुत से सूझाव पहले ही दिये हैं। लेकिन केन्द्र कोई फैसला नहीं कर सकता। क्या सरकार इस बारे में सोचेगी?

भोपाल में हाई कोर्ट की कोई बैंच नहीं है। क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिसमें केन्द्र में विधि विभाग इस बारे में फैसला कर सके?

श्री शान्ति भूषण : बकाया मुकदमों के प्रश्न का सम्बन्ध तो न्यायाधिशों की संख्या से है, हाई कोर्ट के बैंच कायम करने के प्रश्न से नहीं। मुकदमे तो जजों ने निपटाने हैं वे यदि कहीं भी बैठें। इसलिए मुकदमें निपटाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

विधि आयोग का मत है कि यदि जज एक जगह बैठे तो वे अच्छा काम कर सकते हैं और ज्यादा मुकदमें निपटा सकते हैं। जस्टिस शाह की एरियर्स कमेटी ने भी यही बात कही थी।

मुकदमे निबटाने को समस्या का सरकार को पता है। भारत के मुख्य न्यायाधिश ने उच्चतम न्यायालय के जजों की एक समिति बनाई है जो इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। विधि आयोग भी इस पर विचार कर रहा है।

श्री के० मालप्पा : कर्नाटक के नये विधि मंत्री ने कुछ दिन पहले हुबली और धारवाड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट की एक बैंच खोलने का वायदा किया है। क्या सरकार को इसका पता है? क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा है?

श्री शान्ति भूषण : दिसम्बर, 1976 में इस सम्बन्ध में कर्नाटक के मुख्य मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लेकिन पहले उन्होंने लिखा था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार न किया जाये। इसलिए अब कोई नया प्रस्ताव यदि उनसे मिला तो हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Kanwarlal Gupta : The Hon'ble Minister said that Law Commission is considering this matter. Such committees have been formed in the past also. If Government wants to dispense cheap justice, you will have to set up benches in big States. What is your criteria for opening benches of High Courts?

Shri Shanti Bhushan : Law Commission is looking into the question of clearing arrears and not for opening benches of High Courts. We have not so far considered the question of setting up benches of High Courts in States. We will consider this question only after receiving the opinions of the Chief Justices of the High Courts concerned.

वैगनों में कोयला लदान के कार्य में तेजी लाने के लिये योजना

*855. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने देश में वैगनों में कोयला लदान के कार्य में तेजी लाने के लिए एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) : कोयले के अधिक से अधिक लदान के लिए रेलें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूरा किया जा सके, जिनका समय-समय पर निर्धारण किया जाता है। इस प्रयास में रेलें सरकार के सम्बन्धित विभागों जैसे कोयला विभाग, ऊर्जा विभाग और अन्य राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। यथा आवश्यक संख्या में काल डिब्बों और इंजनों के रूप में अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का भी सृजन किया जा रहा है ताकि रेलें लदान के समग्र निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकें जिसमें कोयला भी शामिल है।

श्री मनोरंजन भक्त : कोयले के बिजली घरों और ईंटों के भट्टों की लदान की स्थिति क्या है और पिछलें वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयला खानों में कितना स्टाक है ?

प्रो० मधु दण्डवते : 1976–77 में 8 करोड़ 20 लाख टन कोयले का, 1977–78 में 8 करोड़ 40 लाख टन कोयले का लदान हुआ और 1978–79 में 8 करोड़ 70 लाख कोयले के लदान की व्यवस्था है।

कोयला खानो के स्टाक के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है।

कोयला खानों पर पड़े कोयले के बारे में कोयला विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। हमने जहां भी कोयला उठाने के लिए रेक भेजे वहां हमें पर्याप्त स्टाक नहीं मिला और इस प्रकार प्रतिदिन 900 वैगनों का इस्तेमाल नहीं हो सका। कोयला विभाग इस त्रुटि को दूर कर रहा है और भविष्य में ऐसी कठिनाई नहीं होगी।

श्री मनोरंजन भक्त : क्या उद्योगों को कोयले को पूरी सप्लाई होती रहेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करना रेल मंत्री का काम नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूं कि जो वैगन कोयले से भर दी जाएगी वे तेजी से चलेगी। यदि कोई बाधा न हो तो वैगनें कोयला लेकर समय पर चलेगी और अपने गन्तव्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जायेगी। फिर उन वैगनों में दूसरा सामान भरा जा सकता है। दूसरा सामान भरते समय भी यदि कोई बाधा न हो तो कोई समस्या नहीं होगी।

आजकल वैगनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 3,97,000 वैगनें हैं। हम बड़ी लाइन पर 28,000 वैगनों की और मीटर गेज पर 7,000 वैगनों की जरूरत है। हम कुल मिलाकर प्रति दिन 35,000 वैगनें चाहिए। यदि उद्योगपति बाधा उपस्थित न करे तो वैगनों की कमी नहीं होगी।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या माननीय मंत्री ने कोयला खानों से मद्रास ताप बिजली केन्द्र को कोयला भेजने का कोई विशेष प्रबन्ध किया है? यदि मद्रास ताप बिजली केन्द्र में समय पर कोयला नहीं पहुंचा तो इसका समस्त क्षेत्र पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : हमे तमिलनाडु सरकार से एक पत्र मिला है और हमने आवश्यक कार्यवाही कर ली है।

वैगनों की कमी के कारण कोयले के लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

Shri Lalu Prasad: For want of wagons, the coal has to be moved through trucks and this is a very costly affair. If one needs one or two wagons, he has to grease the palm of the persons concerned. The contractors who can give more bribe, get the wagons and others cannot get them. What steps are you taking to ensure easy movement of coal from one part of the country to another and to end corruption in this regard?

Prof. Madhu Dandavate: We have taken necessary steps in regard to the movement of coal. We have set up a task force and we see that the movement of coal does not suffer for want of wagons.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि यदि कोयला खान विभाग की क्षमता बढ़ जाये तो क्या वह सारे कोयले की लदान कर सकेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : मने बताया कि एक समय था जब 900 वगनों प्रतिदिन रोक ली जाती थी अब स्थिति सुधार गई है।

31-3-1978 को कोयला खानों में 124.6 लाख टन कोयला था। अब इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगीं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : कोठागुडम में हड़ताल के कारण कोयले के लदान में दिक्कत हो गई। क्या मंत्रीजी सुनिश्चित करेंगे कि कोयला आपकी रेकों में भरकर ताप-बिजली स्टेशन को भेजा जा सके? यह अभी नहीं हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सभी कार्यवाही की जायेगी और विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके ही सभी आवश्यक पग यथाशीघ्र उठाये जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Filling up of vacancies in Southern Railway

†*843. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3751 on 13th December, 1977 regarding vacant posts of LDCs and UDCs in Southern Railway and state:

(a) when 237 and 11 posts of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks, respectively will be filled in Southern Railway; and

(b) whether quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these posts will be filled and if so, the number of posts to be filled by promotion and by direct recruitment, separately?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) 40 posts of Lower Division Clerks and 7 posts of Upper Division Clerks have been filled so far. The remaining will be filled shortly.

(b) Out of 197 vacancies of Lower Division Clerks, 52 are to be filled by promotion and 145 by direct recruitment. Out of 52 vacancies, 3 are reserved for Scheduled Castes and 1 for Scheduled Tribes. Out of 145 vacancies to be filled by direct recruitment, 17 each are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Out of 4 vacancies of Upper Division Clerks yet to be filled, one is reserved for Scheduled Castes and three for Scheduled Tribes.

सिब्बन्दी (इस्टैब्लिशमेंट) संहिता

*844. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 से लेकर 1962 तक रेल विकास में लगभग एक हजार अर्हता प्राप्त और अनभवी अधिकारियों को ऐसे ही कार्य में लगे सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के समान नहीं माना गया ;

(ख) क्या अधिकारियों के एक वर्ग का जिसे रेलवे में सीधी भर्ती से किया गया कहा जाता है, पक्षपात करने के लिए न्यायिक उद्घोषणा और सर्वोच्च न्यायालय के 22 दिसम्बर, 1959 के निर्णय के बावजूद आपात काल के दौरान सिब्बंदी संहिता में संशोधन किया गया ताकि इन अधिकारियों को गैर-वर्गीकृत कहा जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिब्बन्दी संहिता में किए गए संशोधनों का निरसन करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) जी हां, पंच वर्षीय योजना के कार्यों से सम्बन्धित रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 1089 अस्थायी अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी इन्टरव्यू के आधार पर भर्ती किया गया था, न कि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जो कि सुस्थापित रेल सेवाओं में भर्ती का तरीका है। उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, उन्हें श्रेणी-I अथवा श्रेणी-II के अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना था, लेकिन उन्हें श्रेणी I का वेतनमान दिया गया था। सुस्थापित सेवाओं में उनको समाहित करने के लिए निर्धारित रिक्तियों में उन्हें स्थायी रूप से समाहित करने के प्रश्न पर उनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही विचार किया जा सकता था।

(ख) जी नहीं। भारतीय रेल स्थापना संहिता में संशोधन "अस्थायी सहायक अधिकारियों" की परिभाषा में विषमता को दूर करने के लिए किये गए थे।

(ग) इन संशोधनों के विरुद्ध कुछ अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर दिया है और मामला अभी न्यायाधीन है।

वडोदरा-दोहद के बीच वातानुकूलित पश्चिम एक्सप्रेस द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध

*846. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वडोदरा तथा दोहद के बीच वातानूकूलित एक्सप्रेस (डीलक्स) पश्चिम एक्सप्रेस तथा दिल्ली जनता एक्सप्रेस द्वारा यात्रा के लिए रेल-किराया बराबर है और सीजन टिकट धारी दिल्ली जनता एक्सप्रेस से यात्रा कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उसी किरायादर वाली गाड़ियों तथा वातानुकुलित एक्सप्रेस (डीलक्स) पश्चिम एक्सप्रेस (अर्थात 25 डाउन/26 अप) जसी अन्य गाड़ियों से यात्रा करने की अनुमती क्यों नहीं दी जाती ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) सीजन टिकट धारी 25 डाउन/26 अप वातानुकूल एक्सप्रेस (डीलक्स)/पश्चिम एक्सप्रेस से यात्रा नहीं कर सकते है क्योंकि इन गाडियों में आरक्षण मुक्त स्थान सीमित होता है और ये गाड़ियां मुख्यतः लम्बी दुरी के यात्रीयों के लिए है। 25 डाउन/26 अप में स्थान का उपयोग भी 23 डाउन/24 अप जनता एक्सप्रेस से अधिक है।

Allotment of Petrol Pumps and Gas Agencies

*847. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the number of applications pending with the Government for allotment of petrol pumps and gas agencies and the additional number of new petrol pumps and gas agencies to be allotted during 1978-79, State-wise ; and

(b) the categories of persons who will be allotted these agencies?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Since the allotments of retail outlets (Petrol Pumps) and gas agencies are made by the oil companies, the question of applications pending with Government does not arise.

The requirement of Retail Outlets and gas agencies in any State is determined on the basis of economic viability and trade potential of the area.

During 1978-79, about 200 retail outlets are expected to be set up in the country, and their locations will be decided on the basis of certain norms laid down in this regard.

The question of opening new gas agencies will be considered as and when additional quantity of LPG becomes available and the existing net work of LPG distributorships is re-organised.

(b) According to the guidelines issued by Government to all public sector oil companies, the award of agencies is to be made as under:

(i) 25% for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes;

(ii) 2% for physically handicapped persons; and

(iii) the balance on commercial considerations, preference being given to genuine Consumer Co-operative Societies and Agro-Industries Corporations.

Formation of Non-Scheduled Castes and Scheduled Tribes Association by departmental employees of Gorakhpur

†*848. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether he is aware that the departmental employees of Gorakhpur on North-Eastern Railway have formed an organisation known as Non-Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Association; and

(b) if so, the aims and purpose thereof and whether quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been jeopardised as a result of formation of this Association?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the pamphlet enumerating aims and objects of this Association is laid on the Table of the House. The formation of this Association has in no way jeopardised the interests of Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees, as the Government are fully committed to the policy of giving preferential opportunities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

[Placed in Library. See No. L.T.—2186/78]

सीमा क्षेत्र में रेलवे लाइने

*851. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रक्षा और व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किन्हीं क्षेत्रों में, विशेषकर सीमा क्षेत्र में रेल लाइने बिछाने की कोई योजना हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां, और लाइन की लम्बाई क्या होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) से (ग) : सामरिक महत्व के विचार से नयी रेल लाइनों का निर्माण रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर किया जाता है। इस समय ऐसी कोई परियोजना हाथ में नहीं है।

आन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नयी लाईनी का निर्माण पड़ोसी देशों के सहयोग से ही संभव होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी/बाघा में और भारत और बांगला देश के बीच अमकुड़ा/सिंहबाद/राधिकापुर/पारबतीपुर/न्यू गीतलदह/लालमणीहाट/महिसासन/कलोरा/बनगांव/बेनापोल/रानाघाट/दर्शाना में रेल लाईन पहले से ही मौजूद है। नेपाल सीमा पर भारत में स्थित रक्सौल, जयनगर और जोगबनी नाम के पर्यंत रेल स्टेशनों से भारत और नेपाल के बीच व्यापार का काम होता है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक सीमा व्यापार के लिए रेल लाइन के निर्माण हेतु किसी नयी योजना को निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है।

Posting of High Court Judges

†*856. **Shri G. Y. Krishnan :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether in view of the persistent demand from certain Bar Councils/Bar Associations and for ensuring an independent judiciary, Government contemplate to make it a practice not to post High Court Judges in their respective States of domicile ; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Government have no reason to conclude that, as a class, the impartiality of the judges of the High Courts drawn from the local Bars or the judicial services, is questionable. Nor are Government aware of any general demand from Bar Councils/Bar Associations that judges should, as a normal practice, not be appointed or posted in their respective States. Government are, therefore, not considering the adoption of such a practice.

(b) Does not arise.

Bath rooms of first class coaches.

†*857. **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether the showers provided in bathrooms of first class coaches are in the middle of the bathrooms and water continues to drip from them as a result of which bathrooms always remain dirty and wet and water also drips on heads while standing near wash basin and if so, whether arrangement will be made to fit the showers slantingly on one wall of bathrooms or some alternative arrangement will be made?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): The showers are fitted in first class coaches at the centre of the toilets with a view to provide adequate elbow room while taking bath. If the shower cock is fully closed, dripping of water does not take place. However, the water locked up between the shower rose and the wheel cock sometimes drips due to side oscillation of the coaches.

The possibility of relocating the shower rose had been examined by the Railways in the past also and was not found feasible.

Acquisition of Agricultural Land for laying Salaya-Mathura Oil Pipeline

*858. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to lay a statement showing:

(a) whether agricultural land of the farmers of Jogvad, Virpur, Vasai, Ravalsor, Khavli, Lakhabaval and other villages in Jamnagar district in Saurashtra, Gujarat has been acquired for laying Salaya-Mathura Oil pipeline;

(b) if so, the number of farmers, village-wise, whose land has been acquired indicating the area of land acquired in each case and when the land was acquired;

(c) the number of such farmers in these villages, (village-wise) who were paid compensation indicating the dates on which the compensation was paid and the amount paid in each case;

(d) whether no compensation has so far been paid to the villages mentioned in part (a) above and whether a memorandum from Jamnagar has been sent to the Ministry on 11th January, 1978;

(e) if so, the action taken or proposed to be taken thereon so far, and

(f) the time by which the villages mentioned in part (a) above will be pa or paid full compensation?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) (a) to (f): The Salaya-Viramgam Pipeline Section of the Salaya-Viramgar Mathura Crude Oil Pipeline runs partly through the District of Jamnagar i

Gujarat. Only the right of way to lay the pipeline has been acquired in the concerned areas of 28 villages under the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962.

The number of farmers village-wise whose land has been acquired, the area of land so acquired, the date of acquisition etc. are given in the Annexure. It will be seen therefrom that an amount of Rs. 2,32,252.11 has been paid towards compensation for damage of standing crops in 23 of the 28 villages between October 1977 and April 1978. Similar compensation in respect of the remaining 5 villages is likely to be paid in May 1978. A Memorandum dated 11-1-1978 was received from Jamnagar and compensation for damage to crops has since been paid in respect of the six villages mentioned in the said Memorandum.

In addition to compensation for crop damage already paid, payment of 10% of the value of land covered under the right of way of pipeline will have to be made towards full compensation payable under the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, after the termination of pipeline laying operations and the notifying of the date of termination of operations in the Gazette of India. After the publication of the notification of the date, 60 days time will be allowed to farmers concerned to lodge the claim for their compensation. The pipeline construction operations on the Right of Way are expected to be terminated by end-June, 1978. The date of termination will be notified in the Gazette soon thereafter.

Statement

Sl. No.	Name of Village	Date of Acquisition of ROW	Total No. of Farmers	Total Area of Acquired ROW			Amount paid towards damages of crop Rs.	Date of Payment
1	2	3	4	5			6	7
				H	A	S.Q.M.		
1	Vadinar	17-10-77	6	0	71	50	891.00	13-3-78
2	Singach	16-10-77	37	4	44	18	8,591.00	22-3-78
3	Jhankhar	14-10-77	31	6	44	00	1,056.00	22-3-78
4	Jogwad	29-9-77	34	6	05	62	7,810.00	22-3-78
5	Motikhavadi	30-9-77	65	9	67	99	20,852.00	15-2-78
6	Sapar	29-9-77	18	2	71	15	8,094.00	11-2-78
7	Amra	23-9-77	62	6	26	26	18,652.62	15-12-77
8	Vasai	23-9-77	36	4	63	36	14,729.00	10-2-78
9	Ravaisar	15-9-77	16	1	55	14	2,825.00	10-2-78
10	Lakhabaval	16-9-77	29	5	12	51	13,339.00	7-2-78

Statement—Contd.

1	2	3	4			5	6	7
				H	A	S.Q.M.		
11	Naghedi . .	14-9-77	40	3	96	00	5,852.49	29-10-77
12	Kansumra .	28-8-77	28	4	24	30	9,166.00	2-2-78
13	Jamnagar . . .	28-8-77	4	7	85	66	14,467.00	17-2-78
14	Morkanda . . .	21-8-77	27	4	74	14	10,398.00	18-2-78
15	Theba .	18-8-77	13	2	72	12	12,984.00	18-2-78
16	Mota .	13-8-77						
17	Thavaria	18-8-77	76	9	38	00	24,050.00	22-2-78
	Alia . . .	12-8-77	39	5	09	46	12,471.00	23-3-78
18	Gangajala . .	9-8-77	2	0	13	49	673.00	13-4-78
19	Moda . .	6-8-77						
		9-8-77	59	11	31	31	16,406.00	13-4-78
20	Chavada	5-8-77	21	0	03	60	4,756.00	14-4-78
21	Jam Vanthali . .	4-8-77	25	4	06	00	4,514.00	14-4-78
22	Tamachan . . .	2-8-77	1	0	29	00	1,512.00	16-3-78
23	Virpar	1-8-77 2-8-77	26	6	50	00	18,163.00	27-1-78
24	Jalia Devani . .	29-7-77	16	2	53	15		
25	Khijadia . . .	27-7-77	24	5	08	70		
26	Pipartoda . . .	25-7-77	13	2	40	83		
27	Khengarka . .	23-7-77	15	1	77	11		
28	Katda	22-7-77	41	4	14	59	..	..

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा उद्योग विकास तथा विनियमन अधिानयम के अधीन विदेशी औषध कम्पनियों की परिभाषा

*859. **श्री नटवर लाल वी० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत केवल वे कम्पनियां आती हैं जिनकी विदेशी इक्विटी पूंजी प्रत्यक्ष रुप से 40 प्रतिशत है ;

(ख) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से 40 प्रतिशत तक की इक्विटी पूंजी वाली कम्पनियां आती है और दो विभिन्न विधियों में दो भिन्न-भिन्न परिभाषाएं रखसे के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दो विभिन्न अधिनियमों के अधिन विदेशी कम्पनियों की दो भिन्न भिन्न परिभाषाएं रख जाने के संबंध में हाथी समिति के प्रतिवेदन पर विशेष रूप से निर्णय लिया गया था; और

(घ) भविष्य में लाइसेन्स नीति और विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश धनराशि भेजे जाने के मामले में इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 40 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी वाली कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत् आती हैं।

(ख) जी, नहीं। दिनांक 4 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या का० आ० 249(ई)/आई० डी० आर० ए०/29 बी/75 के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और औद्योगिक विकास विनियमन में समानता लाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Lavatories in second class compartments

†*860. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether lavatories in second class compartments of most of the trains operating on different lines generally remain dirty;

(b) whether most of the fittings there are found missing causing great inconvenience to the passengers; and

(c) if so, whether Government will take special care for their proper maintenance?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) No, Sir.

(b) No, Sir. Deficiencies, however, do occur sometimes due to acts of pilferage and vandalism by anti-social elements.

(c) Adequate machinery is available at the primary maintenance stations to re-fit deficient fittings. Besides, anti-pilferage devices are used on a large number of fittings to make it difficult for the anti-social elements to tamper with them.

जीवन रक्षक औषधियों की सस्ती दरों पर उपलब्धता

*861. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ जनजातीय, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सस्ती दरों पर आसानी से जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) क्या जनजातीय क्षेत्रों को इस बारे में कोई रियायत भी दी गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आदिम जाति, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ते दाम पर औषधों की सप्लाई करने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। सामान्य व्यापार प्रणाली के अलावा इस समय औषध सारे देश भर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों और उप-

केन्द्रों के जरिये सप्लाई किए जाते हैं और इन केन्द्रों/उपकेन्द्रों को स्वीकृत पद्धति के अनुसार अनुदान दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीवन रक्षक औषध केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को राष्ट्रीय तपेदिक कायक्रम, राष्ट्रीय कोढ नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय क्षेत्र के छोटे और मध्यम दर्जे के एककों के संबंध में हाथी समिति की सिफारिशें

*862. **श्री गोविन्द मुण्डा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय क्षेत्र के छोटे और मध्यम दर्जे के एककों के लिए हाथी समिति की सिफारिशें कहां तक लाभदायक हैं ;

(ख) इन दोनो क्षत्रों के लिए मूल्य निर्धारित करने, लाइसेन्स देने, फार्मूलेनश तैयार करने और आस्तियों बनाने के बारे में सरकार ने उन पर किन सुधारों की सिफारिश की है ; और

(ग) हाथी समिति के वे सिफारिशें कौनसी हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के पक्ष में थी परन्तु जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया है और उनमें किए गये परिवर्तन क्या हैं और परिवर्तन करने के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हाथी समिति के विचारार्थ एककों में से एक विषय का सम्बन्ध औषध उद्योग और विशेषकर भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्र का तीव्र विकास करने के लिए सिफारिश करने से था। हाथी समिति की सिफारिशों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि विदेशी कम्पनियों के अधिपत्य को कम किया जाय और इसके साथ-साथ भारतीय क्षेत्र को सहायता देने के लिए एक उदेश्यपूर्ण नीति को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस सदर्न्भ में समिति सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले अनेक उपायों की सिफारिश की है जिनमें विदेशी फर्मों के कार्यकलापों पर प्रतिबन्ध लगाना और भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ख) सरकार ने अपनी नई नीति में काफी सुधार कर दिया है और लाइसेन्सिग नीति में विदेशी कम्पनियों के कार्यकलापों को शामिल करते हुए उसे और सुगम बना दिया है। अब विदेशी कम्पनियों को केवल उन मूल औषधों के लिए लाइसेन्स दिया जायेगा जिनमें अधिक प्रोद्योगिकी शामिल हो और जो फार्मूलेशनस् पर आधारित हो। शेष कार्यकलापों को अधिकांश रूप में भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों के लिए छोड़ दिया गया है। विदेशी कम्पनियों से ऋण लाइसेन्स की सुविधा को वापस लेने से, भारतीय क्षेत्र की कम्पनियों को लाभ होगा, इसके बारे में हाथी समिति ने कोई विशेष सिफारिश नही की थी। इसी प्रकार अधिक उत्पादन को नियमित करने की व्यवस्था और उसके ब्यौरों से भी सहायता मिलेगी।

(ग) हाथी समिति की अस्वीकृति अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत सिफारिशों के बारे में विस्तृत सूचना 25 अप्रैल 1978 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर में दी गई है।

दिल्ली और पलवल के बीच गाड़ियों में डकैतियां

*863. **श्री फकीर अली अन्सारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1978 में दिल्ली और पलवल के बीच चलती गाड़ियों में दो डकैतियां हुई थीं ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चलती गाड़ियों में इन डकैतियों के फलस्वरूप कितने व्यक्ति जख्मी हुए और डाकुओं ने कितनी सम्पत्ति लूटी ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) मार्च, 1978 के दौरान, मध्य रेलवे पर दिल्ली और पलवल के बीच चलती गाड़ियों में डकैती की तीन घटनाओं की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) और (ग) : 16-3-1978 को लगभग 02-00 बजे, चार अज्ञात अपराधी, वल्लभगढ़, और असावती के बीच 360 अप गाड़ी (दिल्ली झांसी सवारी गाड़ी) के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में घुस आये। उन्होंने चाकू दिखाकर 15 यात्रियों को लूट लिया । ग्यारह यात्रियों को चाकुओं से घायल कर दिया । 5 तोला सोने के गहने, एक चांदी की पाजेब, 5 कलाई घड़ियां, एक रेडियो सेट, 16 कपड़े थे 16 पीस और 1,385 रुपये नगद लूट लिये गये । लूटी गई संपत्ति का कुल मूल्य 5,785 रुपये बताया जाता है। सरकारी रेलवे पुलिस, रेवाड़ी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/394 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान सरकारी रेलवे पुलिस,/रेवाड़ी द्वारा 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 कम्बल, एक साड़ी, एक पाजेब, एक पेन्ट, एक बुशर्ट एक बैग एक रेडियो और 2 कलाई घड़ियां बरामद कर ली है। बरामद की गई कुल सम्पत्ति का मूल्य 2,950 रुपये है ।

16-3-1978 को ही लगभग 3-30 बजे प्रात: चार अज्ञात अपराधी फरीदाबाद और तुगलकाबाद के बीच 361 डाउन (दिल्ली आगरा सवारी) गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में घुस आए । उनके हाथ में चाकू थे । उन्होंने चार यात्रियों से एक सोने की अंगूठी, 3 कलाई घड़ियां और 52 रुपये की नकदी लूट ली। लूटी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य, 1,050 रुपये है। सरकारी रेलवे पुलिस, रेवाड़ी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/394 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है । जांच के दौरान चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 कलाई घड़ियां तथा 52 रुपये बरामद कर लिए गए है । बरामद की गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 1,050 रुपये हैं । इस मामले में समूची सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है ।

20-3-1978 को लगभग 02-00 बजे, चार अज्ञात व्यक्ति जिनके हाथ में चाकू थे, वल्लभगढ़ और असावती के बीच 360 अप (दिल्ल-झांसी सवारी) गाड़ी में चढ़ गये और 8 यात्रियों से 5 कलाई घड़ियां, कपड़े के 9 पीस और 238 रुपये नकद लूट लिए। लुटी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 1,900 रुपये है । सरकारी रेलवे पुलिस, रेवाड़ी ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/394 के अन्तर्गत एक

मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान 16-3-78 को असावती और वल्लभगढ़ के बीच 360 अप गाड़ी में हुई घटना में गिरफ्तार 4 अपराधियों का इस कुकर्म में भी हाथ पाया गया। इन अपराधियों को इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जर्सी, एक पैन्ट, एक शाल, एक बैग और 3 कलाई घड़ियां बरामद कर ली गई है। बरामद की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य 1,100 रुपये है। इस मामले में अपराधियों ने सभी आठों यात्रियों को घायल कर दिया था।

इन तीन के तीन मामलों में 19 यात्री घायल हुए और 8,735 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गयी है।

(घ) इस मामले में सभी अभियुक्तों को अर्थात 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक 5,100 रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है।

(ङ) इन मामलों की जांच हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी रात्रि गाड़ियों में पुलिस आरक्षियों की व्यवस्था कर दी गई है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस के तीन अतिरिक्त आरक्षित दल (90 पुलिस कर्मचारी) इस प्रयोजन के लिए तैनात किए गए है। सादी पोशाक में पुलिस कर्मचारी भी, हरियाणा सरकार द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर दिये गये हैं।

गोवा, दमण और दीव में न्यायाधीश

7920. **श्री अमृत कासर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) गोवा संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गोवा, दमण और दीव के न्यायिक आयुक्त के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ न्यायाधीशों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के एक न्यायाधीश ने न्यायिक आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक रिट अर्जी दायर की जिस पर न्यायिक आयुक्त के न्यायालय ने अभी तक सुनवाई नहीं की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) गोवा, दमण और दीव सरकार के अनुसार उस राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी न्यायाधीश नहीं है।

(ख) गोवा, दमण और दीव सरकार के अनुसार यह सच नहीं है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी न्यायाधीश ने न्यायिक आयुक्त के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण सेवा से त्यागपत्र दिया है।

(ग) गोवा, दमण और दीव सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति के एक न्यायाधीश ने जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध रिट अर्जी दाखिल की थी। यह रिट अर्जी व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दी गई है।

मुरारई के निकट एक मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

7921. डा० **सरदीश राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अगस्त, 1977 को पूर्वी रेलवे में मुराराई रेलवे स्टेशन उत्तरी केबिन के निकट एक माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण एक व्यक्ति और कुछ पशुओं की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने पशु मारे गए थे और उनका मूल्य कितना था ; और

(ग) क्या मृत व्यक्ति की पत्नी ने पशुओं के लिए मुआवजा देने और उसके बेटे को नोकरी देने अथवा मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में नकद मुआवजा देने की प्रार्थना की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : दुर्घटना मुरारई स्टेशन के पश्चिमी केबिन के समीप हुई। एक व्यक्ति ने जो अप मुख्य लाइनके पास अपनी गउएं हांक रहा था, अपनी जान गंवाई। तीन गउएं मारी गई। उनका मूल्य मालूम नहीं है।

(ग) प्रथम दृष्टि में दुर्घटना के लिए रेलवे जिम्मेवार नहीं है और भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अन्तर्गत कोई दावा मान्य नहीं है। फिर भी व्यक्ति और मवेशियों की मृत्यु के लिए रेल प्रशासन को कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

मृतक की विधवा ने अपने बेटे को नौकरी के लिए अनुरोध किया है। लेकिन रेल प्रशासनों द्वारा अनुग्रह आधार पर नौकरी के लिए केवल मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों के मामलो में ही विचार किया जाता है।

नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

7922. डा० **विजय मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 1 फरवरी, 1978 को डी० ई० एन० डी० एण्ड डी० बी० के०/एस० रेलवे /डब्ल्यू० ए० टी० के अन्तर्गत 10 से लेकर 15 वर्ष तक को सतत सेवा वाले 170 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गई है और उनसे जूनियर श्रमिकों को डी० इ० एन०/डी० एण्ड डी० बी० के०/एस० ई० आर० वालटेयर को उसी यूनिट के अन्तर्गत रखा गया है ;

(ख) क्या यह छंटनी परिहार्य थी यदि निर्माण आरक्षित पदों को भरने के लिए अक्तूबर, 1977 में की गई जांच का पैनल प्रकाशित करने के लिए समूचित देख रेख की जाती ;

(ग) नवम्बर, 1977, दिसम्बर, 1977, जनवरी, 1978 तथा फरवरी, 1978 के दौरान डी० ई० एन० / डी० एण्ड डी० बी० के० / एस० ई० रेलवे वालटेयर के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में नये श्रमिको को चालू लाइन में लगाये जाने के क्या कारण है जिससे 179 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी हुई ;

(घ) क्या यह छंटनी 21 फरवरी, 1978 को इस सदन में प्रस्तुत किये रेलवे बजट, जिसमें रोजगार के अधिक अवसरों का वचन दिया गया है, के विपरित नही है ; और

(ङ) उन्हें खपाने के लिए प्रशासन ने क्या कार्यवाही को है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 179 नैमित्तिक मजदूरों को जिनकी नौकरीं 3 से 10 वर्ष के बीच थी और जो मण्डल इंजीनियर/डी० एण्ड डी० बी० के० / दक्षिण पूर्व रेलवे/

वालतरू के अधीन काम कर रहे थे, और जिन्हें जगन्नाथपुर-भुसंडपुर दोहरी लाइन बिछाने के लिए भर्ती किया गया था, 1-2-1978 से छंटनी कर दी गई थी क्योंकि यह काम काफी समय पहले पूरा हो गया था। जिन यूनिटों में अर्थात रेलपथ निरीक्षक और निर्माण निरीक्षक (निर्माण) छतरपुर में वे कार्यरत थे उनमें, उनसे कनिष्ठ मजदूरों के नौकरी में नहीं रखा गया है।

(ख) निर्माण आरक्षण में खाली जगहों की भरने के लिए की गयी स्क्रीनिंग का अलग-अलग यूनिटों के नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्पूर्ण निर्माण संगठन के लिए समग्र प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही स्क्रीनिंग के परिणाम का पता चलेगा।

(ग) निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर परिसम्पत्ति चालू लाइन को सौंप दी जाती है ताकि चलने वाली गाड़ियों की संरक्षा की दृष्टि से इसे सर्वोच्च स्तर पर रखा जा सके। चूंकि अनुरक्षण कार्य, निर्माण कार्य से सर्वथा भिन्न होता है इसलिए श्री काकुलम-तिलारु खण्ड में किये गये निर्माण कार्यों के अनुरक्षण के लिए चालू लाइन द्वारा थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किये गये थे। रेल पथ निरीक्षक और निर्माण निरीक्षक (निर्माण), छतरपुर के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) : मजदूरों के इतने बड़े दल को बिना किसी विशेष कार्य के नौकरी में बनाये रखना सम्भव नहीं है। छंटनी किए गए मजदूरों से कहा गया था कि वे जाखापुरा स्थित श्रम सहकारी ठेका समिति के पास अपने नाम दर्ज करायें ताकि जाखापुरा-दायतरी निर्माण परियोजना में उन्हें रेलवे के किसी अन्य काम फिर से लगाया जा सके।

आर० डी० एस० ओ० प्रतिष्ठान

7923. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा स्थापित आर० डी० एस० ओ० प्रतिष्ठान भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 (1890 का अधिनियम संख्या 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 3(4) (ग) में परिभाषित उपबन्ध के अर्थों में "रेलवे" है;

(ख) क्या आर० डी० एस० ओ० भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (1890 के अधिनियम संख्या 19) की धारा 3(6) में परिभाषित उपबन्ध के अर्थों में एक रेलवे प्रशासन है; और

(ग) क्या आर० डी० एस० ओ० एक रेलवे प्रतिष्ठान है; यदि हां, तो उस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को जनरल मैनेजर जैसा कि भारत भर में सभी अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों के मामलों में यह पद नाम दिया गया है के बजाय, "महानिदेशक" पदनाम क्यों दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। इस संगठन के कार्य की प्रकृति और महत्व को देखते हुए इसके प्रधान अधिकारी को महानिदेशक पदनाम दिया गया है।

अमान्यता प्राप्त यूनियनों की बैठक के सम्बन्ध में रिसर्च डिजाइनिंग स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन के प्रबन्धकों की नीति

7924. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च डिजाइनिंग स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन के प्रबन्धकों ने गैर मान्यता प्राप्त संघों को बैठक के बारे में मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई नीति लागू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और अमान्यता प्राप्त किन्तु बहुमत प्राप्त कर्मचारी संघ अर्थात् आर० डी० एस० ओ० कर्मचारी संघ में हुई चर्चा/बातचीत का क्या वृतान्त है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां । अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संघटन के अधिकारी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों से भी जब कभी वे ऐसी बैठक चाहते हैं अनौपचारिक रुप में मिलते हैं । ये बैठकें अनौपचारिक होती हैं अतः विचार-विमर्श का कोई कार्यवृत्त रिकार्ड नहीं किया जाता है, लेकिन इन बैठकों में कर्मचारियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

रिसर्च डिजाइनिंग स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन में आपात स्थिति के शिकार व्यक्ति

7925. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च डिजाइनिंग स्टेन्डर्ड आर्गेनाइजेशन (आर० डी० एस० ओ) में आपातकाल में शिकार बने सभी व्यक्तियों को सेवा म ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि वे पहले ही लिये जा चुके है तो उनके नाम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सर्वश्री रामधारी और बिनू प्रसाद नैमित्तिक खलासी ।

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 तथा आर० डी० एस० ओ०

7926. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च डिजाइनिंग स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन रेलवे द्वारा रेलवे के उद्देश्यों तथा रेलवे के सम्बन्ध में कानून के अन्तर्गत अर्थात् भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(ग) संगठन के खर्च किस स्रोत से पुरे किये जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय से सम्बद्ध एक कार्यालय है । यह भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3(4) (ग) की परिभाषा के क्षेत्र में नहीं आता है । अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन की स्थापना का व्यय रेलवे बजट में संसद द्वारा स्वीकृत निधि से पूरा किया जाता है ।

भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

7927. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री पेंट्रोलियम तथा रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरों के बारे में 28 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस बीच तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में खपाये भूतपूर्व पट्रोलियम तथा रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरों के कर्मचारियों से उन्हें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें उन्होंने भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन सम्बन्धी अध्ययन ब्यूरों के फालतू कर्मचारियों को खपाने में पेंट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अपनायें गए मानदण्ड पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है ;

(ख) क्या उक्त भूतपूर्व ब्यूरो के कर्मचारियों को खपाने में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने वालों ने चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ब्यौरों के कर्मचारियों को शिकायतें दूर करने के लिए उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) आरम्भ में ब्यूरो पेट्रोलियम सूचना सेवा के रूप में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इण्डियन आयल कारपोरेशन संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। ब्यूरो के बन्द होने पर इसकी परिसम्पत्ति तथा स्टाक दोनो उद्यमों के बोच बांटें गये थे। अन्य संगठनों में पूर्व ग्रहण अधिकार रखने वाले कर्मचारियों को छोड़कर शेष नियमित कर्मचारी उचित वेतनमान पर आई० ओ० सी० तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में उनकी आवश्यकता अनुसार रखे गए हैं। अत: इस विषय में और कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

Replacement of Steam Engines by Diesel and Electric Engines

†7928. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of steam, diesel and electric railway engines in the country;

(b) how do they compare with one another in the context of expenditure and conservation of country's energy resources;

(c) whether any time bound programme has been drawn by Government for replacement of steam engines by diesel and electric engines; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The total number of steam, diesel and electric locos in the country as on 31-3-1977 is as follows:—

	Broad Gauge	Metre Gauge	Narrow Gauge	Total
Steam	4,921	2,977	365	8,263
Diesel	1,437	408	58	1,903
Electric	824	20	..	844
	7,182	3,405	423	11,010

(b) In the context of operational costs, the expenditure on steam traction is the highest and that on electric traction is the lowest.

(c) and (d): The production of steam locos had been completely stopped since 1971. These locomotives will be gradually replaced depending upon the traffic requirements and availability of funds.

Preparation of Legal Glossary

†7929. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had entrusted the work of preparing a legal glossary to the Official Languages Commission under the Ministry, under Article 351 of the Constitution and if so, when the said work had been entrusted to the said Commission;

(b) the progress made so far by the said Commission;

(c) whether the preparation of the said glossary would be in the interest of all the States and if so, whether the opinions of all the States had been given due weightage in the matter of preparation of the said glossary; and

(d) whether it is proposed to set up some special machinery for the purpose of bringing uniformity in all Indian languages and if so, the details thereof?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) One of the functions entrusted to the Official Language (Legislative) Commission which was set up under a Resolution of the Government, dated the 8th June, 1961, was the preparation and publication of a standard legal terminology, for use, as far as possible, in all official languages.

(b) A legal glossary was published by the Official Language (Legislative) Commission in 1970. The Official Languages Wing in the Legislative Department to which the functions of the Commission were assigned on the latter's abolition with effect from the 1st October, 1976, is engaged on revising this glossary and the revised and enlarged glossary is expected to be published shortly.

(c) The glossary has been evolved as a result of discussions in the Official Language (Legislative) Commission among Members representing the various Official Languages; and due weightage was given to the views of the Members while finalising the terminology contained in the glossary.

(d) No, Sir.

खलासियों द्वारा भूख हड़ताल

7930. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय श्रम न्यायाधिकरण पंचाट 1969 को क्रियान्वित की मांग करते हुए वल्डिग गैस के 32 नैमित्तिक खलासी धनबाद डिविजनल सुपरिन्टेंडेन्ट के कार्यालय के के सामने भूख हड़ताल पर है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पंचाट को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : मंडल अधीक्षक धनबाद के कार्यालय के सामने 32 नैमित्तिक मजदूर जो केन्द्रीय वेतन आयोग वेतनमानो की मांग कर रहे थे, 11–30 बजे इकट्ठे थे । जब उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया तो उसी दिन 18–30 बजे से हट गये । केन्द्रीय वेतन आयोग वेतनमान निर्धारित शर्तें पूरी कर परने हो दिये जाते हैं ।

Overbridge at Surat Station

†7931. **Shri Chaturbhai Gamit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the overbridge at Surat Station of the Western Railway is closed for traffic and if so, the reasons therefor;

(b) whether the Ministry of Railways has any proposal to construct a new overbridge at Surat Railway Station; and

(c) if so, when the work of construction of the new overbridge at Surat Station will be undertaken and when it will be completed and the expenditure likely to be incurred thereon?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) : No.

(c) Does not arise.

ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां

7932. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी है ; और

(ख) उनमें से कितनी रुग्ण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) देश में 31-12-1977 तक शेयरों द्वारा लिमिटेड 48,513 कम्पनियां कार्यरत थी ।

(ख) जैसा कि कम्पनी अधिनियम रुग्ण कम्पनियों की व्याख्या नहीं करता है अत: कम्पनीकार्य विभाग के पास रुग्ण कम्पनियों के कोई आंकड़े नही है ।

उर्वरक उद्योग को अतिरिक्त "नेफ्था" का भण्डार जमा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

7933. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक उद्योग को अतिरिक्त "नैफ्था" का भण्डार जमा करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या परिस्थितियां हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योग को इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त ऋण दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी, नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेप्था की कमी के कारण किसी भी नेप्था पर आधारित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े उद्योग को नेप्था को न्यूनतम सुरक्षा वस्तु सूची रखने के लिए सलाह दी गई है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

एम० टी० पी० (आर०) कलकत्ता द्वारा आयात किया गया सामान

7934. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अब तक पेट्रोपोलाटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे), कलकत्ता द्वारा कुल कितनी राशि के सामान और उपकरणों का आयात किया गया तथा किन देशों का माल आयात किया गया तथा इसी अवधि में एम०टी०पी० (आर०) कलकत्ता के लिये कार्य करने वाले विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कितना माल आयात किया गया ;

(ख) क्या सोवियत रूस से सामान और उपकरण सप्लाई करने की दीर्घाविधि योजना बनाई थी किन्तु वह एम० टी० पी० (आर०) कलकत्ता को इनको सप्लाई बनाये रखने में असफल रहा है ;

(ग) क्या एम० टी० पी० (आर०) कलकत्ता को पूरी परियोजना के लिए सोवियत रुस और रेलवे विभाग के बीच सहयोग करार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सोवियत रुस द्वारा क्या सहायता दी जा रही है तथा उसके लिए भारत में कितने रुसी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता द्वारा देशवार सामग्रियों और उपस्करों के आयात के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है :—

रुस . .	1000 मी०/ट० शीट पाइल्स और 3 डीजल हैमरों के लिए 33 लाख रुपये ।
पश्चिम जर्मनी	415 मी०/ट० ट्रामवे पटरियों के लिए 20 लाख रुपये ।
जापान . .	एक यूनिट विबरो सिंकर और पाइल्स एक्सट्रेक्टर के लए 6.7 लाख रुपये ।
इंग्लैण्ड .	2 मेथनोमोटर के लिए 3 हजार रुपये ।
बेलजियम	1 वाइब्रोगिर ट्रैक टेस्टिंग उपस्कर के लिए 25 हजार रुपये ।

परियोजना के एक ठेकेदार मैसर्स चटर्जी पोल्क प्रा० लि० ने अभी तक अपने संसाधनों से निम्नलिखित उपस्कर पश्चिम जर्मनी के आयात किये हैं :—

खुदाई के लिए ग्रेब—3

बेंटोनाइट मिक्सिंग प्लांट—1

(ख) और (ग) : जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) पारस्परिक सहमति के अनुरूप रुस सामग्री और उपस्करों की सप्लाई करके अपेक्षित होने पर हमारी अनुरोध पर शिक्षण देने के लिए रूसी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति करके और कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुरोध पर, हमारे कार्मिको को प्रशिक्षण देकर परियोजना के निष्पादन में सहायता कर रहा है, इस परियोजना में इस समय इस कोई रुसी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है ।

रेलवे विकास कार्यक्रम

7935. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री रेलवे विकास कार्यक्रम के बारे में 29 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यदल ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है और क्या सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही किये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): 1978–83 को योजना में विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए कार्यदल ने सिफारिश की है । 1978–83 को योजना बनाते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था । योजना को अन्तिम रूप देते समय भी इन पर ध्यान रखा जाएगा ।

थाना जिले में नई रेल लाइन

7936. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला थाना (महाराष्ट्र) के पिछड़े क्षेत्र में अर्थात् दहानू जावहर मोखादा—नासिक में नई रेल लाइन बनाने के बारे में सरकार को दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 अथवा इसके आसपास एक अभ्यावेदन और जवाहर नगरपालिका (जिला थाना, महाराष्ट्र) द्वारा पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही को है अथवा निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) दहानू रोड और नासिक रोड़ को जवाहर से जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण करना धन को कमी के कारण सम्भव नहीं हो पायेगा ।

अलीगढ़ में नैमित्तिक श्रम दर

7937. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में अलीगढ़ जिले में नैमित्तिक श्रम दर क्या थी ;

(ख) अलीगढ़ में कोयला, गला हुआ कोयला तथा राख उठाने के काम के लिए ठेके आदि रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टर्स को-आपरेटिव लेबर कान्ट्रक्ट सोसायटी लिमिटेड, अलीगढ़ को किस तारीख से दिये गए ;

(ग) इस सूची की प्रत्येक मद के लिए निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है और क्या ये दरें रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों में उल्लिखित अनुदेशों के अनुरूप है ; और

(घ) काम की प्रत्येक मद के लिए दर निर्धारित करते समय दर निर्धारण समिति ने किन सम्बन्धित तथ्यों तथा कारणों को ध्यान में रखा था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 1974 में अलीगढ़ में नैमित्तिक मजदूरों की दर 16 रुपये प्रतिदिन थी ।

(ख) कोयला सम्हलाई, सिंडर उठाने और राख गर्त को साफ सफाई का ठेका 20-12-74 से दिया गया था ।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें विस्तृत दरें दिखाई गई हैं । ये दरें रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की जाती है ।

(घ) दरों के निर्धारण में स्थानीय परिस्थितियों, उस क्षेत्र में वर्तमान मजूरी और काम की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाता है ।

विवरण

	दर प्रति टन रुपये
1. अलीगढ़ में चौपहिया माल-डिब्बों से कोयला उतराई दिन के पांच घंटों के दौरान	1.30
2. अलीगढ़ में चौपहिया माल-डिब्बों से कोयला उतराई रात के पांच घंटो के दौरान	1.50
3. अलीगढ़ में खुले बी ओ एक्स डिब्बों से कोयला उतराई दिन के पांच घंटों के दौरान	1.50
4. अलीगढ़ में खुले बी ओ एक्स डिब्बों से कोयला उतराई रात के पांच घंटों के दौरान	1.80
5. अलीगढ़ में बन्द बी ओ एक्स डिब्बों से कोयला उतराई दिन के पांच घंटों के दौरान	1.80

विवरण—जारी

6. अलीगढ़ में बन्द बो ओ एक्स डिब्बों से कोयला को उतराई रात के पांच घंटों के दौरान	3.00
7. अलोगढ़ में कोयला के चट्टे लगाना . . .	0.25
8. अलोगढ़ में इंजन के टेंडर में कोयले का सिर पर उठाकर लदान .	1.70
9. अलोगढ़ में सिंडर का उठाना	0.90 प्रति 50 कि०
10. खुले स्थान को सप्लाई और राख गर्त को सफाई, भराव स्थल पर राख को ढुलाई	851.00 प्रति मास
11. एटा में सिंडर उठाना	1.00 प्रति 50कि०
12. एटा में शेड के खुले स्थानों को सफाई, राख गर्त को सफाई और भराव स्थल पर राख को ढुलाई	250.00 प्रतिमास

पैराफिन वैक्स की मांग

7938. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैराफिन वैक्स की राज्यवार कुल मांग कितनो है ;

(ख) देश में पैराफिन वैक्स का कितना उत्पादन होता है ;

(ग) यह मांग पूरो करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि० को ओर से जून, 1976 में तैयार को गई बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 1978-79 के लिये 56,000 मी० टन पैराफोन मोम की मांग आंको गई थी । इस सर्वेक्षण में राज्यवार मांग के अनुमान संस्थापित नहीं किये हैं । पैराफोन मोम की मांग में अचानक वृद्धि हो जाने के साथ साथ इस मद् के मंदे उत्पादन स्तर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के कोटों में वृद्धि करने के लिये उनके द्वारा समय समय पर योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई मांगे उनके विगत के कोटों और इस मद् को उठाने को क्षमता पर विचार करते हुए काल्पनिक और अनुमानित दिखाई पड़ता हैं । देश में पैराफिन मोम का सप्लाई स्थिति के पूर्णरुपेण सुविधा जनक बन जाने के बाद ही इस मद् का सही तथा उचित मांग को अन्दाजा लगाना सम्भव होगा ।

(ख) असम आयल कम्पनी को डिग्बोई शोधनशाला में पिछले दो वर्षों में पैराफोन मोम का उत्पादन निम्नलिखित रूप से हुआ है :--

1976 . .	43,000 मी० टन
1977	41,780 मी० टन

(ग) पैराफीन मोम की मांग में क्योंकि वृद्धि हो रही है ; अतः पैराफोन मोम के निर्यात को जिसे वर्ष 1976 तक निर्यात किया जा रहा था घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पैराफीन की उप-

लब्धता में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ रोक दिया गया है। पैराफिन मोम के देशीय रूप में उपलब्ध मात्रा में और अधिक पूर्ति करने के उद्देश्य से पैराफीन मोम के वास्तविक उपभोक्ताओं को मैसर्स बामर लारी एंड कम्पनी (जो कि इस मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है) के माध्यम से इस मद्द का सारणी बद्ध आयात की व्यवस्था करने के लिये वर्ष 1977-78 से इस की आयात नीति में संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 1977-78 के दौरान कम्पनी के पास इस मद्द के वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा लगभग 2,600 मी० टन पैराफीन मोम का आयात करने के लिए पक्के आर्डर पंजीकृत कराये गये थ। इसमें से मार्च, 1978 के अन्त तक 1,713.5 मी० टन की मात्रा में वास्तविक रूप से आयात किया गया था

आशा है कि मोम के सारणीबद्ध आयात से इस मद्द की कमी समाप्त हो जायेगी और वास्तविक उपयोगकर्ताओं को पैराफीन मोम की उपलब्धता में सुधार होगा।

पैराफीन मोम की उपलब्धता में वृद्धि करने क एक और उपाय के रूप में, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि० से कह दिया गया है कि वह (पैराफीन मोम का उत्पादन कर रहे) स्लैक मोम को साफ करने वाले एककों की पूरी औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं की सीमा तक स्लैक मोम की सप्लाई करें। यह उल्लेखनीय है कि लघु उद्योगों द्वारा स्लैक मोम से जो पैराफीन का उत्पादन किया जा रहा है, वह केवल मोमबत्तियों, दिया सलाई, तिरपालों और प्लास्टिक में प्रयोग के लिये उपयुक्त है।

(घ) मद्रास शोधनशाला में पैराफीन मोम का उत्पादन करने के लिये पैराफीन मोम संयंत्र स्थापित करने की एक सम्भावी रिपोर्ट का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

Delhi-Dewanganj Halt

7939. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether building workers and other employees will be recruited for converting Delhi-Dewanganj halt into a station on Katihar-Maldah section on North Eastern Railway; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): The proposal for conversion of Dilli Dewanganj halt on North East Frontier Railway, into a flag station is under examination. As such the question of recruiting staff for this purpose does not airse at this stage.

उर्वरकों का उत्पादन और निर्यात

7940. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उर्वरकों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ग) क्या भारत में उर्वरकों का और अधिक उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके लिए नये संयंत्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(ङ) इस में कितनी धनराशि लगाने का अनुमान है और इस में वर्तमान पूंजी निवेश कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : 1983-84 में खपत और उत्पादन के बीच में लगभग 12 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 6 लाख मीटर टन पी 2 ओ 5 के अन्तर की संभावना है । अतः किसी उर्वरकों के निर्यात की प्रश्न नहीं उठता । तथापि भूटान सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने को ध्यान में रख कर उर्वरकों की निम्नलिखित थोड़ी मात्राएं 1977-78 के दौरान भूटान को सप्लाई की गई थी :--

	मी० टन
1. सल्फा	192
2. कैन	96
3. यूरिया	24

(ग), (घ) और (ङ) : यह सरकार का सदा प्रयास रहा है कि वर्तमान चल रहे एककों में उनकी क्षमता उपयोगिता में सुधार द्वारा अधिकतम उर्वरक उत्पादन किया जाए । इसके अलावा कई उर्वरक संयंत्र इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं जिसके ब्यौरे अनुबन्ध-I में संलग्न विवरणपत्र में दिए गए हैं । इसके अलावा कई उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है और स्थान तथा उन पर अनुमानित राशि दर्शाने वाला विवरण पत्र अनुबन्ध-II पर संलग्न है । उर्वरक उद्योग में वर्तमान निवेश के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण—एक

उर्वरकों के निर्यात और उत्पादन के बारे में 25 अप्रैल, 1978 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7930 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण पत्र ।

संयंत्र जो कार्यान्वयनाधीन है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

संयंत्र का नाम	राज्य
I. सरकारी क्षेत्र :	
1. नंगल विस्तार	पंजाब
2. सिन्दरी सुव्यवस्तीकरण	बिहार
3. ट्राम्बे IV	महाराष्ट्र
4. रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश
5. तालचर	उड़ीसा
6. सिन्दरी आधुनिकीकरण	बिहार
7. भटिंडा	पंजाब
8. पानीपत	हरियाणा
9. हल्दिया	पश्चिम बंगाल
10. ट्राम्बे V	महाराष्ट्र
II. गैर सरकारी क्षेत्र :	
11. बड़ौच	गुजरात
III. सहकारी क्षेत्र :	
12. फूलपुर	उत्तर प्रदेश

विवरण—दो

उर्वरक परियोजनाएं जिनका कार्यान्वयन किया जाना है के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम तथा क्षमता	राज्य जहां स्थित होगी	अस्थाई लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	बम्बई हाई संरचना से संबद्ध गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र अमोनिया 1,350 मो० टन प्रतिदिन यूरिया 1,800 मो० टन प्रतिदिन।	महाराष्ट्र	करोड़ रुपये 491	
2	असम क्षेत्रों से गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र मो० टन प्रतिदिन अमोनिया . 1,600 यूरिया . 1,000	असम	171	परियोजना पर ओ० डी० एम० यू० के० से सहायता की व्यवस्था की गई है ।
3	दक्षिण बेसिन कुओं से गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र (यह अनुमान है कि इसकी वैसी क्षमता होगी जैसे कि बम्बई हाई पर आधारित सयंत्रों के लिए प्रस्तावित है)	गुजरात		लागत का अनुमान उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैसर्स इफको और मेसर्स एन० एफ० एल० द्वारा संभाव्यता अध्ययन अभी तक तैयार नहीं है तथापि चूंकि गैस पर आधारित बम्बई हाई पर लगभग 491 करोड़ रुपये की लागत होगी इसलिए इस संयंत्र की भी वैसी लागत होगी ।
4	मैसर्स नागरजुना उर्वरक प्रथम चरण जिसमें 900 मो० टन प्रतिदिन अमोनिया और 1,500 मो० टन प्रतिदिन यूरिया संयंत्र की स्थापना शामिल है ।	काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश	232	कम्पनी को परियोजना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है जिसे औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए सिफारिश की गई है । संयंत्र संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित होगा । आन्ध्र प्रदेश सरकार इस कंपनी

विवरण दो—जारी

1	2	3	4	5
			करोड रुपये	की साम्यपूंजी में सांझदारी होगी, जिसको ओ० डी०एम० से मसर्स शावाल्स कंपनी ब्रिटिश एण्ड द्वारा समर्थन है और इसकी इस परियोजना के लिए उपलब्ध होने की संभावना है ।
5	मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिवज़ लि० मी० टन प्रतिदिन अमोनिया . 137,000 यूरिया . 225,000	कानपुर उत्तर प्रदेश	लगभग 65	नेफ्था पर आधारित यह कम्पनी की विस्तार योजना होगी । पार्टी को आशय पत्र जारी किया गया है ।
6	मैसर्स एम० पी० अग्रो-मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मी० टन प्रतिदिन सल्फ्यूरिक एसिड . 140,000 फास्फोरिक एसिड . 50,000 एम०ए०पी० 93,000	मेघनगर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश	18	पार्टी को जारी किया गया आशय पत्र वशी रोक फास्फेट (झाबुआ) पर आधारित है ।
7	मैसर्स बिहार कास्टिक एण्ड कैमिकल्स लि० रेहाला, बिहार, अमोनियम क्लोराइड 26,000 मी० टन प्रतिदिन	रेहाला बिहार	1	यह योजना मुख्य कास्टिक सोडा संयंत्र जो कम्पनी द्वारा स्थापित किया जाना है से क्लोराइन के प्रयोग के लिए है। पार्टी को आशयपत्र जारी किया गया है।
8	मैसर्स पालोमर कारपोरेशन आफ गुजरात लिमिटेड अमोनिया सल्फेट 10,000 मी० टन प्रतिदिन	गुजरात	21 लाख रुपये	मेथियल मेथाक्राइलेट मोनोमर के उत्पादन के लिए कम्पनी के मुख्य परियोजना से बेकार एसिड निस्सारी के प्रयोग लिए परियोजना के रूप में यह योजना प्रस्तावित है ।

Derailment of Trains

†7941. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of rail-derailments (goods and passenger trains) and accidents occurred in Ratlam Division of Western Railway in March, 1978 ;

(b) the number of engine failures; and

(c) the reasons therefor and the steps taken in this regard?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) During March, 1978, 4 train accidents took place in Ratlam Division of Western Railway. All these 4 accidents were in the category of train derailments. One involved a passenger train and the remaining 3 involved goods trains.

(b) Eleven.

(c) Two derailments were accidental in nature and the causes of the remaining 2 are still under investigation.

Of the 11 cases of engine failures 4 were due to failure of material, 3 due to faulty material and the remaining 4 due to failure of staff.

Measures to prevent such accidents include tightening of inspections; education and counselling of drivers and shed staff; intensification of examination of trains and spot checks in Carriage and Wagon depots etc. To counteract human failure, the Safety Organisations are engaged in a relentless campaign to inculcate greater safety consciousness amongst the staff to ensure that the staff do not violate rules and indulge in unsafe practices or short cut methods.

Water-taps at Bareilly station

7942. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the water-taps at platform No. 4 of the Bareilly station remain dry between 4 P.M. and 10 P.M. as a result of which great hardship is caused to passengers ; and

(b) if so, whether several complaints to this effect have been entered in the complaintbook; and if so, why no action has been taken on a matter of public importance and whether the divisional superintendent, Moradabad did not pay any attention to this problem?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): All the platforms at Bareilly Station on the Northern Railway are provided with 24 hours water supply. However, due to bursting of a delivery pipe of one of the tubewells, the water pressure was not adequate from 31-3-1978 to 2-4-1978 and consequently there was no water in the taps on platform No. 4 during peak hours on those 3 days. The pipeline was repaired on 2-4-1978 and since then, there is sufficient water in the taps on platform No. 4.

Altogether, four complaints were received about insufficient water out of which one was on 31-3-1978 and the 2nd on 2-4-1978. The other two complaints are very old, undated and not even signed.

स्थानान्तरण, होने पर इण्डेन गैस का कनैक्शन लेने में कठिनाई ।

7943. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उपभोक्ताओं को उसी नगर में अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थानान्तरित होने पर, अपने निवास स्थान बदलते समय इण्डेन गैस लेने में भारी कठिनाई तथा विलम्ब का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक नगर से दूसरे नगर में स्थानान्तरित होने पर गैस कनैक्शन को स्थानान्तरित कराने में महीनों और कभी कभी तो एक वर्ष भी लग जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित विषय सम्बन्धी नियम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन नियमों को सरल बनायेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें उपभोक्ताओं को उनके निवास स्थान बदलने पर उसी नगर में इण्डेन गैस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करने में भारी कठिनाई तथा विलम्ब का सामना करना पड़ता हो । यदि उपभोक्ता उसी शहर के एक वितरक क्षेत्र से दूसरे वितरक क्षेत्र में अपना निवास स्थान बदलता है तो उपभोक्ता द्वारा नये वितरक को, जहां उसने नया स्थान बदला है, स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात प्रस्तुत किए जाने पर शीघ्र ही गैस कनेक्शन दे दिया जाता है ।

(ख) आयल कम्पनियों के बीच वर्तमान प्रचलित पारस्परिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्थानान्तरित उपभोक्ताओं को यथा सम्भव जल्दी ही उत्पाद की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरण वाउचर की जांच तथा अन्य औपचारिकता पूर्ण करने के बाद गैस कनेक्शन दे दिये जाते हैं ।

(ग) और (घ) : अब नीति यह है कि आयल कम्पनियों को गैस का स्थानान्तरण करवाने वाले व्यक्तियों को यथा सम्भव कम समय में गैस देने के लिये सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

Combined Seniority of Accountants for Promotion in Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.

7944. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Accountants in IDPL headquarters, marketing Division, Regional Sales Offices and Central Office have combined seniority for promotion;

(b) if so, whether some such Accountants in Central Office were promoted who were much junior to their counterparts; and

(c) if so, the reasons for committing such irregularities in the matter of promotion in the cadre of Accountant in the said undertaking?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) No Sir.

(b) & (c): Do not arise.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कलकत्ते से भूकम्पीय फील्ड पार्टियों के मुख्य कार्यालय स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

7945. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि पूर्वी क्षेत्र में काम कर रहे भूकम्पीय फील्ड पार्टियों के मुख्य कार्यालय को कलकत्ता से आसाम के एक छोटे गाँव में स्थानान्तरित कर दिया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसा करते हुए प्राधिकारियों ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान दिया है और ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा ऊर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : प्रशासनिक मामलों को सरल बनाने तथा प्रारम्भिक क्षेत्रीय कार्य एवं अन्वेषणात्मक खुदाई के लिए उत्तरदायी वैज्ञानिक और प्रक्रिया संबंधी एजन्सियों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने और असम क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य में लगे दलों से अधिक काम प्राप्त करने के उद्देश्य से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने यह निर्णय किया है कि असम में काम करने के लिये निश्चित की गई पांच भूभौतिकीय क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्यालय कलकत्ते से हटाकर असम के शिवसागर जिले में मेजंगा में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है । 1980 तक मेजंगा में प्रवास कार्यालय तथा स्टोरेज के लिये स्थान तैयार होने के बाद ही असम क्षेत्रीय दलों का मुख्यालय कलकत्ता से असम ले जाया जायेगा ।

रेलवे में कथित अवैध भर्ती

7946. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री का विशेष सहायक अपने गांव के तथा आस पास के, कुछ इलाहाबाद के तथा कुछ बाहर के छः आदमी अपने कार्यालय में लाया था और अपने माध्यम से अवैध भर्ती में तेजी से कार्यवाही कराने के लिए उन्हें इलाहाबाद आदि भेजा करता था ;

(ख) यदि हां, तो तत्कालीन रेल मंत्री के कर्मचारियों ने इलाहाबाद के कितने दौरे किये और वहां वे किस विशिष्ट कार्य के लिए जाया करते थे ; और

(ग) क्या इलाहाबाद के उक्त दौरे बार-बार लगाना उचित था, यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित व्यक्तियों के उन दौरों का किराया तथा अन्य खर्च वसूल करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उल्लिखित छः व्यक्तियों के बारे में विशिष्ट विवरण के अभाव में स्थिति की जांच कराना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में सुगन्धित तेल के लिए अनुसंधान केन्द्र

7947. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में भारतीय सुगन्धित तेल के कितने अनुसंधान केन्द्र, फर्म और परियोजनाएं हैं ;

(ख) इन फर्मों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के माल का उत्पादन किया जाता है ; और

(ग) इस माल में से कितने मूल्य का माल विदेशों को निर्यात किया गया और इससे कितना लाभ हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डो० जो० टो० डो० के रिकार्ड पर सुगन्धित बालों का तेल उत्पादन करने वाली 12 एककें हैं। सुगन्धित बालों के तेल के लिए कोई भारतीय अनुसंधान केन्द्र नहीं हैं। आवश्यक तेल (एसेंशल आयल्स) के उत्पादन करने के लिए डो० जो० टो० डी० की सूची पर 6 एककें भी हैं। सेन्ट्रल इंडियन मेडिसिन्स प्लांट आर्गेनाइजेशन, लखनऊ तथा रिजनल रिसर्च लेबोरेट्री जम्मू (दोनो सो० एस० आई० आर० को प्रयोगशालाएं हैं) आवश्यक तेल के अनुसंधान और विकास पर देश में अगुआ है। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र में सुगन्धित तथा लोशन, सेंट आवश्यक तेल, सुगन्धित तेल ; जिसमें बालों का तेल शामिल है ; के उत्पादन करने वाले 546 एककें हैं।

(ख) 1976 के दौरान, 12 डो० जो० टो० डो० की एककों द्वारा उत्पादित कुल सुगंधित बालो का तेल लगभग 5.30 करोड़ रुपयो के मूल्य का है। आवश्यक तेल उत्पादन करने वाली 6 एककों का कुल उत्पादन मुख्यत: अपने उपभोग (खपत) के लिए है और इसलिए उसका मूल्य उपलब्ध नहीं है। 1972 के दौरान, लघु पैमाने की एककों का कुल उत्पादन 7.5 करोड़ रुपयों का था।

(ग) 1976-77 के दौरान 94 लाख रुपयों के मूल्य का बालों के तेल का निर्यात किया गया था। 1976-77 के दौरान निर्यात किये गये आवश्यक तेल, सुगन्धित तथा खुशबुदार सामग्री का मूल्य 400 लाख रुपयों के लगभग था। इन निर्यात से कमाये गये लाभ, तथापि, व्यक्तिगत निर्माताओं की उत्पादन लागत पर निर्भर होते हैं, जो उपलब्ध नहीं हैं।

रीवां में उर्वरक कारखाना लगाया जाना

7948. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम ने मध्य प्रदेश के रीवां जिले में चूना पत्थर और कोयले के निक्षेपों का उपयोग करने के विचार से वहां पर कोयले पर आधारित एक उर्वरक कारखाना लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, नहीं। यह पता लगा है कि एम० पी० औद्योगिक विकास निगम ने मध्य प्रदेश के रेवा जिले में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए परामर्श दाताओं को लगाया है और सर्वेक्षण से पता लगा है कि वहां उपलब्ध कोयले और चूने पत्थर के भंडारों के आधार पर कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संभावना नहीं है।

कम धनत्व वाली पोलीथीन का उत्पादन

7949. **श्री किशोर लाल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी तथा कौन-कौन सी फर्में कम घनत्व वाली पोलीथीन का उत्पादन कर रही है और उनकी स्थापित क्षमता कितनी है ;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी ने कितनी मात्रा में कम घनत्व वाली पोलीथलीन का उत्पादन किया और देश में बेचा तथा किस मूल्य पर बेचना ;

(ग) क्या इस औद्योगिक कच्चा सामग्री पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(घ) इस औद्योगिक सामग्री के उत्पादन के लिये सरकार अन्य मामलों पर विचार क्यों नहीं कर रही है ; और

(ङ) उन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (घ) और (ङ) : आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

विवरण

(क) और (ख) : इस समय देश में दो यूनिट यानि मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० तथा मैसर्स अलकली एंड कैमीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० लो डेन्सिटी पालीएथोलीन का उत्पान कर रहे हैं और उनकी स्थापित क्षमता क्रमश: 2,000 मीटरी टन और 12,500 मीटरी टन प्रति वर्ष है । गत चार वर्षों में उनका उत्पादन तथा विक्रय निम्न प्रकार था :--

यूनिट		1974	1975	1976	1977
मैसर्स युनियन कार्बाइड इंडिया लि०	उत्पादन (मी० टन)	17,805	17,151	18,055	15,337
	विक्रय (मी० टन)	17,442	17,965	18,241	15,455
		1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
मैसर्स अलकली एंड कैमीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	उत्पादन	12,199	11,060	12,825	11,512
	विक्रय (कि० मी० टन)	11,489	11,419	12,865	12,022

(उनका वित्तीय वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक है)

जहाँ तक मूल्य का सम्बन्ध है, मैसर्स यूनियन कार्बाईड इंडिया लि० जुलाई, 1974 लो डेन्सिटी पालिएथलीन का बिक्री (उत्पादन शुल्क सहित) 14,703 रुपये प्रति टन की दर से मार्च, 1976 से 13,195 रुपये प्रति टन की दर से कर रहे हैं । अक्तूबर, 1974 से मैसर्स अल्कली एंड कैमीकल्स

कारपोरेशन आफ इंडिया (उत्पादन शुल्क सहित) इसका विक्रय 14,508 रुपये प्रति टन की दर से कर रहे थे जो कि 9 मार्च, 1976 से घटा कर 13,020 रुपये प्रति टन की गई थी।

(ग) लो डेन्सिटी पालीएथीलीन के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

(घ) मैसर्स आई० पी० सी० एल० जिसे प्रति वर्ष 80,000 मीटरी टन लो डेन्सिटी पाली-एथीलीन के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया है। शीघ्र उत्पादन आरम्भ करेगा और इससे आने वाले कुछ वर्षों में मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति होगी।

(ङ) दोनों यूनिट लगभग अपनी स्थापित क्षमता तक उत्पादन कर रहे हैं।

Bungling and Corruption Charges

7950. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state : The number of persons of his Department against whom bungling and corruption charges were levelled during the period from 1975 to 1977 and who were found guilty after an inquiry, the nature of punishment awarded to them, the number of those exonerated and whether or not Government propose to review the cases of those exonerated?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : A case in respect of an alleged criminal offence was registered against an officer of this Ministry in October, 1977. This case is under investigation. The question of punishment, if any, will arise only after the proceedings have been concluded. As there is no other case pertaining to the period, the question of a review does not arise.

Joint Indo-Rumanian Commission

7951. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the subjects discussed at the fourth meeting of the Joint Indo-Rumanian Commission ;

(b) the outcome thereof; and

(c) the details thereof?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Major areas of cooperation which came up for detailed examination were Trade and Shipping; Industrial Cooperation and Science and Technology; Petroleum, Chemicals, Petrochemicals, Pharmaceuticals and Oilfield equipment; and Agriculture.

(b) & (c): In the field of trade exchange it was agreed that the respective foreign trade organisation would take necessary steps to expedite further contracting to ensure implementation of the trade plan.

With regard to industrial cooperation, the joint venture being set up in Madras for production of finished leather is expected to start production shortly. The tractor plant at Hyderabad with the collaboration of Rumania for manufacture of 45 H.P. tractor is functioning satisfactorily.

In the field of Petroleum, lube oil complex at Haldia Refinery has been completed with the Romanian collaboration. Specialists from Rumania are likely to come to India shortly to assist in the interpretation of the geo-scientific data pertaining to the Ganga basin.

New possibilities of cooperation in the fields of machine building industry, steel and metallurgy, petroleum, chemicals and petrochemicals industry were identified for which further discussions are to be held between the concerned organisations of the two countries.

With regard to cooperation in the setting up of projects in third countries, specific projects for cooperation will be identified as soon as possible.

In the field of Agriculture, Rumania has offered to provide technology for the production of sunflower. Experts from India are likely to visit Rumania in the later half of 1978 to study these techniques.

परामर्शदात्री समिति की बैठकें

7952. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की कुल कितनी बैठकें किस-किस तारीख को हुई ; और

(ख) ऐसी बैठकें कहां-कहां हुई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय का परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीख को 1977-78 की अवधि में संपन्न की गई हैं :--

(1) 27 और 28 अक्तूबर, 1977

(2) 23 दिसम्बर, 1977 और

(3) 5 जनवरी, 1978

(ख) सभी तीनों बैठकें नई दिल्ली में सम्पन्न की गई थी ।

गोपालगंज में डीजल पम्पों का आवंटन

7953. **पण्डित द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व गोपालगंज, बिहार में डीजल पम्पों के आबंटन के लिये विज्ञापन दिया गया था और आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ;

(ख) क्या आवेदकों में 4 हरिजनों ने मिलाकर एक पम्प-आबंटित किये जाने के लिये आवेदन-पत्र भेजा था ;

(ग) क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार की नीति के अनुसार हरिजनों को एक पम्प दिया जायेगा ;

(घ) क्या वह उन्हें दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) और (ख) : जी हाँ ।

(ग) से (ङ) : गोपालगंज में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का कथित 4 हरिजन आवेदकों को आबंटन करने का इंडियन आयल कारपोरेशन को निदेश दिया गया है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में दुकानदारों से किराये की बकाया राशि

7954. **श्री राम नरेश कुशवाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों के छोटे-छोटे दुकानदारों से कई वर्षों के किराये की बकाया राशि एक साथ वसूल की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अधिकारियों ने इन दुकानदारों से पहले भी किराया वसूल किया था और अब पुनः वसूल किया जा रहा है, यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो यह अनधिकृत कब्जा आज तक क्यों चलने दिया गया ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) क्या सरकार उन गरीब दुकानदारों को पिछले बकाया किराये से मुक्त करके उनसे नये सिरे से किराया नियमित रूप से वसूल करने की कोई व्यवस्था करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : दुकानों आदि के लिए लाइसेंस पर दी गयी रेलवे भूमि के लिए लाइसेंस फीस प्रतिवर्ष अग्रिम रूप में आमतौर पर वसूल की जाती है, कभी-कभी जब किराये की बकाया राशि का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है और इस प्रकार जमा हो जाता है, तो उनकी एक मुश्त अविलम्ब अदायगी के लिए लाइसेंसधारियों से अनुरोध किया जाता है । लेकिन, वास्तविक कठिनाइयों के मामलों में उन्हें बकाया का भुगतान सुविधाजनक किश्तों में करने की अनुमति दी जाती है । पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा उन मामलों में किसी प्रकार की लाइसेंस फीस वसूल नहीं की जा रही है जहां पहले ही लाइसेंसधारियों द्वारा उसका भुगतान कर दिया गया है । लेकिन यदि कोई लाइसेंसधारी भुगतान करने में निरन्तर पिछड़ता है, तो रेलवे परिसर से उसे बेदखल कराने के लिए कार्रवाई की जाती है, जहां कहीं भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया जाता है वहां रेलवे भूमि खाली कराने के लिए अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों को राजी करने का प्रयास किया जाता है और यदि यह प्रयास असफल होता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जिन लाइसेंसधारियों से किराये की बकाया राशि लेनी है उसमें छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Jagadhri Railway Workshop

†7955. **Shri Ram Vilas Paswan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of employees, category-wise in Jagadhri Railway workshop on the Northern Railway and the category-wise number of employees out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): The number of Railway employees, category-wise in Jagadhri Railway Workshop

on Northern Railway and categorywise number of employees out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, are as under:—

	Total strength	SC	ST
Class I	4	2	..
Class II	5	1	..
Class III	3,581	487	5
Class IV	1,743	469	60

भारत के विद्युत विकास कार्यक्रमों मे रूमानिया द्वारा सहयोग देना

7956. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया ने भारत के महत्वाकांक्षी विद्युत विकास कार्यक्रम में सहयोग देने की जबरदस्त इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या रूमानिया के धातुविज्ञान मंत्री तथा भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग के सह अध्यक्ष के साथ इस विषय पर कोई बातचीत की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किये गये ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) भारत में ऊर्जा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिये रूमानिया ने 330 मेगावाट तक ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों के विक्रय का प्रस्ताव दिया है । भारतीय पक्ष ने रूमानिया पक्ष को सूचित किया है कि देश में उपलब्ध निर्माण क्षमता हमारी ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिय पर्याप्त है और यदि ऊर्जा संयंत्रों के आयात की आवश्यकता हुई तो रूमानिया के प्रस्ताव को विचार में रखा जायेगा ।

इस बात पर भी सहमति थी कि छोटे पैमाने के हाईडिल प्लांटों के निर्माण तथा सप्लाई में सहयोग की संभावना का भी पता लगाया जायेगा ।

विदेशी औषध फर्मों को फार्मुलेशन बनाने के काम में प्रोत्साहित करना

7957. **श्री गोविन्द मुन्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशी कम्पनियों को केवल ऐसे फार्मुलेशन बनाने में प्रोत्साहित किया जायेगा जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी वाली "बल्क" औषधियों का प्रयोग होता है और जो कम्पनियां अपनी विदेशी इक्विटी को कम करके 40 प्रतिशत कर देंगी ;

(ख) क्या सरकार का यह निर्णय उन विदेशी फर्मों पर लागू होगा जिनमें 50 से कम कर्मचारी नियुक्त होते हैं और जिनमें 10 लाख रुपये से कम पूंजी लगी होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि चाहे कितने ही कर्मचारी काम करते हों और जैसा संयंत्र और मशीनरी लगी हुई हो, इन कम्पनियों को 1962 और 1964 की अधिसूचनाओं के अनुसार, सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं जिनको अभी तक निरस्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि (क) वर्तमान विदेशी कम्पनियों को भविष्य में सूत्रयोगों के लाइसेंस केवल तब दिए जाएंगे जब वे मूल स्तर से उच्च प्रौद्योगिकी प्रपुंज औषधों के साथ संबंध है ।

(ख) विदेशी कम्पनियों जो केवल सूत्रयोगों के निर्माण में अथवा प्रपुंज औषध जिन में उच्च प्रौद्योगिक अपेक्षित नहीं है अथवा दोनों में लगी हुई है उन्हें ये आदेश देने चाहिए कि वे अपनी विदेशी साम्य पूंजी को तत्काल 40% तक लाए।

जहां तक अन्य विदेशी कम्पनी का संबंध है विदेशी शेयर धारण में कमी, इस उद्देश्य के लिए विद्यमान मार्गदर्शन के अनुसार फेटा के अन्तर्गत निर्धारित की जाएगी ।

(ख) जी, हां । सरकार का यह निर्णय है कि विदेशी कम्पनियों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र वर्जित क्षेत्र होगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

संविधान के पन्द्रहवें संशोधन के बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

7958. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के (पन्द्रहवें) संशोधन के बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में अब तक नियुक्त किये गये उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो नियुक्ति के समय 45 वर्ष से कम आयु के थे ;

(ख) नियुक्ति के समय उनकी आयु क्या थी और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की किस उच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई थी ; और

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक नियुक्ति बार से अथवा न्यायिक सेवा से थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :(क) से (ग) : विभिन्न उच्च न्यायालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसके बारे में एक विवरण यथासमय संसद् के पटल पर रख दिया जाएगा ।

पूर्वी क्षेत्र में नई रेल लाइन

7959. **श्री पायस टिर्की** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के द्रुत विकास को ध्यान में रखते हुए कुच बिहार, तुफान जंग, फुलवरी, तुरा, चेरापूंजी और बदरपुर को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अनुमानतः कितने धन और समय की आवश्यकता होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह लाइन लगभग 500 किलोमीटर लम्बी होगी जिसका कुछ हिस्सा पहाड़ी इलाके में पड़ेगा और ब्रह्मपुत्र नदी को भी पार करना पड़गा। इस लाइन की अनमानित लागत लगभग 200 करोड़ होगी। संसाधनों की कमी क कारण फिलहाल इस पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

Inquiry Into Contributions Made to Political Parties

7960. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether contributions made by business concerns to political parties attract section 293 of the Indian Companies Act ;

(b) whether enquiry is being conducted in this regard and if so, the time by which it is likely to be completed; and

(c) whether this enquiry is being delayed and if so, the reasons therefor?

The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) The relevant section of the Companies Act, 1956 which is attracted is section 293A, if the business Concern is a company;

(b) No, Sir. However, an enquiry is being made into certain aspects of funds collected by a political party from companies for advertisements in their souvenirs. It is not possible to state when the enquiry will be completed.

(c) No, Sir. As the number of companies involved is very large, it will take some more time to complete the enquiry.

हिमाचल प्रदेश में खाना पकाने की गैस की सुविधायें

7961. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पेट्रोलियम** तथा **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में खानापकाने की गैस उपलब्ध करानेकी व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : इंडियन आयल कारपोरेशन पहले ही शिमला में तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) का विपणन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान में उक्त उत्पाद का विपणन जल्दी आरम्भ करने की योजना है। खाना पकान की गैस के विपणन का विस्तार उन क्षेत्रों में जहां

इसका विपणन अभी नहीं किया जा रहा है, खाना पकाने की गैस की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होने पर निम्नलिखित विचारों के आधार पर संभव हो सकेगा :—

(i) प्रत्याशित उपभोक्ता ।

(ii) सप्लाई स्रोतों से बाजार की निकटता ;

(iii) सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन के आधारों की उपलब्धता ;

(iv) वितरण उपस्करों का अधिकतम उपयोग ; और

(v) कार्य संचालन में व्यवहार्यता ।

Change in Route of Jabalpur-New Delhi Train

†7962. **Shri Narmada Prasad Rai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the route of Jabalpur-New Delhi train has been changed;

(b) if so, the route fixed for it; and

(c) the reasons for which the route of the train has been changed and the details thereof?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) & (c): Do not arise. However, 149/150 Hazrat Nizamuddin-Agra Cantt. Qutab Express is being extended to and from Jabalpur via Jhansi, Manikpur, Satna and Katni.

यात्रा एजेंट

7963. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं कि अनधिकृत यात्रा एजेन्ट बहुत सी सीटें अग्रिम रूप से हथिया न लें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : गाड़ियों में स्थान घेर लेने के सम्बन्ध में अनधिकृत यात्रा एजेन्टों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

i. असामाजिक तत्वों द्वारा स्थान घेरे जाने से बचने के लिए और काफी समय पहले रेल-यात्रा की योजना बनाने के लिए सदाशयी यात्रियों के लिए चयन की व्यवस्था करने के लिए, सभी स्टेशनों पर सभी गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की समय सीमा को 6 महीने कर दिया गया है ।

ii. महत्वपूर्ण स्टेशनों/आरक्षण केन्द्रों पर यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, आरक्षण काउन्टर आदि खोलकर आरक्षण प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को सुप्रवाही बना दिया गया है ।

iii. आरक्षण सम्बन्धी कुरीतियों में लगे हुए समाज विरोधी तत्वों का पता लगाने के लिए धोखाधड़ी विरोधी दस्तों, सतर्कता संगठनों, सरकारी रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा दल की सहायता से जांच पड़ताल का काम तेज कर दिया गया है। इन मामलों में सुधार करने के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं सम्भव होता है केन्द्रीय जांच ब्युरों की सहायता भी ली जाती है।

iv. यातायात की निकासी के उद्देश्य से नयी गाड़ियां चलाकर, वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाकर, उनके चालन क्षेत्र को बढ़ाकर साप्ताहिक/सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर और महत्वपूर्ण मार्गों पर अवकाश स्पेशल गाड़ियां चलाकर मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

v. समाज विरोधी तत्वों की भ्रष्ट और अनियमित गतिविधियों पर निरन्तर निगाह रखने और इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए कठोर कार्रवाई तथा प्रभावी उपाय करने के लिए रेलों को सतर्क कर दिया गया है।

निर्धनों को कानूनी सहायता के बारे में रिपोर्ट

7964. **श्री बापू साहेब पुरुलेकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित 'निर्धनों को कानूनी सहायता' संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(i) न्यायालय फीस में कमी की जानी चाहिए और निर्धन व्यक्तियों को उससे पूरी छूट दी जानी चाहिए।

(ii) सारे देश में कानूनी सेवा संगठनों को, उदाहरणार्थ सबसे ऊपर उच्च शक्ति प्राप्त स्वशासी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्यस्तर पर कानूनी सेवाओं के राज्य बोर्ड, राज्य के भीतर कानूनी सेवा के लिए क्षेत्रीय बोर्ड और किसी विशिष्ट मंडल में कार्य कर रहे राज्य बोर्डों के क्रियाकलाप में समन्वय स्थापित करने के प्रयोजन के लिए मंडलीय परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए। इन प्राधिकरणों का मुख्य कार्य अपनी-अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में कानूनी सेवा उपलब्ध करने के लिए स्कीम बनाना और अन्य प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श स्कीमें भी बनाना तथा आमतौर पर कानूनी सहायता की नीति और कार्यक्रम निर्धारित करना होगा।

(iii) कानूनी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए यह सिफारिश की गई है कि कानूनी सेवा समितियां जिला स्तर पर और खंड तथा तहसील स्तर पर भी गठित की जाएं। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि इन न्यायालयों में कानूनी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, जो प्रत्येक उच्च न्यायालय से सम्बद्ध होगी और उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की जाए।

(iv) समुदाय के कमजोर वर्गों के विभिन्न प्रवर्गों की समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने के लिए विशेष सेलों की उदाहरणार्थ एक महिला सेल, कर्मकारों और उनके कुटुम्बों के लिए एक श्रम सेल और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सेल की स्थापना की जाए ।

(v) कानूनी सेवा के नये कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ निर्धनों को उनके अधिकारों, प्रसुविधाओं और उनको दिए गए विशेष अधिकारों के बारे में जागरुक करना; निर्धनों की वर्ग जात समस्याओं का समाधान करना ; निर्धनों की कानूनी और उससे भिन्न समस्याओं के बारे में सामाजिक-विधिक अनुसंधान करना; निर्धन और कमजोर व्यक्तियों के विभिन्न ग्रुपों की इस तरह सहायता करना कि वे अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकें ; निर्धनों की समस्याओं को न्यायालय तक पहुंचाने के लिए नई कानूनी तकनीक और तरीके तैयार करना, आदि होना चाहिए ।

(vi) कानूनी सेवाएं उपलब्ध करने का मुख्य ढंग यह होना चाहिए कि प्राइवेट विधि व्यवसाइयों में से या कानूनी सेवा समितियों के कार्यालय द्वारा नियोजित वैतनिक अधिवक्ताओं के अभिकरण की मार्फत किसी अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध की जाएं; ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता शिबिरों का आयोजन किया जाए ; अधिवक्ताओं की चलती-फिरती यूनिटें स्थापित की जाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह देने के प्रयोजन के लिए जाएं ; निर्धनों को सलाह देने के लिए विधि के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सेवा का जो कानूनी सेवा जैसी हो, गठन किया जाए; सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए अल्प कालिक प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास पाठ्यक्रम और सामाजिक संगोष्ठियां आयोजित की जाएं; कानूनी मामलों में सलाह और सहायता देने के लिए नागरिक सलाह केन्द्र जैसी सहायक सेवाएं स्थापित की जाए ।

(vii) पांच या अधिक गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए जिसमें तीन सदस्य हों । इनमें से एक सदस्य को जिसको विधि का ज्ञान हो, पंचायत न्यायाधीश कहा जाए और उसे 1,000 रु० तक के सिविल मामलों को निपटाने और आपराधिक मामलों में तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । एक पंचायत न्यायाधीश किसी तालुका या ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली सभी न्याय पंचायतों की अध्यक्षता कर सकेगा । न्याय पंचायत के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए किन्तु वे जिला न्यायाधीश की पुनरिक्षण अधिकारिता के अधीन होने चाहिए ।

(viii) लोक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि माध्यस्थम, के द्वारा विवादों को तय किया जा सके ।

(ix) विश्वविद्यालयों और विधि विद्यालयों में कानूनी सेवा क्लीनिकों की स्थापना की जाए ।

(x) मोटर दुर्घटना के मामलों में इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि वह दुर्घटना उपेक्षा के कारण हुई थी या नहीं, न्यूनतम प्रतिकर का संदाय किया जाए ।

(xi) एक सुलह-सेल स्थापित किया जाए जो सभी स्तरों पर प्रत्येक कानूनी सेवा समिति से सम्बद्ध हो ।

(xii) राज्य को चाहिए कि वह कानूनी सहायता के लिए राज्य निधि की व्यवस्था करे जैसा कि चिकित्सा संबंधी देखभाल जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यों के संबंध में होता है। निधियों के जिन अन्य स्रोतों की सिफारश की गई है, वे हैं न्यायालय फीस के एक भाग का कानूनी सहायता के लिए आबंटन किया जाना; वकालतनामों पर कानूनी सहायता स्टाम्प का लगाया जाना । आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उप-कर का उद्ग्रहण करना, आदि । इस निधि का प्रशासन राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए ।

(ग) समिति की सिफारिशों की गहराई से जांच करने के लिए और स्कीम के वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कानूनी सहायता की क्रियाविधि तैयार करने के लिए इस मंत्रालयने एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की है जिसमें वित्त, गृह, श्रम मंत्रालयों के और न्याय, समाज कल्याण तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभागों के प्रतिनिधि हैं । निश्चय ही इसमें कुछ समय लगेगा । किन्तु इस बीच कानूनी सहायता के लिए वर्ष 1978-79 के चालू बजट में 1 लाख रु० का सांकेतिक उपबंध किया गया है ।

रेलों में हुए अपराध

7965. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान रेलों में हत्या के मामलों सहित अलग-अलग प्रकार के जोन-वार कुल कितने अपराध हुए, और वर्ष 1976-77 में हुए अपराधों की तुलना में कितने न्यूनाधिक है;

(ख) किसी स्पष्ट योजना के आधार पर अपराधों की संख्या को कारगर ढंग से रोकने के लिये क्या प्रभावशाली कदम/विशेष उपाय किये गये हैं/करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिकिलोमीटर भत्ता

7966. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सी' ग्रेड के गार्डों तथा ड्राइवरों को देय प्रतिकिलोमीटर भत्ते तथा ग्रेड 'ए', 'बी' और सेलेक्टेड 'ए' के स्टाफ को देय प्रतिकिलोमीटर भत्ते के बीच कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इस विभिन्नता के आधार क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गैर रनिंग स्टाफ को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते की दर वेतन की दर से सम्बन्धित है न कि ग्रेडों से ; और

(घ) क्या सरकार का विचार समान कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के विभिन्न ग्रेडों के बीच समान सिद्धांतों को अपनाने और विभिन्नता को दूर करने का है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) रनिंग भत्ते में जेई खर्च की प्रतिपूर्ति (अर्थात्, यात्रा भत्ता तत्व) तथा वेतन तत्व (अर्थात् प्रोत्साहन) शामिल हैं ताकि रनिंग ड्यूटी का निष्पादन बेहतर तरीके से हों । ये दोनों तत्व सम्बन्धित कर्मचारियों के केवल वेतनमान से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि उनका सम्बन्ध अनेक किस्म की गाड़ियों में तैनात रनिंग कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों की ड्यूटी और उत्तरदायित्व से भी है । इसीलिए भिन्नता है ।

(ग) गैर-रनिंग कर्मचारियों के लिए दनिक भत्ते की दरें इनके वेतन श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की गयी है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके कारण वही है जो उपर भाग (ख) में बताये गये हैं ।

अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

7967. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, फरवरी, तथा मार्च, 1978 में अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन कोई अधिसूचनायें जारी की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अधिसूचनायें कब जारी की गई ; और

(ग) इन अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) से उत्पन्न किसी अनर्हता विषयक प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 192 के अधीन राष्ट्रपति के किसी विनिश्चय के बारे में कोई अधिसूचना 1978 के जनवरी, फरवरी और मार्च, मास के दौरान जारी नहां की गई है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक

7968. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण गिरोह के संकट को हल करने के लिये पूर्वोपायों को ढुंढने हेतु फरवरी, 1978 में रेलवे और पुलिस अधिकारियों की कोई बठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, फरवरी, 1978 में रेलवे अधिकारियों और स्थानीय पुलिस/सी० बो० आई० के साथ 5 बैठकें और रेल मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक सी० बी० आई० के अफसरों के साथ हुई थी ।

(ख) आरक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की धोखा धड़ी से निपटने और इस बारे में संयुक्त अभियान चलाने के लिये आवश्यक नीति अपनाने के लिए बैठकें हुई थी । इन बैठकों के बारे में विस्तृत जानकारी देना जन हित में नही होगा ।

Railway Accidents

7969. **Shri Ganga Bhakt Singh :**
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of and the names of places where railway accidents occurred during the period March, 1977 to March, 1978?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : During the 13 months period March, 1977 to March, 1978, there were 925 train accidents on the Indian Government Railways in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains. The number of accidents which occurred on different zonal railways is given below :—

Railways	No. of train accidents
Central	113
Eastern	45
Northern	115
North Eastern	88
North East Frontier	79
Southern	99
South Central	84
South Eastern	141
Western	152
Total	925

विदेशी औषध फर्मों द्वारा नियमों का उल्लंघन

7970. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 15 मार्च, 1978 को विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार, विदेशी फर्मों द्वारा नियमों के उल्लंघन और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बारे में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के संबंध में हुई आधे घंटे की चर्चा की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने सदन की भावनाओं को मंत्रिमंडल तक पहुंचा दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) आधे घंटे की चर्चा में किन उल्लंघनों पर चर्चा की गई और उसका फर्मवार उत्पादन-वार और मूल्य-वार प्रभाव क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विशिष्ट मामलों में उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम एफ० ई० आर० ए० और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के लिये फर्मों की भर्त्सना करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रख गए विवरण पत्र में निर्णय सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए थे। 1974, 1975 और 1976 में

विदेशी फर्मों द्वारा प्रपुंज औषधों के अधिक उत्पादन के कुल मूल्य का लगभग 29 करोड़ रुपये का अनुमान है और प्रत्येक कम्पनी द्वारा अधिक उत्पादन पर आंकड़े तब उपलब्ध होंगे जब वे नई नीति के विभिन्न आदेशों के अनुसार सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

लाइसेंस अथवा अन्य प्राधिकारी अथवा किसी नियम की शर्तों के उल्लंघन के लिए नीति में भी दण्ड की वैसी ही व्यवस्था है जैसे कि अन्य उद्योगों में कम्पनियों पर लागू है।

विदेशी औषध कम्पनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र

7971. **श्री डी० अमात :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री सभा पटल पर रखे गये विवरण के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी औषध कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं ;

(ख) प्रत्येक फर्म ने आवेदन के फार्म क और ख के अन्तर्गत किन किन फार्मूलेशन्स बल्क और कितनी औषधिक्षमता, मात्रा, कीमत आदि के लिए आवेदन किया था और वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र किस्म निर्माण के अन्तर्गत उस वाद के निर्माण की गई फार्मूलेशन्स . इंटरमीडिएट बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या पंजीकरण प्रमाणपत्रों से शामिल उन्हीं मदों को भारतीय फर्मों को इंकार किया गया था ; यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; क्या सरकार का विचार फार्म क अथवा ख के अन्तर्गत आवेदन पत्र न दिये गये पंजीकृत प्रमाणपत्रों के अधीन फार्मूलेशन्स बल्क औषधियों का निर्माण नियमित करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) निम्नलिखित विदेशी औषध फर्मों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं :—

(1) मैसर्स वोकेम (आई०) प्राइवेट लि०
(2) मैसर्स साराभाई-गेगी आफ इंडिया लि०
(3) मैसर्स सायनामाइड इंडिया लि०
(4) मैसर्स न्यूटस कम्पनी (इंडिया) लि०
(5) मैसर्स लैक्सो लेबस (आई०) लि०
(6) मैसर्स फाइजर्स लि०
(7) मैसर्स बरोज वेलकम एण्ड कम्पनी (आई०) लि०
(8) मैसर्स पार्क डेविस (आई०) लि०
(9) मैसर्स मे एण्ड बेकर लि०
(10) मैसर्स निओफुरा मैनर्स एण्ड कम्पनी लि०

(ख) चूंकि पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल अायुक्त पाने पर जारी किये गये थे, मांगे गये विवरण अभी शीघ्र उपलब्ध नहीं है। तथापि औषध और भेषज पर समिति (हाथी) पर सरकार के निर्णयों सम्बन्धी विवरण-पत्र के पैरा 37 जिसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर 29-3-78 को रखी गई थी के अनुसार औषध निर्माण करने वाली एककों को समेकित औद्योगिक लाइसेंस देने के समय जिस सावधानी को प्रयोग में लाया जायेगा उससे पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के देने के पश्चात् औषध निर्माण कम्पनियों द्वारा निर्माण किये जाने वाली मदों की संवीक्षा सरकार करने में समर्थ होगी।

(ग) औद्योगिक (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1851, 8 मई 1952 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को धारा 10 के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यमान (प्रचलित) उपक्रम को निर्धारित समय के अन्दर कम्पनी का पंजीकरण करवाना होगा। नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी फर्मों को "औषध और भेषज" के निर्माण के लिये जारी किया गया था।

चूंकि पंजीकरण प्रमाण पत्रों में व्यक्तिगत मदों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं है, यह कहना सम्भव नही होगा कि क्या भारतीय कम्पनियों ने ऐसी कोई मद निर्माण करने से मना किया है

कोई भी अनधिकृत उत्पादन (अर्थात् औद्योगिक लाइसेंसो सी० ओ० बी० लाइसेंसें अनुज्ञा पत्र अथवा डी० जी० टी० डी० पंजीकरण द्वारा अनधिकृत उत्पादन) नियमित नहीं किया जायगा।

तीन सदस्यीय निर्वाचन पैनल

7972. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन सदस्यीय निर्वाचन पैनल के उस प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय कर लिया है जिस पर सरकार गत एक वर्ष से सक्रिय रूप से विचार कर रही थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नही, तो अंतिम विनिश्चय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने आपात स्थिति सम्बन्धी खण्डों के संशोधनों पर कार्रवाई करने में भी विलम्ब किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग)। निर्वाचन आयोग को तीन-सदस्योय निकाय में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर, निर्वाचन सुधार संबंधी व्यापक प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर सावधानपूर्वक विचार करना होगा इसलिए उन पर विनिश्चय करने में कुछ समय लगेगा।

(घ) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न का वास्तविक आशय क्या है।

Publications in Hindi Brought out by Ministry

7973. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of the publications and newspapers and magazines brought out by the Ministry/Deptt. in 1977.

(b) the number of the publication newspapers and magazines, out of them, brought out in Hindi also and the reasons for not publishing in Hindi the remaining ones;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications and newspapers and magazines in Hindi which are still being brought out in English; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) & (b): The following publications were brought out by the Ministry in 1977:—

(1) Annual Reports of the Ministry of Petroleum and Ministry of Chemicals and Fertilizers;

(2) Performance Budgets of the two Ministries;

(3) Report of Pipeline Inquiry Commission;

(4) Report of Oil Prices Committee;

(5) Indian Fertilizers Statistics, 1976-77;

(6) Indian Drugs & Chemicals Statistics, 1976-77;

(7) Status of Chemical Industry in India;

(8) Indian Petroleum and Petro-chemicals Statistics-1976;

(9) Indian Petroleum and Petro-chemicals Statistics—(biennial folder).

The first three publications were brought out in Hindi also. The Hindi version of the fourth publication is under print. The other publications contain mostly statistical data and are meant for limited circulation. Such publications are brought out in English only.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

एन०सी० सी० आर० एस० का छह सूत्री कार्यक्रम

7974. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन० सी० सी० आर० एस० के छह सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये इण्डियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन (उत्तर रेलवे) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) हाल ही में, इस एसोसिएशन से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षरित, बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें की गयी मांगों में एक मांग यह है कि छः सूत्री मांग-पत्र पर बात-चीत शुरू की जाये।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें छः सूत्री मांग-पत्र पर सरकार की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया है।

विवरण

(i) **बोनस :** सरकारी विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर सरकार द्वारा तब विचार किया जायेगा जब हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अध्ययन,दल व्यापक अध्ययन कर लेने के पश्चात्, सभी क्षेत्रों में मजूरी आय और मूल्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

(ii) **महंगाई भत्ता :** यह एक सामान्य प्रश्न है जिस पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक व्यापक प्रश्न है जिस पर सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों

के बारे में सरकार को कोई फैसला करना है। पिछले कुछ महीनों के दौरान महंगाई भत्ते की दो और किस्तें स्वीकार की गयी हैं ।

(iii) **अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के साथ वेतन में समानता :** इस मांग का गहरा सम्बन्ध मजूरी, आय और मूल्य नीति के प्रश्न से है, जिसका सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किये गये भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ।

(iv) **नियमितीकरण :** शीघ्र ही पूर्ण-रूपेण नियमितीकरण कर पाना तो संभव नहीं है, परन्तु समाहित करने, आदि के मामले में नैमित्तिक मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के बारे में कार्रवाई की गयी है और की जा रही है ।

(v) **रियायती दर पर खाद्यान्न की सप्लाई :** इन प्रश्नों पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में फैसला करना है ।

(vi) **औद्योगिक कामगारों के रूप में रेल कर्मचारी :** रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं द्वारा शासित है । तथापि, सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में वे परम्परागत रूप से सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर रेलें सार्वजनिक सेवा के रूप में है और समाजिक तथा सामरिक महत्व होने के कारण ये सीधे सरकार द्वारा चलायी जाती हैं ।

Promotion of Assistant Medical Officer (Dentist)

7975. **Shri Brij Raj Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules governing the promotion of Assistant Medical Officer (Dentist) on Railways and the total number of Dentists at present and the number of those out of them promoted to Class I posts;

(b) whether there was combined seniority for Assistant Dentists and other Medical Officers from 1957 to 1976 and the reasons for delinking the seniority of Dentists in 1976; and

(c) whether the Sharma Commission has recommended that the Assistant Medical Officer (Dentist) may be given promotion in Grade I of pay scale of Rs. 700-1600 and wehther this recommendation has since been implemented ?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Assistant Medical Officers (Dental) have not been recommended the revised Class I scale of Assistant Divisional Medical Officers by the Third Pay Commission. They are also not eligible for further promotion as Divisional Medical Officers. Total number of Assistant Medical Officers (Dental) is 22.

(b) No.

(c) The Sharma Commission had recommended Grade Rs. 700-1600 for Dental Surgeons appointed before 1.8.1968, but this recommendation has not been accepted.

पश्चिम बंगाल में शिलिंग कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिकायतें

7976. **श्री समर गुह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिये तट दूर और तटीय ड्रिल्लिग कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो डायमंड हार्बर, गोल्सी तथा अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अब तक की गहराई के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि यदि और अधिक गहराई तक ड्रिलिंग की गई होती तो तेल अथवा गैस अवश्य मिलता ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) डायमंड हार्बर में कुएं की खुदाई इस समय चल रही है और दिनांक 15–4–78 तक 5,500 मी० तक की आयोजित खुदाई में से 1524 मीटर की गहराई तक खुदाई कर ली गई। गाल्सी क्षेत्र में अभी हाल ही में दो स्थानों को 1239 और 2483 तक की गहराई तक पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त, ओ एन जी सी ने वर्ष 1966–68 और 1975–76 में बोदरा और बकुलतला में दो कुओं को क्रमश: 4197.5 मीटर और 3700 मीटर की गहराई तक खुदाई की ।

(ग) वास्तविक रूप में अधिक गहराइयों तक जांच व खुदाई किये बिना, पहले से यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि और अधिक गहराई में तेल अथवा गैस निकलेगा ।

Oil in the Bank of Kali River, U.P.

7977. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is possibility of oil being found on the bank of the Kali river in Uttar Pradesh State; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b): There is no direct evidence indicating possibility of finding oil on the bank of Kali river also known as Sharda river in Uttar Pradesh. However, on the basis of the geo-scientific studies carried out in this region, the ONGC has released two locations for drilling, namely, Puranpur and Parewa. The drilling at Puranpur is currently in progress. The drilling of the well at Parewa is likely to be taken up by the ONGC by early 1980.

सियालदह स्टेशन पर अधिकारियों के साथ हाथापाई

7978. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदह रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च, 1978 को एक हिंसक भीड़ ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ हाथापाई की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के फलस्वरूप रेलवे की कितनी हानि हुई;

(ग) इस घटना के मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) दरवाजों के शीशे, फर्नीचर, लेखन सामग्री, टेलीफोन उपकरण और टेलीफोन के तार आदि को क्षति पहुंचाने के कारण —3800/–रु० ।

(ग) सियालदह स्टेशन पर हबरा-सियालदह गाड़ी के विलम्ब से पहुंचने के कारण लगभग 300 यात्री उत्तेजित हो गये, वे वाणिज्य पर्यवेक्षक सियालदह स्टेशन के कमरे में जबरदस्ती घुस गये और रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने उस पर प्रहार किया । इस घटना के कारण वाणिज्यिक पर्यवेक्षक को बी० आर० सिंह अस्पताल में दाखिल करना पड़ा । सियालदह के स्टेशन मास्टर को भी चोटें आई ।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस, सियालदह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/325/427 के अधीन 23–3–1978 को मामला संख्या 22 दर्ज किया और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया । इस मामले की अभी भी जांच की जा रही है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

7980. **श्री चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में 15 से 25 वर्ष पुराने कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय में (निचले न्यायालय में मामला आरम्भ होने के वर्ष को आरम्भित वर्ष मानते हुए) 10 से 20 वर्ष पुराने कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) दिल्ली के जिला न्यायालय में 8 से 10 वर्ष पुराने कितने मामले लम्बित हैं और कितने मामलों में अभी प्रारम्भिक आदेश भी नहीं किए गए है;

(घ) ऐसे विलम्ब के कारण क्या हैं ;

(ङ) इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(च) दिल्ली जिला न्यायालय में एक सब-जज को एक महीने में कितने मामलों का निपटारा करना होता है; और

(छ) क्या सरकार लम्बी अवधि से लम्बित मामलों को निपटाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली जिला न्यायालय में अधिक न्यायाधीश भर्ती करने के बारे में विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक भी ऐसा मामला नहीं है ।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31-12-1977 को ऐसे मामलों की जो उच्च न्यायालय में दर्ज किए जाने के बाद 10 वर्ष पुराने हो गए हैं, संख्या 429 है । उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों की जो निचले न्यायालयों में संस्थित किए जाने के वर्ष से अब तक 10 से 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं और उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, संख्या सुनिश्चित करने में बहुत अधिक समय और जन-शक्ति की आवश्यकता होगी क्योंकि सभी लम्बित मामलों से संबंधित प्रत्येक फाइल को पढ़ना होगा । यह जानकारी इकट्ठी करने में जो समय लगेगा तथा जो श्रम और व्यय होगा वह प्राप्त किए जाने वाले परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगा ।

(ग) दिल्ली के जिला न्यायालयों में 8 से 10 वर्ष तक की अवधि से लम्बित मामलों की संख्या 652 है। यह जानने के लिए कि इन मामलों में प्रारंभिक कार्यवाही की जा चुकी है या नहीं प्रत्येक फाइल को पढ़ने में बहुत अधिक समय लगेगा। यह जानकारी इकट्ठी करने में जो समय लगेगा तथा जो श्रम और व्यय होगा वह प्राप्त किए जाने वाले परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगा।

(घ) उच्च न्यायालय के अनुसार इसके निम्नलिखित कारण है, अर्थात् :—

(i) न्यायाधीशों को अपर्याप्त संख्या,

(ii) लम्बी कार्यवाहियां,

(iii) उच्चतर न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक आदेश।

(ङ) और (छ) : पुराने मामलों को यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और निचली न्यायपालिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(च) उच्च न्यायालय द्वारा विहित मानदण्ड के अनुसार, एक सामान्य सबजज से यह आशा की जाती है कि वह एक महीने में 15 से 21 मामलों में विनिश्चय करें।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वैगन निर्माण क्षमता

7981. **श्री के० राममूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में रेल वैगनों के निर्माण की कुल क्षमता क्या है;

(ख) इस क्षमताका कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में वैगन निर्माण क्षमता के अधिकांश भाग का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) देश में वैगन निर्माण की वर्तमान क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों के माल डिब्बे बनाने वाले उद्योग को कुल संस्थापित क्षमता चौपहियों के हिसाब से 22761 माल डिब्बे हैं, जिसमें से 14161 माल-डिब्बे सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 8600 माल डिब्बे निजी क्षेत्र में बनाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चौपहिया यूनिटों के हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1500 माल-डिब्बे रेलवे कारखानों में बनाय जा रहे हैं।

(ख) 1977-78 के दौरान समूचे माल डिब्बा उद्योग की 47.6 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ था। 35.1 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में और 68.2 प्रतिशत निजी क्षेत्र में।

(ग) जी, हां। रेल मंत्रालय द्वारा माल डिब्बों की खरीद उनकी आवश्यकता और धन की उपलब्धता के अनुसार ही की जाती है।

(घ) रेलों के माल डिब्बों निर्माण में लगे प्रायः सभी यूनिट विविध प्रकार की मदों, जैसे संरचना सम्बन्धी निर्माण क्रेन, ट्रांसमिशन टावर्स, कोल टब-ब्राल्टि, घरेलू गैस के सिलेण्डर, रोड रोलर्स, ट्रेलर्स आदि, का निर्माण कर रहे हैं। माल डिब्बा बनाने वाली यूनिटों द्वारा प्रयास यह किये जा रहे है कि उत्पादन परिवर्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक वस्तुओं का निर्माण शुरू किया जाय।

ओलवाकोट-त्रिवेन्द्रम लाइन

7982. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली विद्युत् की लागत के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या रूख है;

(ख) ओलवाकोट-त्रिवेन्द्रम लाइन का विद्युतीकरण इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि राज्य अपने क्षेत्र में लाइनों के विद्युतीकरण के लिए घाटे पर बिजली सप्लाई करें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) डीजल और भाप कर्षण की तुलना में बिजली कर्षण के फलस्वरूप संचालन व्यय में होने वाली बचत के कारण रेल लाइनों के विद्युतीकरण का वित्तीय दृष्टि से औचित्य है । इसलिए सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता और यातायात के अधिक घनत्व से ही विद्युतीकरण परियोजनाओं का वित्तीय दृष्टि से औचित्य बनता है, क्योंकि बिजली कर्षण में संचालन व्यय का बहुत बड़ा भाग बिजली पर ही खर्च होता है ।

(ख) ओलवाकोट-तिरूवनन्तपुरम खंड के विद्युतीकरण की परियोजना रिपोर्ट को दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

हावडा-मद्रास रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

7983. श्री बैरागी जेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बिजली की कोई कमी नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार माल और यात्रियों की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हावड़ा और मद्रास के बीच (अथवा इसका कुछ भाग) रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण करने का है ; और

(ग) यदि हां. तो इसकी लक्षित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : हावड़ा सिरे से, हावड़ा-खड़गपुर खंड पहले ही विद्युतीकृत है । मद्रास सिरे से, मद्रास-विजयवाडा खंडों का विद्युतीकरण पहले से हो रहा है और 1979-80 के दौरान इस योजना के पूरा हो जाने की सम्भावना है, लेकिन यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । खड़गपुर और विजयवाड़ा के बीच शेष खडों के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

उर्वरकों का उत्पादन

7984. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1977 को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित कारखानों में विभिन्न प्रकार के उत्पादित उर्वरकों के ब्रांड नाम और किस्में क्या क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रत्येक किस्म के उर्वरक की मात्रा क्या रही ; और

(ग) उर्वरक उद्योग में अब तक कुल कितनी पूंजी लगी है और वर्ष 1969-70 में उसमें कुल कितनी पूंजी लगी थी;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : लोकसभा अतां० प्रश्न संख्या 4573, दिनांक 28 मार्च, 1978 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कुष्ठ रोगी

7985. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या लगभग 45 लाख है जिसमें एक तिहाई तामिलनाडू में है; और

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स बरोह् व्हील कोर एण्ड कम्पनी और बंगाल इम्युनिटी कम्पनी कुष्ठ नियंत्रण एककों को 80 प्रतिशत और खुले बाजार में 20 प्रतिशत डी० डी० एस० (डार्यामिनो-डो फिनाइल-सलफोरा) नामक औषध सप्लाई कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार भारत में कोढ़ के 32 लाख रोगी है जिस में से लगभग 6.5 लाख सक्रिय मामले तामिलनाडू के बताए जाते हैं ।

(ख) फरवरी 1976 में यह निर्णय ले लिया गया था कि मैसर्स ब्रोज व्लकम एण्ड कम्पनी और मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मस्यूटीकल वर्क्स लि० अपने उत्पादों का 80% विभागीय/सांस्थानिक आवश्यकताओं और शेष 20% व्यापार बिक्री के लिए सप्लाई करेंगी और सांस्थानिक आवश्यकताओं और व्यापार बिक्री के लिए दो उपक्रमों द्वारा वर्ष 1976 और 1977 के दौरान की गई सप्लाई के बारे में सूचना सुनिश्चित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम रेलवे मुख्यालय का स्थानान्तरण

7986. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से स्थानांन्तरित करने के बारे में अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से हटाना प्रशासनिक, परिचालनिक और वित्तीय आधारों पर वांछनीय नहीं समझा जाता ।

फार्मूलेशनों की आवश्यकता से अधिक क्षमता का नियमित करना

7987. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखी गई हाथी समिति की रिपोर्ट के विवरण के पैरा 35 के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि फार्मूलेशन को आवश्यकता से अधिक क्षमता को नियमित किया जा सकता है बशर्तें कि सम्बद्ध कम्पनी इस अधिक क्षमता का पांच वर्षों की अवधि के जाने के लिए निर्यात करने को सहमत हो;

(ख) पांच वर्षों की अवधि निर्धारित किये जाने के क्या आधार है तथा पांच वर्ष समाप्त होने के पश्चात क्या होगा जब ऐसी कम्पनियां अपने अतिरिक्त उत्पादन को देश में बेचना आरम्भ कर देगी;

(ग) इस प्रकार की सिफारिश का क्या औचित्य है जबकि उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति में यह व्यवस्था की गई है कि निर्यात के लिए जितनी उत्पादन को आवश्यकता होगी उसका उल्लेख औद्योगिक लाइसेंस में किया जा सकता है, और क्या इस कार्य का अर्थ विदेशी कम्पनियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना नहीं है; और

(घ) इस व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों के कितने करोड़ रुपये के मूल्य की आस्तियों को नियमित किया जायेगा, यह सिफारिश हाथी समिति की सिफारिश में क्या सुधार करती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी, हां आई टी सी नीति के अनुसार भी फर्मों द्वारा निर्यात दायित्व सामान्यत: पांच वर्षों के लिए है ।

(ग) उद्योग मंत्रालय की नीति, नए मदों अथवा पर्याप्त विस्तार के उत्पादन के लिए औद्योगिक स्वीकृति पर विचार करते हुए निर्यात से संबंध रखती है जब कि विवरण पत्र के 35 पैरा का संबंध पहले ही प्रभावित अधिक उत्पादन के नियमन से है । अत: दोनों का परस्पर संबंध नही है ।

(घ) परिसम्पतियों के नियमन का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु अधिक उत्पादन का नियमन अपेक्षित है । कुछ शर्तों के आधार पर हाथी समिति की सिफारिशें केवल अधिक उत्पादन के नियमन के लिए थी । हाल ही में सरकार द्वारा घोषित नीति अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता देगी ।

हिमाचल सोशल बाडीज फेडरेशन से ज्ञापन

7988. **श्री बालक राम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिमाचल सोशल बाडीज फेडरेशन, नई दिल्ली से 13 मार्च, 1978 को ज्ञापन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो फेडरेशन के उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मांगो को पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिमाचल सोशल बाडीज फैडरेशन, नयी दिल्ली से प्राप्त दिनांक 13-3-78 के ज्ञापन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गयी है :—

1. श्रीनगर एक्सप्रैस या कश्मीर मेल को पठानकोट तक चलाना और पठानकोट और जम्मू-तवी के बीच उनसे मल लेती शटल गाड़ी चलाना :

इस समय पठानकोट से दिल्ली/नयी दिल्ली तक यात्रा करने के लिए 60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रस में एक दूसरे दर्जे का 3-टियर शयनयान और एक दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा और 34 डाउन जम्मू-तवी-दिल्ली मेल में एक दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा उपलब्ध है। चूंकि अधिकांश यातायात जम्मू-तवी के लिए और जम्मू-तवी से होता है, इसलिए 59/60 श्रीनगर एक्सप्रैस या 33/34 जम्मू-तवी मेल को पठानकोट से और पठानकोट तक चलाये जाने पर इन गाड़ियों के वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा तीव्र आलोचना की जायेगी। पठानकोट और जम्मू-तवी के बीच एक शटल गाड़ी चलाने का यातायात के दृष्टि से औचित्य नहीं है।

2. दिल्ली और पठानकोट के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना :

दिल्ली और पठानकोट के मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कमी और दिल्ली/नयी दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

3. प्रमुख कांगड़ा घाटी रेलवे स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों के लिए सीधे आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना :

जम्मू-तवी से चलाने वाली विभिन्न गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति बड़ी जटिल है। पठानकोट-जोगिन्द्रनगर खंड के स्टेशनों पर अलग कोटे की व्यवस्था करने के लिए वर्तमान स्थान में किसी प्रकार की कमी करने से जम्मू-तवी तथा श्रीनगर से होने वाले सीधे यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पठानकोट स्टेशन पर इस समय निम्नलिखित कोटा सुलभ है और कांगड़ा घाटी से यात्री पठानकोट से चलाने वाले यात्रियों के साथ-साथ इन कोटों का उपयोग कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आरम्भिक स्थल अर्थात् जम्मू से आगे चलने के लिए संदेश भेजकर इनका लाभ उठा सकते हैं :—

	वातानुकूल	पहला दर्जा	दूसरे दर्जे की शायिकाएं	दूसरे दर्जे की सीटें
1 34 डाउन कश्मीर मेल .	—	—	—	—
(दिल्ली के लिए) . .	3	5	15	10
(बम्बई के लिए) . .	—	4	13	10
2 60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रैस .	—	8	87	30
3 172 अप जम्मू तवी-बम्बई सेंट्रल एक्सप्रैस . .	—	4	16	—

		वातानुकूल	पहला दर्जा	दूसरे दर्जे की शायिकाएं	दूसरे दर्जे की सीटें
4.	18 अप जनता एक्सप्रैस	–	–	3 मद्रास के लिए 2 हैदराबाद के लिए	– –
5.	52 डाउन जम्मू तवी-सियालदाह एक्सप्रेस				
	(सियालदह के लिए) .	–	2	34	10
	(लखनऊ के लिए) .	–	3	19	–

4. नांगल से अम्ब-तलवाड़ा तक नयी रेल लाइन का निर्माण :

इस परियोजना के लिए 1973 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था, अन्तिम स्थान (इंजीनियरी) सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है और उसके अनुसार, इस लाइन पर 22.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी, नांगल-अम्ब-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण का कार्य शुरू करना संसाधनों को उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

5. पठानकोट और जोगिन्द्रनगर तथा कालका और शिमला के बीच छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव :

इन खंडों के बदलाव के लिए कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है । ये लाइनें पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं और यहां तेज मोड़ और ढलवां उतार-चढ़ाव है और उनका बड़ी लाइन में सीधा बदलाव करना सम्भव नहीं है, इन लाइनों के बदले नयी बड़ी लाइनों के निर्माण की लागत निषेधार्थक है । इन खंडों पर किसी प्रकार की लाइन क्षमता की समीक्षा समस्या नहीं है और इन्हें बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात का भी औचित्य नहीं है । संसाधनों की अत्यन्त तंगी के कारण और पहले से ही भारी वचन बद्धता के कारण इस समय इन खंडों का बदलाव करना सम्भव नहीं है । इन प्रस्तावों पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

6. शिमला और जोगिन्द्रनगर तक पहाड़ी स्थानों के लिए रियायती रेल टिकट जारी करना :

जैसा कि रेल मंत्री द्वारा संसद में 1978–79 का बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की गयी थी कि 1–4–1978 से सभी स्टेशनों से पठानकोट, जोगिन्दरनगर, बैजनाथ पपरोला, पालमपूर, ज्वालामुखी रोड और नगरोटा सहित, ऐसे सभी पहाड़ी स्टेशनों के लिए जिनकी प्रभार्य दूरी 500 किलोमीटर या अधिक है, पहाड़ी स्थान रियायती वापसी टिकट जारी किय जायेंगे । जबकि दिल्ली से पठानकोट और शिमला के लिए 500 कि० मी० से कम प्रभार्य दूरी होने के कारण पहाड़ी स्थान रियायती वापसी टिकट जारी नहीं किये जाते है, इस तरह की सुविधा दिल्ली से जोगिन्द्रनगर, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर, ज्वालामुखी रोड और नगरोटा के लिए प्राप्त की जा सकती है ।

7. पठानकोट रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ सम्हालने के लिए पठानकोट से श्रीनगर एक्सप्रैस और काश्मीर मेल के साथ 3 या 4 अधिक बोगियां लगाना :

यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ (सम्हालने के लिए, 33 अप/34 डाउन और 59 अप/60 डाउन में यथा सम्बन्ध अधिक सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं और जम्मू तवी और दिल्ली/सियालदाह

के बीच, चाकी बैंक होकर, जो पठानकोट के बहुत निकट है, गर्मियों और दुर्गापूजा के दौरान विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है ।

8. नयी दिल्ली से श्रीनगर एक्सप्रेस का समय 16.05 के बदले 19.30 या 21.00 बजे करना और ऐसे हो दिल्ली और नांगल से हिमाचल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करना :

नयी दिल्ली से 59 अप श्रीनगर एक्सप्रेस को देर से चलाने पर वह जम्मू तवी पर देर से पहुंचेगी जिसे वे पर्यटक पसन्द नहीं करेंगे । जो रास्ते में रात्रि ठहराव से बचने के लिए उसी दिन श्रीनगर के लिए बस पकड़ना चाहेंगे ।

हिमाचल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करना । दिल्ली सिरहिंद खंड पर पारण कठिनाइयों के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, इसके अलावा, दिल्ली और नांगल डैम से इन गाड़ियों के अपेक्षाकृत कुछ पहले चलाये जाने पर इसे वे शय यात्री पसन्द नहीं करेंगे जो इन स्टेशनों से गाड़ी पकड़ते हैं ।

Bridge over Railway Line Near Garhvaruvari Station

†7989. **Shri Vinayak Prasad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have approved a scheme for construction of a bridge over the railway line near Garhvaruvari station of Samastipur division of the North-Eastern Railway so that the said railway line may cross a minor canal of the Kosi project;

(b) whether the Railway Department had got necessary funds from the Kosi project earmarked for the said purpose many years ago;

(c) whether the Railway Department has not so far taken in hand the work of construction of the said bridge; and

(d) if the answers to parts (a) to (c) above be in the affirmative, whether Government propose to issue orders for the construction of the said bridge without delay, for payment of interest on the amount of the Kosi project which has been set apart for construction of the bridge, from the date it had been so set apart and kept with the Railway Department and would make good the loss suffered by the farmers for want of water?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) No. Railway have received only charges for the preparation of plans and estimates for the work.

(c) No. But preparation of plans and estimates is in progress.

(d) Does not arise.

करनाल उप-निर्वाचन में हेरा-फेरी का अभिकथन

7990. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1978 में करनाल उप-निर्वाचन में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी किये जाने का अभिकथन किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि समाज विरोधी तत्वों द्वारा धमकियां दिये जाने के कारण कुछ लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग से इन अभिकथनों की जांच करने के लिये कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग की क्या प्रतिक्रिया ;और

(ङ) क्या पुलिस बल ने विधि और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को अपनी इच्छानुसार मतदान करने के लिए, संरक्षण देने में सहायता नहीं की ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निर्वाचन आयोग को करनाल उप-निर्वाचन के संबंध में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख), (ग) और (घ) : घटनास्थल पर इस बारे में की गई शिकायतों की वहीं जांच की गई आर उन्हें गलत पाया गया । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट शिकायतें आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन आफिसर को जांच करने के लिए भेज दी गई थी और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । किन्तु निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार इन तीन शिकायतों में से दो को निराधार पाया गया ।

(ङ) इस अभिकथन का कोई आधार नहीं है ।

भारतीय तेल निगम के अधिकारियों द्वारा सामूहिक छुट्टी

7991. **श्री शंकरसिंहजी बाघेला :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के कायोली, बरौनी, हल्दिया और गोहाटी स्थित चार तेल शोधक कारखानों के तीन हजार से अधिक अधिकारियों ने 22 माच, 1978 को सामूहिक छुट्टी ली जिससे तेल शोधक कारखानों के कार्यकरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांग है तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : यह सही है कि आई ओ सी की शोधनशालाओं के 1029 अधिकारियों सहित इंडियन आयल कारपोरेशन के 2069 अधिकारी बोनस विशष तल भत्ता पी रवहन भत्ता मकान किराया भत्ता आदि जैसी निगम के आफिसर एसोसियशन द्वारा उठाई गई मांग के समर्थन में 22–3–1978 को अपनी डियूटी से अनुपस्थित थे । जब कि कोयला शोधनशाला अपने पूर्ण क्षमता पर काम करती रही, बरौनी हल्दिया तथा गुहाटी संशोधन शालाओं में उत्पादन नहीं किया जा सका और केवल विद्युत जल तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं यथा अग्नी शमन और सुरक्षा सेवाओंको बनाये रखा गया। कच्चे तेल के प्रपुट में हुई हानि जो कि 30,000 मीटरी टन की थी। वर्ष के दौरान पूरी की जा सकती है ।

2. आई ओ सी के अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते पर सरकार के संशोधित आदेश फरवरी, 1976" में जारी किये गये थे और यह 1 अगस्त, 1974 से लागू होने थे । अब जो मांग की जा रही है, वह इन आदेशों के संशोधन की है । इस पर न केवल आई० ओ० सी० के अधिकारियों के आवदन-पत्र के संदर्भ में, परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान सामान्य वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में विचार करना होगा ।

नागदा स्टेशन

7992. **श्री ए० के० साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में नागदा स्टेशन के निकट बिड़ला मन्दिर के उद्घाटन के समय नागदा स्टेशन पर रंग करने, मरम्मत तथा पुताई आदि का कार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या फरवरी, 1978 में वे कार्य बिड़ला समूह के खर्च पर किये गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : नागदा रेलवे स्टेशन की वार्षिक सफेदी तथा आंशिक रंग-रोगन का काम अन्य स्टेशनों की इमारतों के साथ-साथ जनवरी/फरवरी, 1978 में किया गया था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इसका सम्बन्ध बिरला मंदिर के उद्घाटन से नहीं था ।

(घ) जी, नहीं ।

उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण औषधों के मूल्य में वृद्धि

7993. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री पर कोई उत्पाद-शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप औषधों के मूल्य में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या सरकार दवाइयों को करमुक्त रखने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जैसी कि विश्व के सभी देशों में व्यवस्था है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

तथापि, जहां तक केवल उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है सरकार ने 1 मार्च, 1978 से मूल उत्पाद शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया था, जिसके फलस्वरूप, कई जीवन रक्षक पेटेंट (एकस्व प्राप्त) अथवा स्वामीत्व वाली औषधों के सम्बन्ध में केवल उत्पाद शुल्क 2.5% से 2.625% तक तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को मद संख्या 14-ई के अन्तर्गत आने वाली अन्य पेटेंट अथवा स्वामीत्व वाली औषधों के सम्बन्ध में 12.5% से 13.15% तक बढा ।

(ख) वित्तीय अड़चनों को ध्यान में रखते हुए साधारण छूट का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) (i) 1.3.78 से सरकार ने शुल्क (टरिफ) मद संख्या 68 (अर्थात् सामान्य नामों के अन्तर्गत बेची गई औषधे और दवाइयां) के अन्तर्गत आने वाली औषधों और दवाइयों पर 2% उत्पाद शुल्क हटाने का निर्णय लिया है ।

(ii) सरकार की नई औषध नीति में श्रेणी I,II तथा III के सूत्रयोगों के मूल्यों को स्थिर बनाने की व्यवस्था है। श्रेणी I और II के सूत्री योगों के मूल्य प्रमुख मूल्य स्तर तक स्थिर किये जायेंगे। जहां कहीं कुछ मूल्य प्रमुख मूल्यों से अधिक है उन्हें प्रमुख मूल्यों तक कम किया जायेगा, जहां कहीं वे कम हैं उन्हें ऐसे कम स्तर पर स्थिर रखा जायेगा। औद्योगिक लागत एंव मूल्य ब्यूरो

द्वारा अभी तक जिन 100 प्रपुंज औषधों का मूल्यांकन किया गया था उनके मूल्य भी स्थिर रखे जायगे। ये मूल्य स्थिरता प्रारम्भिक अवधि के लिए एक वर्ष तक प्रभावी होंगे जिसके दौरान सभी औ धों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण की नीति में चिन्हित मार्क अप की सीमा लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जायेगा।

आयातित औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण

7994. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित औषधियों और फार्मास्यूटिकल के मूल्यपुनरीक्षित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

ट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : आयातित और देशीय प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। आयातित प्रपुंज औषधी और सूत्रयोगों के वर्तमान मूल्यों में संशोधन करने का कोई आम प्रस्ताव नहीं है।

तथापि तेल के मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आर० ई० पी० लाइसेंसों के जरीये आयातित प्रपुंज औषधों के मुल्यों को निर्धारित करने और कुछ तैयार सूत्रयोगों के मूल्यों में संशोधन/निर्धारण करने के बारे में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

अच्छी सामग्री को सैकंड हैंड लिखकर मूल स्टोर डिपु को वापिस किया जाना

7995. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के उपभोक्ता डिपुओं/एककों से मूल स्टोर डिपुओं को वापिस आई नई और अच्छी सामग्री को सकंडहैंड अथवा काम न आने योग्य लिख दिया जाता है और उसका उसी रूप में मूल्य लगाया जाता है;

(ख) क्या इस मूल्यांकन पर आधारित सामग्री को नीलाम किया जाता है अथवा उपभोक्ता एककों को कम मूल्य पर दिया जाता है जिससे वर्ष भर में करोड़ों रुपयों की हानि होती है; और

(ग) इस प्रकार की सामग्री सम्बन्धित क्षेत्र के राज्य सरकार के विभागों को उनके खपत एककों द्वारा प्रयोग के लिये न किये जाने के क्या कारण है अथवा जो सामग्री सरकार इस्पात मिलों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती हैं उनको न भेज जाने के क्या कारण है जिससे सरकारी धन की हानि न हो ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जब सामानों की आवश्यकता नहीं रहती (मुख्यता: डिजाइन बदल जाने के कारण) अथवा जब उनका उपयोगी समय समाप्त हो जाता है और उन्हें बदल दिया जाता है, तब उपभोक्ताओं द्वारा उन्हें भंडार डिपों को वापस कर दिया जाता है। उपभोक्ता को जिस नये सामान की आवश्यकता होती है उसे भंडार डिपों को वापस नहीं किया जाता। वापस किये गये सामानों का मूल्य-निर्धारण भंडार डिपो द्वारा यह देखकर किया जाता है कि रेलवे द्वारा उन मदों का किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। (इसके लिए, भंडार

विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता में विस्तृत मार्ग निर्देशन दिये गये हैं। यदि सामान नया हो और उसका वैसे ही पुनः इस्तेमाल किया जा सकता हो और उसकी जरूरत भी हो, तब उसकी पूरी कीमत लगायी जाती है। यदि कोई सामान केवल आंशिक रूप से इस्तेमाल किया गया हो और अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता हो, तब कुछ सामान, जैसे पटरियां आदि, को छोड़कर, जिनके लिए कि उनकी उपयोगिता समय आदि के आधार पर मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट मार्ग-निर्देशन निर्धारित किये गये हैं, उनकी कीमत पुराने सामान के रूप में आम तौर पर आधी लगायी जाती है। इसी प्रकार, मरम्मत-योग्य सामान, फालतू स्क्रैप आदि के लिए मार्ग-निर्देशन निर्धारित किये जाते हैं। निरीक्षण और मूल्यांकन का काम भंडार डिपो के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि वापस करने वाले अधिकारी और मूल भंडार डिपो अधिकारी के बीच मूल्यांकन के प्रश्न पर मतभेद हो जाये, तो मामला महाप्रबन्धक को भेजा जाता है, जिसका निर्णय अन्तिम होता है। इस प्रकार, मूल्यांकन मार्ग-निर्देशनों के अ　ा पर सही-सही किया जाता है और इसलिए विभाग को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. इस प्रकार प्राप्त हुई वापस की गयी वह सामग्री, जिसका उसी रूप में अथवा मरम्मत करने के बाद विभाग द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, का सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा, जिसे "सर्वेक्षण समिति" कहा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, ताकि निरीक्षण के बाद यह पता लगाया जा सके कि —

(i) डिपुओं में रखे गये किन भंडारों को बेकार फालतू भंडार अथवा स्क्रैप के रूप में माना जाये;

(ii) किन भंडारों को पुराने के रूप में वर्गीकृत किया जाय;

(iii) लेखा पुस्तकों में ऐसे स्टाक की दरें और मूल्य क्या रखे जायें; और

(iv) ऐसे भंडारों का निपटारा किस प्रकार किया जाये, अर्थात् बेचकर अथवा किन्हीं विशेष विभागों, आदि के विशेष उपयोगकर्ताओं को जारी करके।

3. समिति की सिफारिशो की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है और उन्हें स्वीकार किया जाता है तथा उनके सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है। निपटारे की व्यवस्था करने से पहले—

(क) यह प्रयास किये जाते हैं कि इन भंडारों का यथासम्भव अधिकाधिक इस्तेमाल रेलों द्वारा ही अपने कारखानों में किया जाये या रेलवे कारखानों में अथवा बाहरी पार्टियों द्वारा उनमें उपयुक्त आशोधन अथवा बदलाव करा कर उनका इस्तेमाल किया जाये; तथा

(ख) सरकार के अन्य विभागों/उपक्रमों, आयुध कारखानों की जरूरतों, विशेष रूप से जिस हद तक मांग की गयी हो, को पूरा किया जाता है। केवल उन भंडारों का, जिनका निपटारा करने की सिफारिश की जाती है और जिनका उपर्युक्त (i) और (ii) में यथा-निर्दिष्ट तरीके से इस्तेमाल अथवा निपटारा नहीं किया जा सकता, बिक्री अथवा नीलामी द्वारा निपटारा किया जाता है। टेंडरों/नीलामियों में अधिकाधिक बोली देने के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग-निर्देश निर्धारित किये गये हैं।

एल पी जी डीलरों द्वारा सेवा के लिये शुल्क लिया जाना

7996. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल पी जी डीलर्स स्टोव की सफाई जैसी बहुत सी सेवाओं के लिये, जिन्हें पहले वे निःशुल्क किया करते थे, शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी सेवाओं की सूची बद्ध किया जायेगा जो डीलरों द्वारा उपभोक्ताओं को निःशुल्क दी जानी चाहिये;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन उपभोक्ताओं के पास एक तेल कम्पनी की एल पी जी है, उनका स्थानान्तरण यदि ऐसे स्थान पर हो जाता है जहां उस कम्पनी द्वारा एल पी जी का वितरण नहीं किया जाता है तो उनके लिये दूसरी कम्पनी से सिलेण्डरों में गैस भरवाना असंभव हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आदान-प्रदान के लिये तेल कम्पनियों को आदेश देगी ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) :— वर्तमान समय में खाना पकाने की गैस के वितरक सिलेण्डरों और प्रैशर रेगुलेटरों को छोड़कर सभी सेवाओं के लिये शुल्क ले र हैं ।

(ग) और (घ) : इस समय तेल कम्पनियों के बीच प्रचलित पारस्परिक व्यवस्थाओं में स्थानांतरित उपभोक्ता को गैस का कनेक्शन, उत्पाद के उपलब्ध रहने पर, स्थानान्तरण वाउचर की उचित जांच करने और औपचारिकतायें पूरी कर लेने के बाद कम से कम समय में दिया जाता है। ये अनदेश तेल कम्पनियो को रजिस्टर कर दिये गये हैं ।

मध्य पूर्व के देशों के लिये भारतीय रेल विशेषज्ञता

7997. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व के कुछ देशों ने भारत सरकार से अपने देश में रेलवे का आधुनिकरण करने के लिये भारतीय विशेषज्ञता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : भारतीय रेलों ने रेलों के क्षेत्र में अपने तकनीकी ज्ञान को उन विकासशील देशों के साथ बांटने का प्रस्ताव रखा है जो अपनी रेल प्रणाली को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड (राईट्स) और इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान), रेल मंत्रालय के अधीन गठित किये गये हैं, इनमें से पहला रेल तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों और प्रबन्ध में परामर्श सेवाएं सुलभ करता है और दूसरा विदेशों में बड़ी रेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य करता है। मध्य-पूर्व देशों, ईरान, सीरिया और इराक ने अभी तक सेवाओं का लाभ उठाया है और कुछ अन्य देशों से किये गये प्रस्ताव सम्बन्धित सरकारों के पास विचाराधीन हैं ।

लोको वर्कशाप का आधुनिकीकरण

7998. **श्री सूर्य नारायण सिंह** :
श्री डी० अमात :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे की सभी लोको वर्कशापों का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक ने ऋण देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो बैंक कुल कितना ऋण देने पर सहमत हुआ है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : भारतीय रेलों की कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना को विश्व बैंक/आई०डी० ए० की संभावित वित्तीय सहायता की परियोजना के रूप में माना गया है। मई-जून 1978 में विश्व बैंक के साथ बात-चीत होनी है। उसी समय इस मामले में अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

New Railway Crossing between Crossing Nos. 53 and 54 between Dhanakwada and Jamali Railway Station

†7999. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time since when the demand from the people of Adho, Narota and Raiya for construction of a new railway crossing between the present crossing Nos. 53 and 54 between Dhanakwada and Jamali railway stations on the Palampur-Gandhidham railway line of the Western Railway has been pending;

(b) whether the people of those villages have to encounter a good deal of inconvenience in the absence of the said railway crossing there as they have to cover a distance of one or two kilometers on foot; and

(c) if so, whether the aforesaid demand will be fulfilled shortly?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) A request from the villagers of Odha for the provision of a new level crossing in between existing level crossing Nos. 53 & 54 and stations Jasali and Dhanakwada (on Palanpur-Gandhidham section) was received in August, 77.

(b) The villagers can conveniently use the existing level crossings on either side, which are only about a kilometre away.

(c) As per Indian Railway's Act the cost of the new level crossing has to be borne entirely by the State Government/local authority. The Railway can consider the construction of the new level crossing when the proposal is sponsored by the State Government/local authority together with the undertaking to bear the cost. Sarpanch of Odha village has already been advised accordingly.

Upgrading of Baroda Railway Station to Junction

8000. **Shri Amarsinh V. Rathawa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Baroda railway station will be upgraded to a junction and whether there is a possibility of developing this station by expanding its area and if so, the details thereof;

(b) whether there is a scheme to construct a broad gauge railway line from Ahmedabad to Baroda via Dabhoi and from Alirajpur to Indore via Chhota Udepur; and

(c) whether accommodation facilities have been provided to railway employees posted at Baroda and whether any new facilities are proposed to be provided and whether these include facilities for railway workers also?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Vadodara is already a Junction station dealing with traffic from 3 different directions, viz. Surat-Vadodara, Vadodara-Ahmedabad and Vadodara-Godhra. There is no proposal for further expanding this station for the present.

(b) No such scheme is under consideration at present.

(c) About 40% of the employees are provided with Railway accommodation at this station, at present. Making improvements in the existing facilities to Railway employees is a continuous process and such works are included in the railway's works programme according to the need and availability of funds.

Assistant Hindi Officers

8002. **Shri Ram Kishan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while misusing the emergency many persons were selected as Assistant Hindi officers in violation of the rules prescribed by the Public Service Commission, who were not qualified according to the criteria adopted in this regard and qualified persons were rejected in the interview, though they had passed the written test;

(b) whether it is a fact that many of the selected persons did not even possess the educational qualifications prescribed for the post of lower grade Hindi Translator;

(c) whether it is also a fact that though attention of the Chairman, Railway Board was drawn to this fact, the said persons were included in the panel; and

(d) if so, the steps being taken to undo this irregular and partial action and the action being taken against the persons responsible therefor?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): No.

(d) After the panel had been announced, representations were received from some staff alleging certain procedural irregularities in the selection. The representations are now being looked into.

भारत के अपर महासालिसिटर का इंडियन टोबेको कम्पनी की तरफ से पेश होना।

8003. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारत के अपर महासालिसिटर श्री सोली सोराबजी को इंडियन टोबको कम्पनी को तरफ से उनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि के अधीन उत्पाद शुल्क के कम निर्धारण की मांग करते हुए संघ सरकार के विरूद्ध दायर की गई अनेक रिट अर्जियों में पेश होने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महासलिसिटर को सरकार के विरूद्ध मुकदमा लेने की इजाजत दी जा सकती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भारत के अपर महासालिसिटर, श्री सोली सोराबजो को इंडियन टोबेको कम्पनी की उच्चतम न्यायालय में उत्पाद शुल्क संबंधी अपीलों में उस कम्पनी को ओर से उपस्थित होने की अनुज्ञा दी गई थी। किन्तु उन्होंने इस अनुज्ञा का लाभ न उठाने क विनिश्चय किया है।

(ख) श्री सोली सोराबजी इस मामले में प्रारंभ से ही कम्पनी की ओर से उपस्थित होते रहे थे और उन्होंने भारत के अपर महासालिसिटर के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व कम्पनी को यह वचन दिया

था कि वह उच्चतम न्यायालय में भी उसके मामले में उपस्थित होंगे, इसलिए उन्हें यह अनुज्ञा दी गई थी ।

(ग) जी हां । किन्तु सरकार की अनुज्ञा से ही ।

Conversion of M/s. A. H. Wheeler into A Public Limited Company

8004. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether owners of Messrs A. H. Wheeler have converted the company from Private Limited to Public Ltd. without making any basic changes in the structure of company in view of the growing public resentment; and

(b) if so, whether Government propose to conduct any inquiry into the matter and if so, by what time and the reaction of Government thereto?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) According to the information available with the Government the company has not been converted from Private Limited to Public Limited so far.

(b) Does not arise.

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा एप्रेण्टिसों को नौकरियों में लिया जाना

8005. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने गत वर्ष मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डरों को एप्रेण्टिसों के रूप में लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उनके एप्रेण्टिसशिप के प्रशिक्षण के दौरान वचन दिया गया था कि उनके काम को देखे बिना उन्हें मुख्यालयों अथवा फील्ड कार्यालयों में 425–800 के वेतनमान में नौकरी दे दी जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि एप्रेण्टिसशिप की अवधि के दौरान उनमें से किसी को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि उनके एप्रेण्टिसशिप की अवधि पूरी होते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायगा;

(घ) क्या बहुत से व्यक्तियों का एप्रेण्टिसशिप का ठेका 6 फरवरी, 1978 को समाप्त हो गया परन्तु उस तारीख के बाद भी उन्हें काम पर रहने दिया गया कि उन्हें कम्पनी में नौकरी में रख लिया जायेगा;

(ङ) क्या (इंजीनियर्स इंडिया लिमि०) कम्पनी में स्नातक इंजीनियरों को नौकरियों में रखा जा रहा है ;

(च) डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरों को एप्रेण्टिसशिप बिना पूर्व सूचना दिये 3 मार्च 1978 को समाप्त किये जाने के क्या कारण है ;

(छ) उन्हें कम्पनी (इंजीनियर्स इण्डिया लिमि०) में ही नौकरियों में रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : प्रशिक्षुओं को ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को दिये गये पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि शिक्षुता का करार प्रशिक्षण आरम्भ करने की तिथि से एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जायेगा।

(घ) 1977 में डिप्लोमा धारियों में से रखे गये 20 शिक्षार्थियों में से पांच प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही अपनी इच्छा से चले गये। शेष 15 में से आठ का करार 6 फरवरी, 1978 को समाप्त हुआ था। परन्तु कुछ मामलों में प्रशिक्षुओं के अनुरोध पर इंजीनियर्स इंडिया लि० तदर्थ आधार पर 14 अप्रैल, 1978 तक और अधिक प्रशिक्षण देने के लिये सहमत हो गया था। यह प्रशिक्षण प्रशिक्षु अधिनियम, 1961, की परिसीमा के बाहर था और यह इस स्पष्ट आधार पर दिया गया था कि तदर्थ प्रशिक्षण 14 अप्रैल, 1978 को अपने आप समाप्त हो जायेगा।

(ङ) सभी प्रशिक्षार्थियों को नौकरी में रखना इंजीनियर्स इंडिया लि० के लिये बाध्यकर नहीं है। परन्तु कम्पनी की आवश्यकता के आधार पर अब तक 64 स्नातक इंजीनियरों को नौकरी में रखा गया है।

(च) चूंकि परियुक्ति पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशिक्षण अवधि की अंतिम तिथि पर शिक्षुता समाप्त हो जायेगी। इसलिये शिक्षुता की समाप्ती के लिये कोई अलग नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(छ) चूंकि इंजिनियर्स इंडिया लि० को इस समय इन शिक्षार्थियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। अतः इन व्यक्तियों को कम्पनी मे रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सब्जी मंडी और पानीपत के बीच दोहरी लाइन

8006. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला और नई दिल्ली के बीच यातायात की वृद्धि चरम सीमा पर पहुंच गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समस्त सैनिक कार्यवाही के दौरान इस रेलवे लाइन पर सिविल यातायात कम से कम रखा गया था लेकिन तब भी इस एकल लाइन के कार्यकरण के द्वारा सैनिक यातायात पूरी तरह जाना संभव नहीं हो सका था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सब्जी मंडी और पानीपत के बीच दोहरी लाइन की परियोजना का कार्य शुरू किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो सब्जी मंडी और पानीपत के बीच दोहरी लाइन के कार्य की प्रगति क्या है और ऐसी आवश्यक परिस्थितियों अर्थात् यातायात की वृद्धि और इस लाइन की सामरिक महत्व की स्थिति को देखते हुए पानीपत और अम्बाला के बीच दोहरी लाइन की परियोजना कब तक शुरू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिल्ली-पानीपत खंड पर लाइन क्षमता का उपयोग 85 से 90% और पानीपत और अम्बाला के बीच 80% है।

(ख) दिसम्बर, 1971 और जनवरी, 1972 के विगत मिलिट्री संचलन के दौरान मिलिट्री यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं; जिन्हें बिना रुकावट चालू कर दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सब्जीमंडी-बादली खंड (10.76 कि० मी०) पर दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी है और यातायात के लिए खोल दी गयी है। बादली और नरेला (21.39 कि० मी०) के बीच निर्माण कार्य प्रगति पर है। नरेला-राठधना-सोनीपत, सान्दल कलां-गन्नौर और दिवाना-पानीपत खंडों पर भी काम प्रगति पर है। यातायात का घनत्व कम होने के कारण पानीपत अम्बाला के बीच दोहरी लाइन बछाने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। फिर भी उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस खंड पर दो पार स्टेशनों की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा।

Facility of Free Pass, P.T.O. and Increment to Class III Employees

†8007. **Shri R. N. Rakesh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Class III employees appointed on ad hoc basis in zonal Railways are provided with facilities of free pass, P.T.O., annual increment etc.;

(b) whether Class III employees (Clerks/Stenographers) appointed on ad-hoc basis in Railway Board in 1964, 1965, 1970 and 1973 have been regularised and are being provided with facilities of free pass, P.T.O., annual increment, etc.; and

(c) if so, whether the Ministry is considering the question of regularising those Hindi typists/stenographers appointed on ad-hoc basis in the Railway Board in 1975-76 and providing facilities of free pass, P.T.O., annual increment etc. to them in respect of whom deductions on account of General Provident Fund are also being made and if so, by what time?

The Minister of State in The Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) The services of clerks recruited through the Employment Exchange in the year 1964, 1965 and 1970 have since been regularised and they are enjoying all facilities in the form of Privilege Passes, P.T.Os. increments etc.

The clerk/stenographers recruited in 1973 have not been regularised.

(c) According to policy announced by the Minister for Railways on 11-6-77 in the Lok Sabha, ad-hoc employees in Class III will be regularised only in case they are selected by the competent authority.

As ad-hoc temporary employees they are, however, being considered for passes, PTOs and annual increments, etc.

कुर्मांडांगा हाल्ट

8008. **श्री गदाधर शाह :** या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक राजस्व के अर्जन तथा यात्रियों को बुकिंग और अन्य सुविधायें देने के लिए कटवा-अहमदपुर नैरो गेज लाइन पर कुर्मांडांगा हाल्ट को पूर्ण स्टेशन में बदलने के बारे में एक प्रस्ताव था

(ख) क्या गत कांग्रेस सरकार के दौरान किये गये आरम्भिक निरीक्षण की रिपोर्ट के बारे में मंत्री को जानकारी है; और

(ग) क्रियान्वयन शीघ्र करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : कुर्माडांगा हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की वर्ष 1974 में जांच की गयी थी लेकिन रेलवे को वित्तीय दृष्टि से इससे होने वाली आवर्ती भारी हानि के कारण इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

गुजरात में गैस का प्रयोग करने वाले उद्योगों को गैस की कीमत में वृद्धि

8009. **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में गैस का प्रयोग करने वाले उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली गैस की कीमत में वृद्धि की है ;

(ख) आरंभिक कीमत कितनी थी और वर्धित कीमत कितनी है ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का यह एक पक्षीय कार्य उद्योग के विकास के लिए हानिकार होगा ; और

(घ) क्या गुजरात मिल्स तथा उद्योग फेडरेशन ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। गुजरात में 1-4-1978 से निजी उद्योगों के लिये गैस की कीमत में वृद्धि कर दी गयी है ।

(ख) इन उद्योगों से 1-4-1978 से पूर्व प्रति 1000 एम^3 के लिये वसूले जा रहे 382.15 रुपये की कीमत की अपेक्षा 1-4-1978 से प्रति 1000 एम^3 के लिए 504.00 रुपये की कीमत वसूली जा रही है। दूर दराज क्षेत्रों के लिए 1-4-1978 से प्रभावी मूल्य पर सरकवें पैमाने पर छूट अनुज्ञेय है।

(ग) और (घ) : गैस के मूल्य में हुई इस प्रस्तावित वृद्धि के लिए संघ ने एक प्रत्यावेदन दिया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बातचीत की गई थी और पारस्पारिक सुलह सफाई संबंधी बातचीत हो जाने के पश्चात् दोनों पक्षकारों द्वारा करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

Booking of Covered Wagons

†8010. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the booking for covered wagons for Bihar, West Bengal etc. states at Gangapur city etc. stations on the Kotah division on the Western Railway has been discontinued;

(b) whether huge stocks of foodgrains have accumulated in the markets of the area resulting in closure of the markets as a result thereof and the consumers and the farmers have been put to difficulties; and

(c) if so, whether Government propose to remove the restriction imposed in this regard immediately and if not, the reasons thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) & (c) : Do not arise.

परामर्शदात्री समिति की बैठकों पर हुआ व्यय

8011. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की कुल कितनी बैठकें हुई और ये बैठकें किस-किस तारीख को हुई ।

(ख) ऐसी प्रत्येक बैठक किस-किस स्थान पर हुई ; और

(ग) समिति के सदस्यों तथा मंत्रालय के अधिकारियों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते सहित वर्ष के दौरान परामर्शदात्री समिति की बैठकों पर रसरकार ने कुल कितनी राशि व्यय की ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1977-78 में निम्नलिखित 3 बैठकें हुई थीं :--

नयी दिल्ली : 16-8-77 और 4-1-78
बैंगलूर : 7-10-77

(ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सलाहकार समिति

8012. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सलाहकार समिति की कुल कितनी बैठकें हुई तथा किस-किस तारीख को हुई; और

(ख) प्रत्येक बैठक कहां-कहां हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पांच। जिन तिथियों पर बैठकें हुई थी ये हैं 25-10-1977, 26-10-1977, 5-11-1977, 23-12-1977 और 18-1-1978 ।

(ख) 18-1-1978 को बैठक बम्बई में हुई थी और शेष चार बैठकें नयी दिल्ली में की गई थीं।

आर० डी० एस० ओ एक स्वतंत्र रेलवे संस्थान

8013. **श्री श्याम सुन्दर भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बयाने की कृपा करेंगे कि यदि आर० डी० एस० ओ० एक स्वतंत्र रेलवे संस्थान नहीं है तो महाप्रबन्धक की श्रेणी के पद को बनाये रखने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन रेल मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है। इस संगठन के द्वारा निष्पादनीय कार्यों के महत्व को देखते हुए, इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है जिनका दर्जा क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धक के बराबर है?

Conversion of Rajkot-Porbandar-Veraval Metre Gauge Line to Broad Gauge Line

†8014. **Shri Dharmasinh Bhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any programme has been chalked out to convert Rajkot-Ketalsar-Porbandar and Jetalsar-Junagadh-Veraval metre gauge railway line into broad gauge line in Saurashtra region of Gujarat and if not, the reasons therefor;

(b) when such programme will be prepared;

(c) whether any survey has been conducted in this regard and if not, when this work will be undertaken; and

(d) whether work relating to laying of Veramgam-Rajkot-Jamnagar-Okha-Porbandar broad gauge line is in progress and if so, the time by which the portion upto Rajkot-Jetalsar-Dhroagi, Upleta, Bhayavadar, Jamjodhpur, Ranavan as well as Jetalsar-Junagadh-Keshod, Maliya Hatima-Chorvad-Veraval line will be converted into broad gauge line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : No survey has been conducted for gauge conversion of Rajkot-Jetalsar-Katkola and Jetalsar-Junagadh-Veraval metre gauge lines into broad gauge and the project is not under consideration on account of shortage of resources. Gauge conversion of Viramgam-Rajkot-Jamnagar-Okha and Kanalus Katkola-Porbandar metre gauge sections into broad gauge is in progress and is expected to be completed in about 4 years subject to availability of adequate funds.

Passengers in Gujarat

8015. **Shri Dharmasingh Bhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of railway stations in Junagadh, Jamnagar and Rajkot districts of Saurashtra region in Gujarat where new sheds for passengers have been constructed during 1976-77 or are being constructed and the expenditure incurred or likely to be incurred on each shed;

(b) whether there is any proposal to construct new sheds at railway stations in these districts during 1978-79 and if so, the names of railway stations district-wise where these will be constructed;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) when the programme of construction of new sheds for passenger at railway stations in these districts will be prepared and how it will be undertaken?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अमरीका से ड्रिलिंग उपकरण

8016. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस द्वारा सप्लाई न दिये जा सकने के क्या कारण अमरीका से ड्रिलिंग उपकरणों का आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितने कुओं में ड्रिलिंग कार्य आरम्भ किया गया है और उससे क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी नहीं।

(ख) खोदे गये कुएं का दर्जा (जिनकी खुदाई 1977-78 के दौरान पूरी हुई) निम्नलिखित है :--

तटवर्ती	खोदे गये कुल कुएं	तेल युक्त	गैस युक्त	सूखी	परीक्षणाधीन/परीक्षण होना है
1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग . .	87	32	5	14	36
2. आयल इंडिया लि० . .	19	14	1	1	3
अपतटीय					
1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग . .	31	18	2	10	1
2. आयल इंडिया लि० . . .	..	..	..	..	..

ओराई से जालौन को रेलवे लाइन

8017. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **रेल** मंत्री 19-7-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओराई से जालौन तक रेल लाइन बनाने के लिए 1957-58 में किये गये यातायात सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किये गये सर्वेक्षण ने जिला जालौन के इस उपेक्षित तथा पिछड़े क्षेत्र के सुधार के लिए इस लाइन को खोलने की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस लाइन के निर्माण के लिए धन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है; और

(घ) इसकी व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ओराई से जालौन तक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए 1957-58 में किये गये यातायात सर्वेक्षण का ब्यौरा निम्नांकित है :--

लम्बाई--22.93 कि० मी०

1957-58 में सर्वेक्षण के समय निर्माण की अनुमानित लागत=58.31 लाख रु०

प्रत्याशित वित्तीय फलितार्थ	6 वें वर्ष	11 वें वर्ष
1. वास्तविक दूरी पर प्रभार लगाने पर . .	—1.07%	—0.46%
2. प्रभार्य दूरी का डेढ़ गुना बढ़ाकर . .	—0.42%	+0.15%

(ख) से (घ) : जिस क्षेत्र में इस लाइन के बनाने का प्रस्ताव है वह मोटर वाहनीय सड़क द्वारा पहले से ही सवित है। अतः सर्वेक्षण दल ने इस लाइन के निर्माण की सिफारिश नहीं की ।

कोटा-बीना लाइनों पर दो रेलगाड़ियों का ठहरना

8018. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कोटा-बीना लाइन पर दो रेल गाड़ियों को वापस कोटा के लिये प्रस्तान करने से पूर्व 10 घण्टे से भी अधिक समय तक बीना स्टेशन पर ठहरना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन लाइनों पर भारी यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इन दोनों गाड़ियों को भोपाल तक बढ़ाकर ठहरने के इस समय का सदुपयोग करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : कोटा और बीना के बीच दो जोड़ी सवारी गाड़ियां चल रही हैं जिनसे इस खंड पर सवेरे और शाम के लिए सुविधाजनक सेवाओं की व्यवस्था होती है और इन्हें बीना में 10 घंटे 35 मिनट और 8 घंटे 20 मिनट का विराम मिलता है। वर्तमान समय सारणी को देखते हुए, कोटा-बीना खंड पर इन गाड़ियों को भोपाल से/तक विस्तार व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा भोपाल स्टेशन पर एक और गाड़ी सम्हालने के लिए टर्मिनल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं ।

Expenditure incurred on State Assembly elections

†8019. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 174 on the 21st February, 1978 regarding expenditure in Mid-term Elections and state:

(a) the expenditure incurred by the Central Government on State Legislative Assembly elections held in February, 1978, State-wise;

(b) the expenditure incurred by the State Governments of Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh and the Central Government separately in this regard and whether any steps are being taken to reduce this expenditure in future and if so, the deatils thereof; and

(c) the total number of candidates who contested the elections in each of the States mentioned in part (b) above and the number of candidates, who lost their deposits and the income earned by Government thereby and whether

Government are aware that some candidates incurred expenditure in excess of the prescribed limit and if so, the extent to which the parties and candidates incurred expenditure in excess of the prescribed limit?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) No expenditure has been incurred by the Central Government on State Legislative Assembly Elections held in February, 1978. The expenditure in this behalf is to be borne by the concerned State Government only.

(b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House. No specific proposals for reducing Government expenditure on elections are under consideration. However, the Central Government and the State Government exercise adequate checks to ensure that expenditure is incurred on elections only to minimum extent necessary.

(c) the total number of candidates who contested the elections in February, 1978 in each of the five States and the Union Territory of Arunachal Pradesh mentioned in part (b) of the question and the number of candidates who lost their deposits, are as follows:—

Name of State/ Union Territory	No. of candidates who contested the elections	No. of candidates whose deposits were forefeited
1. Andhra Pradesh	1,538	801
2. Assam	938	651
3. Karnataka	1,165	669
4. Mahrashtra	1,819	1,155
5. Meghalaya	262	90
6. Arunachal Pradesh	86	16

The amount realised by Government by way of forfeiture of deposits is not available at present and a statement in that behalf will be laid on the Table of the House in due course.

Government have no information as to whether some candidates incurred expenditure in excess of the prescribed limit. Government have also no information about the expenditure incurred by parties in the elections.

ट्रैकिंग पार्टियों का अवकाश गृह (होली डे होम) में ठहरना

8020. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारने पर्वतीय नगरों पर विशेषतयां ट्रैकिंग/अभियान पर जानेवाले/वाली पार्टियों को कोई छूट/रियायत दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन पार्टियों को रेल अधिकारियों द्वारा अनुरक्षित अवकाश गृहों (होली डे होम) में ठहरने की भी अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। कुछ खास पर्वतीय स्थानों के वापसी टिकट पर एकतरफा ड्योढ़ा किराया पर मिलने वाली साधारण रियायत के अलावा भारतीय पर्वतारोही प्रतिष्ठान के अनुमोदन पर पर्वतारोहण अभियानों को पहले दर्जे के लिए 15% और दूसरे दर्जे के लिए 50% की और रियायत दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों का कुल उत्पादन और मूल्य

8021. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित औषधियों का कुल मूल्य कितना है और इसमें सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये उत्पादन का मूल्य कितना कितना है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब और 1978-79 में कितनी प्रगति हुई;

(ग) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों द्वारा निर्यात तथा आयात की गयी औषधियों का मूल्य कितना है; और

(घ) तदनुसार सरकारी क्षेत्र की सहायतार्थ कितनी राशि दी जाती है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) (मूल्य रुपये करोड़ों में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	गैर सरकारी क्षेत्र	विदेशी फर्में	योग
(i) बल्क ड्रग्ज :				
1974-75 .	33	23	34	90
1975-76 .	43	35	52	130
1976-77 .	48	39	63	150
(ii) फार्मूलेशन्स :				
1974-75 .	25	172	203	400
1975-76 .	35	225	300	560
1976-77 .	47	361	292	700

(ख) सरकार ने वर्ष 1975-77 के दौरान सरकारी क्षेत्र के आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० की विस्तार योजनाओं को स्वीकृति दे दी है जिनपर 64.89 करोड़ रुपये का परिव्यय लगेगा और उनका कार्यान्वयन हो रहा है। 1978-79 के दौरान इन योजनाओं से कुल 104 करोड़ रुपये की वसूली होने की आशा है।

(ग) आयात और निर्यात का कुल मूल्य निम्नप्रकार था :

(मूल्य करोडो में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1974-75	45.60	43.12
1975-76	39.36	42.19
1976-77	47.03	52.19*

*इसमें 23 करोड़ रुपये का दवाईयुक्त कैस्टर आयल भी शामिल है।

कुछ प्रपुंज औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों का आयात स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) के माध्यम से किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान सी० पी० सी० द्वारा ऐसे औषधों के आयात का मूल्य निम्नप्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

1974-75 . . .	19.56
1975-76 . . .	14.05
1976-77 . . .	22.29

सरकारी क्षेत्र अर्थात् आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० द्वारा किये गये दवाइयों के आयात और निर्यात के मूल्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(घ) कुछ सारणीबद्ध औषधों के पूल मूल्यों को आयात मूल्य पर आयातित मात्रा और देशी मूल्यों पर उत्पादित मात्रा के भारित औसत के आधार पर निर्धारित किया गया है। सरकारी क्षेत्र के एककों सहित देशीय निर्माताओं को देशी मूल्यों और पूल मूल्यों के अन्तर के बराबर आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता देने के लिए कहा जाता है।

Fire in a Saloon

†8022. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether heavy loss was suffered due to fire in a saloon in Ratlam Division on Western Railway in the last week of March, 1978;

(b) whether the fire had broken out near the oil tank; and

(c) if so, the causes thereof and the extent of loss suffered?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : On 29-3-1978, a wagon containing mobile HSD fueling plant, stabled in the Motor Ramp siding, Ratlam, caught fire and an inspection carriage which was stabled near this wagon was also affected. The damage to the inspection carriage has been estimated at approximately Rs. 1,000/-. The total cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 4,060/-. The cause of the fire is under investigation.

राज्यों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

8023. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में उर्वरक संयंत्रों की संख्या कितनी है और क्या सरकार का विचार उन राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है जहां इस समय ऐसे संयंत्र नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और वे स्थान कौन से हैं जहां निकट भविष्य में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र में 23 गैर सरकारी क्षेत्र में 35 तथा सहकारी क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र है।

उर्वरक संयंत्र जोकि पहले ही उत्पादन कर रहे हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित उर्वरक संयंत्र नीचे दिखाये गये राज्यों में निर्माणाधीन हैं :

सरकारी क्षेत्र		गैर सरकारी क्षेत्र		सहकारी क्षेत्र	
एकक का नाम	राज्य	एकक का नाम	राज्य	एकक का नाम	राज्य
1. मंगल विस्तार	पंजाब	बरौच	गुजरात	फुलपुर	उत्तर प्रदेश
2. सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण	बिहार				
3. ट्राम्बे 4 .	महाराष्ट्र				
4. रामागुण्डम .	आन्ध्र प्रदेश				
5. तालचर .	उड़िसा				
6. सिन्दरी आधुनिकिकरण .	बिहार				
7. भटिंडा .	पंजाब				
8. पानीपत .	हरीयाणा				
9. हल्दिया .	पश्चिमी बंगाल				
10. ट्राम्बे 5 .	महाराष्ट्र				

उर्वरक संयंत्र की स्थिति प्रोद्योगिकी आर्थिक दृष्टिकोण पर जिसमें अन्य बातों के साथ फीड स्टाक की उपलब्धता इन्फास्ट्रक्चर सुविधाओं, बाजार की निकटता तथा परियोजना के आर्थिक विपणन जोन में उर्वरकों को मांग आदि तत्व शामिल हैं, आधारित होती है। जिन राज्यों में कोई उर्वरक कारखाना नहीं है अगर वे उपरोक्त शर्तें पूरी करते हैं, सरकार इन राज्यों में अतिरिक्त क्षमता की योजना तैयार करते समय निसन्देह उर्वरक कारखानों की स्थापना पर विचार करेगी।

Requirement of Kerosene Oil

8024. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the present requirement of kerosene oil in the country as compared to the requirement for the past three years and the extent of short supply thereof;

(b) the State-wise allocation of kerosene for 1976-77 and 1977-78 separately; and

(c) the criteria followed in this allocation, whether rural requirement was kept in mind while making allocations for the States having larger number of villages or only population was taken into account?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The requirement of kerosene for 1978-79 is estimated as 3.83 million metric tonnes. Sales of kerosene during the previous three years have been as under :—

	(Million Metric Tonnes)
1975-76	3.10
1976-77	3.32
1977-78	3.62 (Provisional)

(b) Statement showing State-wise allocation of kerosene for the years 1976-77 and 1977-78 is enclosed (Annexure).

(c) Kerosene allocations to the States and the Union Territories are made by the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers on a monthly basis keeping in view various factors including past consumption, seasonal variations and other special features.

Statement

(Figs. in '000 metric tonne)

	1976-77	1977-78
States :		
Andhra Pradesh	246.1	267.4
Assam	121.7	131.6
Bihar	192.9	210.6
Gujarat	301.8	317.4
Haryana	54.8	60.9
Himachal Pradesh	10.8	12.4
Jammu & Kashmir	23.1	22.4
Karnataka	174.2	188.2
Kerala	113.9	119.6
Madhya Pradesh	163.6	180.1
Maharashtra	679.0	709.2
Manipur	6.9	8.4
Meghalaya	5.6	7.0

Statement—Contd.

	1976-77	1977-78
Nagaland	3.7	3.9
Orissa	68.1	71.2
Punjab	102.7	118.6
Rajasthan	87.0	107.8
Sikkim	3.6	3.8
Tamil Nadu	305.0	294.6
Tripura	10.4	11.4
Uttar Pradesh	319.6	355.1
West Bengal	305.8	320.5
Union Territories :		
Andaman and Nicobar Islands	0.6	1.1
Arunachal Pradesh	0.7	1.0
Chandigarh	7.0	8.1
Dadra and Nagar Haveli	0.6	0.6
Goa, Daman & Diu	11.7	11.6
Delhi	84.4	86.9
Mizoram	2.6	3.0
Pondicherry	5.7	5.2
ALL INDIA TOTAL	3,413.6	3,639.6

Trains Between Samastipur and Rosara

†8025. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a representation has been received from the public demanding either for increase in the number of trains operating between Samastipur and Rosara on North Eastern Railway or alterations in the time table ; and

(b) if so, Government's reaction in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) From 1-1-1978, an additional pair of trains have been introduced between Samastipur and Rusera Ghat/Khagaria and timings of trains on this section have also been revised to provide better service to the travelling public.

भूतपूर्व रेल मंत्री का एस० ए०

8026. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री के एस० ए० का भाई कुछ 'प्रतिफल' लेकर इलाहाबाद से पर्ची 'स्लिप' दिया करता था और ऐसी पर्चियों के आधार पर लाखों लोगों को भर्ती किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हो 'भाई' इलाहाबाद में उत्तर रेलवे के डिवीजन कार्यालय में बैठा करता था और उसकी पर्ची के आधार पर भर्ती किये गये लोगों को नियुक्ति करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया करता था; और

(ग) यदि हां, तो भूतपूर्व रेल मंत्री के एस० ए० के 'भाई' के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) "पिछले रेल मंत्री के विशेष सहायक का भाई" जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है, रेल कर्मचारी प्रतीत नहीं होता। रेल मंत्रालय के पास ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना नहीं है। भूतपूर्व मंत्रियों और उनके निजी कर्मचारियों की सिफारिशों के आधार पर की गयी तदर्थ नियुक्तियों की संख्या 1000 से थोड़ी अधिक है, लाखों में नहीं। इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गयी है कि यदि वे रेलवे सेवा में रहना चाहते हैं, तो वे रेल सेवा आयोगों को आवेदन भेजे।

(क) और (ख) : प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व रेल मंत्री के एस० ए० द्वारा कांग्रेस टिकट के लिए किया गया प्रयास

8027. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व रेल मंत्री के एस० ए० ने 1977 के दौरान संसदीय चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन दिया और उसके लिए प्रयास किये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी कार्यालय में ग्रहणाधिकार (लियन) रखे रखने और साथ ही राजनिति में भाग लेने की अनुमति है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल मंत्रालय के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Talks with Unions

†8028. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether orders have been issued by the Government for holding talks with registered unions or trade unions in addition to the recognised workers' or Railway employees' organisations with a view to solving the difficulties of workers and though no agreement is signed with the unrecognised registered unions;

(b) whether these orders have created proper atmosphere for mutual understanding;

(c) whether at some places like Ratlam Division, Western Railway, action is being taken according to the said orders while at certain places they are not being followed; and

(d) if so, the steps taken to ensure their implementation at all places?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d): No general orders have been issued, but the Railways have been advised to meet representatives of unrecognised Unions informally, although formal correspondence and formal agreements may not be entered into with the unrecognised unions. All concerned will be advised to act accordingly if not already doing so.

रेल अधिकारियों के लिए सुविधा पास

8029. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो के अधिकारियों को सुविधा पासों के तीन सेटों की बजाय छह सेटों का लाभ मिलने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के अधिकारियों को पास सुविधाओं में कमी करने अथवा श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को उनके समान स्तर पर लाने के लिए, सुविधायें बढ़ा देने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : रेल परिवहन के आदिकाल से मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के मामले में, एक ओर श्रेणी-I और श्रेणी-II के अधिकारीयों में और दूसरी ओर श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के बीच भारत में तथा संसार के कुछ अन्य देशों में पासों संबंधी उनके अधिकार के सम्बन्ध में सदैव विभिन्नता रही है। वास्तव में श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के लिए जिन्हें कि असीमित संख्या में पास मिला करते थे, घटा कर एक बार तो 12 सेट प्रतिवर्ष कर दिये गये और बाद में और घटा कर 6 सेट कर दिये गये। इसी प्रकार श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के मामले में जहां कर्मचारियों के पासों से सम्बन्धित अधिकार सेवा के वर्षों से सम्बद्ध था, पासों की सीमा बढ़ा कर 5 वर्ष सेवा अवधि तक एक सेट और इसके बाद 3 सेट कर दी गयी है।

चूंकि मुफ्त यात्रा की ये सुविधाएं, सेवा की शर्तों जिनमें अधिकारियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर तैनाती की बात भी शामिल है को विचार में रख कर विनिश्चित की गयी है, अतः ये सेवा की शर्तों का ही अंग बन गयी है और इसलिए सरकार का पासों के वर्तमान स्केल में किसी तरह का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

इंडो-बर्मा पेट्रोलियम/वांयर लौरी कम्पनी समूह में व्यय की वृद्धि

8030. **डा० विजय मण्डल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह तथ्य मालूम है कि 1974 के पश्चात् से जब से वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की गई थी तब से इंडो-बर्मा पेट्रोलियम तथा वांयर लारी कम्पनी समूह में लाभों में क्रमिक रूप से कमी हुई और व्यय में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उनका मंत्रालय क्या उपचारो कार्यवाही कर रहा है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुण) : (क) से (ग) : आई० बी० पी० वांयर-लारी समूह की कम्पनियों की लाभ सम्बन्धी स्थिति नीचे दी गई है :—

(रु० लाखों में)

	1973 (वास्तविक)	1976-77 (वास्तविक)	1977-78 (अनुमानित)	भिन्नता का मुख्य कारण
(क) **इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमि०**				
(i) प्रकाशित लेखों के अनुसार लाभ	120.58	75.58	70.00	रसायन प्रभाग के संगर्भता अवधि के वर्ष 1976—77 और 1977—78 के क्रमशः 14.48 लाख रुपये और 23.5 लाख रुपये के बजाय इन लाभों में पर्याप्त वृद्धि का कीर्तिमान संस्थापित किया गया है।
(ii) (जोड) समायोजन				
(क) ओ पी सी की अन्तरिम रिपोर्ट के प्रभाव से	..	75.00	88.00	
(ख) आई ओ सी के साथ किये गये करार के प्रभाव से	..	20.33	33.00	
(ii) का कुल योग	..	95.33	121.00	
(iii) समायोजित लाभ	120.58	170.91	191.00	
(ख) **बामर लारी एंड कम्पनी लिमि०**				
प्रकाशित लेखों के अनुसार लाभ	64.42	66.11	125.34	देशी इस्पात मार्केट में भरमार को देखते हुए आयातित इस्पात के ऊंचे दामों के समाप्त हो जाने के कारण इस के कार्य निष्पादन वष 1976-77 में उल्टा प्रभाव पड़ा था।

(रु० लाखों में)

	1973 (वास्तविक)	1976-77 (वास्तविक)	1977-78 (अनुमानित)	भिन्नता के मुख्य कारण
(ग) ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमि०				
(i) प्रकाशित लेखों के अनुसार लाभ	1.72	1.52	0.45	1-1-1973 से 31-3-1977 तक की अवधि के दौरान कम्पनी को निम्नलिखित तीन मुख्य ठेकों में भारी हानि उठानी पड़ी:— (रु० लाखों में) (i) बोकारो इस्पात कारखाने के लिये झोंका भट्ठी का निर्माण कार्य 190.00; (ii) भारतीय रेलों के लिये डिब्बे तयार करना 259.00; (iii) हल्दिया तेल शोधक-कारखाने में निर्माण कार्य 59.00; 508.00
(ii) इस वर्ष से सम्बन्धित बिक्री, दावे, ब्याज, भंडार, और बिना बिल के निर्माण कार्य के समायोजन (कटौती करके) वर्ष 1975 में प्रकाशित किये गये थे।	148.23	..	..	वर्ष 1977-78 में 1.52 लाख रुपये का छोटा सा लाभ कमा कर कम्पनी ने पासा पलट दिया। यह लाभ अलाभकारी डिब्बों के निर्माण कार्य को समाप्त करके हल्दिया तथा बोकारो में घाटे वाले ठेकों को समाप्त करने और समुद्रपार क्रियाकलापों से

(रु० लाखों में)

	1973 (वास्तविक)	1976–77 वास्तविक)	1977–78 (अनुमानित)	भिन्नता के लिये मुख्य कारण
(iii) समायोजित	146.51	1.52	0.45	हेतु लाभ के कारण सम्भव हो सका। एक बार पुंजीगत पुनर्निर्माण सम्बधी प्रस्तावों को मंजूर कर दिये जाने पर, इससे पर्याप्त लाभ आरम्भ होने की आशा है ।
(घ) बीको लारी लिमि०				
प्रकाशित लेखों के अनुसार लाभ/हानि ।	21.59	37.84	147.25	बीको लारी एक साण कम्पनी रही है । इस कम्पनी के भूतपूर्व मालिकों ने मशीनों के बदलने, नमूनों उत्पादकता, महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और मूल्य निर्धारण के अद्यतन रूप प्राप्त करने की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया । अतः इस कदाचार को समाप्त करने के लिये बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया था। बि से, डिजाइनों को अद्यतन, बनाने, सा के आयतन को कम करके उनकी लागतो को घटाकर, अनुसंधान तथा विकास प्रयासों में तीव्रता लेकर, तथा लाभप्रद क्रिया कलापों का विस्तार आदि करके पर्याप्त काम किया जा चुका है । यहां

	1973 (वास्तविक)	1976-77 (वास्तविक)	1978-78 (अनुमानित)	भिन्नता के लिये मुख्य कारण
				यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक ऐसी कम्पनी, जिसके पास उसके किसी उत्पाद के लिये किसी प्रकार का आई एस आई का प्रमाण पत्र नहीं है, उसके पास आज अपने कार्य कलापों अर्थात् स्विच गियर पैनलों जैसे प्रमुख उत्पादों के लिये अन्तर राष्ट्रीय "केमा" का प्रमाण पत्र है । वर्ष 1977/78 के दौरान श्रमिकों ने 'धीरे काम करो' की नीति अपना रखी थी अब कामगार संघ के साथ बात चीत में इसका समाधान निकल आया है और इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है ।
				उक्त स्थिति का अवलोकन करने से यह मालुम हो जायेगा कि बीकोलारो को छोड़कर बाकी किसी कम्पनी के लाभ में कमी नहीं आई है ।

Supply of Cylinders of Indane Gas in Saurashtra Region

8031. **Shri Dharmasinh Bhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that new cylinders of Indane gas are not being supplied in Porbandar, Mangrol, Kutiyana, Ranavav, Manavadar, Vanthali, Dhoraji, Upleta, Jam Kandorna, Jam Jodhpur, Lalpur, etc. in Saurashtra region in Gujarat and if so, the reasons therefor;

(b) the number of gas cylinders now supplied in each of these cities;

(c) when these gas cylinders will be supplied to those cities or towns to the consumers indicating the number of cylinders proposed to be supplied in each of these cities;

(d) whether Indane gas is not available and if so, the efforts being made now to make it available at an early date;

(e) the measures proposed to be taken by Government to grant new agencies in each of the cities or towns with a view to supply new Indane gas cylinders to new consumers; and

(f) the names of the persons, organisations and companies which have made a demand for agencies for distribution of Indane gas cylinders and since when?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b), (c), (d), (e) and (f): Indian Oil Corporation is currently marketing Indane in 15 towns in the Saurashtra region of Gujarat State, catering to approximately 66,500 customers. Porbandar is one of those towns in which there are approximately 4,200 Indane customers. Dhoraji and Upleta are served by the Indane dealer at Junagadh, who has about 9,200 customers. The other towns of Saurashtra mentioned in part (a) of the Question are not having Indane supply at present. Currently, the available Indane is fully committed and hence introduction of Indane in other towns of Saurashtra can be considered only after additional product becomes available. The availability of the product is expected to improve in the next 2 to 3 years when LPG would be available from the project for separation of LPG from Bombay High associated gas, by the commissioning of the new refineries and by the setting up of additional facilities for LPG production in the existing refineries. At that time, it may be possible to extend Indane marketing to more towns in Saurashtra, in accordance with the procedure laid down by Government, based on the following considerations:—

(i) anticipated customer potential;
(ii) nearness of market from the source of supply;
(iii) availability of safe and convenient mode of transport;
(iv) maximum utilisation of distribution equipment; and
(v) viability in operation.

As and when decisions are taken to open new agencies for distribution of Indane gas, advertisements will be issued and the applications received in response to the same will be considered within the frame-work of the present policy guidelines.

Falling Standard of Books etc. at Railways Stations

8032. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the national loss caused by the day-by-day falling standard of books, journals and magazines at the bookstalls at railway stations;

(b) whether Government have any control over the publicity of the literature of sex, violence, sensational and vulgar detectives;

(c) if so, why such a situation has arisen and whether Government will conduct an enquiry into it; and

(d) whether Government feel that there should be some criteria for the selection of books, journals and magazines and there should be a committee for controlling it and if so, whether Government will appoint such a committee and by what time?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) There is no fall in the standard of books, magazines etc. being sold from bookstalls at railway stations.

(b) to (d) : In terms of Agreements entered between the Railways and Bookstall contractors, sale of obscene or scurrilous literature at railway stations is strictly prohibited. The Railway Administrations have full right of prohibiting sale or exhibition of any publication of an obscene or scurrilous nature and of any publication to which good, sufficient and reasonable objection can be shown. The decision of the Railway Administrations is final and binding on the Bookstall contractors. In the event of violation of these rules, the Railways can impose fines and in cases of repeated offences of this nature the contract can be terminated. To achieve this objective, Railway officials make regular checks and inspections of Bookstalls at railway stations. The members of the National Railway Users Consultative Council and Zonal Railway Users Consultative Committees also make frequent inspections of Bookstalls at railway stations. As such, there is no need for conducting any enquiry or appointing a committee.

श्रेणी-3 तथा श्रेणी-2 के कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड

8033. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री रेल मंत्रालय के आदेशों के बारे में दिनांक 21 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा पूर्वोत्तर तथा उत्तर रेलवे के बारे में नवम्बर तथा दिसम्बर 1977 के जारी किये गये एम० एस० आर० आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा श्रेणी 3 तथा श्रेणी 2 के कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन पदों के बारे में 4-एक्स, 6-एक्स, आरक्षण हटाने सम्बन्धी परिपत्र तथा रिक्त स्थानों को आगे न ले जाये जाने से मंत्रालय के मैनुअल पैरा तथा अन्य परिपत्रों के अनुसार तैयार किये गये नियमों का अनुपालन किया गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो वर्ष, 1975 तथा 1976 में हुए श्रेणी-2 ए० ई० एस० सेलेक्शनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को अनारक्षित न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या वर्ष 1975 में चुने गये अर्हता प्राप्त सामान्य उम्मीदवारों को स्था ी आ ार पर पदोन्नतियां नहीं दी जा रही हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि मंत्रालय के आदेशों तथा निदेशों का पूरा-पूरा पालन किया जाए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आदेश किसके लिए थे जब तक यह संकेत न मिले कोई टिप्पणी देना संभव नहीं है।

(ख) जैसा कि 21 मार्च, 1978 को अतारांकित प्रश्न सं० 3800 के उत्तर में बताया गया है नियमों और आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) 1975 में हुए श्रेणी-ii के सहायक इंजीनियरों के प्रवरण में अनुसूचित जातियों/अनूसुचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) पूर्वोत्तर रेलव पर सहायक इंजीनियरों के श्रेणी-ii के पदों पर 16 सामान्य उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के लिए एक पैनल बनाया गया था और इस प्रकार उन सभी को अब तक पदोन्नत कर दिया गया है।

(ङ) आदेशों का पालन किया जा रहा है।

कर्मचारियों को विश्रामालयों (रेस्ट हाऊसों) में कमरों (स्वीटों) तथा निरीक्षण कोचों का आवंटन

8034. **श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल** मंत्री स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों के खाली किये जाने के बारे में 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामालय के कमरों अथवा निरीक्षण कोचों का अस्थायी आवंटन अन्य कर्मचारियों के लिए भी किया जाता है; और

(ख) क्या अस्थायी तौर पर आवास का ऐसा आवंटन दोहरा आवास रखना माना जाता है जो रेलवे में कर्मचारियो पर अपनाई गई नीति के खिलाफ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस सम्बन्धी एक रेलवे से दूसरे रेलवे पर स्थिति भिन्न-भिन्न है। सामान्यत: अराजपत्रित कर्मचारी जहां कहीं अधीनस्थ कर्मचारी विश्राम गृह उपलब्ध हो, उसका किराया देकर आवंटन के पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

Proposal to Reorganise Law Commission

8035. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any proposal for the reorganisation of Law Commission; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : (a) & (b) : There is no proposal for reorganisation of the Law Commission. The present Law Commission was reconstituted for a period of three years with effect from the 1st September, 1977, to the 31st August, 1980.

काली सूची में दर्ज औषध-फर्में

8036. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक ऐसी औषध-निर्माता फर्मों को अधिक उत्पादन करने जैसी अनियमितताएं करने के लिए काली-सूची में दर्ज कर दिया गया है जो उत्पादित औषधियों को अपने बीजकों में कम या अधिक दिखाती थी और कच्चे माल का अनधिकृत ढंग से आयात करती थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में तेल की खोज

8037. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के सम्बन्ध में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस द्वीप में विद्युत तेल तथा गैस आरक्षणों की संभावना के उत्साहजनक संकेत मिले हैं ; और

(ग) वहां पर तेल की खोज को तेज करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) : अण्डमान द्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण किये गये थे और कार निकोबार द्वीप में जारी है। इसके अलावा अण्डमान निकोबार के आसपास महाद्वीपीय समस्त मग्नतट का भूभौतिकीय सर्वेक्षण कर लिया गया है ।

अण्डमान अपतटीय क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण से 3 संरचनाओं के संकेत मिले हैं। अण्डमान समुद्र की संरचनाओं में से एक अपतटीय कुएं की खुदाई तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आगामी वर्षाऋतु के बाद की जायेगी।

जबलपुर सिटी बुकिंग कार्यालय

8038. **श्री निर्मल चंद्र जैन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार जबलपूर सिटी बुकिंग कार्यालय को प्रातः 10 बजे से 5 बजे सायं तक खुला रखने के बजाय जैसा कि आजकल है, रात 10 बजे तक खुला रखने का है क्योंकि रेल द्वारा आगे यात्रा के लिए 5 बजे सायं से लेकर 10 बजे रात तक बहुत से लोग जबलपूर में बस से आते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी, नहीं। जबलपूर सिटी बुकिंग कार्यालय को रात्रि के 10-00 बजे तक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शाम के 5-00 के बाद बस द्वारा जबलपूर पहुंचने वाले यात्री स्टेशन से रेल यात्रा टिकट खरीद सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र में औषध फर्में

8039. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार के बारे में 15 मार्च, 1978 को हुई आधे घंटे की चर्चा के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र की फर्मों का नाम उत्पादन सहित ब्यौरा क्या है, 1973 के बाद उनके द्वारा आयातित सरकारी एजेंसी के माध्यम से वसूल किये गये कच्चे माल का ब्यौरा क्या है, क्या उन्होंने व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र दिया है, उनके विरूद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 और 29 का उल्लंघन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या आई० सी० आई० की सहायक कम्पनी लोन लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादन कर रही है, क्या यह वैध औद्योगिक लाइसेंस है और क्या आई० सी० आई० द्वारा उत्पादित सभी फार्मुलेशनों (एल्कली एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन) के लिये उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस लिये हैं, यदि हां, तो मदों के नाम क्या हैं, प्रत्येक मद के लिय आयातित और सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये गये कच्चे माल का ब्यौरा क्या है और किस प्राधिकार तथा अधिनियम के किस उपबन्ध के अधीन ऐसा किया गया ; और

(ग) क्या कम्पनी का विचार इसका नाम बदलने और 30 करोड़ रुपये की आस्तियों को नियमित करने का है, उसका ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध उद्योग के गैर-संगठित क्षेत्र के अपेक्षित ब्यौरे, वहाँ तक उपलब्ध है संलग्न विवरण पत्र I में दर्शाये गये हैं।

इन सब कम्पनियों ने देश में अपने वर्तमान कारोबार को जारी रखने के लिए फेरा के अन्तर्गत सरकार की स्वीकृती के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र दिया है। इन सभी आवेदन पत्रों पर अब कार्यवाही की जायेगी, अब तक इनको औषध और भेषज उद्योग समिति (हाथी समिति) पर नीति संबंधी निर्णय न होने के कारण लम्बित किया गया था।

(ख) मैसर्स अल्कली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के पास 56% विदेशी साम्यपूंजी है जिसमें से 51% प्रत्यक्ष रूप से यू० के० की मैसर्स आई० सी० आई० के हैं। इस कम्पनी के पास औषध मदों का निर्माण करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस हैं। जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र ii में दिये गये हैं।

इसके अलावा वे ऋण लाइसेंस के आधार पर कुछ सूत्रयोगों का भी उत्पादन कर रहे हैं।

जिस प्राधिकार के अन्तर्गत वे सूत्रयोगों का निर्माण कर रहे हैं उसके ब्यौरे, मदों के नाम और उनके द्वारा आयातित तथा सरणोबद्ध कच्चे माल के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत को जायेगी।

विवरण I

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	विदेशी शेयर धारिता	वर्ष	कुल बिक्री	कुल आयात का सी० आई० एफ० मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स निकोलाज आफ इंडिया लि०	शाखा	1973-74	..	नहीं
			1974-75	..	..
			1975-76		नहीं
2.	मैसर्स सी० आई० फूलफोड .	100	1973	156.38	नहीं
			1974	182.04	27.81
			1975	191.53	23.74
3.	मैसर्स जी० डब्ल्यू० कार्निक कंपनी (एशिया) लि०	शाखा	1973	12.99	नहीं
			1974	2.07	..
			1975	5.65	0.03
4.	मैसर्स कूपर लेबोरेटरीज .	100	1973	26.27	नहीं
			1974	26.39	..
			1975	37.93	..
5	मैसर्स जीन वैयथ एण्ड ब्रदर्स .	शाखा	1973		
			1974	नहीं	नहीं
			1975		
6.	मैसर्स ग्रोव प्रोडक्टस लि० .	शाखा	1973	नहीं	नहीं
			1974	नहीं	नहीं
			1975	562.00	..
7.	मेसर्स मे एण्ड बेकर (आई) लि०.	100	1973	972.21	नहीं
			1974	1049.89	61.76
			1975	1146.51	76.01
8.	मैसर्स वयथ (आई) लि० .	100	1973	नहीं	नहीं
			1974	नहीं	नहीं
			1975	नहीं	नहीं

विवरण II

क्रम संख्या	औद्योगिक लाइसेंस नं० और तिथि	मद का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता
1	2	3	4
1.	एल०/22/238/64–कैमि० III दिनांक 21-10-62	फेनोविस ब्रान्ड फेनोथियाजाइन	48 टनस्
2.	सी० II एक्स० नं० 372(73) दिनांक 4-12-1974	प्रिमलडोन	4500 किलो ग्राम
		प्रोप्रेनोलोल	1000 ,,
		क्लोफीब्रट	10000 ,,
		हालोथोन	10000 ,,
		टैट्रामाइसोल	10000 ,,
		केट्रीमाइड	50000 ,,
		क्लोरहैक्साडाइन	3500 ,,
		हैक्साक्लोथेन	3500 ,,
		टैटमिसील	1500 ,,

उपरोक्त औद्योगिक लाइसेंस संबद्ध सूत्रयोगों के नाम दर्शाने वाला अनुबन्ध।

सूत्रयोगों का नाम

तरल

1. सोटावलोन कनसेनट्रेट
2. सोटावलोन टीन्कचर
3. सोबालोन लिक्यूड
4. सोब्रालोन होस्पीटल कनसेनट्रेट और वेटरीनरी कनसनट्रेट
5. टेटमासल सोलिसन
6. क्ल्यूथेने

पाउडर

7. नोवरम ग्रानुलेस
8. सोटावलोन

क्रीम, पेस्ट और सस्पैंशन

9. सेटाविलोक्स क्रीम
10. सल्वोन क्रीम
11. हिवोटोन आवस्टेट्रिक क्रीम
12. लोरेक्सेन क्रीम

गोलियां, लोजेंजेज, पेसारीज

13. सल्वोन लोजेंजेज
14. हिवोटेन पेसारोन
15. इनडरल गोलियां
16. माइसोलीन गोलियां

सौफ्ट गेलटीन केप्सूल्स

17. एंट्रोमिड केप्सूल्स

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना

8040. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री उनके द्वारा औषध और भेषज उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति के बारे में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैरा 22, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "भविष्य में वर्तमान विदेशी कम्पनियो को फार्मूलेशन के लाइसेंस केवल तब ही दिये जायेंगे जब उनका सम्पर्क मूल स्तरों से उच्च प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों से होगा", का क्या अभिप्राय है ;

(ख) क्या सरकार इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगी कि क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा नये फोर्मूलेशन के निर्माण से बल्क औषधियों का निर्माण होगा और क्या फार्मूलेशन का निर्माण केवल उनके बल्क औषधियों के आधार पर होगा और देश में अन्य स्त्रोतों से बल्क औषधियों के आयात अथवा वसूली के आधार पर नहीं होगा; और

(ग) क्या औषधियों के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बन्द करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो वर्तमान ऋण लाइसेंसिंग गतिविधि पर क्या निर्णय लिया जायेगा ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अडचनें यह है कि प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए उच्च प्रौद्योगिक का अन्तप्रर्वाह होगा तथा चूंकि फार्मूलेशन कार्यों के लिए प्रपुंज औषधो के आयात की स्वीकृति दिये जाने के स्थान पर विदेशी कम्पनियों को प्रपुंज औषधों का निर्माण मौलिक स्तर से करना होगा, विदेशी मुद्रा का कम प्राप्त होगा ।

(ख) जी, हां, सामान्यता, देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जहां प्रपूंज औषध का निर्माण मुख्यता अलाभप्रद है के अतिरिक्त ।

(ग) विदेशी औषध कम्पनियों की व्यापारिक गतिविधि विदेशी मुद्रा विनियमन अधि-नियम के सम्बन्ध उपबन्ध के अन्तर्गत नियमित की जायेगी । विवरण पत्र के पैरा 24 में स्पष्ट रुप से बताया गया है कि किसी भी विदेशी कम्पनी को औषध क्षेत्र में कार्य संचालन के लिए ऋण लाइसेंस नहीं दिया जायेगा । विद्यमान ऋण लाइसेंस के आधार पर विदेशी कम्पनियों को कुल विक्रय को परिशिष्ट I वाली गतिविधि नहीं बल्कि केवल एक व्यापार सम्बन्धी गतिविधि माना जायेगा ।

Places Where Oil Prospecting was Undertaken

8041. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the names of places where oil prospecting was undertaken during the past five years;

(b) the names of countries which provided cooperation in the above work and the nature of cooperation provided; and

(c) the total expenditure incurred on these efforts and full details in this regard?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b) & (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Cases pending in High Courts

†8042. **Shri Lalji Bhai:**
Dr. Mahadeepak Singh Shakya:
Shri Surendra Jha Suman:

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) number of cases pending in the Supreme Court and High Courts of various States at present; and

(b) the steps being taken by Government for expediting disposal thereof?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) A statement containing the requisite information is attached.

(b) The following steps have been taken to speed up the disposal of cases:—

(i) The Judge strength of Supreme Court has been raised from 13 to 17 with effect from 31st December, 1977, by amending the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. Vacancies existing in the Supreme Court before 31-12-1977 were filled up and the strength of that Court was full on 30-12-1977. The vacancy occuring on 1-1-1978 on the retirement of Justice Goswami has also been filled.

(ii) A substantial number of vacancies in the High Courts have been filled up. Initiative has been taken by the Central Government to call for proposals from the State Authorities/Chief Justices. During the period from 1st April, 1977 to 20th April, 1978, as many as 56 fresh appointments have been made.

(iii) The Judge strengths have also been increased since 1-4-1977 in the High Courts in respect of which proposals were received. This increase has been made in the following High Courts from the dates the posts are filled up:—

Name of the High Court	Increased by	
	Pmt.	Addl.
Allahabad	..	6
Madhya Pradesh	..	6
Karnataka	1	1
Himachal Pradesh	..	1
Patna	..	3
TOTAL	1	17

(iv) The general question of reducing delays has been referred to the Chief Justice of India for working out certain measures/proposals.

(v) Letters have been addressed to the Bar Councils and Bar Associations of various States requesting them for cooperation and also for suggestions for speedy disposal of cases.

(vi) The Law Commission have been requested to suggest suitable measures to tackle the general problem of arrears. They are seized of the matter.

(vii) The Supreme Court, with the approval of the President, has recently amended the Supreme Court Rules to facilitate early disposal of cases in the Supreme Court.

Statement

Cases pending in High Courts

Name of the Courts	No. of cases pending on 31-12-77
Supreme Court of India	18,215
High Courts :	
Allahabad	1,32,749
Andhra Pradesh	15,887
Bombay	52,592
Calcutta	72,448
Delhi	26,587
Gauhati	6,548
Gujarat	11,722
Himachal Pradesh	5,019
Jammu and Kashmir	4,742
Karnataka	36,449
Kerala	42,739
Madhya Pradesh	46,613
Madras	51,763
Orissa	6,042
Patna	29,435
Punjab & Haryana	46,069
Rajasthan	20,558
Sikkim	21

Insanitary conditions at Railway Stations

†8043. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that public lavatories at various railway stations in the country are put to worst insanitary conditions as a result of which people have to face a lot of inconvenience; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Yes, at some stations the sanitary conditions are unsatisfactory. The only two methods to solve the problem would be to—

(i) educate the public; and

(ii) convert the dry type latrines into sanitary self-cleansing ones.

Efforts are being made to tackle the problem on a programmed basis.

विदेशी निर्माता

8044. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बल्क" औषधियां/फार्मुलेशन बनाने वाले विदेशी निर्माताओं और बल्क औषधियां न बनाने वाले विदेशी निर्माताओं के सम्बन्ध में हाथी-समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय में क्या अन्तर है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी साम्य पूंजी का 40 प्रतिशत से कम करने का प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा और साम्य पूंजी कम करने का आदेश देते समय केवल उच्च-प्रौद्योगिकी वाली बल्क औषधियों को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ग) जब प्रत्येक विदेशी कम्पनी द्वारा बनाई जाने वाली बल्क औषधियों की संख्या और मात्रा के बारे में सरकार को जानकारी है तब उच्च प्रौद्योगिकी का प्रश्न उसके साथ क्यों जोड़ा गया और हाथी समिति के प्रतिवेदन के बारे में अस्पष्ट निर्णय लिये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) उन बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार उच्च प्रौद्योगिकी वाली समझती है और तत्सम्बन्धी कारण क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : उच्च प्रौद्योगिकीरहित फार्मुलेशन अथवा प्रपुंज औषधों व दोनों के निर्माण में लगी हुई विदेशी कम्पनियों को तत्काल से अपनी विदेशी साम्यपूंजी को 40 प्रतिशत तक कम करने के निदेश दिये जायेंगे। अन्य विदेशी औषध कम्पनियों के संबंध में, विदेशी साम्यपूंजी में कमी करने की सीमा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शनों तथा अवमिश्रण फार्मूला, जो सभी अन्य उद्योगों को लागू होता है, के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ग) जो हां, विदेशी फर्में, जो प्रपुंज औषध का निर्माण अथवा सूत्रयोग अथवा दोनों का निर्माण बिना उच्च प्रौद्योगिकी के कर रही है को अपनी विदेशी साम्यपूंजी को तत्काल से कम करने संबंधी निर्णय को कार्यान्वियन करने के लिए विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों से संबंध स्थापित करना आवश्यक होगा ।

(घ) उच्च प्रौद्योगिकी वाली प्रपुंज औषधी को स्थापित करने के लिए, एक उच्च-स्तरीय समिति, जिसमें भारत सरकार के सचिव तथा विशेषज्ञ शामिल हैं, हाल ही में गठित की गई है।

सोनपुर से छपरा तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8045. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **रेल** मंत्री समस्तीपुर-लखनऊ मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में बदलने के बारे में 21, मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर से छपरा तक मीटर गेज लाइन को बड़ी ला न में बदलने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सोनपुर और छपरा के बीच बड़ी लाइन पर रेलगाड़ी सेवा कब चालू की जायगी ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत कार्य बाकी रहता है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : बाराबंकी से समस्तीपुर तक के आमान परिवर्तन के कुल काम का 55% काम पूरा हो चुका है। शेष काम को 1980 तक पूरा करने और चालू करने की योजना है क्योंकि योजना को कई चरणों में चालू करने से सीधा यातायात अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो जायेगा ।

पठानकोट-जोगिन्दरनगर लाइन पर यात्रियों को सुविधायें

8046. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन पर दी जाने वाली यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस लाइन पर इन सुविधाओं को देने के लिए प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्दर नगर खण्ड पर यात्री सुविधाओं से सम्बन्धित निम्नलिखित काम रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 1978-79 में शामिल कर लिये गये हैं :--

(i) तलाड़ा में नल से पानी का वितरण तथा ऐहजू में पानी साफ करने की व्यवस्था। दोनों काम पर 0.25 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ii) पालमपुर स्टेशन के प्लेटफार्म के शौचालय की सफाई व्यवस्था, जिस पर 0.15 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सैलून

8047. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को वाणिज्यिक प्रयोजनों से कितने सलून देने का विचार है ;

(ख) उन वाणिज्यिक प्रयोजनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिय ये सेलून उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) वाणिज्यिक प्रयोग के लिये सैलून कब तक दिये जायेंगे; और

(घ) उनसे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ): रेलों पर निरीक्षण यानों सामान्यतया जिन्हें सैलुन कहा जाता है, का उपयोग अधिकारियों द्वारा कार्य निष्पादन के लिए ड्यूटी के समय किया जाता हैं । इनमें से अधिकांश यान लकड़ी के ढाचे सहित 4.6 पहियों वाले सवारी डिब्बे होते हैं, जिन्हे केवल धीमी चलने वाली गाड़ियों के साथ लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसे पर्यटक यान भी हैं जिन्हे जनता की मांग पर आंवटित किया जाता है और दर-सूची की दरों के अनुसार उनका प्रभार लिया जाता है । आमदनी के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

तेल और गैस के लिए समुद्र के अन्दर पाइप लाइन बिछाने के लिए ठेका

8048. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से तेल और गैस सप्लाई करने के लिये समुद्र के अन्दर पाइप लाइन बिछाने हेतू ठेका किस तारीख को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और ठेका किन शर्तों पर दिया गया था ; और

(ग) क्या कोई मानडण्ड अपनाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क), (ख) और (ग) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार के अनुमोदन से बम्बई हाई से उरान तक तेल तथा गैस के परिवहन हेतु समुद्र के अन्दर एक पाइप लाइन बिछाने के लिये 13 सितम्बर, 1977 को मैसर्स ब्राऊन एण्ड रुट को एक 68.44 मिलियन अमरीकी डालर (आकस्मिक व्यय को छोड़कर) का आर्डर दिया था । तकनीकी दृष्टि से जो प्रस्ताव स्वीकार किये जा सकते थे उनमें मैसर्स ब्राउन एण्ड रुट का कोटेशन सबसे कम दाम का था ।

बम्बई हाई तेल भण्डार की तट दूर और तट पर तेल की खोज के बारे में संतुलित दृष्टिकोण

8049. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मुख्यतया बम्बई हाई तेल भंडार की खोज पर ध्यान केन्द्रित किये जाने के कारण तट पर खोज कार्य की उपेक्षा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार तट दूर और तट पर तेल खोज कार्य में संतुलन बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : यह सही नहीं है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भूमि पर अन्वेषण की उपेक्षा करके बम्बई हाई में अन्वेषण

कर रहा है। भूगर्भीय प्राथमिकताओं के आधार पर आयोग ने भूमि पर तथा समुद्र में अन्वेषण के लिए एक संतुलित कार्यक्रम तैयार किया है।

(ग) 1977–78 में कच्चे तेल का लगभग 10.80 मिलियन मीटरी टन का स्वदेशी उत्पादन 1982–83 तक करीब 17.96 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाने की योजना है।

बम्बई हाई में तेल का कुल उत्पादन और उसका मूल्य

8050 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई हाई में 31 मार्च, 1978 तक कुल कितने तेल का उत्पादन हुआ तथा उसका मूल्य कितना है;

(ख) बम्बई हाई परियोजना पर सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) उसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य रेलवे में विद्युतीकरण

8051. **श्री वसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान मध्य रेलवे की जिन रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जायगा उसका ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव वार अनुमोदित ब्यौरा क्या है, कार्यान्वियन के लिए समय सूची तथा अनुमानित लागत आदि क्या है; और

(ख) कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दे दी गयी है और अन्य प्रस्तावों में से प्रत्येक प्रस्ताव के बारे में स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1978–79 के दौरान मध्य रेलवे के किसी खन्ड को विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कोई नहीं। मध्य रेलवे के दिल्ली झांसी खण्ड को विद्युती कृत करने के बारे में विचार किया जा रहा है। योजना आयोग के सुझाव के अनुसार भारतीय रेलों पर डीजल और बिजली कर्षण के सापेक्षिक आर्थिक पहलुओं का पुनर्निधीरण किया जा रहा है और उस आधार पर, विद्युतीकरण का एक दीर्घकालिक का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और दिल्ली–झांसी खण्ड सहित विद्युतीकरण परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जायेगा।

इलाहाबाद में साइकल स्टैंड के लिए ठेका

8052. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1977 में किसी समय डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, इलाहाबाद द्वारा, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड के ठेके के आवंटन के लिए मोहरबन्द टेंडर आमंत्रित किये गये थे;

(ख) उन टेंडरकर्ताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने टेंडर प्रस्तुत किए थे और उन्होंने दो वर्ष के ठेके के लिए कितनी राशि के टेंडर दिए थे ;

(ग) टेंडरकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में टेंडर किस विशेष समय और तारीख को खोले गए थे और दरें उद्धृत की गई थीं और सफल टेंडरकर्ता को किस तारीख से कार्य शुरु करने के लिए कहा गया था ;

(घ) डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, इलाहाबाद द्वारा सफल पार्टी के पक्ष में ठेका देने सम्बन्धी पत्र किस तारीख को जारी किया गया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) निविदाकर्ताओं के नाम और उनके द्वारा दी गयी राशि निम्नलिखित थी :—

1. श्री सीता राम .	रुपये	1,21,000
2. श्री शिव प्रसाद केसरवानी . .	रुपये	1,31,000
3. मैसर्स फ्रेन्डस ट्रेडिंग कारपोरेशन	रुपये	86,555
4. श्री बजनाथ प्रसाद . . .	रुपये	1,21,121
5. मैसर्स फूलपूर सहसों श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड . .	रुपये	1,43,786
6. श्री विश्वनाथ . .	रुपये	1,19,000
7. श्री चिरंजी लाल . .	रुपये	1,05,555.55

(ग) निविदाएं 21–11–77 को 15–00 बजे खोली और पढ़ी गयी । सफल निविदाकर्ता को 1–12–1977 से काम आरम्भ करना था ।

(घ) चूंकि काम कर रहे ठेकेदार ने अदालत से निषेधादेश ले लिया था इसलिए स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जा सका ।

डाक्टरी जांच के आधार पर श्रेणी से अलग किये गये कर्मचारी

8053. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर और अन्य श्रेणियों में 1971 से लेकर 1977 के अन्त तक, वर्षवार डाक्टरी जांच के आधार पर कितने कर्मचारियों को श्रेणी बाह्य किया गया ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को वेतन में 30 प्रतिशत और उससे कम की कमी पर खपाया गया था और कितने कर्मचारियों को वेतन में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी पर खपाया गया था ; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को नहीं खपाया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Grade (B) Guards

8054. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to to state :

(a) the total number of Grade (B) Guards, Zone-wise and Division-wise, who are deputed to run goods trains like coal pilots;

(b) the number of Grade (B) Guards posted on suburban trains; and

(c) the total number of Grade (B) Guards working on suburban trains in Bombay (Central and Western Railways), Calcutta (Eastern and South Eastern Railway), Madras and Delhi?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a), (b) and (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

समयोपरि भत्ते के रूप में खर्च

8055. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74, 1975–76 और 1976–77 में संगचल कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते पर कितनी राशि खर्च की गई और इसी अवधि में माल रेलगाड़ियों की औसत गति क्या रही ; और

(ख) माल रेलगाड़ियों को गति में वृद्धि करने के अतिरिक्त उक्त अवधि में समयोपरि भत्ते को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण रेलवे में बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए छापे

8056. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ने के लिए वर्ष 1977–78 के दौरान दक्षिण रेलवे के रेल कर्मचारियों द्वारा कितने छोपे मारे गये, कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनसे कुल कितनी राशि का जुर्माना वसूल किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : 1–4–1977 से 28–2–1978 के दौरान दक्षिण रेलवे में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध 7,695 विशिष्ट जाच-पड़ताल की गयी थी। 1,30,829 व्यक्ति बिना टिकट या गलत टिकटों के साथ यात्रा करते पकड़े गये थे और उनसे निम्नलिखित राशि वसूल की गयी थी :—

किराया . .	10,28,556 रुपये
अधिप्रभार	13,11,584 रुपये
अदायी जुर्माना . . .	16,981 रुपये

Close of Alaktara Shed of I.O.C. Barauni

8057. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the reasons for closing down Alaktara shed of Indian Oil Corporation of Barauni ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): In view of the demand for Bitumen and its economic viability, a Bitumen Unit of 107,400 tonnes capacity was included in the design of the Bitumen Unit which was designed by the Soviet Experts. The unit was commissioned in 1966. However, during trial run it was found that the product was off-specification and it was established that it was not possible to produce bitumen of the specification envisaged in the Project Report. The matter was taken up with the Soviet Authority in February-March, 1968 and as a result, two stage modifications were recommended by the Soviet experts. After completion of the first stage of modifications, the unit was again put on trial run and different grades of bitumen conforming to the ISI specifications were produced between May-July, 1968. However, when the bitumen was used for actual road service, serious difficulty was experienced by the customers since the product did not act as a binder as it had the tendecy to flow to the sides at application temperature.

The problem was referred to Central Road Research Institute and the position was further reviewed in a meeting attended by Soviet Specialists, CRRI Scientists and the representative of IOC. It was felt that the product was unsuitable for road work in plains but could be used only at an altitude of 4000 to 6000 feet within a temperature of 5 to 35 degree centigrade. It was also decided that the Soviet Specialists would conduct further tests to improve the viscosity of bitumen by further development in technology. It was later found that the improved grade of bitumen could be used in Assam and other hilly areas only. Since the demand of these areas were mostly met by Digboi Refinery, the production of bitumen at Barauni Refinery was not justified.

The position was again reviewed alongwith the scheme of processing of imported crude at Barauni Refinery, but in view of the increased indigenous crude availability from Assam, the idea of producing bitumen was given up.

In view of the factors mentioned above, the Bitumen Unit was not restarted.

Increase in Passengers From Cities Near Delhi

†8058. **Shri Ganga Bhakt Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of daily passengers coming from cities near Delhi is increasing;

(b) if so, whether the present train services are proposed to be increased by Government; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) & (c): Introduction of additional trains is at present operationally not feasible due to lack of line capacity on various sections and of terminal facilities in Delhi area. As and when these are developed additional trains will be put on to carry the growing traffic.

Need for Direct Rail Link of Hardoi District of U. P. and The Neighbouring Districts

†8059. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Hardoi district of Uttar Pradesh has no direct rail link with the neighbouring Khiri Lakhimpur and Farukhabad districts and for reaching Farukhabad one has to go first from Hardoi to Lucknow and then Kanpur and from there to Farukhabad and on the other side one has to go to Shahjahanpur then Barielly and Badayun and from there to Farukhabad via Etah Kasganj and for reaching Lakhimpur one has to go first to Lucknow and then to Sitapur;

(b) if so, the reasons for not providing a direct rail link ;

(c) whether the work relating to laying of direct railway line between Hardoi and Khiri Lakhimpur and between Hardoi and Farukhabad is under considera-tion of the Government; and

(d) if not, the reasons therefor and if so, the time by which the said work will be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) Due to severe constraint of resources and heavy commitments already made it may not be possible to undertake the construction of the proposed rail links at present.

(c) No.

(d) No survey for the proposed direct rail link has been carried out so far and due to severe constraint of resources it is not proposed to undertake the construction of this project at present.

Railway Line from Mallawa to Saudi in U. P.

†8060. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the work of construction of a railway line from Mallawa to Saudi in Hardoi district in Uttar Pradesh which is a busi-ness centre was suddenly stopped years ago ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which Government propose to start this work in future and when it is scheduled to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c): Apparantly, the Hon'ble Member is referring to the restoration of Madhoganj-Auhadpur (Sandi) dismantled line. A final location (Engineering) survey for this restoration has already been carried out. The project is estimated to cost Rs. 2 crores and is not financially viable. Due to severe constraint of resources and heavy commitments already made, it has not been possible so far, to find necessary funds for the restoration of this line.

हाथी समिति के निदेश पद

8061. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति के निदेश पद क्या है, हाथी समिति की सिफारिशों में उन्हें कहां तक पूरा किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक पर सरकार का क्या मत है, दोनों में क्या मतभेद हैं तथा उस मतभेद के क्या कारण हैं ;

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अत्यधिक प्रगति की तुलना में भारतीय और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की प्रगति किस प्रकार करने का विचार है तथा तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों के हित में सरकार सिफारिशों पर पुनर्विचार करेगी तथा उसमें सुधार करेगी यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1974 में गठित हाथी समिति के विचारार्थ विषयों को 29 मार्च, 1978 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में दर्शाया गया है। विचारार्थ विषयों को अधिकांश तौर पर समिति की सिफारिशों में पूरा किया गया है। यद्यपि सरकार के विचारों को उक्त विवरण पत्र में दर्शाया गया है, फिर भी अस्वीकृत अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत सिफारिशों का विवरण 25 अप्रैल, 1978 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर में दिया गया है।

(ख) विभिन्न पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए, जिनके अन्तर्गत अब विदेशी औषध फर्मों के कार्यकलापों को रखा जायेगा, यह आशा की जाती है कि भारतीय और सरकारी क्षेत्र का आगामी कुछ वर्षों में पर्याप्त विकास हो जायेगा।

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा नई औषध नीति की घोषणा केवल 29-3-1978 को की गई है।

लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित औषधियां

8062. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि एक बार लघु क्षेत्र के लिये एक मद का आरक्षण कर दिया जाता है तो उक्त मद के लिये संगठित क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुबन्ध द्वारा परासीटामोल तथा अन्य दुसरे मदों को भारतीय क्षेत्र के लिये लाइसेंस हेतु खुला दिखाया गया हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी औषधियों को सूची की घोषणा करने का है जिन्हें औषध उद्योग क्षेत्र में लघुद्योग के लिये आरक्षित रखा गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 29-3-78 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पत्र के परिशिष्ट में प्रपुंज औषधियों की सूची केवल सूचक मात्र है सूचियां समय समय पर सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित एस एस आई क्षत्रों के लिए आरक्षणों के अधीन होती है। किसी भी परिस्थिति में लाइसेंसिंग कमेटी

(लाइसेंस देनेवाली समिति) एस एस आई क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन के लिए संगठित क्षेत्र का एककों को लाइसेंस देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी ।

हाथी समिति की सिफारिशें और उनकी स्वीकृति

8063. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति की किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, किन सिफारिशों से अंशीक रूप से स्वाकार किया गया है तथा किन्हें बिलकुल स्वीकार नहीं किया गया ; और

(ख) हाथी समिति की प्रत्येक सिफारिश या मतभेद के ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख) हाथी समिति की अस्वीकृत अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत सिफारिशों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण पत्र संलग्न है । नई औषध नीति के संबंध में 29 मार्च, 1978 को लोक सभा में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ हाथी समिति की स्वीकृत सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को भी दर्शाया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2187/78**]

"ट्रोम्बे" फोर में उत्पादन

8064. **श्री प्रसन्नभाई महता :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया के सबसे बड़े नाइट्रिक ऐसिड संयंत्र में जिसका नाम ट्राम्बे फोर रखा गया है मार्च, 1978 में उत्पादन आरम्भ हो गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र में चालू वर्ष के दौरान दो लाख मीट्रिक टन नाइट्रोफोस्फेट उर्वरक का उत्पादन होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ट्राम्बे "फोर फाइव" को भी 1980 में चालू करने की स्थिति में है; और

(घ) "ट्राम्बे फोर" पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा "ट्राम्बे फाइव" पर कितनी राशि खर्च होगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : ट्राम्बे– 4 का नीट्रिक एसिड संयंत्र प्रतिदिन 750 मी० टन के उत्पादन की क्षमता से अप्रैल, 1978 को आरम्भ किया गया था । ट्राम्बे-4 जिसकी प्रति वर्ष 361,000 मी०टन नीट्रो फास्फेट के उत्पादन की क्षमता है उसको वर्तमान वर्ष के दौरान 1, 46,000 मी० टन नीट्रो-फास्फेट के उत्पादन की आशा है ।

रेल दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन

8065. **श्री प्रसन्न भाई महता :**

श्री गंगा भक्त सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में हुई रेल दुर्घटनाओं के संबंध में सभी जांच प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिवेदन अभी प्राप्त होने बाकी है ;

(ग) क्या अधिकांश रेल दुर्घटनाओं का कारण खराब रेल मार्ग और उपकरणों का काम न करना था ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को उन रेल दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं जो 1 जनवरी 1978 से मार्च 1978 तक को अवधि में हुई थीं; और

(च) क्या सरकार ने अब तक प्राप्त सभी जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): जनवरी, 1977 से दिसम्बर 1977 तक को अवधि में 837 गाड़ी दुर्घटनाओं के मामलों, जो टक्कर, पटरी से उतरने, समपार दुर्घटना और गाड़ी में आग लगने की कोटियों में आते हैं, में से अभी तक 822 मामलों को जांच रिपोर्टें मिली हैं। शेष 15 मामलों को जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, उपस्कर और रेल लाइन की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कर्मचारियों को नियम भंग न करने कार्य लाघव पद्धति न अपनाने के परामर्श के अलावा गाड़ियों की जांच, और माल और सवारी डिब्बों की डिपुओं पर जांच, करने के काम को तेज कर दिया गया है। रेल लाइन के उचित रख-रखाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहिये धुरे और रेल पथ की खराबियों का पता लगाने वाले यंत्र "अल्ट्रासोनिक फ्ला-डिटक्टर" की व्यवस्था करने में भी प्रगति हो रही है।

(ङ) और (च) : जनवरी, 78 से मार्च, 78 के दौरान टक्कर, पटरी से उतरने, समपार दुर्घटना और गाड़ी में आग लगने की कोटियों में हुई 204 दुर्घटनाओं में से अभी तक 126 मामलों की जांच रिपोर्टें मिली हैं। इनमें से अधिकतर जांच रिपोर्टों पर उचित कार्यवाही पहले से ही शुरु कर दी गयी है।

"इन्टरमोडियेट्स" को मूल्य नियंत्रण की सीमा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

8066. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि "इन्टरमोडियेटस" को विदेशी कम्पनियों को भी देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का सभी इन्टरमीडियेट्स को मूल्य नियंत्रण की सीमा के अन्तर्गत लाने का विचार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो औषध इन्टरमीडियेट्स पर कोई मूल्य नियंत्रण न होने पर उन बुल्क औषधियों के, जिनमें इन्टरमीडियेटस का उपयोग होता है ऊंचे मूल्यों को किस प्रकार रोका जा सकता है ; उदाहरणों के साथ उसके क्या विस्तृत कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अधिक प्रौद्योगिकी युक्त प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिये विदेशी कम्पनियों को मूल स्तर से औषध मध्यवर्ती पदार्थों का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे।

(ख) और (ग) : अभी तक देश में उत्पादित औषध मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के परिणाम स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्य निर्धारित किये जायें ; और (ख) निम्नलिखित आठ औषध मध्यवर्ती पदार्थों को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाय:—

(i) मेटा अमिनो फिनोल ।

(ii) पारा निट्रो क्लोरोबेंजोन

(iii) पिकोलाइन

(iv) पारा निट्रो बैंजोइक एसिड

(v) मेथाइल इमीडाजोल

(vi) डैक्सट्रोज

(vii) एसिटेनीलाइड ; और

(viii) एथीलीन ओक्साइड

यह आशा है कि कुछ औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर मूल्य पर नियंत्रण लागू करने से अनिवार्य प्रपुंज औषधों क उत्पादन के लिये अपेक्षित महत्वपूर्ण मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी ।

उपरोक्त भाग (ख) के अन्तर्गत दी गई मदों को सूची में आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा समय समय पर संशोधन किया जा सकता है ।

औषध उद्योग के सम्बन्ध में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के साथ पंजीकरण की योजना को समाप्त करना

8067. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध उद्योग के बारे में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के साथ पंजीकरण की योजना को समाप्त करने के पीछ जबरदस्त कारण क्या हैं और केवल उसी उद्योगों के साथ ऐसा क्यों किया गया है ; और

(ख) जब कि केवल भारतीय कम्पनीयां ही उक्त पंजीकरण करा सकती है तो योजना को वापस किस कारण से लिया जा रहा है और उक्त कार्रवाई के विस्तृत कारण क्या है ;

(ग) हाथी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों से आगे जाकर उस से सुधार भारतीय औषध उद्योग को किस प्रकार लाभ होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : (1) अन्य बातों के साथ साथ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न लाईसेन्स देने वाली प्राधिकारों जैसे औद्योगिक लाईसेन्स, सी ओ बी लाईसेन्स अनुज्ञा पत्र, पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि के अन्तर्गत पहले जारी किये गये सभी लाइसेंसो के स्थान पर प्रत्येक कम्पनी को एक इकठ्ठा लाईसेंस जारी किया जायेगा ।

(2) भारतीय औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों को फार्मूलेशन के कार्य कलापों को अपने प्रपुंज औषध उत्पादन के 10 गुणा मूल्य तक प्रतिबन्धित करना तथा (3) स्वदेशी निर्मित प्रपुंज औषध के उपभोग को प्रोत्साहन देने तथा आयातित सरणोबद्ध प्रपुंज औषधों के उपयोग भी को प्रतिबन्ध करने के लिए, भारतीय औषध एककों को अपने सूत्रयोग कार्यकलापों का आधार इस प्रकार से बनायें कि स्वदेशी प्रपुंज औषधों तथा आयातित सरणोबद्ध प्रपुंज औषधों के बीच उपभोग का अनुपात 2 : 1 हो।

औषध उद्योग में लाईसेंस देने पर निर्णयों के सम्पूर्ण सारांश को कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी एकके जो अभी तक डी०जी०टी०डी० के पंजीकरण से काम कर रही हैं को औद्योगिक लाइसेंस लेना होगा तथा जहां तक औषध उद्योग का संबंध है, पंजीकरण योजना समाप्त हो जायगी ।

(ग) अभी, अधिक भिन्न भिन्न प्राधिकारों तथा लाइसेंसों, जिनके अन्तर्गत औषध उद्योग काम कर रहा है को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन और कार्यनिष्पादन में वृद्धि करना तथा अगर कोई अधिक उत्पादन हो रहा हो का शीघ्र मूल्यांकन करना संभव नहीं है। कंसालोडेटिड लाइसेंसों पर नई नीति ऐसी स्थिति में सुधार लायेगी ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा अन्य विनियमनों का उल्लंघन

8068. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री विदेशी औषध फर्मों द्वारा आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा अन्य विनियमनों का उल्लंघन के बारे में 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने आई (डी० एण्ड आर०), अधिनियमन आयात/निर्यात विनियमनों, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया है इसके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) हाथी समिति ने किन गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम की सिफारिश की है ऐसी फर्मों के नाम, दवाओं का मदवार उत्पादन, उनका विक्रय मूल्य और उसके कारण परिसम्पत्ति बनाने के प्रभाव क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने अथवा उनकी निर्भसस्ना करने का है यदि हां, तो किन नियमों, अधिनियमों तथा विनियमनों के प्रावधानों के अन्तर्गत और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों द्वारा अनिवार्य पदार्थ अधिनियम और आई (डी०एण्ड आर०) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित फेरा आयात और निर्यात विनियमन, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की व्यवस्थाओं के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कोई अलग अध्ययन नहीं किया गया है ।

फेरा और आयात और निर्यात विनियमन की व्यवस्थाओं के उल्लंघन पर क्रमश: वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रोक लगाई जाती है।

आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की व्यवस्थाओं के उलंघन के बारे में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती है तो उन पर इस मंत्रालय में ध्यान दिया जाता है।

माननीय सदस्य द्वारा सद्यधीन विवरण पत्र में पैरा 37 के शर्तें में सभी औषध फर्मों को समाहित औद्योगिक लाइसेंस देने के समय अब नई औषध नीति के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई से सरकार ऐसे फर्मों द्वारा आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के मामलों के पहचान सकेगी। नई नीति में निहित निर्णयों के अनुसार सभी ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी। नई नीति के अन्तर्गत यदि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उल्लंघन का कोई मामला मूल्यों की जांच के दौरान सरकार के ध्यान में आयेगा तो ऐसे उल्लंघनों के बारे में उचित कार्यवाही की जाएगी।

(ख) और (ग) : हाथी समिति का अधिक तर यह विचार था कि आई (डी० एण्ड आर०) की शर्तों में अनुमति पत्रों को कोई कानूनी समर्थन नहीं है और सी ओ बी लाइसेंस बिना किसी जांच के कि क्या कम्पनियों द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए है अथवा नहीं, जारी किए गए थे। तथापि अब तक कानूनी विचार यह है कि अनुमति पत्र सरकार के वैध प्राधिकरण हैं।

ऐसे अनुमति पत्रों और सी आई बी लाइसेंसों का नियमन किस प्रकार होने चाहिए और उसके अन्तर्गत उत्पादन क्षमताओं के नियमन की हाथी सामिति द्वारा सिफारिश की गई है। हाथी समिति की इन सिफारिशों पर सरकार के निर्णय माननीय सदस्य द्वारा सद्यधीन विवरण पत्र में दर्शाए गए है। उसके पैरा 27.3 में नियमन की पद्धति निर्धारित की गई है। उससे यह भी उल्लिखित है कि यहां कम्पनियों ने लाइसेंस कृत क्षमता से अधिक विस्तार किया है अथवा विशेष औद्योगिक लाइसेंस से संलग्न शर्तों अथवा उनको मंजूर किए हुए अन्य प्राधिकार अथवा किसी अन्य नियम के उल्लंघन की कोई कार्रवाई की है चाहे 1973-74 की अवधि के दौरान है अथवा उससे पहले है तो उनके विरुद्ध कारवाई जैसी ही की जाएगी जैसे कि उद्योग के अन्य क्षेत्रों में सभी कम्पनियों पर लागू है जिन्होंने वैसा ही उल्लंघन किया है।

Action against Police Constables for Travelling without Ticket

†8069. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4531 on 23rd March, 1978 regarding Ticketless travelling by certain Jawans of U.P. Police and state :

(a) the action taken on the Department's correspondence with the U.P. Police indicating where the constables are posted and the action taken by the U.P. Police in this regard;

(b) whether he is aware that constables and inspectors of U.P. Police travel without ticket in first class particularly in passenger trains; and

(c) if so, the action being taken to check it?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The matter is still under correspondence with the Government of Uttar Pradesh.

(b) & (c): A few cases have come to the notice of the railway administration and the same have been reported to the concerned police authorities. The cases of irregular travel by police personnel when detected are brought to the notice of police authorities for suitable action.

Number of Books Language-wise in Library of Ministry

8070. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and fertilizers** be pleased to state :

(a) the total number of books in the library in his Ministry/Department, language-wise;

(b) the amount spent on the purchase of English and Hindi books, separately for the library during the last two years;

(c) the names of newspapers, magazines etc. purchased for this library at present and the names of Hindi newspapers and magazines among them; and

(d) whether any scheme has been formulated to increase the number of Hindi books and newspapers, magazines etc., in the library and if so, the details thereof?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 14,500 books in English language and 500 books in Hindi language.

(b) Rs. 37,842.64 were spent in the year 1976-77 and Rs. 17,849.28 were spent in the year 1977-78 on the purchase of books in English language. No purchases of books in Hindi language were made during these years. Rs. 1,683.00 was spent in 1977-78 on the purchase of help-books for Hindi in 1977-78 :

(c) A list is attached.

(d) No, Sir. Suggestions from employees for the purchase of journal and books for the library are given due consideration.

Statement

Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers

List of Magazines/Newspapers etc. Subscribed by its Library

1. American Association of Petroleum Geologists Bulletin.
2. Blitz.
3. Chartered Accountant.
4. Chemical Age.
5. Chemical Engineering World.
6. Chemical Industry News.
7. Chemical Marketing Reporter.
8. Chemical Technology.
9. Chemical Week
10. Chemical Weekly.
11. Commerce.
12. Eastern Economist.
13. Economic & Political weekly.
14. Economist.
15. Employment News.
16. Earvard Business Review.
17. European Chemical News.
18. Hydrocarbon Processing.
19. Illustrated Weekly of India.
20. India Today.
21. Indian Drugs & Pharmaceuticals Industry.
22. Management Accountant.
23. Management in Government.
24. Middle East Economic Survey.
25. Natural Resources Forum.
26. New Statesman.
27. Newman's Indian Bradshaw.
28. Newsweek.
29. Offshore.
30. Oil & Gas Journal.
31. Petroleum Economist.
32. Petroleum Engineer.

Statement—Contd.

33. Petroleum Intelligence Weekly.
34. Petroleum News—Southeast Asia.
35. Petroleum Review.
36. Pesticides.
37. Phosphorus and Potassium.
38. Platt's Oilgram News Service.
39. Platt's Oilgram Price Service.
40. Quarterly Economic Services. Oil in Latin America & the Caribbean.
41. Quarterly Economic Service. Oil in the Far East & the Australasia.
42. Quarterly Economic Service: Oil in the Middle East
43. Quarterly Economic Service: Oil in Western Europe.
44. Reader's Digest.
45. Sulphur.
46. Sunday.
47. Time.
48. World Oil.

NEWSPAPERS :

49. Economic Times.
50. Financial Express.
51. Hindustan Times.
52. Indian Express.
53. Statesman.
54. Times of India.

List of Hindi Magazines/Newspapers which are subscribed by the Library.

1. Dharamyug.
2. Saptahik Hindustan.
3. Kadambiri.
4. Sarita.
5. Navbharat Times.

Number of Hindi Typists and Stenographers in Ministry

8071. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total number of trained Hindi typists and Hindi Stenographers, separately in the Ministry/Department at present;

(b) the number of typists and stenographers among them whose services are being fully utilised for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising the services of rest of such typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for their utilisation and if so, the details thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The total number of trained Hindi typists and Hindi Stenographers in the Ministry is 18 and 13, respectively.

(b) & (c) : The services of 5 Hindi typists and 5 Hindi stenographers are fully utilised for Hindi work. The services of the remaining Hindi typists and stenographers are utilised as and when necessary.

(d) No, Sir, The utilisation of such persons for Hindi work will increase with the progressive use of Hindi in official work.

मैसर्स फाइजर लिमिटेड द्वारा ऑक्सीटेट्रासाईक्लीन का उत्पादन

8072. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओक्सीटेट्रासाईक्लीन के उत्पादन के लिए मैसर्स ाईजर लिमिटेड का लाइसेंस क्षमता क्या है और उनका गत तीन वर्षों में, वर्षवार, वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) उक्त अवधि में असम्बद्ध निर्माताओं को कितनी मात्रा में औक्सोटेट्रासाईक्लोन उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उक्त अवधि में उनका औक्सोटट्रासाईक्लोन पर आधारित औषधियों का उत्पादन कितना था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :(क) औक्सीटैट्रासाईक्लीन के निर्माण के लिये मैसर्स फाईजर लि० को लाईसेंस शुदा क्षमता 9 टन प्रतिवर्ष है। उन्होने गत तीन वर्षों के दौरान इस औषध का वास्तविक उत्पादन निम्नप्रकार किया :--

वर्ष	उत्पादन टनों में
1974	36.06
1975	41.74
1976	42.27

(ख) उन्होंने उक्त अवधि के दौरान गैर संबद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को औक्सीटैट्रासाईक्लीन की कोई मात्रा उपलब्ध नहीं करायी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के निदेशक बोर्ड का गठन

8973 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, ब्रम्बई के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या है और इस कम्पनी के बोर्ड में इस समय कितने विदेशी निदेशकों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) इस कम्पनी में बड़े शेयरधारियों के शेयरों का मूल्य तथा प्रतिशत क्या है और 500 अथवा और उससे अधिक ईक्विटी शेयर रखने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी में शेयर रखने वाले विदेशियों, विदेशी कम्पनियों फर्मों त । व्यक्तियो की संख्या कितनी है और कम्पनी को कुल अंशदत्त एवम् प्रदत्त पूंजी में उनके शेयरों का प्रतिशत कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हिन्दुस्तान लीवर के निदेशक मंडल की संरचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है। (अनुलग्नक 1) । उनमें से दो विदेशी है।

(ख) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी के 95,000 शेयरधारी हैं। वे शेयरधारी जो 500 या अधिक साम्य शेयर रखते हैं उनकी संख्या 600 की लगभग है। और इस प्रकार के शेयरधारियो की सम्पूर्ण सूची देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि उन शेयरधारियों की सूची जिसमें प्रत्येक 1 लाख रु० की अपेक्षा अधिक के शेयर रखते हैं संलग्न विवरण पत्र (अनुलग्नक 2) में दी जाती है।

(ग) कम्पनी के प्रमुख शेयरधारियों में विदेशी धारक कम्पनी नामशः मैसर्स यूनिलोवर लिमिटेड यू० के० कुल साम्यता पूंजी का 70.39 प्रतिशत धारण करती है। इसमें अतिरिक्त, तीन वैक्तिक विदेशी जिसमें प्रत्येक कुछ सौ शेयर धारण करते हैं।

विवरण I

क्रम संख्या	31-12-1977 को निदेशकों के नाम
1	श्री टी० थामस, अध्यक्ष*
*2	श्री ई० एच० शिम्सिन, उपाध्यक्ष
3	श्री आर० बनर्जी
4	श्री एच० सी० बीजावत
5	श्री जे० सी० चोपड़ा
6	श्री एस० एम० दत्ता
7	श्री ए० एस० गंगुली
8	श्री एस० एच० गुरसाहनी
*9	श्री जे० पी० लुटसी
10	श्री जे० एस० राज

*विदेशी

विवरण II

मुख्य शेअरधारी (1 लाख रु० की अपेक्षा अधिक मूल्य के शेयर धारण करना)

	रु० में राशि	प्रतिशत
1. यूनिलीवर लिमिटेड, यू० के० . .	14,33,48,500	70.39
2. एल० आई० सी०	16,67,530	00.82
3. यू० टी० आई०	40,82,640	2.00
4. जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया . .	2,25,930	0.11
5. बैंक आफ इण्डिया	1,80,210	00.09
6. दि कलकत्ता हौस एण्ड नूर होम बेनिफिट्स एसोसियेशन लिमिटेड	1,69,510	0.083
7. इण्डस्ट्रियल इन्वेसटमेंट ट्रस्ट लिमिटेड . .	3,61,180	0.18
8. ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड	10,35,660	00.51
9. यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड	7,95,590	00.39
10. न्यू इण्डिया ऐसोरेंस कम्पनी लिमिटेड	8,94,890	0.44
11. नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी मिमिटेड	3,26,550	0.16
12. रुबी जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड . .	1,59,270	00.078
13. नेशनल ऐसोरेंस कम्पनी लिमिटेड . .	1,23,460	00.061

दुमंजिले रेल-डिब्बों का चलाया जाना

8074. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ यातायात लाइनों पर दुमंजिले रेल-डिब्बे चलाये है ;

(ख) यदि हां, तो उन यातायात लाइनों का ब्यौरा क्या है और इन दुमंजिले रेल-डिब्बों का अनुमानतः कितने यात्री लाभ उठायेंगे;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने मार्गों पर यही पद्धति लागू की जायगी और इन रेल डिब्बों पर कितनी लागत आयेगी; और सवारी डिब्बो की वर्तमान प्रणाली की तुलना में इन डिब्बों से कितना राजस्व प्राप्त होगा ;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इससे कार्य-व्यय में वृद्धि नहीं होगी तथा दुर्घटनायें भी नहीं बढ़ंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : 309/310 बम्बई-पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस में 9 दुमंजिले सवारी डिब्बे, 12-4-78 से चलाये जा रहे हैं। साधारण दूसरे दर्जे में 90 यात्रियों के स्थान की तुलना में 148 यात्रियों के स्थान के लिए अभिकल्पित इन दुमंजिले सवारी डिब्बों में 60% अधिक यात्री ले जाये जायेंगे और इस प्रकार कम दूरी के भारी यातायात को सम्हालने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक दुमंजिले सवारी डिब्बे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 8.5 लाख रुपए है। कम दूरी के मार्गों पर उपयोग करने के लिए, 24 दुमंजिले सवारी डिब्बों के निर्माण की व्यवथा 1978-79 के चल-स्टाक कार्यक्रम में की गयी है। हर एक गाड़ी से प्राप्त आमदनी के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते।

(घ) जी हां।

(ङ) दुमंजिले सवारी डिब्बे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ द्वारा अभिकल्पित किये गये है और आवश्यक परीक्षण के पश्चात् उन्हें उपयोग के लिए सुरक्षित पाया गया है।

Etah-Tundla Branch Line

†8075. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Etah-Tundla branch line is running in loss continuously; and

(b) if not, the revenue earned therefrom during the last three years and the steps being taken by Government for its further development?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. The branch line is Etah to Barhan (a station close to Tundla).

(b) Does not arise.

Conversion of M. G. Line into B. G.

†8076. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Ministry has recommended to the Railway Commission the conversion of many metre gauge lines into broad guage lines;

(b) if so, the number of such lines; and

(c) the reasons for not recommending conversion of Agra-Lucknow metre gauge line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c): In the Budget for 1978-79 gauge conversion of Barauni-Katihar line has been included. Thirteen gauge conversion projects are at present in progress. Due to severe constraint on resources it has not been possible to accommodate any other new gauge conversion scheme.

बम्बई हाई की गैस को महाराष्ट्र और गुजरात को सप्लाई

8077. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई हाई में उत्पादित गैस को महाराष्ट्र और गुजरात को सप्लाई के बारे में कार्यक्रम और परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) पाइप लाइनों के निर्माण का उक्त निर्णय किस आधार पर किया गया था ; और

(घ) उस संबंध में अब तक कितनी धन राशि खर्च की जा चुकी है तथा कितनी खर्च होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : बम्बई हाई की अपतटीय गैस की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए एक गुजरात के लिए और दूसरा महाराष्ट्र के लिए—बसीन उत्तर और बसीन दक्षिण नामक दो कार्यकारी दलों का गठन किया गया था। इन कार्यकारी दलों ने हाल ही में अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और उन पर अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ): बड़ी सावधानी से विचार विमर्श करने के पश्चात् सभी तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर विचार करते हुए, जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि बम्बई हाई और उत्तर बसीन कच्चे तेल तथा संबद्ध गैस को लाने ले जाने हेतु पाइप लाइनों के अत्यधिक कारगर समुद्रतट और उपयुक्त पंक्ति बंधन बरास्ता बसीन और उरान से बम्बई सही रहेगा। यह भी निर्णय ले लिया गया है कि दक्षिण बसीन से गुजरात तक एक अन्य गैस पाइपलाइन होगी, जिसे रास्ते में बम्बई हाई से आने वाली संबद्ध गैस पाइप लाइन के साथ आन्तरिक रूप से जोड़ दिया जायेगा, ताकि दोनों दिशाओं से संबद्ध और असंबद्ध दोनों प्रकार की गैस को आवश्यकतानुसार विनियमित किया जा सके। बम्बई हाई से ट्रम्बे तक बरास्ता उरान तक गैस पाइप लाइन के बिछाये जाने की अनुमानित लागत लगभग 77.85 करोड़ रुपये है। अब तक की वास्तविक लागत से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अहमदाबाद तथा मद्रास के बीच सीधी रेलगाड़ी

8078. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अहमदाबाद तथा मद्रास के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके नाम, गति तथा मार्ग संबंधी पुरे तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इसी मार्ग पर और अधिक गाड़ियां चलाने का है, यदि हां, तो कब;

(घ) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के उन लोगों के लिये आंध्र प्रदेश के स्थानों के कुछ डिब्बे जोड़नें का हैं जो अहमदाबाद तथा गुजरात में रहते हैं; यदि हां, तो कैसे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी हां : रायचूर, दौंड, मनमाड, जलगाव और सूरत से होकर सप्ताह में एक बार चलने वाली 145/146 अहमदाबाद-मद्रास नवजीवन एक्सप्रेस को 6-4-78 से आरम्भ किया गया है। अप दिशा में 50 कि०मी० प्रतिघंटा और डाउन दिशा में 49 कि०मी० प्रतिघंटा की औसत रफ्तार से चलने वाली इस गाड़ी में केवल दूसरें दर्ज के डिब्बे होते हैं। गाड़ी के उपयोग की स्थिति को देखते हुए इस के फेरे बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। मार्ग में सवारी डिब्बों को लगाने/हटाने से गाड़ी का चालन समय बढ जायेगा और लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी।

अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल गाड़ी

8079. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अहमदाबाद से उदयपुर तक एक रेल गाड़ी चलाई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब कब चलती है तथा उसकी गति कितनी है ;

(ग) क्या इस गाड़ी के गुजरात में कुछ स्टेशनों पर ठहरने के बारे में संगठनों और/अथवा आम लोगों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद-हिम्मतनगर खंड पर 65 कि० मी० प्रतिघंटा और हिम्मतनगर-उदयपुर सिटी खंड पर 40 कि० मी० प्रतिघंटा की अधिकतम अनुज्ञेय रफ्तार से चलने वाली यह एक दैनिक गाड़ी है।

(ग) और (घ) : तालोड स्टेशन पर इस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकार कर लिया गया। जयसमन्द रोड स्टेशन पर ठहराव के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

व्यक्तियों के नामों पर रेलवे स्टेशनों के नाम

8080. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई ऐसे छोटे अथवा बड़े रेल स्टेशन हैं जिनके नाम किन्हीं पिछले अथवा वर्तमान व्यक्तियो और नेताओं के नाम पर रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) नये स्टेशनों के नाम, सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश और भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय रेल सम्मेलन के परामर्श से रखे जाते हैं । वर्तमान स्टेशन के नाम में कोई परिवर्तन सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति से किया जाता है । एक सूची संलग्न है जिसमें व्यक्तियों के नाम पर रखे गये कुछ स्टेशनों के नाम दिये गये हैं ।

विवरण

रेलवे	स्टेशन के नाम
मध्य	बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस
	सैंडहर्स्ट रोड
	रे रोड
	गांधी स्मारक
	बिड़ला नगर
	टिकेकरवाडी
	गुरु तेग बहादुर नगर
	शिवाजी नगर
पूर्व	अनुग्रह नारायण रोड
	बाघा जतीन
	बंकिम नगर हाल्ट
	चितरंजन
	गुरुदास नगर
	राजेन्द्र पुल हाल्ट
	सुभाष ग्राम
	तारक नगर हाल्ट
	विद्या सागर
	दालमिया नगर
	बेलानगर
उत्तर . . .	दलपतसिंहपुर
	गर्जसिंहपुर
	हज़रत निजामुद्दीन
	कटारसिंह वाला

विवरण—जारी

रेलवे	स्टेशन के नाम
उत्तर (जारी)	केसरी सिंह पुर
	लाजपत नगर
	पृथ्वी राजपुर
	रघुराज सिंह
	रामदास
	रोमाना अलबेल सिंह
	शैतानसिंह नगर
	श्री गंगानगर
	श्री कर्णपुर
	श्री विजयनगर
	श्री डूंगरगढ़
	सुरतगढ़
	रायसिंह नगर
	चाणक्यपुरी हाल्ट
	तिलक ब्रिज
	गियानी जैलसिंह संधवा
	सरदार पटल रोड हाल्ट
	मेघराजपुर हाल्ट
	मोदी नगर
	मुराद नगर
	मिंटो ब्रिज
पूर्वोत्तर-सीमा	नगेन्द्र नगर
पूर्वोत्तर	जसोदा
	सिकंदरा राऊ
	आइजट नगर
	गोकुल नगर
	हलधरपुर
	यादवेन्द्र नगर
	अहल्यापुर
	गोपालगंज
	पंतनगर
	रामनगर
	कस्तूरी
	करवलगंज
	रफीनगर
	रावतपुर
	भीखमपुर

विवरण—जारी

रेलवे	स्टेशन के नाम
पूर्वोत्तर (जारी) . . .	सीतापुर
	कावापुर
	बक्शीतालाब
	मुहोबुल्लापुर
	सुन्धियामऊ
	शंकरपुर हाल्ट
	गोरखपुर कैन्ट
	गोरखपुर सिटी हाल्ट
	गोरखपुर जंक्शन
	खलीलाबाद
	गोविन्दनगर
	लखपतनगर
	मनीराम
	पोपीगंज
	कम्पियरगंज
	ब्रिजमनगंज
	शोहरतगढ़
	त्रिलोकपुर हाल्ट
	बलरामपुर
	शुभागपुर
	भगीरथपुर हाल्ट
	विशेश्वरगंज
	लार रोड
	गोविन्दपुर दुगौली हाल्ट
	खलगंज
	खेलगंज घाट
	करीमुद्दीनपुर
	युसुफपुर
	नन्दगंज
	माधोसिंह जं०
	दारागंज
	रामदयालू नगर
	भगवानपुर
	विद्यापति नगर
	परमानन्दपुर
	वाड़ागोपाल
	नारायणपुर अनन्त

विवरण—जारी

रेलवे	स्टेशन के नाम
पूर्वोत्तर (जारी) . .	किशनपुर
	रामभद्रपुर
	चंडेश्वर स्थान हाल्ट
	वाचस्पति नगर
	सीतामढ़ी
	जयमूर्तिनगर हाल्ट
	देसुवा भगवानपुर
	हसनपुर रोड
	हरीनगर
	वाल्मीकी नगर रोड
	उमेशनगर
	महादेवपुर घाट
	बैजनाथपुर अन्दोली हाल्ट
	नारायणपुर मुरली हाल्ट
	बैजनाथपुर
	रघवंश नगर
	बिहारी गंज
	नरपतगंज
	ललितग्राम
	प्रतापगंज
	रघुपुर
	रामबिशनपुर हाल्ट
	देवराहा बाबा रोड हाल्ट
	सराय जगदीश हाल्ट
	सरदार नगर
	राज नारायणपुर
	शाहजहांपुर
	जीरादेई
	स्वामीनारायण छापिया
	सलीमपुर
	रामनाथपुर
दक्षिण .	वल्लटोल नगर
दक्षिण मध्य .	हैदराबाद
	महबूब नगर
	सिकन्दराबाद
दक्षिण पूर्व	टाटा नगर

विवरण—समाप्त

रलवे	स्टेशन के नाम
पश्चिम	ग्रांट रोड
	एलफिस्टन रोड
	बीलीमोरा जं०
	गनपत पुरा
	विक्रम नगर
	लक्ष्मीबाई नगर
	राजेन्द्र नगर
	लोकमान्य नगर
	फतेसिहपुरा
	गांधीनगर
	नाजमपुर
	गोविन्दगढ़ मलिकपुर
	लक्ष्मणगढ़ सीकर
	रसीदपुरा खोरी
	गांधी धाम
	राणाप्रताप नगर
	चामराज
	सरदारग्राम
	गांधीग्राम
	विक्टर
	गांधी नगर राजधानी
	माहीनगर
	अहमदाबाद
	वल्लभविद्यानगर
	भूपाल सागर
	फतेहनगर
	फत्तेहपुर सेखावाटी
	सवाई माधोपुर
	जयपुर
	उदयपुर

गौरेपुर पटसन मिल के स्वामित्व में परिवर्तन

8081. **श्री सौगत राय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौरेपुर कम्पनी (गौरेपुर पटसन मिल) के स्वामित्व में हाल ही में परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कम्पनी कानून बोर्ड की सहमति अपेक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : मैसर्स मैकनील एण्ड मेगोर लिमिटेड, जिसके संबंध में हाल ही में सूचित किया गया है कि वह मैसर्स गोरेपुर कम्पनी लिमिटेड की कुल प्रदत्त साम्य पूंजी का कुल 50.35 % प्रतिनिधित्व करते हुए 2,41,700 साम्य शेयर धारण कर रही है और कम्पनी अधिनियम की धारा 108 ख के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को इन शेयरधारणों की श्री महावीर प्रसाद पोद्दार, 4 फेयरली प्लेस, कलकत्ता को हस्तांतरण की सूचना दी है। कम्पनी अधिनियम की धारा 108 क के अन्तर्गत श्री महावीर प्रसाद पोद्दार से भी मैसर्स मैकनिल एण्ड मेगोर लिमिटेड से शेयरों को खरीदने के प्रस्ताव के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भी आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सूचना आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

सुविधा टिकट आदेश का दुरूपयोग

8032. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेल कर्मचारी सुविधा टिकट आदेश की अपनी सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सरकार को जानकारी मिली ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फरीदाबाद तथा फरीदाबाद एन० आई० टी० (सी० आर०) के बीच रेल पुल

8083. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय फरीदाबाद तथा फरीदाबाद एन० आई० टी० (सी० आर०) के बीच एक नया रेलपुल निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब पुरा होगा ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा और उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा इस निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। लेकिन फरीदाबाद में कि० मी० 1507/6 (नीलम चौक के पास) पर समपार सं० 577/बी के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण इस समय चल रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता। लेकिन सड़क ऊपरी पुल पर कार्य-निष्पादन और खर्च मध्य रेलवे और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अभी तक लगभग 8 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। लागत में रेलवे का 3.17 लाख रुपये और राज्य सरकार का 17.34 लाख

रुपये का हिस्सा है। रेल पथों पर पुल के निर्माण के लिए मध्य रेलवे जिम्मेवार है जब कि पहुंच मार्गों के निर्माण का दायित्व राज्य सरकार का है। इस समय लगभग 38 प्रतिशत काम हो चुका है और आशा है कि दिसम्बर, 1978 के अंत तक यह काम पूरा हो जायेगा।

Punishment to Ticketless Passengers

†8084. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of ticketless passengers in 1977 and 1978 so far;

(b) the total amount of fine realised from ticketless passengers and the number of such passengers imprisoned on their non-payment of the amount of fine; and

(c) the action taken to check student goondaism and ticketless travel; and

(d) the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b): The number of persons detected travelling without tickets or with improper tickets, amount of railway dues realised from them, number of persons prosecuted, number of persons sent to jail and the amount of judicial fine realised during the years 1977 (1-1-1977 to 31-12-1977) and 1978 (1-1-1978 to 28-2-1978) are as under:—

	1-1-1977 to 31-12-1977	1-1-1978 to 28-2-1978
1. No. of persons detected travelling without tickets or with improper tickets	23,17,857	3,60,912
2. Amount of railway dues realised :		
(a) Fare	Rs. 1,16,13,231	Rs. 17,79,180
(b) Excess charge	Rs. 1,86,47,428	Rs. 29,07,387
3. No. of persons prosecuted	3,50,297	53,179
4. No. of persons sent to jail	2,51,461	37,311
5. Amount of judicial fine realised	Rs. 16,54,787	Rs. 2,17,252

(c) & (d) : The following steps are taken to check ticketless travel and contain activities of anti-social elements :—

(1) Special massive checks against ticketless travel are being conducted by mobilising a large force of ticket checking staff, Railway Protection Force, Government Railway Police and local police personnel under supervision of senior railway officers.

(2) Joint drives against ticketless travel in co-ordination with the State Governments.

(3) Frequent concentrated surprise checks, especially by moving the checking parties accompanied by Railway Protection Force/Police and Railway Magistrates by road transport.

(4) Incognito checks by travelling ticket examiners in plain clothes.

(5) Replacement checks by headquarters and divisional ticket checking squads by intercepting the trains in mid-sections.

(6) Deployment of ticket checking staff of one railway system for ticket checking on another system.

(7) Educative propaganda against ticketless travel is carried out among the travelling public particularly among the student community.

As a result of these concentrated drives, the sale of tickets and earnings realised therefrom during the period 1-4-1977 to 28-2-1978 have shown considerable increase over the figures for the corresponding period of last year. There has been no let-up in the drive against ticketless travellers. The ticket checking activities have been further intensified.

T. T. Es. Allotment Quarters

†8085. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of T.T.Es. of all the Zonal Railways who have already been allotted quarters;

(b) the number of those T.T.Es. who have not been allotted the same;

(c) the number of those T.T.Es. who neither have been allotted Government quarters nor have their own houses ; and

(d) when Government propose to allot quarters to such T.T.Es?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रामागुंडम और तालचेर में उर्वरक संयंत्रों के लिये प्रतिनिधिमंडल

8086. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के विशाल निक्षेपों वाले देशों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा रामागुंडम और तालचेर में हमारे कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की यात्रा किये जाने के बाद उन देशों ने इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी पूछताछ का ब्यौरा क्या है और यह पूछताछ किन-किन देशों ने की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : ब्राजील, टर्की और चीन ने तालचेर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्रों में रुचि दिखाई है । टर्की और चीन से विशेषज्ञ दलों ने तालचेर उर्वरक परियोजना का दौरा भी किया है । यद्यपि चीनी दल के दौरे के परिणामस्वरूप चीन से कोई औपचारिक पूछताछ नहीं हुई है, तथापि टर्की के मैसर्स अजोर सनाई ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को सूचित किया है कि उन्हें एफ० सी० आई० की परामर्श सेवाओं और एफ० सी० आई० के संयंत्रों में टर्की कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी ।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिवेदन

8087. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के डाक्टरों के दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त दल के इस सुझाव पर कार्य करने का निर्णय कर लिया है कि पिंपरी स्थित वर्तमान पैनिसिलिन संयंत्र को बदल कर इसे नये माइक्रोबायोलोजिकल स्ट्रेन्स् और फरमेन्टेशन की जानकारी के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना 28 फरवरी, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 991 के भाग (ख) के उत्तर में पहले वे दी गई है ।

(ख) और (ग) : अतिरिक्त/पूरक उपकरण लगाकर और परिवर्तन/आधुनिकीकरण करके एच०ए०एल० के पेनिसिलिन संयंत्र की वार्षिक क्षमता में 200 एम०एम० यू० तक विस्तार करने की सरकार ने पहले ही स्वीकृति दे दी है ।

केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

8088. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की क्या स्थिति है;

(ख) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के विस्तार की अनुमति दी जायेगी जैसा कि उसने प्रस्ताव किया हैं तथा राज्य सरकार ने उसका समर्थन किया है; और

(ग) कोचीन तेल शोधक कारखाने की परियोजना की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) केरल में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया गया है । देश में जब कभी किसी नयी पेट्रो-रसायन प्रायोजना की स्थापना के संबंध में निर्णय नहीं किया जायेगा तो केरल में इस प्रायोजना की स्थापित करने के बात को ध्यान में रखा जायेगा ।

(ख) और (ग) : यह मामला अभी विचाराधीन है ।

कोचीन उर्वरक परियोजना का विस्तार

8089. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन उर्वरक परियोजना के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) कोचीन तथा उद्योग मंडल में फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर की यूनिटों की उत्पादन और लाभ के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उद्योगमंडल (अलवाई) संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) 1977–78 के दौरान फैक्ट की तीन एककों में उत्पादन निम्नप्रकार था :–

कोचीन चरण I	नाइट्रोजन	74,423 मी टन
कोचीन चरण II	नाइट्रोजन	10.800 वही
	पी$_2$ ओ$_5$	29.100 वही
उद्योग मण्डल	नाइट्रोजन	51,071 वही
	पी$_2$ ओ$_5$	27,071 वही

उद्योग मण्डल में प्राप्त उत्पादन अभी तक प्राप्त उत्पादन से अधिकतम है।

1977–78 के दौरान एककों के वित्तीय परिणामों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) एकक के कार्यकलापों के विविधकरण के लिए सभी सम्भव विकल्पों पर विचार करने तथा इष्टतम समाधान का सुझाव देने के लिए एक दल गठित किया गया है।

मुम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में दोहरी प्रणाली समाप्त करना

8090. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में प्रचलित दोहरी प्रणाली समाप्त कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब कौन सी प्रणाली प्रचलित है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुम्बई उच्च न्यायालय में, कोई भी अधिवक्ता जिसका नाम महाराष्ट्र की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में है, अपना नाम मूल शाखा में विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इस प्रकार रजिस्टर किए गए सभी अधिवक्ता मुम्बई उच्च न्यायालय की मूल शाखा में कार्य करने, उपस्थित होने और अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात होते हैं।

जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय का संबंध है ऐसे सभी व्यक्ति जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता के रूप में दर्ज हैं, उस उच्च न्यायालय की मूल शाखा में कार्य करने, उपस्थित होने और अभिवचन करने के हकदार हैं।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुसंधान किया गया विकास कार्य

8091. **श्री पी० रामगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यों को निरन्तर जारी रखे हुए है और इसने देश में पैट्रोलियम तथा अन्य संस्थानों में बहुत से अध्यन प्रायोजित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रयोगशालाओं/संस्थाओ में अनुसंधान प्रक्रियाएं इंजीनियर्स इंडिया द्वारा प्रवर्तित की गई थी उनका विवरण प्रवर्तित की गई प्रायोजना के नाम और उसके परिणाम सहित संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

प्रयोगशाला/संस्थान	प्रायोजना	परिणाम
1	2	3
1. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून	(क) थर्मल कनवर्जन प्रक्रियाएं	बेंच स्तर एकक से प्राप्त प्रयोगात्मक परिणामों के आधार पर गुजरात रिफाइनरी विस्तार प्रायोजना के लिए कर्मशियल विस्ब्रेकर का डिजाइन पद्धति लेना संभव हो सका है।
	(ख) डीवैक्सिंग/डी-आयलिंग	बेंच स्तर अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित प्रौसेस डिजाइन क्षमताएं। तथापि, इसकी पुष्टि के लिए; प्रयोगशाला में एक पाइलट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
	(ग) मिट्टी के तेल के फील्डस्टाक का लक्षण वर्णन	इस सूचना के आधार पर इंजीनियर्स इंडिया लि० ने बोंगाईगांव रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लि० (बी० आर० पी० एल०) के लिए सल्फरडाइआक्साइज एक्सट्रेक्शन यूनिट के लिए प्रौसेस डिजाइन तैयार कर लिया है।
	(घ) बेंजीन एक्सट्रेशन	पाइलट संयंत्र स्तर तक प्रयोगात्मक कार्यक्रम लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लि० ने एरोमेटिक एक्सट्रेक्शन संयंत्रों के लिये प्रौसेस डिजाइन क्षमताओं का अधिग्रहण कर लिया है।
2. सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर	स्टीम जेट इंजेक्टर	प्रयोगात्मक कार्यक्रम का चरण पूर्ण हो गया है। इंडस्ट्रियल इंजेक्टर्स के डिज़ाइन के लिये एक गणितीय माडेल विकसित किया गया है। तथापि संपुष्टी के उद्देश्य के लिए लार्ज स्केल इंजेक्टर नोजिल्स के साथ चरण II का कार्य प्रायोजित किया जा रहा है।

विवरण—समाप्त

1	2	3
3. केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय	लोफिन ट्यूब हीट एक्सचेन्जर्स	प्रयोगात्मक कार्य जारी है ।
4. केमिकल टेक्नोलाजी विभाग (यू० डी० सी० डी०) बम्बई	आसवन के लिए नियमित पैकिंग का विकास	विभिन्न स्वदेशी विकसित पैकिंग जांचे गये हैं। मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई० ओ० सी०) ने विशेष तौर पर तेलों के लिए अपने पाइलट संयंत्र के लिए इसमें से एक का उपयोग करना मान लिया है। नेशनल-केमिकल लेबोरेटरी (एन० सी० एल०) पूना के सहयोग से अगले विकासकार्य की योजना बनाई गई है ।

दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में दोष

8092. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक कारखाने में डिज़ाइन तथा उपकरण सम्बन्धी दोष हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोषों को दूर किया गया; और

(ग) क्या उर्वरक उत्पादन लगभग निर्धारित क्षमता तक स्थिर हो गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : संयंत्र के आरंभ होने के दौरान कुछ डिजाइन में कमी और उपकरणों में खराबियां पाई-गई थी जिसे दूर करने के लिए कदम उठाए गए है और प्रमुख संशोधन कार्य पूरे होने वाले है यद्पि पहले ही किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप कारखाने के उत्पादन में सुधार हुआ है तथापि सारा संशोधन कार्य पूरा होने के बाद संयंत्र निर्धारित क्षमता के निकट उत्पादन स्थिर करने में समर्थ हो जाएगा।

जखपुरा-बांसपुरी रेलवे परियोजना

8093. **श्री बैरागी जेना :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 149 किलोमीटर दूरी की जखपुरा-बांसपुरी रेलवे की समग्र परियोजना रेलवे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई है;

(ख) यदि हां, क्या इसका निर्माण-कार्य पूरी तरह से शुरू किया गया है अथवा नहीं;

(ग) यदि नहीं, तो किस दूरी तक निर्माण-कार्य शुरू किया गया है; और

(घ) अनेक अनुरोध और मांग के बावजूद शेष कार्य को शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। इस रेल लाइन की कुल लम्बाई 176 कि० मी० है ।

(ख) से (घ) : जखपुरा से बैतारी तक 33.5 कि० मी० के निर्माण का काम प्रथम चरण में आरम्भ कर दिया गया है। संसाधनों को भारी तंगी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि समूची लाइन पर चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा खर्च करने के बजाय चरणबद्ध रूप में कार्य प्रारम्भ करने का काम पूरा किया जाय ।

कटक में औद्योगिक बस्ती

8094. **श्री बैरागी जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक, भुवनेश्वर, राऊरकेला आदि में औद्योगिक बस्तियां स्थापित किये जाने के बाद इन्हें रेलवे की ओर से प्रोत्साहन क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(ख) रेल मंत्रालय स्थानीय उद्योगों से स्वदेशी उपकरण खरीदने के लिये खर्दा रोड, भुवनेश्वर अथवा कटक में भंडार अनुभाग स्थापित क्यों नहीं कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) सरकार की नीति के अनुसार रेलें अधिकांश खरीद प्रतियोगी टेंडर पद्धति द्वारा करती हैं और प्रत्येक टेंडर के लिय आये निम्नतम स्वीकार्य मूल्य को स्वीकार करती हैं। ऐसी खरीदें किसी क्षेत्र या किसी विशेष फर्म तक सीमित नहीं होतीं। 50,000 रुपये से कम की खरीद के लिए सीमित / बुलेटिन टेंडर पद्धति को अपनाया जाता है जिसमें रेलों के साथ पंजीकृत सभी फर्में हिस्सा ले सकती हैं। 50,000 रुपये या इसके अधिक की खरीद आमतौर पर विज्ञापित टेंडर पद्धति द्वारा की जाती है जिसमें टेंडर सूचनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है और उन्हें प्रमुख समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। रेलों के साथ पंजीकृत सभी सप्लायर्स पर, और अन्य जो विज्ञापित टेंडरों का जवाब देते हैं, उनपर गुण-दोष के आधार पर वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उचित विचार किया जाता है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। उन फर्मों को, जो रेलों को भंडार सप्लाई करने की इच्छुक हैं, उन्हें सम्बन्धित रेल के भंडार नियंत्रक से अपने पंजीकरण के लिए और रेलों द्वारा की जाने वाली खरीद के लिए, सम्पर्क करना चाहिए ।

रेलों के क्रय संगठन को वित्त और अन्य तकनीकी विभागों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है, इसलिए सभी क्षेत्रीय रेलों में से संगठन उनके मुख्यालयों में ही होते हैं, भले ही वह रेलवे एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हो। इस लिये खुर्दा रोड, भुवनेश्वर अथवा कटक में क्रय संगठन का कोई स्कन्ध न तो आवश्यक ही है और न ही व्यावहारिक ।

रूपसा-बांगरी पोसी छोटी लाइन का बदला जाना

8095. **श्री बैरागी जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेल मंत्री को रूपसा-बांगरी पोसी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के प्रश्न पर विचार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया था चूंकि मयूरभंज जिले के पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिये ऐसा करना अनिवार्य है; और

(ख) क्या इसके विस्तार के बारे में कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को 1978–79 में आरम्भ करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जिस परियोजना के लिए 1971–72में सर्वेक्षण किया गया था, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन का परिणाम जानने के बाद संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए इस लाइन के आमान परिवर्तन और इसके विस्तार के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

कटक से बम्बई के बीच बेहतर यात्रा सुविधाओं के लिये प्रस्ताव

8096. **श्री बैरागी जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के परिवहन मंत्री ने हैदराबाद के रास्ते कटक से बम्बई तक यात्रा की, जो लगभग सभी राज्यों की राजधानियों से जुड़ा हुआ है और जो देश की वाणिज्यिक राजधानी है तथा जहां बड़ी संख्या में उड़िया लोग रहते हैं, अधिक सुविधा-जनक बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय रेल मंत्री को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां। भुवनेश्वर और सिकन्दराबाद तथा सिकन्दराबाद और बम्बई के बीच सीधी गाड़ियां चलाने के एक प्रस्ताव पर सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है। ऐसा होने पर कटक से बम्बई की ओर यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए सुविधापूर्ण सम्पर्क गाड़ी की व्यवस्था हो जायेगी।

डायमीनान्डीफेनाइल-सल्फोरा की आवश्यकता

8097. **श्री के० टी० कोसल राम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुष्ट रोग का सामना करने के लिये डी० डी० एस० औषध (डायमीनन्डीफेनाइल-सल्फोरा) की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ख) कितनी मात्रा का देश में उत्पादन होता है और इसकी अनुमानतः कितनी कमी होगी; और

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स तथा तमिलनाडु ओरियेन्ट फार्म लि० द्वारा उक्त औषधि का उत्पादन किया जा रहा है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1978–79 के अन्ततक प्रपुंज औषध अर्थात् डी० डी० एस० (डायामाइना डाइफिनाइल-सल्फोन) की अनुमानित आवश्यकता का प्रति वर्ष 20 मी० टन तक अनुमान लगाया गया है।

(ख) गत चार वर्षों से इस औषध का आयात नहीं हुआ है तथा 1976–77 के दौरान उत्पादन 25.8 मी० टन लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में 18 मी० टन था। उससे यह पता चलता है कि कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं। तथापि इस औषध के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी मैसर्स ओरिएंट फार्मा लि० का आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

मियांभाई आयोग पंचाट

8098. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल निर्माण संगठन के 40 प्रतिशत नैमित्तिक कर्मचारियों को मियांभाई आयोग पंचाट के अनुसार इस संगठन में स्थायी तौर पर खपा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे, धनबाद डिवीजन में निर्माण संगठन में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) इस 40 प्रतिशत कोटे को क्रियान्वित करने के लिये मंत्रालय द्वारा गैर-क्रियान्वयन कार्यवाही के क्या कारण है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) परियोजनाओं पर लम्बी अवधि से कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों को बड़ी संख्या में समाहृत करने के लिए 1973–74 में, परियोजनाओं के 40 प्रतिशत अस्थायी पदों को निर्माण आरक्षित पदों के रूप में बदलने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया था।

(ख) 1070।

(ग) अबतक 43 नैमित्तिक मजदूरों को समाहृत किया जा चुका है। पदों का निर्धारण होने के बाद और मजदूरों को समाहृत किया जायेगा।

चाय बागानों और उत्तरी बंगाल द्वारा उर्वरकों की खपत

8099. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्तर बंगाल के चाय बागानों और अन्य खेती पर उर्वरकों की सबसे अधिक खपत होती है, यदि हो तो इस बारे में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक संयंत्र को पैट्रोलियम सप्लाई करने वाली पाइपलाइन उत्तर बंगाल होकर आसाम से बिहार जाती है ;

(ग) क्या उत्तर बंगाल में किसी स्थान पर लाइन से पेट्रोलियम निकालने का पहले कोई प्रस्ताव था जिससे वहां उर्वरक और बिजली का उत्पादन किया जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जबकि उत्तर बंगाल में चाय बागान तथा अन्य पैदावार में उर्वरकों की अधिक खपत होती है, उन्हें देश में उर्वरक के मुख्य उपभोगकर्ताओं में वर्गीकृत नही किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं। बरौनी उर्वरक संयंत्र नैफ्था पर आधारित है जोकि बरौनी तेल शोधनशाला से 4 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन के द्वारा बरौनी तेल शोधनशाला द्वारा सप्लाई किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनें

8100. **श्री बालक राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में गत 30 वर्षों के दौरान एक भी नई लाइन न बिछाये जाने और इस प्रकार क्षेत्रीय असमानता पैदा करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले तथा पिछडे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये हिमाचल प्रदेश में, विशेषतया शिमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नई लाइनें बिछाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): हिमाचल प्रदेश में 54.50 कि० मी० उखाड़ी गयी नगरोटा-जोगिन्द्रनगर (छोटी लाइन) को फिर से बिछाने और पठानकोट-जोगिन्द्रनगर (कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन) के जवांवाला शहर–गुलेर खंड (25 कि० मी०) के पुनः संरेषण का काम स्वतंत्रता के बाद पूरा किया गया है और उन्हे यातायात के लिये क्रमशः 1954 और 1976 में खोला गया है। निम्नलिखित नयी लाइनों का, जो अंशतः या पूर्णतः हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है :

(1) कालका–परवानू (बड़ी लाइन,-6.6 कि० मी०)

(2) नांगल डैम–तलवाड़ा (बड़ी लाइन –84 कि० मी०)

(3) जगाधरी–पांटा–राजबन (बड़ी लाइन–70 कि० मी०)

(4) नांगल डैम–अजौली (बड़ी लाइन–1.5 कि० मी०)

संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण इस रेल लाइनों का निर्माण शुरू करना संभव नहीं हो सका है। इन परियोजनाओं को शुरू करना पिछड़े इलाकों में समग्ररूप से लाइनों के निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Consumption of Petrol

8101. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total consumption of petrol in the country and the quantity out of it produced in the country and the quantity imported; and

(b) the average per litre production cost of petrol in the country and the per litre price Government have to pay for imported petrol?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahugana) : (a) The total consumption of motor spirit (petrol) in the country during the year 1977-78 was about 1.39 million tonnes which was wholly met from the indigenous production. No import of this product was made.

(b) It is not possible to determine the cost of production of any single product like petrol when several products are produced simultaneously in different refineries by distillation of crude oil. Since petrol is not imported, the

question of the price paid by Government for such imports does not arise. A break-up of the retail selling price of motor spirit at Bombay as worked out by the Oil Prices Committee and accepted by Government is given in the attached statement (Annexure).

STATEMENT

Break-up of retail selling price of Motor Spirit—83 (*Petrol*) *Ex-Bombay as on* 1-3-1978.

	Rs./KL	Percentage of the retail selling price
1. *Production Cost :*		
(a) Cost of crude oil, surcharges etc.	732.40	20.93
(b) Refining cost and return	36.55	1.04
2. Marketing cost and return	77.23	2.21
3. Commission Dealers', Wholesalers/retailers margin	68.18	1.95
4. *Duties and Taxes:*		
(a) Excise Duty	2,215.56	83.30
(b) Sales Tax, octroi etc.	370.08	10.57
5. Total retail selling price per KL (1000 litres)	3,500.00	100.00
6. Retail Price per litre	3.50	..

Number and Location of Fertilizer Factories

8102. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) total number and locations of Government fertilizer factories in the country and the original estimate in respect of the setting up of each of these factories and the target fixed in regard to production capacity of each of them;

(b) the expenditure incurred on each of these factories so far and the quantity of fertilizers being produced in each of the factories; and

(c) the per tonne production cost of fertilizers in a Government fertilizer factory?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a), (b) and (c) : There are 23 Government fertilizers factories in the country. A statement giving locations of the Government fertilizer factories in the country, their installed capacity and production during 1977-78 is attached. The target of production for various units are fixed at the beginning of each financial year and are reviewed from time to time, taking into account the performance of the units and the likely constraints on production such as power shortages, labour troubles etc.

The cost of production of fertilizers varies from plant to plant depending upon factors such as the capital cost, feedstock used, vintage, process adopted, location, cost of utilities, etc.

Information regarding the original estimate in respect of setting up of each of the Government fertilizer factories and the expenditure incurred on each of these units is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

(In '000 tonnes)

Sl. No.	State/Units	Installed Capacity in term of		Actual production 1977-78	
		Nitrogen	Phosphate	Nitrogen	Phosphate
1	2	3	4	5	6
1	Sindri (Bihar)	90	..	9.4	..
2	Nangal (Punjab)	80	..	55.3	..
3	Trombay (Maharashtra)	81	36.0	85.7	37.6
4	Gorakhpur (U. P.)	131	..	88.7	..
5	Namrup (Assam) } Namrup Exp. (Assam)	197	..	99.1	..
6	Durgapur (W. Bengal)	152	..	51.1	..
7	Barauni (Bihar)	152	..	38.1	..
8	Udyogamandal (Kerala)	82	44.0	50.3	26.8
9	Cochin I (Kerala)	152	..	67.4	..
10	Cochin II (Kerala)	40	114.0	17.8	29.1
11	Rourkela (Orissa)	120	..	71.8	..
12	Neyveli (Tamil Nadu)	70	..	41.1	..
13	Madras (Tamil Nadu)	176	112.0	136.0	95.8
*14	Rourkela (By-product)	5	..	3.3	..
*15	Bokaro (Bihar)	4	..	3.6	..
*16	Bhilai (M. P.)	7	..	8.0	..
*17	Durgapur (W. Bengal)	4	..	2.8	..
*18	Indian Iron & Steel Co. (Burnpore)	4	..	1.7	..
@19	Bihar Factory (Bihar)	..	3.7	..	1.6
@20	Hindustan Zinc Ltd. (Rajasthan)	..	12.2	...	6.2
@21	Hyderabad Chemicals and Fertilizers (A.P.)	..	6.7	..	2.0
@22	Maharashtra Agro (Maharashtra)	..	8.0	..	2.8
23	Associated Chemical Industries (Assam)	...	5.4	...	2.6
	Grand Total	1,547	432.0	834.5	213.5

*Bye-products from the steel plants.

@Undertakings owned by the State Governments.

हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी का कानपुर के निकट पटरी से उतर जाना

8103. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अप्रैल, 1978 को कानपुर स्टेशन में प्रवेश करते समय 11 अप हावड़ा–दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस से कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) इस दुर्घटना के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1-4-78 को जब 11 अप हवड़ा–दिल्ली एक्सप्रेस कानपुर सेन्ट्रल के प्लेटफार्म लाइन नं० 1 पर आ रही थी इस गाड़ी की 8 बोगियां पटरी से उतर गयी। इस घटना के परिणामस्वरूप किसी को चोट नहीं आयी।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,070 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है।

Division of F. C. I.

†8104. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the split of Fertilizer Corporation of India involves additional burden because of movement of plant, machinery, etc., and in terms of Central and State sales-tax in view of inter-State movement of fertilizers; and

(b) if so, the estimated amount of States sales-tax that will be payable to different units of the F.C.I. or what will be the impact thereof?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) : The reorganisation of the FCI/NFL does not involve any movement of plants and machinery. The demarcation of the marketing areas between the four fertilizer producing companies largely follows the pattern of the marketing zones which were in existence prior to the reorganisation. Therefore, additional expenditure on account of Central and States Tax on movement of fertilizers, as a result of the reorganisation, is not expected to be significant.

Division of F. C. I.

8105. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pelased to state :

(a) whether at the time of division of Fertilizer Corporation of India, the employees were assured that they would be allowed to work where they were working;

(b) if so, how will it be possible to keep at one place all the employees after formation of separate headquarters of each unit; and

(c) the procedure adopted in this regard as also the decisions of the working group?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (c) : The distribution of staff consequent on the reorganisation of the FCI/NFL had been made on the basis of the recommendations of the Working Group set up to study the personnel, financial and other matters connected with the reorganisation and to make recommendations to the Government in the matter. As recommended by the Working Group, the entire staff of the plants had been allotted to the company administering the plant. In regard to outlying offices, distribution of staff had been made according to the requirements of each company.

No transfer of personnel of Class III and Class IV staff had been made unless they had opted for it. An option was first given to all the officers in the Head Offices of the FCI and the NFL whether they would like to be considered for transfer to the Head Offices of the other companies. The officers who opted for the other companies were allotted to those companies depending on the requirements of each company. Thereafter a senioritywise list of officers in each discipline has been prepared dividing the officers into interchangeable groups. These officers are proposed to be allocated to different companies on the basis of a roster.

कम्पनी कानूनों का उल्लंघन करने के कारण कम्पनियों के विरूद्ध शिकायतें

8106. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित लेखे न रखने तथा कम्पनी कानूनों का पालन न करने के बारे में कितनी शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) प्रत्येक एकाधिकारी गृह की कम्पनियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गत वर्ष में प्राप्त हुई शिकायतों की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध मामले जांच करने के लिए पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिये गये और किस कारणों से ये मामले दिये गये; और

(ङ) कितने मामलें न्यायालयों में ले जाये गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) दिये गये हवाले के अंतर्गत शिकायतों की तुरन्त उपलब्ध सुचना 31-3-1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए है जिसके अनुसार 1976-77 की अवधि में 5071 शिकायतें प्राप्त हुई थी ।

(ख) एकाधिकार घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के विरूद्ध शिकायतों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) क्योंकि शिकायतें हजारों की संख्या में है इसलिए प्रत्येक मामले में कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जा सकता है किन्तु शिकायतों की परीक्षा की जा रही है तथा उचित कार्यवाही भी की जा रही है।

(घ) इस प्रकार के मामलों का कोई विशेष रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ङ) उल्लिखित शिकायतों से उद्भूत अभियोगों का कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा गया है। तथापि कम्पनी रजिस्ट्रारों ने 1976–77 की अवधि में कुल मिलाकर 3275 कम्पनियों पर अभियोग चलाया था ।

दिल्ली में क्वार्टरों का निर्माण

8107. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने रेलवे कर्मचारी है और उन्हें कुल कितने क्वार्टर और बंगले आवंटित किये गये है ;

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में सरकार का विचार दिल्ली में कितने नये क्वार्टरों का निर्माण करने का है ;

(ग) रेलवे क्वार्टरों में आवश्यक सुविधायें और मरम्मत सम्बन्धी कार्य की व्यवस्था न करने के लिये दिल्ली में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से ऐसे रेलवे क्वार्टर हैं जिनमें मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) : कुल कर्मचारियों की संख्या और उनकी संख्या जिन्हें दिल्ली में मकान दिये गये हैं :—

(1) कुल कर्मचारियों की संख्या . . .	3,4305
(2) क्वार्टरों और बंगलों की कुल संख्या . . .	8,507

(ख) 1978-79 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में 499 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है। जहां तक 1979-80 में बनाये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या का प्रश्न है, 1979-80 के लिए रेलवे बजट को अंतिम रूप दिये जाने और संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर ही स्थिति का पता लग सकेगा।

(ग) दिल्ली क्षेत्र में स्थित 21 पूछताछ कार्यालयों में प्रतिदिन औसतन 275 शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतों को देखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और आवश्यक उपचारी कदम अविलम्ब उठाये जाते हैं।

(घ) और (ङ) रेलों द्वारा संसदीय-निर्वाचन क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती, फिर भी दिल्ली क्षेत्र में कुछ पुराने क्वार्टर हैं जहां अलग-अलग शौचालय आदि जैसी मूल सुविधाएं नहीं है। जो क्वार्टर गतायु हो चुके हैं उनके बदले चरणों में नये क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है। अन्य क्वार्टरों के लिए, जिन्हें निकट भविष्य में नहीं बदला जाना है, वहां निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर आवश्यक मूल सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

Corruption charges against Employees

8108. **Shri Hukamdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of employees, category-wise against whom corruption charges were levelled during 1976 and 1977; and

(b) the number out of them found to be guilty after enquiry and the nature of punishment awarded to them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): A statement is attached.

Statement

(a) Number of complaints received and disposed of during last 3 years is as under:

Category	1975-76			1976-77			1977-78		
	Brought forward from previous year	Received during the year	Total	Brought forward from previous year	Received during the year	Total	Brought forward from previous year	Received during the year	Total
Gazetted	426	527	953	481	512	993	212	358	570
Non-gazetted . .	1,844	10,577	12,421	2,183	10,071	12,254	997	9,422	10,419

(b) Number of employees punished in Vigilance/SPE cases during the last 3 years is as under:

	Dismissal		Removal		Comp. Retd.		Reduction		W.O.I		W.O.P.		Censure		Others		Total	
	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG	G.	NG
1975-76		30		110	12	14	3	181	..	840	1	..	14	310	38	473	68	1,958
1976-77 .		55	3	135	4	28	3	259	6	1,153	2	..	10	305	49	564	77	2,499
1977-78		28	1	73	..	4	4	185	8	636	5	156	21	199	33	261	72	1,542

Note: G=Gazetted.
NG=Non-Gazetted.

WOI=Withholding of increment.
WOP=Withholding of Passes.

Proposal to empower Village Panchayat Courts to decide Cases

†8109. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to incorporate an amendment in the Constitution or Laws which may empower village Panchayat courts to decide cases in which punishment of six months imprisonment may be awarded or a fine of Rs. 500 may be imposed and if so, the time by which an Act will be enacted in this regard; and

(b) whether Government propose to give more powers to village Panchayat Courts so as to enable poor people get justice at cheaper cost and conveniently and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : (a) & (b) : There is no proposal under consideration to amend the Constitution with a view to empowering Village Panchayat to decide cases in which punishment of six months may be awarded or a fine of Rs. 500 may be imposed.

The Bhagwati Committee on Legal Aid has in its report suggested the setting up of Nyaya Panchayats for a group of five or more villages consisting of three members one of whom with knowledge of law, to be called the Panchayat Judge, with powers to deal with civil cases upto Rs. 1000/- and to exercise powers of a Third Class Magistrate in criminal cases. The Panchayat Judge may preside over all the Nyaya Panchayats within a Taluka or a Block. The recommendations of this Committee are under consideration.

The Government have also constituted a Committee under the Chairmanship of Shri Ashok Mehta to enquire into the working of Panchayati Raj Institutions and to suggest measures to strengthen them, so as to enable a decentralised system of planning and development to be effective. The report of this Committee is awaited.

नैरों गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8110. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैरो गेग लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक डिवीजन में कुल कितने किलोमीटर लम्बी नैरो गेज लाइन है तथा कितने किलोमीटर लाइन को बड़ी लाइन मे बदला जायेगा ;

(ग) डिवीजन वार अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : पश्चिम रेलवे पर नडियाद से कपडवंज तक 44.64 कि० मी० लम्बे खण्ड का बदलाव छोटे आमान से बड़े आमान में बदलाव की अभी तक केवल एक मात्र अनुमोदित परियोजना है और 4.05

करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, मोडासा तक बड़े आमान की एक लाइन के निर्माण की परियोजना के भाग के रूप में उसे 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है। किन्तु इस समय मीटर आमान से बड़े आमान में बदलाव की चौदह परियोजनाएं चल रही है। इन परियोजनाओं में 3892 कि० मी० आमान वाले रेल पथ का बड़े आमान में बदलाव किया जाना शामिल है। इस पर 400 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। भविष्य में छोटे आमान की लाइन को बड़े आमान में बदलने का प्रश्न संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

यात्रा टिकट निरीक्षकों तथा रेल गाड़ी कण्डक्टरों के पद

8111. **श्री डो० डो० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से भी अधिक अवधि से यात्रा टिकट निरीक्षकों तथा रेल गाड़ी कण्डक्टरों के बहुत से पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में तीन टियर/दो टियर वाले द्वितीय श्रेणी के सभी शयनागारों में यात्रा टिकट निरीक्षण तथा रेलगाड़ी कण्डक्टर पर्याप्त संख्या में ड्यूटी पर तैनात हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में यात्रा टिकट निरीक्षकों तथा कण्डक्टरों की अपेक्षित संख्या का ब्यौरा क्या है तथा वहां ऐसे कितने कर्मचारी तैनात हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Setting up of Drug Factory in Gujarat

8112. **Shri Amarsinh V. Rathawa :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a drug factory in Gujarat State to produce quality drugs and whether existing factories are also proposed to be developed and full details in this regard;

(b) whether Gujarat is rich in vegetation and quantum of drugs manufactured there and the location of drugs factories;

(c) the rate at which wage is paid to the workers of the factories and the nature of work taken from them; and

(d) whether these factories are being run with foreign collaboration, if so, the names of the countries and the assistance being given by them together with the terms thereof?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) There is no such proposal under the consideration of Government at present. However, the following proposals received from the existing drug manufacturers

in Gujarat for substantial expansion in their existing activities are under consideration:

Sl. No.	Name of the Unit	Proposal
1	M/s Alembic	Contraceptive & Iron Tabs.
2	M/s Cadila	Ethambutol
3	M/s Sarabhai M. Chemicals . .	Vitamin A and Vitamin C
4	M/s Sarabhai Chemicals . . .	Quadraplex tablets
5	M/s Suhrid Geigy	Clonidine Hydrochloride Xylocaine Dapsonil Suganril
6	M/s Synbiotics	Epicillin

(b) (i) P. Ovata, which is a source for Isapgol is reported to be cultivated in North Gujarat.

(ii) Available data of quantum of production of allopathic drugs by some major companies along with their locations are indicated below:—

Year 1976 (Rs. in lakhs)

Sl No.	Name of Unit	Production		Location
		Bulk Drug	Formulations	
1	M/s. Suhrid Geigy	326.45	1,154.45	Baroda
2	M/s. Synbiotics	445.31	. .	Baroda
3	M/s. Alembic	667.27	2,652.72	Baroda
4	M/s. Atul Products	120.12		Bulsar
5	M/s. Sarabhai Chemicals	808.00	2,896.79	Baroda
6	M/s. Sarabhai M. Chemicals .	318.18	00,47	Baroda
7	M/s. Anil Starch Products .	17.97	. .	Ahmedabad
8	M/s. Cyanamid	253.88	1,295.55	Bulsar

(c) Since there are a number of drug factories in Gujarat and nature of work and wages paid to the workers differ from factory to factory, time and labour involved in compiling this information is not likely to be commensurate with the results to be achieved.

(d) The details asked for are being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात राज्य में पंजीकृत नई कम्पनियाँ

8113. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 में गुजरात में कितनी नई कम्पनियों को पंजीकृत किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विकास के बारे में क्या नीति है; और

(ख) क्या कुछ पुरानी कम्पनियां बन्द हो गयी हैं और इस समय कितनी कम्पनियां काम कर रही है और पुरानी कम्पनियों द्वारा उत्पादन सुनिश्चित करने और बन्द कम्पनियों का पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इस बारे में पूरा विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) और (ख): 1976-77 की अवधि में गुजरात राज्य में एक सौ आठ नई कम्पनियां और 1977-78 में 117 नई कम्पनियां पंजीकृत की गई थी। इन कम्पनियो में सरकारी और गैर-सरकारी तथा पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के ब्यौरे निम्न प्रकार दिये जाते है:—

वर्ष	सरकारी कम्पनियों की संख्या		गैर सरकारी कम्पनियों की संख्या		योग सरकारी और गैर सरकारी सहित		
	पब्लिक	प्राइवेट	पब्लिक	प्राइवेट	पब्लिक	प्राइवेट	योग
1976–77 .	1	..	6	101	7	101	108
1977–78 . .	1	2	7	107	8	109	117

तीस कम्पनियां वर्ष 1976-77 और बारह कम्पनियां 1977-78 में परिसमापन कार्यवाहियों द्वारा बन्द कर दी गई थी या कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत नाम काट दिये गये थे। इन कम्पनियों के पुनः प्रचलन की सम्भावना अनहोनी से मालूम पड़ती है। 31 मार्च 1978 को गुजरात राज्य में कार्यरत कम्पनियों की संख्या 2410 थी।

कम्पनी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है जो सरकार को कम्पनियों के उचित रास्ते पर उसके विकास के साथ कार्यकरण पर नजर रखने में समर्थता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनियों का लेखा बहियों का निरीक्षण करती है, जहां आवश्यक होता है धारा 233क के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा का निर्देश देती है और धारा 237 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित कम्पनियों के कार्यों में जांच का आदेश देती है। केन्द्रीय सरकार को अत्याचार और कुप्रबन्ध के निवारण की दशा में कम्पनियों में सरकारी निदेशकों के नियुक्त करने का कम्पनी अधियिम की धारा 408 के अन्तर्गत शक्तियां भी प्राप्त हैं।

केन्द्रीय सरकार के पास औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों को, अगर यह सन्तोष हो जाता है कि उस उपक्रम का प्रबन्ध उस व्यवहार में किया जा रहा है जो उद्योग या लोकहित के हितों के बिल्कुल विपरीत है, तो अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। 1977 की अवधि में, इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दो औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया गया था।

Companies in Gujarat State

†8114. **Shri Amarsinh V. Rathawa :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of companies in Gujarat together with the names of partners/shareholders thereof and full details in this regard;

(b) whether there is any proposal to create a trust of these companies giving representation to labour in conformity with the Gandhian concept and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the salaries paid to workers in these companies, category-wise?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) 2410 companies limited by shares were at work in the State of Gujarat as on 31-3-1978. The list of shareholders of a company are given in its Annual Return filed with the Registrar of Companies. This list is open for inspection by any member of the public on payment of a nominal fee. Since the list of shareholders of a company is a long one, it is not practicable to furnish such lists for all the 2410 companies.

(b) Government has set up an Expert Committee to review the Companies Act, 1956 and MRTP Act, 1969. One of the terms of reference of this Committee is to consider workers' participation in the share capital and management of companies. The Committee's proposals in this regard will be considered by the Government after the Committee has submitted its report.

(c) The information cannot be furnished by the Department of Company Affairs as the companies are not required under the Companies Act to furnish this information to the Department.

आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन

8115. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों में आदिवासी जनता को गाड़ी पकड़ने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाइनों की लम्बाई का अनुपात बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1978-79 में इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन की लम्बाई बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिव नारायण) (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एलेप्पी-एरणकुलम लाइन

8116. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के बजट में एलेप्पी-एरणाकुलम रेलवे लाइन को सम्मिलित किया गया है जैसा कि गत वर्ष मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : एल्लेपी-एर्णाकुलम रेलवे लाइन को वार्षिक योजना 1978-79 में शामिल करने का प्रस्ताव था, किन्तु संसाधनों की भारी तंगी के कारण इसे बजट में शामिल नहीं किया जा सकता।

Looting of Passengers of Deluxe Train near Etawah

†8117. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the night of 6th April, 1978 the Delux train was stopped near Etawah and passengers in five to six compartments were looted;

(b) whether it is also a fact that engines of goods train near Chhapra Junction and Bachwara, Barauni and Shahpur Patorce Stations in Bihar were also set on fire and pipes in passenger trains were cut; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard and the number of persons taken into custody in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) A robbery was committed in a second-class sleeper coach No. 7001 of 32 Dn Delux Express train on the night of 6-4-1978 at about 21.15 hours between Ferozabad and Makhanpur Stations in Tundla-Kanpur section of Northern Railway, and the robbers managed to escape with the booty by pulling the alarm chain near Makhanpur Station. A case under Section 394 IPC has been registered by Government Railway Police, Tundla, District Agra, Uttar Pradesh.

(b) A mob of about 1,000 students set fire to the diesel engine of a goods train at Chapra Katcheri Railway Station on the Chapra-Sonepur Section of North Eastern Railway rendering it unserviceable. No engine was set on fire at any other station. A number of passenger trains were detained by disconnecting hose-pipes.

(c) The Deputy Inspector-General of Police/Railways, Uttar Pradesh and S.R.P./Agra visited the place of occurrence and vigorous efforts are being made by them to apprehend the criminals. Passenger trains running in the section are being escorted by the Government Railway Police of Uttar Pradesh whose duties are being checked by superior officers of the Government Railway Police to keep them alert.

State Police of Bihar has deployed police personnel to combat vandalism in vulnerable areas of Bihar State.

औषध फर्मों को जारी किये गये अनुमतिपत्र

8118. **श्री आर० के० अमीन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भिन्न-भिन्न फर्में मूलत: औषधियों (बल्क) तथा फर्मूलशनों के लिए थे उनको किन किन विस्तृत आधारों पर अनुमति-पत्र जारी किए गए, किन-किन वस्तुओं, वितर्न क्षमता और आई० (डी० एण्ड आर०) एक्ट के किन-किन उपबन्धों के अन्तर्गत वे जारी किये गय, सी० ओ० बी० लाइसेसों का ऐसा ही ब्यौरा क्या है और विविधिकरण के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया गया, डी० जी० टी० डी० को किस तारीख को सूचना दी गई और आवेदन-पत्रों के किस आधार पर सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) अनुमति-पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसो का ब्यौरा क्या है जहां सरकार के तीन सचिव हाथी समिति के समक्ष उपस्थित हुये थे; हाथी समिति की उप-समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम और नियमों तथा अधिसूचनाओं के किन उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार अवैध अनुमति-पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों को नियमित करना चाहती है (जैसा कि हाथी समिति ने घोषणा की है) ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख): 1951 में आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के जारी होने के परिणाम स्वरुप फर्म जो अधिनियम के पहले भी उत्पादन के अपने वर्तमान श्रेणियों के लिए तथा ऐसे मद जहां पार्टियों ने उनके उत्पादन के लिए प्रभावी कदम उठाए है अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के हक़दार थे।।

तदनुसार विभिन्न कम्पनियों ने समय समय पर मदों के उत्पादन के लिए जो अपनी वर्तमान संयंत्र और मशीनरी में जोड़ने के बिना उत्पादन कर सकती है प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया है। लाइसंसिग समिति ने 23-11-53 को अपनी बैठक में नए मद के रुप में कठिनाईयों की तुलना में इस मामले की जांच की थी और यह विचार व्यक्त किया था कि नए मद की परिभाषा उचित है और इस को मान लेना चाहिए समिति यह महसूस करती है कि जहां कोई नया ट्रेड मार्क अथवा पेटंट शामिल नहीं है और उत्पाद आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम 1951 की सूची-I में उसी मद की सीमा के अन्तर्गत आते है जिसके लिए संबंधित कम्पनी के पास पंजीकरण-औद्योगिक स्वीकृति है तब ऐसे उत्पाद नए मद न होंगे और कम्पनी द्वारा उसके उत्पादन के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

इस निर्णय के आधार पर और वर्तमान मशीनरी में या तो रायल्टी पर अथवा संयंत्र और मशीनरी अथवा सामान्य आयात नीति की छूट में कच्चे माल के आयात के लिए अतिरिक्त कोई छूट देने के बिना पूरे प्रयोग के लिए पहले ही वैध प्राधिकरण होने वाली कम्पनी को समर्थ बनाने को ध्यान में रख कर अनुमति पत्र कम्पनियों को जारी किए गए थे ।

ये पत्र स्पष्टीकरण के लिए थे कि नए मद और पार्टी के उपलब्ध निर्माण के लिए प्राधिकरण बढ़ाने, अर्थात् पंजीकरण प्रमाण पत्र लाइसेंस में यह स्पष्ट किया जाए कि वे अतिरिक्त मदों का बिना अलग लाइसेंस लिए बिना उत्पादन कर सकते हैं बशर्ते कि निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा किया जाए :—

i. इस उद्देश्य के लिए किसी अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी की आवश्यकता न पड़ेगी।

ii. कोई रायल्टी नही दी जाएगी ।

iii. उत्पाद पहले हो व्यापार चिह्न के प्रयोग में बेचे जाएंगे और कोई नया पेटेंट शामिल नही होगा ।

iv. समय समय पर चालू सामान्य आयात नीति की छूट में मूल्य कच्चे माल और संघटक के आयात के बारे में कोई विशेष रियायत नही दो जायगी । इसी प्रकार कारोबार करने में आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अपेक्षित था / है।

(क) जहां औद्योगिक उपक्रम के लिये धारा 10 के अन्तर्गत पुंजीकरण अपेक्षित था परन्तु इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय के अन्तर्गत पुंजीकृत नही किया गया है और उस उपक्रम का ऐसी अवधि अधिनियम के खण्ड 13 के उप खण्ड (1) की धारा (क) द्वारा की समाप्ति के बाद कार्य करना चाहते हैं ।

(ख) जहां औद्योगिक उपक्रम जिसका पंजीकरण 10 क भाग के अन्तर्गत रद्द किया गया है और वह इस (अधिनियम के खण्ड 13 के उप खण्ड (1) की धारा (घ) द्वारा) के बाद उपक्रम का कार्य करना चाहते है ।

(ग) जहां औद्योगिक उपक्रम के लिए अधिनियम की व्यवस्थाएं मूल रूप से लागू नहीं थी परन्तु किसी भी कारण अधिनियम के आरंभ होने के बाद लागू हो गई थी और वह उपक्रम का अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होने की तिथि से (अधिनियम के भाग 13 के उप खण्ड (1) की धारा (ग) द्वारा) तीन महीने के समाप्ति के बाद कार्य करना चाहता है ।

(घ) जहां औद्योगिक उपक्रम पर अधिनियम के खण्ड (1) की धारा (ग) अथवा खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11(क) को व्यवस्थाएं मूल रूप में, अधिनियम के खण्ड 29 (ख) के अन्तर्गत जारी किए गए छूट आदेश के कारण लागू नही थी परन्तु छूट आदेश के रद्द होने के परिणामस्वरूप बाद में लागू हो गई थी वह उपक्रम का कार्य छूट रद्द करने को अधिसूचना में निर्दिष्ट के अनुसार ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद करना चाहता है ।

अनुमति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंस के अपेक्षित ब्यौरे हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय-5 के अनुबन्ध ii और iii में दिए गए है जो सभा पटल पर पहले ही रख दी गई है। इसी प्रकार हाथी समिति की उप-समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट के अध्याय 5 के अनुबन्ध viii में दी गई है। इसके पैरा 9 में सांचवों के अन्तर्गत लिए जाने वाले मदों के ब्यौरें की डी० जी० टी० डी० को सूचना के बारे में स्थिति दी गई है।

(ग) (i) अब तक कानूनी विचार यह है कि अनुमति पत्र कुछ शर्तों पर जारी किए गए थे। अधिकतर इन पत्रों में यह शर्त थी की औषधों का उत्पादक पूरी लाइसेंस कृत क्षमता के अन्तर्गत होगी। औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए जारी किए गए अनुमति पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदक के लिए लाईसेंस अपेक्षित है यदि वह कुछ शर्तों को पूरा नही करता है ।

(ii) हाथी समिति का मुख्यतः यह विचार था कि अनुमति पत्रों को उद्योग (विकास और विनियमन) की व्यवस्थाओं की शर्तों में कोई कानूनी समर्थन नहीं है। तथापि समिति के चार सदस्यों ने अपने कोई विचार व्यक्त नहीं किए। समिति ने यह भी महसूस किया कि संबंधित प्राधिकारियों ने इस बात की भी जांच नहीं की कि क्या उनके सी० ओ० बी० आवेदन पत्रों द्वारा निहित मदों के लिए कम्पनियों द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाए गए है अथवा नहीं। उन्होने यह भी देखा कि अनुमति

पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों ने भारतीय क्षेत्र की अपेक्षा विदेशी कम्पनियों को अनुचित लाइसेंस दिया है। तथापि हाथी समिति ने आगे जा कर अनुमति पत्रों और सी० ओ० बी० लाइसेंसों द्वारा प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए स्वीकृत क्षमताओं के बारे में वे यह सिफारिश करना चाहेंगे कि प्रपुंज औषधों को राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रख कर उनका कुछ शर्तों पर नियमन किया जाए। सूत्र-योगों के बारे में भी हाथी समिति ने वैसी ही कार्रवाई की सिफारिश की है।

(iii) अनुमति पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों पर आधारित क्षमता के नियमन की पद्धति औषध और भेषज पर हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दर्शाने वाला विवरण पत्र 29—3—1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था। विशेष रुप से उसके पैरा 36 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल मैंने एक नोटिस दिया था (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु आपको तो नियमों की काफी जानकारी है। अतः यदि आपको अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय पर आपत्ति है तो उसके बारे में अध्यक्ष के साथ चैम्बर में विचार-विमर्श कर सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खाद्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में भी मैंने अपना आदेश दे दिया है। आपको उसके बारे में भी जो कुछ कहना है कृपया मेरे चैम्बर में आकर मुझसे कहियेगा। अब सम्पूर्ण सदन का समय मत गंवाईयें। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री सौगत राय (बरकपुर) : मेरा नियम 377 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। आपने समाचार भाग दो में यह बताया है कि केवल उन्हीं मामलों को सदन में नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दी जायगी जिनके बारे में पहले ही मंजूरी ले ली गई होगी। अब यदि मैं बैंक कारी आयोग का निरसन करने के लिए नियम 222 के अधीन नोटिस देता हूं तो आप उसे शून्य काल में उठाने की अनुमति नहीं देंगे। अतः मैं अपना विशेषाधिकार का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाऊं।

अध्यक्ष महोदय : नियम भली भांति परिभाषित है। आप भी मेरे चैम्बर में आकर मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल मैं प्रश्न काल में मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य की ओर से सम्पूरक प्रश्न पूछना चाहता था तो अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि आप दूसरे दौर में अपना सम्पूरक प्रश्न पूछ सकते है। मैं समझता हूं कि यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य की ओर से (जबकि सम्बद्ध सदस्य अनुपस्थित हो) को प्रश्न पूछना चाहता हो, तो पूर्व परम्पराओं के अनुसार उसे ऐसा करने की अनुमति होती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने दो प्रश्न उठाये है। उनके बारे में मुझे यदि कहना है कि यदि अनुपस्थित सदस्य ने लिखित रूप मे किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी हुई है तो, उस सदस्य को दूसरे दौर में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। इस बात का निर्णय 11 सितम्बर, 1951 को हो गया था और तब से लेकर अब तक इसका पालन होता चला आ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि प्रश्न दो सदस्यों के नाम से है और अनुपस्थित सदस्य दूसरे नाम वाला ही है तो उसकी ओर से सम्पूरक प्रश्न पूछने की ही अनुमती दी जाती है वह भी दूसरे दौर में (**व्यवधान**)।

नियम 377 के अधिन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) $7\frac{1}{2}$ लाख प्रशिक्षुओं की बेरोजगारी का समाचार

Dr. Laxminarayan Pandeya: (Mandsaur): I want to draw the attention of the House to the $7\frac{1}{2}$ lakh unemployed apprentices in the country who are running from pillar to post in search of jobs. A huge amount has been spent by the Government on the training of these persons. But despite this if these people fail to get employment it is a matter of great concern. I would like to request the Minister to look into this matter. A definite policy should be laid down in this regard so that the money spent on the training of these people was properly utilised. Let the Minister come out with an assurance in this regard.

(दो) उत्तर प्रदेश में एलकोहल पर आधारित और अधिक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर): देश के समस्त अलकोहल उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जो कि करीब 1500 लाख लिटर प्रति वर्ष है। उत्तर प्रदेश में इसकी खपत उत्पादन से कई कम है। इसलिए वहां इस कच्चे माल पर आधारित कुछ और उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने हेतु बहुत गुंजाइश है। उद्योग विभाग को इस मामले में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए और यू० पी० में अधिक मात्रा में उत्पादित अलकोहल के उपयोग के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

(तीन) भारत चीन सीमा समस्या और भारत चीन के सम्बन्धों पर चीन के उप विदेश मंत्री का कथित वक्तव्य

श्री धीरेन्द्र नाथ वसु (कटवा): चीन के उप विदेश मंत्री ने 19 अप्रैल को पेकिंग में नई दिल्ली से गए एक पत्रकार के साथ में भेटवार्ता में अपने विचार प्रकट किए उन्होंने सुझाव दिया कि चीन चाहता है कि भारत के साथ सीमा के मामले पर फिलहाल बातचीत न की जाये और दोनों देश आपस में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने तथा बातचीत करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए अन्य प्रश्नों को सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने भारत के विदेश मंत्री को चीन की यात्रा करने के लिए मौखिक तौर पर निमंत्रण दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है।

(चार) चीन के उपविदेश मंत्री द्वारा भारत-चीन संबंधों पर पींकिंग में दिया गया कथित वक्तव्य

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपूर): 19 अप्रल 1978 को चोन के उप-विदेश मंत्री ने पेकिंग में कहा है कि चीन तथा भारत के बोच सोमा का प्रश्न फिलहाल दबा दिया जाये और चीन पहले अन्य मामलों को निपटाना चाहेगा ताकि सोमा सम्बन्धी प्रश्न को सुलझाने के लिए एक समुचित वातावरण तैयार हो सके। चोन के उपविदेश मंत्रा ने इन अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चीन को बातों के प्रति सजग रहना चाहिए ताकि हम अपनी सुरक्षा के प्रति सजग बने रहें।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों के बीच 1974 में हुए द्विपक्षीय समझौते को समाप्त करना

श्री भगत राम (फिल्लौर) : जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने 2-3-1978 को कर्मचारियों के संघों को नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने 1974 में जीवन बीमा निगम तथा इसके कर्मचारियों के बीच हुए द्विपक्षीय करार को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। नोटिस की 60 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रबन्धों ने सभी कार्यालयों को अनुदेश जारी कर दिए कि वे 31-3-1978 के पश्चात किसी भी कर्मचारी को बोनस न दे। जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों की यह कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधिशों की पीठ के मतैक्यपूर्ण निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें अपने निर्णय में कहा था कि संविधान के अन्तर्गत बोनस का अधिकार सम्पत्ति अधिकार है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिये कि इस करार को एक-पक्षीय ढंग से समाप्त न किया जाये और जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के संघों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत करके उसके स्थान पर एक अन्य करार किया जाये।

मैंने एक अन्य वक्तव्य भी दिया है जिसमें कहा गया है कि . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आपने अपना वक्तव्य दे दिया है। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2165/78]

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1978-79 के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगे

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं वर्ष 1978-79 के लिये विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2166/78]**

प्रर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1978-79 के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं वर्ष 1978-79 के लिये पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अनुदानों को ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2167/78]**

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं वर्ष 1978-79 के लिये ऊर्जा मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2168/78]**

संचार मंत्रालय की वर्ष 1978-79 के लिए ब्यौरेवार अनुदानों की मांग तथा भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय की वर्ष 1978-79 के लिए अनुदानों की मांगें।

संचार मंत्री (श्री ब्रजलाल वर्मा) : मैं वर्ष 1978-79 के लिये संचार मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 2169/78]**

वर्ष 1978-79 के लिये भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 2170/78]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसुचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 86-कस्टम्स और 87-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति और व्याख्यात्मक ज्ञापन सभापटल पर रखता हूं : **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2187/78]**

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत को समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई न करना

श्री प्रदयुमन बाल (जगतसिंहपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह उसके बारे में वक्तव्य दें :—

"अमरीकी परमाणु विनियामक आयोग द्वारा समृद्ध यूरेनियम सप्लाई करने के अपने करार दायित्व की अपेक्षा करते हुये भारत को 7.6 टन समृद्ध यूरेनियम सप्लाई न करने का कथित समाचार तथा उस पर भारत की प्रतिक्रिया।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इस सदन को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 23 मार्च, 1978 को बताया था, तारापुर परमाणु बिजलीघर के वास्ते 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लाइसेंस का हमारा अभ्यावेदन अमरीकी प्रशासन द्वारा अमरीकी न्यूक्लियर रैगुलेटरी कमीशन को भेजा गया था। ऐसा 26 जनवरी, 1978 को किया गया था तथा समृद्ध यूरेनियम की किश्त सितम्बर, 1977 में दी जानी थी। लेकिन कमीशन ने इस मामले पर अपना फैसला समय से नहीं दिया और कमीशन की गत सप्ताह हुई सब से बाद की बैठक में ही यह मामला अमरीकी प्रशासन को इस कारण वापस लौटा दिया गया है कि इसके पक्ष एवं विपक्ष में बराबर-बराबर मत आने से कमीशन इस बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। अब यह मामला अमरीका के राष्ट्रपति के पास है। तथापि, अमरीका के कानून के अनुसार यदि अमरीका के राष्ट्रपति निर्यात की अनुमति देने का निर्णय ले भी लेते हैं, तो भी यह मामला 60 कार्य-दिवसों के लिए अमरीका की कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, तथा कांग्रेस को यह छूट होगी कि अगर वह चाहे तो राष्ट्रपति के निर्णय को रद्द कर दे। दूसरों शब्दों में, यदि अमरीका के राष्ट्रपति समृद्ध यूरेनियम भेजने के पक्ष में निर्णय ले लेते हैं, तो हमें 60 कार्य-दिवसों तक प्रतीक्षा करनी होगी, तथा इस अवधि में अमरीकी कांग्रेस राष्ट्रपति के निर्णय को रद्द भी कर सकती है। यदि राष्ट्रपति का निर्णय कांग्रेस द्वारा रद्द नहीं किया जाता, है, तो उस निर्णय की पुष्टि हो जायेगी।

समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई अमरीका तथा भारत की सरकारों के बीच 25 अक्तूबर, 1963 को हुए सहयोग-करार के अन्तर्गत होती है, जिसके बाद 17 मई, 1966 को अमरीका की सरकार की ओर से अमरीकी परमाणु ऊर्जा आयोग ने और भारत सरकार ने एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीकी परमाणु ऊर्जा आयोग विगठित किया जा चुका है और अब यह मामला न्यूक्लियर रैगुलेटरी कमीशन की सिफारिश पर अमरीकी प्रशासन के विचाराधीन है।

मैं माननीय सदस्यों को उक्त करार और संविदा के प्रावधानों का विवरण सुना कर उनका समय नष्ट नहीं करना चाहता। करार तथा संविदा की शर्तों के अनुसार, अमरीका की सरकार तो इस बात के लिए बाध्य है कि वह हमें सन 1994 तक तारापुर बिजलीघर के लिए आवश्यक सारा ईंधन देगी, और हम भी इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम तारापुर बिजलीघर के लिए आवश्यक ईंधन इस अवधि में किसी अन्य स्रोत से नहीं लेंगे। संविदा में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसी न्यूक्लीय सामग्री के स्वामित्व अथवा उसकी सप्लाई के संबंध में लागू अमरीका के आन्तरिक कानूनों अथवा नीतियों में उस सामग्री के अमरीका के घरेलू प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो संविदा के हस्ताक्षर करने वाले पक्ष इस बात के लिए सहमत हैं कि वे इस बारे में एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करेंगे कि लागू नियमों और नीतियों के अनुरूप, करार में की गई किसी व्यवस्था में यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो वह किस प्रकार किया जाए। साथ-ही-साथ करार में यह भी प्रावधान है कि संशोधित अनुच्छेद में की जाने वाली किसी भी व्यवस्था से न तो तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक सारे समृद्ध यूरेनियम को अमरीकी सरकार द्वारा हमें बेचे जाने की बाध्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और न ही अमरीकी सरकार के प्रति भारत सरकार की उन वित्तिय बाध्यताओं और जिम्मेदारियों में कोई वृद्धि होगी जिनका प्रावधान करार में पहले किया जा चुका है।

इसलिए, मेरे विचार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ना तो अमरीका के घरेलु कानूनों से और ना ही वहां को घरेल नीतीयों से तारापुर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और इस वजह से, तारापुर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब होगा और आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के लिए इंकार किया जाना, चाहे वह इंकार किन्हीं परिस्थितियों में क्यों न किया गया हो, दोनों ही काम करार का उल्लंघन होंगे।

समृद्ध यूरेनियम के लिए की गई जो वर्तमान मांग अमरीकी सरकार के विचाराधीन है उसके अनुसार, सप्लाई सितम्बर, 1977 में की जानी चाहिए थी और आगे अप्रैल 1978, जून 1978 और अक्तूबर 1978 में की जानी चाहिए। सितम्बर 1977 में भेजी जाने वाला यूरेनियम हमें नहीं मिला है और उसकी एक ओर खैप भी अब देय हो चुकी है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारी मांगों पर की जानी वाली कार्रवाई में हो रहे विलम्ब को मैं उचित नहीं कह सकता। न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को मामला भजने की प्रक्रिया को अपनाते समय हमारी मांगों को पूर्ति समय से करने की आवश्यकता को भी पूरी तरह से समझ लिया जाना चाहिए था। हमने इतने लम्बे समय तक धैर्य रखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने इस मसले पर विचार-विमर्श करते समय, अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा पिछली जनवरी में इस पुनीत सदन में दिए गए वचन को भी नजरंदाज कर दिया है। मुझे इस बारे में बिलकुल सन्देह नहीं है कि अमरोकी राष्ट्रपति अपने ऊंचे नैतिक संकल्पों से प्रेरित होकर और करार एवं संविदा में शामिल बाध्यताओं के अनुरूप और अपने वचन को पूरा करते हुए जल्दी ही इस बारे में निर्णय ले लेंगे। लेकिन, उनके निर्णय को कांग्रेस के सामने रखे जाने की व्यवस्था के कारण सप्लाई में कम-से-कम तीन और महीनों का विलम्ब होगा। यह स्थिति अपने आप में कोई चिंता पैदा करने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि ईंधन का वर्तमान भंडार दो यूनिटों में से एक यूनिट को लगभग सन 1980 तक और दूसरे को सन 1980 के कुछ बाद तक चलाने के लिए पर्याप्त रहेगा। इस बीच हमें इस बात के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा कि अगर करार और संविदा के कार्यान्वियन में अमरीकी सरकार अंततोगत्वा दोषी ठहरती है तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक तरीके निकाल लें।

फिर, भी यह तथ्य तो अलग बात है कि सप्लाई से इन्कार किया जाना तो करार का उल्लंघन होगा ही, मैं तारापुर संयत्र के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की हमारी मांग की पूर्ति में होने वाले विलम्ब को एक बहुत ही बेचैनी पैदा करने वाली और एक अविश्वसनीय बात समझता हूं। ऐसा विलम्ब न केवल समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के बारे में हुआ है अपितु हमारे इस अनुरोध के मामले में भी हुआ है कि सहयोग करार में की गई व्यवस्था के अनुसार दोनों पक्ष मिल कर यह तय करें कि हमारी ईंधन-पुनसंसाधन सुविधा पर सेफगार्ड-व्यवस्था किस सीमा तक लागू होगी। इसके परिणामस्वरूप हमें बिजली का उत्पादन अपेक्षाकृत निम्न क्षमता पर करना पड़ रहा है और हम बकाया समृद्ध यूरेनियम और भुक्तशेष ईंधन में मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे न केवल हमें सामग्री और आर्थिक दृष्टि से काफी हानि पहुंची है, अपितु इससे हमारे विकास की गति भी धीमी हुई है। हमारी मांग के अनुरूप की जाने वाली समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के बारे में स्थिति के स्पष्ट हो जाने पर, मैं यह मामला अमरीकी प्रशासन के साथ उठाना चाहूंगा। जहां तक समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई का सवाल है, मैं यह मामला अमरीकी राष्ट्रपति के साथ उठा रहा हूं।

श्री मोरारजी देसाई

इसलिए, हमें फिलहाल अमरीका के राष्ट्रपति की उस कार्रवाई की प्रतीक्षा करनी होगी जो वह हमारी विचाराधीन मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। मैंने अपने परमाणू ऊर्जा आयोग से पहले ही यह कह दिया है कि यदि अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई में अनिश्चितता रहना एक हमेशा की बात बन जाती है, तो वे तारापुर संयंत्र के लिए इंधन की सप्लाई को कायम रखने के प्रत्येक वैकल्पिक उपाय का अध्ययन करें। यह निर्णय लेते समय मैंने इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा है कि अमरीका ईंधन की सप्लाई के लिए बाध्य है और उसका ऐसा करने से इंकार करना करार का उल्लंघन है। मैं इस बात से अवगत हूं कि उनका इस तरह से इंकार करना सहयोग-करार और संविदा दोनो को ही समाप्त कर देगा। हम अपने बिजलीघरों के लिए ईंधन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे परमाणु ऊर्जा का विकास करने के अपने कार्यक्रम में ऐसी किसी भी परिस्थिति को बाधक नहीं बनने देंगे। मुझे आशा है कि यह सदन इस विषय को मेरे इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में देखेगा।

श्री प्रद्युम्न बाल (जगतसिंहपुर) : प्रधान मंत्री ने अमरीका के राष्ट्रपति श्री कार्टर के साथ बातचीत करते हुए इस मामले में जो रवैया अपनाया है, वह सराहनीय नहीं है। भारत तथा योरुप के अन्य देशों की आण्विक तेल भेजने के बारे में अमरीका द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। यूरेनियम सप्लाई करने के अपने करार सम्बन्धी दायित्व के आधार पर तो 1994 तक अमरीका की यूरेनियम सप्लाई करना चाहिये था। अमरीका के आण्विक ऊर्जा आयोग को समाप्त करने के साथ करार समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि इस आयोग के दायित्व अन्य एजेंसी को दे दिये गये है। अमरीका का राष्ट्रपति इस मामले में काफी स्वतंत्र है तथा वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हमारा सम्बन्ध केवल ऊर्जा से है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रदयुम्न बाल (जगतसिंहपूर) : 7 अप्रैल, 1978 को राष्ट्रपति कार्टर ने युरोप के तीन देशों अर्थात फ़ांस, जर्मनी तथा डेनमार्क को समृद्ध यूरेनियम भेजने की स्वीकृति प्रदान की थी। ऐसी स्थिति में क्या मैं यह विश्वास करूं कि भारत को परमाणु ईंधन भेजने में अमरीकी प्रशासन का सही इरादा है अथवा यह अमरीकी प्रशासन को चाल तो नहो है जो कि यह बहाना बता रहा है कि न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन यूरेनियम भेजने की अनुमति नहीं दे रहा है ?

क्या प्रधान मंत्री सभा को बताऐंगे कि तारापूर बिजली घर को चलाने के लिए हम प्ल्यूटोनियम आक्साइड यूरेनियम मिक्सचर को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे किसी अन्य देश से बातचीत करेगी जो कि हमें पर्याप्त मात्रा में समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई कर सके ?

मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध से बातचीत करने से हमारी राष्ट्रीय तथा विदेशी नीतियों पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े।

मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि यदि अमरीका अपनी शर्तों के सिवाय हमें समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई नहीं करता तो क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जायेगा ? क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन करना है। और क्या प्रधान मंत्री इस मामले के हल न होने तक अपनी अमरीकी यात्रा को स्थगित रखेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपनी अमरीकी यात्रा को स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उस मामले से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इसके विपरित मैं उनसे मिलकर इस बारे में और अच्छी तरह बातचीत कर सकता हूं। दूर रहकर उतने अच्छे ढंग से बातचीत नहीं हो सकती। मुझे वहां निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना है, इसलिए अपनी वहां की यात्रा को रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का भी इरादा नहीं है क्योंकि इससे तो इस मामले में और भी विलम्ब होगा। हमें कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। ज्योंही वे इन्कार कर देंगे, वह करार का उल्लंघन समझा जायेगा और फिर हम अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने तथा अपने ईंधन का उपयोग करने तथा अन्य संसाधनों का इच्छानुसार उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। इसलिए अभी से कुछ करना उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : अमरीकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने मार्च 1978 में तारापूर परमाणु बिजलीघर के लिए 7.6 टन समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई को स्थगित करने का निर्णय लिया। आयोग के चारों सदस्यों द्वारा सप्लाई किए जाने के पक्ष में मत देने के बाद ही यूरेनियम की सप्लाई की जायेगी। इससे इसमें कई महीनों का विलम्ब हो जायेगा जिससे तारापूर बिजली घर की कठिनाइयां और अधिक बढ़ जायेंगी। इस बिजली घर का उत्पादन पहले ही कुल उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत रह गया है। हो सकता है कि 7.6 टन समृद्ध यूरेनियम के मिलने से ही कोई विशेष राहत न मिले। प्रश्न यह है कि उसके पश्चात क्या होगा। इस सप्लाई के बाद भी इस बिजली घर की समस्या हल नहीं होगी। लगता है कि हमें यूरेनियम के लिए हमेशा ही अमेरिका से भीख मांगनी पड़ेगी। 16.7 टन यूरेनियम की सप्लाई का करार गत नवम्बर से अमरीका के पास निलंबित पड़ा हुआ है।

यदि हम अमरीका की शर्तों को स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ यह होगा कि न केवल परमाणु विस्फोट ही किया जायेगा बल्कि अन्य परमाणु कार्यक्रम भी स्थगित करने पड़ेंगे। इससे हमारे परमाणु शक्ति प्रजनन कार्यक्रम में बाधा पहुंचेगी और हमारे यहां हमेशा ऊर्जा की कमी बनी रहेगी।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। भारत न्यूनाधिक रूप से परमाणु प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के मामले में आत्मनिर्भर है। किन्तु यदि भारत ईंधन के मामले में अमरीका पर निर्भर रहेगा तो अमरीका हमेशा भारत का ब्लैक मेल करता रहेगा। इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि हिमालय पर्वतों, चंडीगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बदेल स्थान पर यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार है। देश में प्राकृतिक यूरेनियम उपलब्ध है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या प्राकृतिक यूरेनियम से उत्पादित प्ल्यूटोनियम को प्रयोग में लाकर भारत को ईंधन के मामले में आत्म-निर्भर बनाने के मामले पर विचार किया जायेगा। क्या अमरीका सरकार से स्पष्ट रूप से कह दिया जायेगा कि हम उनके दबाव में आने वाले नहीं है और न ही वे हमें ब्लैक मेल कर सकते हैं?

श्री मोरारजी देसाई : मैं आप लोगों को कितनी बार आश्वासन दूं। मैंने कह दिया है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु शक्ति का विकास करेंगे। यदि वे करार का उल्लंघन करते हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता... **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : आप नहीं पूछ सकते . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नहीं . . . (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं तो एक स्पष्टीकरण चाहता हूं . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

(**व्यवधान**)

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैं अमरीका के दबाव में नहीं आ सकता वैसे ही मुझ पर माननीय मित्र भी दबाव नहीं डाल सकते। (**व्यवधान**) मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : डा० बलदेव प्रकाश।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया रिकार्ड में मत रखिये।

व्यवधान

Dr. Baldev Prakash (Amritsar): It is not a new thing for U.S.A. to have denied to supply enriched uranium to India. U.S.A. always tried to let down India. They should honour the contractual obligation. We are not begging for any thing from them.

We have clearly declared that we are not going to manufacture atom bomb. Our Prime Minister has gone a step further that we will not undertake any atomic explosion even for peaceful purposes. U.S.A. is breaking the agreement unilaterally. We should strongly protest against this decision of Carter Administration. If the things go on like this, our relations with U.S.A. cannot improve.

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : जब राष्ट्रपति कार्टर भारत की यात्रा पर आये तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु अमरीका के न्यूक्लियर रेगूलेटरी कमीशन ने कुछ और ही निर्णय दिया है। अमरीका उन देशों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है जो कि किसी भी मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी या किसी अन्य बाहरी एजेन्सी द्वारा हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का प्रधान मंत्री ने जो विरोध किया है, वह स्वागत योग्य है। किन्तु उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री को अपनी इस घोषणा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

तारापुर बिजली घर की उत्पादन क्षमता गिरती जा रही है और इस तरह से तो तारापुर बिजली घर केवल 6 महीने और कार्य कर सकेगा। अमरीका द्वारा एकतरफा ढंग से इस करार का उल्लंघन करने के कारण क्या भारत सरकार वहां से अपना राजदूत वापस बुला लेगी? क्या हम वैकल्पिक रूप में ईंधन के आयात के लिए सोवियत संघ अथवा फ्रांस को कहेंगे? ऐसी ईंधन बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री मोरारजी देसाई : हम किसी के दबाव में नहीं आयेंगे। जहां तक शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए विस्फोट करने अथवा न करने की बात है, यह मैं स्वयं देख लूंगा। हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी विस्फोट नहीं करेंगे चाहे विशेषज्ञों की राय इससे भिन्न हो। मैंने ऐसा अमरीका या किसी अन्य देश को खुश करने के लिए नहीं कहा है। मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि यदि करार का उल्लंघन किया जाता है तो हम क्या कदम उठायेंगे। (**व्यवधान**) मैं पोखरन विस्फोट के बारे में काफी कुछ कह सकता हूं लेकिन कुछ भी कहना उचित नहीं होगा . . . (**व्यवधान**)

श्री हरिकेष बहादुर (गोरखपुर) : जिस ढंग से अमरीकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने हमारे देश को समृद्ध यूरेनियम को सप्लाई करने के करार सम्बन्धी दायित्व की उपेक्षा की है, उससे ऐसा लगता है कि आयोग के कुछ सदस्यों का रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं है । साथ हीं उनका निर्णय नैतिक रूप से भी अच्छा नहीं है। सरकार अमरीका से ऐसा कब कहेगी कि यदि वे हमें इस यूरेनियम की सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे और उनके सम्बन्ध कुछ प्रभावित हो जायेंगे ? भारत इस तरह का यूरेनियम बनाने में कबतक आत्मनिर्भर हो जायेगा ताकि हमे इसके लिए अमरीका पर निर्भर न रहना पड़े ।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थें। यदि ऐसा न करते तो करार न होता और फिर तारापुर बिजलीघर न बनता। ऐसा कहना उचित नहीं है । यह अच्छा रवैया नहीं है (**व्यवधान**)

मैं अमरीका के राष्ट्रपति को क्या कहूंगा, यह बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए (**व्यवधान**)

लोक लेखा समिती
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

77वां प्रतिवदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खंड 2, में सम्मिलित प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 77वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिती
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

8 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड—कच्चे पटसन के लिये सरकार की अनुचित मूल्य नीति—पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिती
ESTIMATE COMMITTEE

19 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :--

(एक) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)--भारतीय रेलों में हानि तथा क्षति के दावे—पर 19 वा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणसम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन

REPORT OF COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

कार्यवाही संबंधी 17 वाँ तथा 18 वाँ प्रतिवेदन

श्री राम धन (लालगंज) : मैं अनुसूचि तजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं —

(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंककारी प्रभाग) इलाहाबाद बैंक में प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के सम्बन्ध से समिति के 10 वे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(2) भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) --सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में समिति के 41 वें प्रतिवदन (पांचवी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 18 वां प्रतिवेदन।

सामान्य बजट अनुदानों की मांगे 1978-79—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS 1978-79—Contd.

सिचाई और कृषि मंत्रालय—जारी

Shri Sukhendra Singh (Satna): Although Madhya Pradesh is a very big state the irrigation facilties there are almost negligible. The State Government had sent 20 big irrigation schemes to the Centre. Those schemes should be sanctioned so that the irrigation potential of the State could be increased.

[श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई
Smt. Parvati Krishnan in the Chair]

In the Vindhya Pradesh region of Madhya Pradesh tube-wells have completely failed. Only lift irrigation can succeed there. The State Government has asked for financial assistance from the Centre to provide for lift irrigation there. The Finance Minister should sympathetically consider this request so that this region is benefited.

There was a severe hail storm in 31 districts of a total of 45 districts of the State as a result of which crops worth Rs. 20 crores has been destroyed. The State Government do not have adequate finances to meet the situation. The Centre should help the State in this regard.

The Agriculture Department is a very big department in which there are a number of authorities which results in duplication of work. The Minister should pay special attention to it and see that this kind of duplication is avoided.

There are 150 agriculure experts in the Department. At present they are doing only technical work. They should be assigned particular problems and asked to find out their solutions.

For agricultural research implements worth crores of rupees have been imported by the Department of Agriculture, but they are not being utilised. The matter should be gone into and, if necessary a committee of experts should be set up so that those equipments are properly utilised.

The procurement price of wheat has been fixed at Rs. 112.50 paise. This is not adequate and should be increased.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : देश के कार्यकरण में भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इसके बारे में देश में काफी विवाद हो रहा है। इस संगठन के अनेक कर्मचारियों ने निराश होकर तथा दुर्व्यवहार के कारण आत्म-हत्यायें कर ली हैं। केन्द्रीय सरकार भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद को स्वयं अपने हाथ में ले सकती है। जब इस संगठन के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण धनराशि भारतीय समेकित निधि से ली जाती है तो फिर इसका प्रबन्ध सी० आई० टी० के हाथों में देने का औचित्य समझ नहीं आता।

अखिल भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक ने वर्ष, 1972 में, वर्ष 1970-71 में किये गये अखिल भारतीय समन्वित प्रयोगों के अनुसार औसतन 87 क्विंटल बाजरे की उपज का दावा किया था। यह दावा बिलकुल निराधार है तथा इसकी जांच की जानी चाहिये।

एक अन्य बात जिसकी ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये वह यह है कि वर्तमान निदेशक भारत सरकार तथा भारतीय कृषि तथा अनुसंधान परिषद में अनेक पदों पर आधीन है। उन्हीं के पास ही परिषद के प्रमुख कार्यकारी तथा प्रमुख नियन्त्रण प्राधिकारी के पद भी है। यह बहुत ही विचित्र बात है। उन्हें डी० ए० आर० ई० का सचिव नहीं बने रहने दिया जाना चाहिये।

श्री वी० दण्डयुतपाणि (वेल्लोर) : यद्यपि हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, तथापि हमारे देश के अधिकांश भागों में अभी भी गरीबी विद्यमान है। वितरण व्यवस्था को विनियमित किया जाना चाहिये।

किसानों को अपने उत्पादों का पर्याप्त मूल्य मिलना चाहिये। समान मूल्य नीति बनाई जानी चाहिये ताकि किसानों की शिकायतों को दूर किया जा सके।

जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में किसानों को 150 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिल रहा है जबकि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में उन्हें प्रति टन केवल 125 रुपये मिल रहे हैं। गन्ने के लिये केन्द्रीय सरकार को समान मूल्य नीति बनानी चाहिये।

पहले श्रीलंका, मलेयशिया, सिंगापुर तथा कुछ अन्य देशों को गुड़ का निर्यात किया जाता था। परन्तु अब यह निर्यात बन्द कर दिया गया है। हमें इसके कारण मालूम नहीं हैं। सरकार को इन देशों के साथ वार्ता करनी चाहिये और गुड़ निर्यात के लिये उन देशों के साथ व्यापार समझौता करना चाहिये।

तमिलनाडु में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक मांग यह है कि छोटे किसानों के लिये ऋण राहत दी जाये। केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। छोटे किसानों को ऋण राहत के जरिये छोटी राशियों को बट्टे खाते में डाला जाना चाहिये।

मछेरा समुदाय को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।

श्री तरूण गोगोई (जोरहाट) : मुझ प्रसन्नता है कि नई सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सुधार पर जोर दे रही है। परन्तु थोड़ी सी अधिक राशि देकर जोर देने से केवल तब तक उद्देश्य हल नहीं होगा जब तक इस बारे में ठोस उपाय नहीं किये जाते। नई सरकार की कृषि नीति से यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि जिस तरह से वे काम कर रहे हैं उससे गरीब वर्गों के बजाय अमीर किसानों को ही लाभ होगा।

यह सच है कि कृषि ने कुछ प्रगति की है, परन्तु किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। व्यापारियों को ही लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं को भी लाभ होना चाहिए।

Shri Laxmi Narain Naik (Khajuraho): It is good that inspite of hailstorms and cyclones in some parts of the country, the agricultural production is expected to be on the high side this year. The Minister and employees of agricultural department deserve congratulations for this. But steps should be taken to remove existing difficulties being faced by the farmers.

The problems of landless agricultural labourers should also be solved. The States should be asked to implement the land ceiling legislations with promptitude and strictness so that surplus land thus made available can be distributed to the landless labourers.

The agricultural labourers are getting wages at very low rates. They have no organisation of their own to raise their voice. Government should take steps to see that their wages are increased.

Consolidation of holdings is very much beneficial for the agriculture. But because of the manner in which the consolidation employees work, some farmers oppose this scheme. Steps should, therefore, be taken to see that the consolidation employees work with sincerity and honesty.

The work on Rajghat Dam Scheme, which had been approved a few years back, should be started early and the districts of Tikamgarh, Shivpuri, Datia, Bhind and Gwalior should be provided water according to the decision already taken earlier. District Tikamgarh should not now be excluded from this scheme.

Steps should also be taken to settle Narmada water dispute expeditiously and to start the projects relating thereto.

Survey in regard to Orchha Hydro Electric Project has been completed and the scheme is to be submitted to the Centre shortly for approval. It should be seen that its approval is expedited.

There has been heavy silting in thousands of old ponds and tanks in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Their dredging should be done, so that more water could be accumulated in them for irrigation. The silt thus removed can also be utilised for making the waste land fertile.

Every step should be taken to see that the forest wealth of the country is protected fully. Officers found guilty of giving wrong decisions for deforestation should be punished. The plots of deforested land on which the farmers are carrying on agricultural operations should be given to them on lease.

There are only two national parks in the country. More national parks should be set up. Orchha is a very suitable place to set up one such park.

Steps should be taken to improve the structure and working of the Agricultural Prices Commission with a view to ensure that the farmers get reasonable price for their produce.

***श्री गणनाथ प्रधान** (सम्बलपुर) : अनाज का आयात बिल्कुल बंद करने और न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने बल्कि अतिरिक्त अनाज का उत्पादन करने के लिए मंत्रालय बधाई का पात्र है ।

हमारे यहां सिंचाई के अत्यधिक स्रोत हैं । हमें सिंचाई साधनों का विकास करके पांच वर्ष के भीतर पर्याप्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधाएं देनी चाहिये । तब हम अनाज का उत्पादन काफी बढ़ा सकते हैं ।

कृषि नीतियों को लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच मतभेद हैं । इसका लाभ बिचौलिये अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु उठा रहे हैं । उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों को यथासम्भव प्रयास करने चाहिये । बिचौलियों को अनाज व्यापार से निकाला जाये ।

देश की जनसंख्या समस्या नहीं रहनी चाहिये । उसका उपयोग भूमि सेना बनाने के लिए किया जाये जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये । उनका उद्देश्य गांवों का सुगठित विकास करना होना चाहिये । भारतीय किसान अभी भी बैलगाडी युग में है । ग्रामीण युवकों को आधुनिक कृषि उपकरणों और वैज्ञानिक खोजों का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाये । किसान को खेतों में ही प्रशिक्षण दिया जाये । तभी कृषि समुन्नत हो सकती है ।

कृषि मजदूरों को न्युनतम वेतन भी नहीं मिलता । केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर सरकार न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराये ।

छोटे किसानों को उचित मूल्यों पर पर्याप्त उर्वरक नहीं मिलते । उड़ीसा में बैंक और सहकारी समितियां छोटे किसानों को ऋण नहीं देती । केन्द्र सरकार को देश भर में उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिये ।

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : सन्तोष का विषय है कि कृषि के लिए योजना परिव्यय में वद्धि की गई है । हमारें यहां खाद्यान्नों का यथेष्ट भण्डार है और लघु सिंचाई सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हुई है ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार ने बारबार वादे किए हैं लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है । यदि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये तो घाटे वाले और रुग्ण चीनी के कारखानों में भी लाभ होने लगेगा । राष्ट्रीयकृत चीनी उद्योग गन्ने की खेती की योजना बना सकता है और पहले पकने वाली गन्ने की किस्म के गन्ने को पहले पेरा जा सकता है और पिछली किस्म के गन्ने को बाद में पेराई हो सकती है । इससे गन्ने के पेराई मौसम का विस्तार हो सकता है । इससे चीनी उद्योग के मजदूरों की मजूरी बढ़ाई जा सकती है ।

उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Oriya.

[प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना]

गुड़ और खण्डसारी के निर्माताओं को प्रोत्साहन देने हेतु गुड़ और खण्डसारी पर से सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए जाने चाहिए जिनसे गन्ने की पूरी फसल की समय पर पेराई को जा सके और इससे गन्ना उत्पादकों को लाभ हो सके।

एक ही मूल परिषद को भारतीय चीनी विकास परिषद तथा भारतीय गन्ना विकास परिषद में विभाजित करना हानिकारक रहेगा और यह वैज्ञानिक भी नहीं है, इस आशय के आदेश जारी किए जाने चाहिएं कि पेराई के मौसम में कोई चीनी मिल बन्द नहीं किया जायेगा और वह अपने क्षेत्र में पूरे गन्ने की पेराई करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का न्यूनतम मूल्य का पूरा भुगतान करेगा।

गोरखपुर और मेरठ में कोयम्बतूर की भांति गन्ना बीज उत्पादन स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए क्योंकि गोरखपुर में लगभग 50 चीनी मिलें हैं और मेरठ में 35 हैं।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को कृषि विकास के लिए व्यापक अनुसन्धान परियोजनाएं चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाये।

छोटे रेशेवाली कपास की फसल के बजाय लम्बे रेशे वाली मिश्र किस्म की कपास का उत्पादन किया जाना चाहिए।

हरियाना पशु प्रजनन केन्द्र द्वारा घटिया किस्म के पशुओं के प्रजनन को समाप्त कर उन्नत किस्म के पशुओं की नस्ल तैयार करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिये तथा उसे कार्यान्वित की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए बढ़िया किस्म के पशु विश्व भर से लाने चाहिएं। भारत में प्रत्येक बालक, स्त्री एवं पुरुष को ताजे दूध की सप्लाई करने के लिए भी व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उत्पन्न करने हेतु बड़े पैमाने पर घास और चारे की खेती करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव और वनों में चरागाहें भी बनाई जानी चाहिएं। दूध देने वाले पशुओं के बध करने पर समूचे देश में कानूनन प्रतिबन्ध लगाया जाये।

देहरादून स्थित वन अनुसन्धान संस्थान को पूर्ण रूप से स्वायत्त शासी निकाय बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि यह देश की वन सम्पदा को दुगुनी करने हेतु सुगमता से कार्यवाही कर सकें।

भारतीय खाद्य निगम सफेद हाथी है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाये तो खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा और अत्यधिक हैण्डलिंग खर्च जो भारतीय खाद्य निगम वहन करता है, उसे कम किया जाये। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के भण्डार हैं और इस पर से बिना किसी हानि के नियंत्रण हटाया जा सकता है।

इस समय हमारे गांवों में शुद्ध पेय जल तक नहीं है। वहां जल निकासी और सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कृषि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में ऐसा कोई गांव न रहे जिसमें पेय जल की व्यवस्था न हो।

कृषि विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक का प्रशिक्षण कार्य की देश के सभी डिग्री कालेजों में व्यवस्था होनी चाहिए। फरुन्दा तहसील में नहरें नहीं हैं और वहां कोई नलकूप भी नहीं हैं। वहां 5 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें सिंचाई नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए 2,000 नलकूपों की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं यह कार्य पूरा किया जायेगा।

Shri Madan Lal Shukla (Janjgir): Sir, most of the people living below the poverty line are those who are engaged in agricultural industry. All efforts should therefore be made for the rapid development of rural sector. If adequate irrigational facilities are provided, our farmers can show appreciable results.

The fertilizer factory at Karha in Madhya Pradesh has been under construction since 1965. Special attention should be paid towards its expeditious completion.

Cow-slaughter in the country should be banned so that more milk and manure may become available.

The work being done at various agricultural research centres in the country is satisfactory and commendable.

Some minor irrigation schemes, such as Hasda-Bango Scheme, Arpa Scheme, Maniyari Scheme etc. have been sent by Madhya Pradesh Government to the Centre for approval. Their approval should immediately be accorded.

Attitude towards agriculture should be changed so that those engaged in the agricultural occupation may feel a sense of pride and their children do not run after white-collar jobs.

श्री गंगा सिंह (मण्डी) : मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं और उस प्रदेश के किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है मुझे जो सूची दी गई है उसी के अनुसार चलना है । इस तरह से कुछ अन्य राज्यों के सदस्य भी नहीं बोल सके हैं । आप मेरे साथ सहयोग करें । इस तरह से मंत्री महोदय को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल पायेगा ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : हमारा देश कई वर्षों से भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात कर रहा था । कई बार इसके लिए हमे काफी ऊँचा मूल्य भी चुकाना पड़ा । हम अपने किसानों को वह दाम भी देने में समर्थ नहीं हुए हैं जिस पर हम अन्य देशों से खाद्यान्न खरिदते रहे हैं ।

सत्ता में आने के बाद जनता सरकार ने खाद्यान्न आयात न करने का निर्णय लिया । देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं । हमारे प्रयासों तथा उचित आयोजन के परिणामस्वरूप इस संबंध में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है ।

1975-76 में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिकतम हुआ । इस अवधि के दौरान 121 मिलियन टन उत्पादन हुआ लेकिन 1976-77 में उत्पादन में थोड़ी कमी हुई और उत्पादन घटकर 111 मिलियन टन रह गया इसलिए 1977-78 के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय हम बहुत सतर्क रहे और हमने केवल 118 मिलियन टन ही उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ । विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष उत्पादन 125 मिलियन टन होने की संभावना है और उत्पादन के क्षेत्र में यह एक नया रिकार्ड है ।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

वृद्धि मुख्यतः गहूं, चावल, ज्वार और दालों के संबंध में ही देखी जाती है कुछ वर्षों से चावल उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन इस वर्ष 50 मिलियन टन उत्पादन होगा जोकि पिछले कुछ वर्षों को अवधि में काफी अधिक है। हरियाणा और पंजाब जैसे क्षेत्रों में जहांकि आमतौर पर चावल नहीं उगाया जाता है वहाँ भी चावल के उत्पादन में समुचित वृद्धि हुई है। अकेले पंजाब में गत वर्ष के दौरान चावल उत्पादन में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

उत्पादन में वृद्धि केवल खाद्यान्नों तक ही सीमित नहीं है। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी समुचित वृद्धि हुई है। मुख्य तिलहनों के उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है। कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है, आलू और तंबाकू का उत्पादन भी काफी अच्छा रहा है। गन्ने के उत्पादन में हुई अत्यधिक वृद्धि इस वर्ष हमारे लिए समस्या बनी है। 1977-78 में कृषि उत्पादन में समग्र तौर पर 10—12 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

उत्पादन में वृद्धि कई कारणों से हुई है। उर्वरकों का प्रयोग अधिक हुआ है। गत वर्षों में उर्वरकों का प्रयोग 46 प्रतिशत बढ़ा है। अधिक उपजवाली फसलों की किस्मों के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है, साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय किसानों के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है भारतीय कृषि वैज्ञानिक भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कई फसलों के बारे में नई नई खोज की है।

देश में खाद्य स्थिति अच्छी है। इस सम्बन्ध में किसी सदस्य को कोई शिकायत नहीं है। सभी राज्यों को खाद्यान्न उसकी आवश्यकताओं के अनुसार दिया गया है। इस मूल्यों में भी स्थिरता आई है। मूल्यों में स्थिरता प्रतिबंधों को हटाने के परिणामस्वरूप भी आई है। सभी बड़े शहरों और गांवों में मूल्यों में स्थिरता आई है और विषमताएं दूर की गई है।

हमने वसूली पर लगाए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम खरीददारी के संबंध में समर्थन की नीति अपना रहे हैं। हम देश की आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित खाद्यान्नों की वसूली में सफल हुए हैं।

समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली के लिए हमने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की है। समर्थन मूल्य 112 रुपये 50 पैसे है। इसके अतिरिक्त किसान चाहे तो अपना उत्पादन खुले बाजार में भी बेच सकता है और अगर उसे व्यापारियों से ज्यादा कीमत प्राप्त हो रही हो तो उसे पूरा हक है कि वह उस कीमत पर अपना माल दे दे लेकिन इसके साथ हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक भी रहे।

गत वर्ष से सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ है। 1976-77 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए केवल 685 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया था लेकिन इस वर्ष इस उद्देश्य हेतु 1,040 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए गत वर्ष 457 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन इस वर्ष इस उद्देश्य हेतु 550 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है।

गत वर्ष के दौरान 2.8 मिलियन हैक्टेयर भूमि में सिंचाई को कुल संभाव्यता का निर्माण किया गया। विश्व के संदर्भ में यह नया रिकार्ड है। गत वर्ष 3.5 लाख कुएं और नलकूप लगाए गए। अगले पांच वर्षों के दौरान 17 मिलियन हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी। 8 मिलियन हैक्टेयर भूमि बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत आएगी जबकि 9 मिलियन हैक्टेयर भूमि छोटी सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाई जाएगी। हम विद्यमान सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाए प्रदान करने पर अधिक बल दिया गया है। अतीत में इन क्षेत्रों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिए था। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा के राज्यों में कई नई परियोजनाएं शुरू की गई है। इन आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं की जाँच पड़ताल के लिए सरकार आवश्यक वित्त की व्यवस्था करेगी।

सूखाग्रस्त और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है।

गत वर्ष के दौरान हम कुछ अन्तर्राज्यीय समस्याओं को हल करने में सफल हुए हैं। यह विवाद कई वर्षों से लटके पड़े थे। चिएन बांध परियोजना का विवाद भी 10 वर्षों से लटका पड़ा था। सभी संबद्ध मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर यह मामला शांतिपूर्वक हल कर लिया गया है। इसी प्रकार बनसागर बांध परियोजना की समस्या हल करने में भी हम सफल हुए है।

बुन्देलखण्ड का क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और इसमें सिंचाई की सुविधाए नहीं है। हम उस क्षेत्र में भी सिंचाई का व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अध्ययन तथा कर्नाटक और केरल की नदियाँ जोंकि अरब सागर से मिलती है, तथा जिनके जल को सिंचाई हेतु उपयोग से नहीं लाया जा रहा, के बारे म भी उल्लेख किया गया है। इन नदियों के अतिरिक्त जल को सिंचाई के उद्देश्य हेतु उपयोग में लाने की संभाव्यता के बारे में जांच करने के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। केरल प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में यह अध्ययन नहीं किया जा सकता। हम इस समिति में केरल के एक सदस्य को मनोनीत करना चाहते है।

बिहार में कोसी और गंडक परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। इन दो परियोजनाओं के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। कोसी परियोजना की समस्या तभी हल हो सकती है जबकि नेपाल में जलाशय बनाया जाए और उपरि जलग्रहण क्षेत्र में भूसंरक्षण योजनाएं शुरू की जाए क्योंकि उस क्षेत्र में गाद जल्दी भर जाती है। भारत और नेपाल ने दोनों देशों में बहने वाली नदियों के संबंध में कुछ जलाशय परियोजनाओं के बारे में संयुक्त जांच कराने के लिए स्वीकृति दी है।

जहां तक कोसी नदी का संबंध है भारत सरकार ने नेपाल में स्थित जल ग्रहण क्षेत्र के लिए भूसंरक्षण योजनाओं के कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की मंजूरी दे दी है। जहां तक गंडक नदी का संबंध है कमान क्षेत्र में बाढ़ और जलनिकासी की समस्या है। जलनिकासी के लिए 20 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है और 10 करोड़ रुपये की लागत से तटबंध बनाए जा रहे हैं।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

कई राज्यों में बाढ़ों की समस्या है । दिल्ली को भी खतरा है । यह समस्या राजस्थान की ओर बहने वाली साहिबी नदी के कारण पैदा हुई है जोकि हरियाणा से होती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है । पहाड़ी कामा नाले ने भी समान समस्या पैदा कर दी है । यह एक अन्तर्राज्यीय नाला है जिसका संबंध राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है । अब इन राज्यों के साथ सलाह करके केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने एक मास्टर प्लान बनायी है और इन राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि इस योजना के काम को हाथ में लें । इसी प्रकार गोवर्धन और पहाड़ी कामा नालों की समस्या का समाधान भी तीनों राज्यों की बैठक बुलाकर कर लिया गया है । तीन बाढ़ वाले नालों के लिये एक संयुक्त बाढ़ रक्षा योजना पर सहमति हो गई है ।

यह कहा गया है कि सरकारी सहायता के मामले में भेदभाव किया गया है । यह सहायता दी जा रही है परंतु इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । यह आरोप है कि गेहूं पर अधिक राजसहायता दी गई है । इसका यह अर्थ नहीं कि यह सहायता गेहूं उत्पादक राज्यों को दी गई है । यह मुख्यतः गेहूं को खपत करने वाले राज्यों को दी गई है ।

चावल के मामले में काफी राजसहायता दी जाती है । जहां तक खाद्यपदार्थों की बात है इसमें दक्षिण और उत्तर का कोई प्रश्न नहीं है । जहां भी आवश्यकता हो अनाज दिया जाना चाहिये । देश की खाद्य सम्बन्धी सभी मांगें पूरी की जानी चाहिये । यह हमारी नीति है ।

आयात और निर्यात के संबंध में उल्लेख किया गया है । कहा गया है कि आलू, प्याज और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया । प्याज की कीमत पिछले वर्ष जब बहुत अधिक बढ़ गई थी तभी इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया । लेकिन अब एन० ए० एफ० इ० डी० के जरिए निर्देश दे दिए गए हैं कि अब प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नही है और जितनी मात्रा में व्यापारी चाहें इसका निर्यात कर सकते हैं । आलू के सम्बन्ध में एन० ए० एफ० ई० डी० को 45 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य बनाये रखने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं । उन्हें तैयार आलू 60 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं ।

तम्बाकू के निर्यात पर मात्रा सम्बन्धी कोई प्रतिबंध नहीं है । राज्य व्यापार निगम उत्पादकों से सीधे 10,000 टन तम्बाकू खरीदेगा । आशा है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई खरीदों से बाजार में मूल्यों में स्थिरता आयेगी । भूमि सुधार सम्बन्धी नियमों के बारे में काफी कुछ कहा गया है । किन्तु जनता पार्टी सरकार भूमि सुधार सम्बन्धी नियमों को तीव्रता से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है । और यह स्पष्ट कर लिया गया है कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानून ईमानदारी से कार्यान्वित किए जाएंगें । इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भूमि सुधार सम्बन्धी समिति का गठन किया गया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

भूमि की सीमाबन्दी के फलस्वरूप लगभग 14 लाख हेक्टर भूमि अर्जित की गई है । और अब तक जो भूमि वितरित की गई है उससे 109 परिवार लाभान्वित हुए हैं । इस बात की शिकायतें आई है कि जब एक बार भूमि का आबंटन किया जा चुका था तो जिन लोगों को वह भूमि बांटी गई वे वहां से भाग गए, क्योंकि वह भूमि निम्न स्तर की थी । ऐसी भूमि को सुधारने के लिए उन लोगों को अब तक 12 करोड़ रुपय की सहायता दी जा चुकी हैं । 1978-79 में यह राशि बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये

कर दी गई है। चकबन्दी के बारे में भी एक बात कही गई है। अबतक केवल 440 लाख हेक्टेयर भूमी की चकबन्दी की गई है किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह काम सभी क्षेत्रों में अधिक तेजी से किया जाता है।

जहां तक जनता सरकार के कार्यकरण का सम्बन्ध है, 1977 में हमने केवल आठ महिने की अवधि में 1,45,000 एकड़ भूमि वितरित की थी। अब हम सभी रिकार्डों को अद्यतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के नाम आदि रिकार्ड में रखे जा रहे हैं। कहा गया है कि हम छोटे तथा सीमान्त किसानों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सरकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त देश मे एस० एफ० डी० ए० ब्लाकों के लिए धन की व्यवस्था 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा परियोजना क्षेत्र में 1,093 चुनिंदा ब्लाकों के ब्लाक स्तरीय योजना तथा विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कृषि ऋण के बारे में सरकार की नीति किसान समुदाय के कमजोर वर्गों को ही मुख्य रूप लाभ पहुंचाना है। राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों के लोगों को सहकारी समितियों के सदस्य बनाने का अभियान चलाए। हम चाहते हैं कि प्रत्येक किसान, प्रत्येक व्यक्ति जो कृषि कार्य करता है, सहकारी समितियों का सदस्य बने ताकि वह सोसाइटी का सदस्य बनकर उससे लाभ उठा सके।

संस्थागत ऋण एजेन्सियों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों को योजना समूचे देश में लागू की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत कुछ प्राथमिकता वाले पक्षों, जिनमें छोटे किसान भी सम्मिलित हैं, को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाता है। सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जानेवाली कृषि ऋण की राशि अब 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। किन्तु हम छोटे तथा सीमान्त किसानों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

उर्वरकों के मूल्यों का भी उल्लेख किया गया है। हमने यूरिया की कीमत गत वर्ष अक्तूबर माह में 100 रुपये प्रति टन घटा दी थी। सरकार ने प्रति टन 1,250 रुपये को कई प्रकार की वित्तीय रियायतें भी दी हैं, जिससे उर्वरक के मूल्य में गिरावट आई है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह बताया है कि कई राज्यों में छोटे तथा सीमान्त किसान मध्यम तथा बड़े किसानों की तुलना में अधिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। हमने 1977 की खरीफ की फसल तथा 1977-78 की रबी फसल के दौरान क्रमश: 68 तथा 75 जिलों में उवरक संवर्धन अभियानों को चलाकर उर्वरकों की खपत बढ़ाने के प्रयास किए हैं। हम रसायनिक खादों तथा गोबर खादों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए हमने स्थानीय गोबर संसाधनों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है।

जनता बाईयो-गैस संयंत्र को भी लागू किया गया है। इसको लागू करने से नए गैस संयंत्रों की लागत पहले वाले संयंत्रों की तुलना में केवल आधी होगी। ये संयंत्र उतनी ही गैस का उत्पादन कर रहे हैं, जितनी गैस का उत्पादन सुविधाजनक बाइयों-गैस संयंत्र करते हैं और इसलिए हम इसके प्रयोग को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं।

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

कहा गया है कि प्रतिवेदन में मत्स्यपालन का पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु हम इसके लिए बाजारों का पता लगाने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगभग विश्व के सभी देश हमारे जल का लाभ उठा रहे हैं। अतः हम बड़े-बड़े जलयानों, मशीनयुक्त मछली मारने वाली नौकाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम अन्तर्देशीय मछली पकड़ने के काम को भी बढ़ा रहे हैं।

एक आपत्ति उठाई गई है कि ग्रामीण सड़कों के लिए धन की व्यवस्था क्यों की गई है। राज्य सरकारें बार-बार इसके लिये अधिक धन की व्यवस्था करने की मांग कर रही हैं। अतः हमने ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से मिलाने के लिए इस वर्ष 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गत वर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। किन्तु इस वर्ष इस प्रावधान को बढ़ाकर 115 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह आपत्ति भी उठाई गई है कि बिजली के लिए कम प्रावधान किया गया है। किन्तु हम कृषि कार्यों के लिए अधिक बिजली की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केवल 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी और इस वर्ष यह बढ़ाकर 297 करोड़ रुपये कर दी गई है। अतः इस प्रकार के सभी उपाय किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण जीवन बहतर हो सके।

मरुस्थल के विकास के लिए गत वर्ष 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हम दालों के उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अगले वर्ष तक हमारे पास हमारी जरूरत के लिए दालें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।

इसी तरह हम तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मुंगफली का सम्बन्ध है, इस वर्ष इसकी स्थिति बेहतर है। किन्तु सरसों तथा रेपसीड की स्थिति में सुधार करने के लिए हम अधिक प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए अच्छा काम किया है। इस वर्ष हम कृषि अनुसंधान के लिए 62 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं।

Shri Ganga Singh (Mandi): We import Hops in India worth one crore of rupees. Research has been made in Lahaul-Spiti region of Himachal Pradesh in this respect and it is being grown there. Hop produced there is much better than that produced in any other country. What is Government's policy in regard to stopping its import? What is Government's scheme to revive trout fishery which is getting extinct in the country? Whether Government propose to set up a farm in Kinnor or Lahaul-Spiti to protect Pashmina Sheep which are getting extinct in the country?

Seed Potato is grown in Himachal Pradesh only, when all the routes are blocked its transport to Delhi suffers. What arrangements are being made to ensure reasonable price of seed potato to farmers?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एम० एस सी० और पीएच० डी० कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन मांगे गये हैं। यद्यपि यह एक कृषि अनुसन्धान संस्था है, तथापि इसमें 236 संकाय सदस्यों में से केवल 35 कृषि स्नातक हैं। 15 विभागाध्यक्षों में से 12 गैर-कृषि स्नातक हैं। यही स्थिति निदेशकों तथा संयुक्त निदेशकों के बारे में भी है। यद्यपि कृषि लोगों में सभी प्रकार के लोग है, उन्हे कृषि अनुसन्धान संस्था में अवसर नहीं दिया जाता। वे लोग कहां जायेंगे यदि एम० एस सी० पास लोगों को संस्था में लगाया जाता है और उनका वहां वर्चस्व हो जाता है? मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिये मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : होप का इस्तेमाल बीयर बनाने में होता है। यह मामला मेरे ध्यान में अभी आया है कि होप काश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षत्रों में पैदा होता है। मैं मामले की जांच कर रहा हूं कि देश में होप का कितना उत्पादन होता है और उसकी कितनी आवश्यकता है। उसके बाद ही उसके आयात को रोकने के सम्बन्ध मे विचार किया जायेगा।

जहां तक ट्रोट मछली का सम्बन्ध है यह ठंडे पानी में होती है। काश्मीर तथा हिमाचल में कुछ ऐसी जगह है जहां यह होती है। वे अपने राज्य में ऐसी और जगह बनाये हम इसके लिए यथासम्भव सहायता देंगे।

जहां तक पशमीना शीप का सम्बन्ध है, हमने रुस से कुछ कराकुल शीप का आयात किया है और अफगानिस्तान से भी कुछ का आयात किया है जो नस्ल की बहुत अच्छी हैं। हम किस्म में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु राज्यों को स्वयं भी कुछ करना चाहिये। हम इसके लिये उन्हें सहायता भी देंगे।

जहां तक श्री राठे के प्रश्न का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद एक अनुसन्धान संस्था है, यह एक शैक्षणिक संस्था भी है। स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा यहां दी जाती है। वहां पर नियमित रूप से कक्षाएं लगती है और वे कुछ छात्रों को प्रवेश देते हैं। एम एस० सी० कृषि कक्षाओं के लिये बी एस० सी० कृषि पास स्नातक ही प्रवेश ले सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसी तरह कृषि में पी एच० डी० के लिये कृषि में एम० एस० सी० पास को ही दाखिला मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदान की मांग संख्या 1 से 10 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की सभी मांग पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

All the demands for grants in respect of Ministry of Agriculture and Irrigation were voted in full.

गृह मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांग संख्या 47 से 57 पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

यदि वे माननीय सदस्य, जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्तावों का क्रमांक दर्शाते हुए अपनी पर्चियां भेजें। इन कटौती प्रस्तावों को पेश किया समझा जायेगा।

गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगे संख्या 47 से 57 पेश की गईं ।

The Demands for Grants Nos. 47 to 57 relating to the Ministry of Home Affairs were moved.

Shri Vasant Sathe (Akola): In connection with the Demands for Grants in respect of Ministry of Home Affairs, I am sorry that our country is passing through a stage of lawlessness, and the law and order situation is deteriorating day by day. Even in Delhi serious crimes are committed in broad daylight. The situation is very much serious and the Government must take note of it. There are grievances among the police that officials are transferred from one place to another indiscriminately.

The Prime Minister has stated that in Pantnagar the police had to resort to firing as they were attacked. None of the newspapers has published any statement to this effect. The police has been given weapons to resort to firing only after all preventive measures have been tried and failed. The Home Ministry has totally failed on the law and order front and also in the matter of giving protection to the innocent citizens and common people. The police should be provided with water hoses. Even if a gun is to be pdovided, it should be of 0.22 and not a three not three rifle. **(interruptions).** This aught to begin at same point.

उपाध्यक्ष महोदय : आप 3 मिनट और ले सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : 'ऑल दी जनता मैन' में श्री जनार्दन ठाकुर ने श्री चरण सिंह पर बहुत से आरोप लगाये हैं। श्री चरण सिंह की सरकार ने उनके भाई मन सिंह को गन्ना अधीक्षक नियुक्त किया था ।

गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
47.	1.	श्री जी० एम० बनतवाला	देश के अनेक भागों में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ती हुई हिंसा को रोकने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
	2.	श्री जी०एम० बनतवाला	वाराणसी में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों की विशेषकर प्राधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित ज्यादतियों तथा पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए, शीघ्रता से न्यायिक जांच कराने में असफलता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
52	22.	श्री जी०एम० बनतवाला	अल्पसंख्यक आयोग के असंतोषजनक गठन और मुसलमानों अल्पसंख्यकों में जिनकी संख्या सबसे अधिक है में से किसी को सभापति नियुक्त न किये जाने के कारण उन में व्याप्त रोष।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय।
52	23.	श्री जी०एम० बनतवाला	अल्पसंख्यक आयोग की प्रभावहीन शक्तियां और अधिकार।	--,,--
52	24.	श्री जी०एम० बनतवाला	अल्पसंख्यक आयोग को स्वतंत्र और संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता।	--,,--
52	25.	श्री जी०एम० बनतवाला	मोपला विद्रोह के सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में मान्यता देने में असफलता।	--,,--
52	48.	श्री जी०एम० बनतवाला	मुरादाबाद जिले के सम्भल क्षेत्र में हुई गम्भीर साम्प्रदायिक हिंसा के प्रति सरकार की उपेक्षा और घटना की न्यायिक जांच करवाने में असफलता।	--,,--
52	67.	श्री जी०एम० बनतवाला	विशेषकर दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति।	राशि घटा कर 100 रुपया कर दी जाए।
47	3.	श्री केशवराव धोंडगे	महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।
47	7	श्री केशवराव धोंडगे	महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद हल करने में असफलता और इसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती लोगों में व्याप्त असन्तोष।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए।
47	8	श्री केशवराव धोंडगे	मराठवाडा क्षेत्र के, विशेषकर नांदेड जिले और कंधार तालुक के शहीदों, जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपने प्राण दे दिए, के परिवारों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता देने में असफलता।	--,,--

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
47	9	श्री केशवराव धोंडगे .	महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कंधार तालुक में कालबली गांव के 35 शहीदों, जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भाग लिया था, के प्रति दिखाई गई उपेक्षा ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए ।
47	10	श्री केशवराव धोंडगे .	महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों को सहायता देने में असफलता ।	—,,—
47	5	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	15 अगस्त, 1975 से निर्वाह मूल्य में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन बढ़ाकर कम से कम 300 रुपये प्रतिमास करने में असफलता ।	—,,—
55	27	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश में उपनिवेशोकरण/पुनर्वास योजना के अन्तर्गत बसाए गए शरणार्थियों की शेष समस्याओं को हल करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
55	28	श्री मनोरंजन भक्त .	बीडनाबाद और मक्कापहार क्षेत्र के तमिल-भाषियों को, जहां ये गत वर्ष बेदखल कर दिए गए थे, भूमि आबंटित करने की आवश्यकता ।	—,,—
55	29	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काम करने वाले चौधरियों और चौकीदारों की मजूरी बढ़ाने की आवश्यकता ।	—,,—
55	30	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में समुचित आधारभूत ढांचे सहित सिंगापुर और हांगकांग की भांति वृध्य निकोबार द्वीप का एक निर्बाध पत्तन के रूप में विकास करने में असफलता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
55	31	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की भांति लोकप्रिय प्रशासन की स्थापना करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
55	32	श्री मनोरंजन भक्त .	भर्ती तथा निवास स्थान के भेदभाव के बिना सभी सरकारी कर्मचारियों को अंडमान विशेष भत्ता देने में असफलता ।	—,,—
55	33	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटित करने में असफलता ।	—,,—
55	34	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में कमजोर वर्गों को आवास-स्थल देने में असफलता ।	—,,—
55	35	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीपों में भूतपूर्व पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास पर व्यय किए गए ऋण को माफ करने में असफलता ।	—,,—
55	36	श्री मनोरंजन भक्त	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने में विफलता ।	—,,—
55	37	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में गरीब जनता द्वारा अधिकार में ली गई भूमि को नियमित करने की आवश्यकता ।	—,,—
55	38	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप में अन्तरद्वीप जल परिवहन सेवा को सुधारने की आवश्यकता ।	—,,—
55	39	श्री मनोरंजन भक्त .	आपात के दौरान दीगलीपुर में निर्धन ग्रामीणों पर किये गये अत्याचारों की जांच करने की आवश्यकता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
55	40	श्री मनोरंजन भक्त .	आपात् के दौरान नीलाम की गई समस्त कृषि भूमि को क्षेत्र के मूल अलाटियों को पुनः सौंपने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
55	41	श्री मनोरंजन भक्त .	दक्षिण अंडमान में फेरारगंज, कदलगंज, दन्दूसर्‌वाइंट, नमूनगढ़, वानदूर, ओगराबराज, पत्थरगड्‌डा और कालोकट के ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफलता ।	—,,—
55	42	श्री मनोरंजन भक्त	मध्य अंडमान में कादमतल्ला, शान्तनु, बाकुलतल्ला और सबरी तथा उत्तर अंडमान में एरियल बे, मधुपुर, कालीघाट और किशोरीनगर में पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफलता ।	—,,—
55	43	श्री मनोरंजन भक्त	अंडमान में तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे लोक निर्माण विभाग के एन० एम० आर० मजदूरों को नियमित करने में विफलता ।	—,,—
55	44	श्री मनोरंजन भक्त .	क्षेत्र के दूर दराज भागों में काम करने वाले मजदूरों को वन भत्ता/शिबिर भत्ता देने में असफलता ।	
55	45	श्री मनोरंजन भक्त	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जिन की पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है, सलैक्शन ग्रेड देने की आवश्यकता ।	—,,—
55	46	श्री मनोरंजन भक्त	अंडमान और निकोबार द्वीपों में पुलिस रेडियो आपरेटरों के वेतनमानों की पुनर्संरचना और उन के लिए पदोन्नति, के अवसर पदा करने की आवश्यकता ।	—,,— —,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
55	47	श्री मनोरंजन भक्त .	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र में श्यामनगर से दीगलीपुर, रामनगर से कालीघाट, किशोरी नगर से दीगलीपुर, रामपुर से करमातंग, तुगापुर से चैनपुर, शोल बे से शोल संख्या 7 और कमोरता से दारीन तक सड़कों का निर्माण करने में विफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाए ।
7	85	श्री गिरिधर गिमांगो	आदिवासी सब-प्लान क्षेत्रों में कार्मिक प्रशासन में सुधार की आवश्यकता ।	—,,—
7	86	श्री गिरिधर गोमांगो	आदिवासी क्षेत्रों के लिये भारतीय आदिवासी सेवा और राज्य आदिवासी सेवा जैसी अखिल भारतीय और राज्य वर्ग सेवाओं के सृजन की आवश्यकता ।	—,,—
7	87	श्री गिरिधर गोमांगो .	जिला, उपखण्ड और ब्लाक स्तरों में आदिवासी विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिये महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों का चयन करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	88	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी प्रशासन पर गहराई से और विस्तार से विचार करने और इस सम्बन्ध में सुधार सुझाने के लिये समिति का गठन करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	89	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासियों के योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता ।	—,,—
7	90	श्री गिरिधर गोमांगो .	उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां व्यवस्था कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये दक्ष नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये राज्यों को निदेश देने की आवश्यकता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	91	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासियों की समस्याओं से निपटने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस के प्रशासन में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाये ।
7	92	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे नौजवान और उत्साही पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता जो उनक्षेत्रों की कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं ।	--,,--
7	93	श्री गिरिधर गोमांगो .	अत्याचारी और तंग किये जाने के बारे में आदिवासियों और हरिजनों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये जिला, उपखण्ड और पुलिस थानों में सेल स्थापित करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	94	श्री गिरिधर गोमांगो	आदिवासी क्षेत्रों के पुलिस थानों में मकान, टेलोफोन, कार्यालय और यातायात जैसी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	95	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी बोलियों को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता ।	--,,--
7	96	श्री गिरिधर गोमांगो .	विभिन्न आदिवासी भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करने वाले आदिवासी लोगों को भाषायी अल्पसंख्यकों में शामिल करने और उनकी समस्या पर भाषायी अल्पसंख्यक आयोग में सविस्तार चर्चा करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	97	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी भाषा को प्राथमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में आरम्भ करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	98	श्री गिरिधर गोमांगो .	सवारा लिपि, जिसका अविष्कार गुनुपुर, उड़ीसा में हुआ है, के विकास के लिये सहायता देने की आवश्यकता ।	--,,--
7	99	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी भाषाओं के बारे में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये मंत्रालय द्वारा भाषा संस्थान खोलने की आवश्यकता ।	--,,--

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	100	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिवासी भाषा, लिपियों की समस्या का अध्ययन करने और आदिवासी क्षेत्रों में भाषा समस्या के बारे में किये जाने वाले उपयुक्त उपायों के सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन करने की आवश्यकता ।	राश में से 100 रुपए घटा दिए जाएं ।
7	101	श्री गिरिधर गोमांगो .	विशेष रूप से आदिवासो क्षेत्रों में शुद्ध जनगणना प्रतिवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	102	श्री गिरिधर गोमांगो .	सब-प्लान और सब-प्लान से बाहर के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, भाषा, संस्कृति, धर्म, आदिवासियों के व्यवसाय सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने वाले एक पृथक जनगणना प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	103	श्री गिरिधर गोमांगो.	आदिवासी क्षेत्रों में जनगणना प्रतिवेदन की परिशुद्धता के लिये जनगणना के लिये ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता जो आदिवासियों को भाषा जानते हैं ।	--,,--
7	104	श्री गिरिधर गोमांगो.	प्रशासन और विकास के प्रयोजनों के लिये आदिवासियों पर अखिल भारतीय और राज्य तथा जिला स्तर की जनगणना सम्बन्धी प्रतिवेदन को प्रकाशित करने की आवश्यकता ।	--,,--
7	105	श्री गिरिधर गोमांगो.	कृषि, सिंचाई, संचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में आदिमजातियों के कल्याण हेतु राज्यों को और अधिक राशि देने की आवश्यकता ।	--,,--
7	106	श्री गिरिधर गोमांगो.	आदिमजाति क्षेत्र में सभी स्तरों पर विकास की प्रतिशतता दर्शाने वाले प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता ।	--,,--

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	107	श्री गिरिधर गोमांगो .	संवैधानिक उपबन्धों, कानूनों, संकल्पों तथा अन्य अधिनियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिये राज्यों को सलाह देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
7	108	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातियों के लोगों को कानूनी सहायता की सुविधा देकर उनके सभी मामले निपटाने तथा उन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता ।	—,,—
7	109	श्री गिरिधर गोमांगो .	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिये आदिमजातिय क्षेत्रों में पंचायत समिति न्यायालय खोलने की आवश्यकता ।	—,,—
7	110	श्री गिरिधर गोमांगो .	राज्य आदिमजातीय विभागों को विचाराधीन मामलों, निपटाये गये मामलों का रिकार्ड रखने तथा केन्द्र को इस बारे में प्रतिवेदन देने के लिये कहने की आवश्यकता ।	—,,—
7	111	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातियों के लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आदिमजातिय क्षेत्रों तथा आदिमजातियों के लोगों हेतु बनायी गयी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	112	श्री गिरिधर गोमांगो.	चालू वित्तीय वर्ष से आदिमजातीय उपयोजना क्षेत्रों हेतु अधिक राशि, आबंटित करने तथा आदिमजातीय उपयोजना क्षेत्रों का अलग बजट शीर्षक बनाने की आवश्यकता ।	—,,—
7	113	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय क्षेत्रों में अधिक आबंटन वाली केन्द्रीय योजनाओं को चालू करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	114	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय विकास सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड का तत्काल पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	115	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये और अधिक राशि आबंटित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।
7	116	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय क्षेत्रों में एकल प्रशासन प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	117	श्री गिरिधर गोमांगो .	राज्यों द्वारा दिये गये आई० टी० डी० पी० सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने की आवश्यकता ।	—,,—
7	118	श्री गिरिधर गोमांगो .	राज्यों द्वारा आदिमजातीय योजनाओं हेतु निर्धारित की गई धनराशि को किसी और कार्य पर लगाने को रोकने की आवश्यकता ।	—,,—
7	119	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय योजना के लिये केन्द्र द्वारा आबंटन में कटौती को रोकने की आवश्यकता ।	—,,—
7	120	श्री गिरिधर गोमांगो .	खर्च न की गयी राशि को अगले वर्ष के लिये आरक्षित करने के लिये केन्द्र एवं राज्यों में आदिमजातीय विकास आरक्षण निधियां बनाने की आवश्यकता ।	—,,—
7	121	श्री गिरिधर गोमांगो .	उपयोजना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा तथा पुनरीक्षण करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	122	श्री गिरिधर गोमांगो .	राज्यों द्वारा निश्चित अवधि में आदिमजातियों के कल्याण हेतु बनाये गये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराने में असफलता ।	—,,—
7	123	श्री गिरिधर गोमांगो .	उपयोजना क्षेत्रों के लिये और अधिक राशि आबंटित करने की आवश्यकता ।	—,,—
7	124	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजातीय उपयोजना क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसियों का एकीकरण करने की आवश्यकता ।	—,,—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	125	श्री गिरिधर गोमांगो .	आदिमजाति के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिये योजनाएं बनाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाए ।
7	126	श्री गिरिधर गोमांगो .	राज्य आदिमजातीय विभागों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता ताकि वे उप-योजना क्षेत्रों में आदिमजातीय विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य कर सकें ।	--,,--

Shri Ramanand Tiwari (Buscar): Even today the Indian police continues to be the same as it was during the British regime, and there has been no change in their attitude during the last 30 years, because the congress has used them in the same manner as Britishers had done only to terrorise the people and to continue to their authority over them. It is now the responsibility of the Janata Party Government to examine the question whether the Indian police would become a public service institution on it would continue to maintain the authority of the incurring class.

It cannot be denied that there is a serious deterioration in the law and order situation in the country and people are feeling insecure and they have lost confidence in police.

In Delhi, in 1978 so far, the police have arrested 2443 persons. Out of whom 2014 persons were found not guilty and 438 persons were charge-sheeted. How is it that a large number of people were let off?

Now I want to know as to why only 438 persons were charge-sheeted. How is it that such a large number of people were let off?

Constable is the back-bone of the police force. The reputation of the police depends on his behaviour and efficiency. We should pay attention to improve the lot of the constable. He has to work very hard and for long hours. The constable does not get adequate pay. He is not given uniform of good quality cloth. There are no proper arrangements for the education of children of these people.

The Government should provide housing accommodation to all police employees. Till the Government builds houses for them, they should be given the facility of living in rented accommodation. Medical and education facilities should also be provided for their family members. There should be proper avenues of promotion for them.

Police employees have to work on Sundays and other closed holidays. They should be given two months leave in lieu of those holidays. Also their duty hours should not be too long.

The Government should pay proper attention to the question of bettering the lot of police constable. He should be given proper status and respect so that morale of police force is kept high.

At present there is no representative of lower ranks of police force in the Police Commission. They should be given representation in the Commission.

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : विपक्ष ही नहीं, बल्कि स्वयं सरकार देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से चिंतित है । एक बार हमें बताया गया था कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । किन्तु अब ऐसा लगता है कि अब गृह मंत्री भी वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं । वह अपने आपको अपने उत्तरादयित्व से नहीं बचा सकते ।

1977 के प्रथम तीन महीनों में दिल्ली में अपराधों की कुल संख्या 7,286 थी । 1978 के प्रथम तीन महीनों में अपराधों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है । अब इनकी संख्या बढ़कर 13,470 हो गई है । यह स्पष्ट है कि अपराधों की संख्या वृद्धि की ओर है । यह 1977 की तुलना में ही नहीं हैं, बल्कि पिछले कई वर्षों की तुलना में अब अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है । अपराध तो बढ़े ही हैं साथ ही पुलिस काल तथा डकैती के जघन्य अपराधों के अपराधियों का पता भी नहीं लगा पाई है । आज राजधानी के लोगों का जीवन असुरक्षित है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है । यद्यपि अपराध भी हो रहे हैं तथा हिंसात्मक कार्यवाहियां भी हो रही हैं, किन्तु गृह मंत्री को बिगड़ती हुई स्थिति का पूरा पता नहीं है । हरिजन, आदिवासी, कमजोर वर्गों के लोग, यहां तक कि अल्प संख्यक भी आज असुरक्षा महसूस कर रहे हैं । उनके जीवन सुरक्षित नहीं हैं ।

अतीत में प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री राज्यों के गृह मंत्रियों को बुलाया करते थे और वे कानून तथा व्यवस्था की समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे । विशेष रूप से अल्प संख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर गहराई से विचार किया जाता था । यह वास्तव में बेहतर होगा यदि गृह मंत्री मुख्य मंत्रियों का एक ऐसा सम्मेलन बुलाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम सरकार समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करेगी ।

सरकार यह नहीं कह सकती कि क्योंकि कुछ राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है । कल प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वह विपक्षी दलों का एक सम्मेलन बुलाने की सोच रहे हैं । विपक्ष के साथ बातचीत करने के किसी भी सुझाव का स्वागत है । किन्तु इतना ही काफी नहीं है । जो कोई कानून और व्यवस्था को चलाता है, जानता है कि यह केवल राजनीतिक दलों का ही प्रश्न नहीं है । इस देश के लोगों, विशेषकर गरीब वर्गों की कई शिकायतें हैं । वे अपनी न्यायोचित मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं । किन्तु पुलिस उस समय उनके मार्ग में बाधक बन जाती है तथा बल प्रयोग करने लगती है, जिससे और अधिक हिंसा फैलती है । यदि निर्दोष लोग अपनी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो पुलिस उनके मार्ग में बाधक क्यों बन जाती है ? आज जब श्रमिक अपनी न्यायोचित शिकायतें पेश करना चाहते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं । अत: यह केवल सम्मेलन बुलाने का ही प्रश्न नहीं है । प्रश्न कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने, उसके बारे में समुचित जानकारी हासिल करने तथा स्थिति को निपटने का प्रयास करने का है । यह तो विपक्ष को विश्वास में लेने का प्रश्न है । लोगों को विश्वास में लेने का प्रश्न है ।

अतीत में पंडित नेहरू ने भाषा के प्रश्न पर आश्वासन दिए थे । अभी भी यह पता नहीं है कि गृह मंत्रालय का इस प्रश्न के प्रति क्या रवैया है । गृह मंत्री को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए ।

[श्री हितेन्द्र देसाई]

इसके पश्चात् केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न सामने आता है। खेद की बात है कि गृह मंत्री ने इस समस्या के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। हम सभी चाहते हैं कि केन्द्र मजबूत हो। साथ ही हमें यह महसूस भी करना है कि राज्यों की अपनी कठिनाइयां है। विशेषकर वित्तीय कठिनाइयां। यह समझना कठिन है कि प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्रीने यह इज्जत का सवाल क्यों बना रखा है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। हम यह मानते है कि केन्द्र निरंतर शक्तिशाली बनता रहे किन्त राज्यों को अधिक शक्तियां तथा अधिक संसाधन दिए जाने चाहिए। गृह मंत्री हमें बताएं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में मुख्य मंत्रियों तथा विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करने में उन्हें क्या आपत्ति हैं।

गृह मंत्री हमारी समस्याओं को हल करने में बुरी तरह असफल रहे हैं। उन्हें ठंडे दिमाग स विचार करना चाहिए कि क्या उपयुक्त समय आ गया है जब कि कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर ही नहीं बल्कि भाषा की नीति, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, छात्र असंतोष, श्रमिक असंतोष हरिजनों, अल्प संख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करन सम्बन्धी गंभीर समस्याओं पर राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाये। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के समुख इस समय बेरोजगारी तथा निर्धनता जैसे आर्थिक बिकट समस्याएं भी हैं।

Shri B. P. Mandal (Madhepura): The Home Minister has given statistics and told the House that the law and order situation is not so bad as is painted. We want that the situation should further improve and there should be no occasion for firing. But it will be wrong to say that the law and order situation has never been so bad in the past as it is today.

During the emergency, the number of crimes was very high, but the people could not open their mouth and press could not report them. In Bihar during the emergency 322 harijans were shot dead by dubbing them as Naxalites. There were a harrowing tales of atrocities on harijans during the emergency. During the emergency the crime situation was much worse than it is today, but the press could not write about it.

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए
Shri Dhirendranath Basu in the Chair]

The exaggerated picture of deteriorating law and order situation is being painted with a political motive. An attempt is being made to denigrate the Home Minister who is a strong and honest man.

We are against police firings. The Government should provide bullets to the police which cannot kill the people but can only wound them if it becomes absolutely necessary to resort to firing.

During emergency bribery and corruption had reached its highest limit. But we should take steps to put an end to corruption. It is good that steps are being taken for the appointment of Lokpal and Lokayukt. We should appoint a similar authority at district level to deal with cases of corruption at lower level.

The question of reservation in services has raised a lot of controversy in Bihar. Article 16(4) gives the state authority to make provision for reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which is not adequately represented in the services under the State. The Janata Party has made a declaration in their manifesto in accordance with this provision in the Constitution to give representation in services to backward classes. We have made reservation for harijans but there are communities whose condition is worse than harijans and they have no representation in services. It is the obligation of the Home Ministry to look after the welfare of backward classes and the Ministry should not get away from this responsibility.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central): During the last two months, there have been firings and in those firings majority of those killed were farmers and workers. We should not defend these killings. We should give a proper thought to this matter. The deteriorating situation is not merely a law and order problem.

The workers have a fundamental right to strike. But they are not allowed to make use of this right. If they do so, there is firing. Section 144 has been clamped in Hissar and other places in Haryana.

Lock-outs and Lay-offs are responsible for man-days being lost. Production is being affected not because of any action on the part of workers but due to lock-outs and lay-offs. Vested interests are responsible for this. The Government should take action against them and allow the people to exercise their democratic rights for which they have waged a war.

The Government have announced that they would give pension to families of those persons who were arrested under MISA and were killed in jail. The Government have decided only 7 cases out of 78 cases. The remaining 71 cases have been left to be decided by State Governments. Immediate steps should be taken in those cases also.

MISA has not been withdrawn so far. There is mini MISA in force in Bihar and Madhya Pradesh, which are ruled by Janata Party. These states should be asked to remove MISA.

Proper attention should be paid to the question of atrocities on Harijans. There are certain people who are taking advantage of this problem.

There are two reports of Tarkunde Committee. Then there is Bhargave Commission in Andhra Pradesh. It appears no action has been taken on these reports. In Kerala nothing has been done in Rajan case. Similar is the position in Andhra. The Government should see that suitable action is taken in these matters.

It is good that Minorities Commission has been set up. Minoo Masani has been made the Chairman of this Commission. What was the harm if a Muslim had been appointed the Chairman of this Commission? The minorities want a Muslim to be the Chairman of this Commission and this long-standing demand of the people should be accepted.

There are certain schemes for welfare of scheduled tribes. These people are not getting any benefit from those schemes, because major portion of the money is being spent on administrative expenditure. Steps should be taken to remedy the situation. State Governments should be asked to implement those schemes properly.

[Shrimati Ahilya P. Rangnekar]

The States want certain financial powers so that they can properly implement development projects. At present they have to depend on centre for funds. The Centre will not get weakened if states are strengthened. A Conference of Chief Ministers should be called for discussing the question of Centre-State relations.

It has been stated in the Ministry's report that 106 posts in the IAS cadre reserved for scheduled tribes are filled up by taking non-scheduled tribe people because scheduled tribe people refuse to be appointed. This appears to be an incorrect statement. This matter should be enquired into.

In the case of sanction of pensions for freedom fighters. The Government have not taken the period of trial into account. The result is that certain freedom fighters cannot get pension. The Government should count the period of trial also for purposes of sanction of pension. Those people who took part in Junpaya Vayalar rebellion, Goa liberation movement and struggle against Nizam should also be regarded as freedom fighters.

Many doctors are going to Iran, Iraq and libya. In this connection, a lot of corruption and bribery is prevalent in the concerned Department of the Ministry. The Minister should pay attention to this matter.

The condition of lower ranks of police force is bad. They do not get adequate pay and other basic facilities. The Government should pay attention to this matter.

Shri R. N. Rakesh (Chail): The Janata Government is committed to eradicate corruption. But the progress in this respect is not satisfactory. Even now there are officers who continue to indulge in corrupt practices as they have been doing in the last regime. Some expeditious measures will have to be taken to bring to book such corrupt officers.

So far as the question of scheduled castes and scheduled tribes and Harijans is concerned, whereas the number of student of these classes is increasing, the number of scholarships is being reduced. This has caused great resentment amongst those people. In U.P. an amount to Rs. 1,92,000 is mis-appropriated from the scholarships account. It is regrettable that none had been arrested in this connection so far.

To day Shrimati Gandhi is trying to build her image as the messiah of the Harijans by shedding crocodile tears. But we have not forgotten that she is the same Indira Gandhi who had, during the emergency, passed an order that if a Harijan father has more than two children, he will not get any facilities from the Government. Harijans are 1/5th part of the population of the country. But for their development, very little is being spent. Their problems have not been solved during the last 32 years whereas the problems of the refugees have been solved overnight.

Under Article 16(4) of the Constitution, Government can make reservation for the scheduled castes and scheduled tribes in services to any extent; there is no bar on it. All that we got during the last regime was promotion to junior class I posts. Even after the Janata Government has come to power, not much change is visible in this respect. No Ministry has completed the quota reserved for Harijans. It is high time Government paid more attention to this matter.

So far as the question of atrocities on Harijans is concerned, I don't want to say much as the matter has been debated enough. However, it has to be regretted that while a shepherd can become the President of the U.S.A. and a cobbler can become all powerful in U.S.S.R., in our country Harijans do not have even the right to live. It is high time Government took some concrete steps to protect these people from atrocities. So long as this is not done the total revolution of Shri Jayaprakash Narayan will remain a mere dream.

Most of the atrocities are committed on the question of land. Today, only a few fortunate people possess land and the majority of Harijans are landless. So this question of land will have to be considered seriously and a solution found.

There should be a separate Ministry for the Harijans and 1/5th part of the total budget of the Home Ministry should be earmarked for the Harijans and scheduled castes and scheduled tribes.

श्री आर० कोलनथारवेलु (तिरुचेंगोड़) : अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में हमारे गृह मंत्रालय का प्रशासन काफी कुशल है लेकिन साथ ही यह शर्म की बात है कि अब वही मंत्रालय कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल है ।

सी० बी० आई० को डाकुओं, कानून तोड़ने वालों तथा अन्य मुजरिमों की जानकारी रहती है लेकिन वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे क्योंकि वे धनी व्यक्तियों की आड़ में हैं । इसलिए सी० बी० आई० के कार्य पर नजर रखने के लिए भी एक विभाग या ब्यूरो बनाया जाये ।

जांच करने, कानून का पालन कराने,अपराधों का पता लगाने और नागरिकों को संरक्षण देने के मामलों में पुलिस का कार्य अत्यन्त असंतोषजनक है । अतः पुलिस दल का पुनर्गठन बहुत जरूरी है ।

जेल के नियमों और लोगों को जेल में रख कर उन पर अमानुषिक अत्याचार करने की सम्पूर्ण प्रणाली में सुधार किया जाये ।

केन्द्रीय आरक्षण पुलिस के पास कोई काम नहीं । इस का प्रयोग राज्यों द्वारा राज्यों के कामों में सहयोग के लिए किया जा सकता है जिसका व्यय राज्य सरकारें वहन करें । इससे इस पुलिस का उचित उपयोग भी हो सकेगा ।

सीमा सुरक्षा बल में वेतन तथा भत्तों में सुधार किया जाये ।

औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सरकारी उपक्रमों के भीतर तथा बाहर की सुरक्षा के लिये की गई थी । कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है । एक ही बल होना चाहिये अथवा दोनो के बीच पूरा तालमेल होना चाहिये ताकि औद्योगिक उपक्रमों के अन्दर तथा बाहर सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था बनी रह सके ।

सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को भारत स्थित विदेशी दूतावासों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । क्योंकि इससे विदेशियों को मौका मिलता है कि अपना प्रभाव डाल सकें । इससे हमारे प्रशासनिक ढंग पर प्रभाव पड़ता है ।

[श्री आर० कोलनथाखेलु]

भाषा के मामले में हमें देखना होगा कि गैर हिन्दी भाषी लोगों पर यह भाषा लादी न जाये। इसको संविधान के माध्यम से व्यवस्था की जाये अन्यथा देश में गड़बड़ी फैल जायेगी।

इस समय संसद सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति के बिना आइ० पी० सी० के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से पहले उनकी अनुमति अनिवार्य बनायी जाये।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Chatra): The law and order situation in the country has assumed such a form which cannot be said to be satisfactory. This was the position during the previous regime and this is the position under the present regime as well. The most important point, therefore, is as to how to solve this problem. As a matter of fact, the law and order situation is not the responsibility of Government only; it is the joint responsibility of all, whether they are in the ruling party or in the opposition or are among the common masses. To maintain law and order in the country, it is necessary that all people sit together and find out ways and means for it.

Even after 30 years of independence, the present social set up is the same old traditional one. The houses of lower classes, of backward classes, Scheduled Castes or Tribes are situated in different areas than those of the higher classes in the villages. The class feeling is acute and this is the root cause of all evils. If this is removed and equality established among all, the law and order problem can be solved to a great extent.

The Bihar Government have decided to introduce reservations for backward classes, but the 15 per cent people of higher classes are raising great hue and cry against this. The reservation is according to the constitutional provisions. The Home Ministry should, therefore, see that action is taken against those who create disturbance as a protest against this decision. It should also be ensured that this decision is implemented soon.

The backward classes and harijans constitute 15-20 percent of the population of the country. It should be seen that reservation is provided and filled in all categories of services in the ratio of population of these classes in the country.

Recommendations made in the report of Kaka Kalelkar Committee should be implemented.

Education for harijans, tribals and backward classes and weaker sections should not only be free, but should be made compulsory also. Every child belonging to harijan and tribals should be given stipend.

I agree that Hindi should not be imposed on any one; but regional languages should also develop in respective States; but then it is also essential that the country should have its own national language. Hindi is spoken and understood by largest number of population in the country and, therefore, is the only suitable language to take the place of national language. Hindi has been badly

neglected so far. The constitutional provision to make it national language without imposing it on anybody, should be implemented expeditiously.

It should be ensured that the Panchayat elections in Bihar, which are to take place shortly, are free and fair.

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाये रखना, राज्यों में पुलिस में सुधार, दंगों को रोकने के काम में सुधार, जांच, अपराधों को रोकने के काम में राज्यों की सहायता करना है। परन्तु हम भली प्रकार जानते हैं कि उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हो रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक पुलिस कांस्टेबल, जिसपर कानून और व्यवस्था की बुनियादी जिम्मेदारी है, की हालत में सुधार नहीं किया जाता तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पुलिस के लोग जंगलों में काम करते हैं और लोगों को विद्रोही जाखोओं से बचाते हैं। ये विद्रोही जाखा गांवों में जाकर ग्रामीणों अथवा मजदूरों को उड़ा ले जाते है। जो पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगलों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 6 प्रकार की जनजातियों के लोग रहते हैं। एक द्वीप में लगभग 100 शोपन हैं। दूसरी जनजाति का नाम संतानल्ली है। हमारी सरकार इस जनजाति से किस प्रकार का सम्पर्क नहीं बना सकती। साल में एक बार हमारी पुलिस भारतीय ध्वज को लेकर द्वीप के चारों ओर जाती है और यही एक मात्र प्रतीक है कि वह द्वीप हमारा है। इसके अतिरिक्त वहां औंजिस नामक जनजाति भी है जो कि बहुत पुरानी है। उनकी संख्या 127 है। अन्य जनजाति अन्डमानी जनजाति है, जिनकी संख्या केवल 28 है। सबसे अधिक जनसंख्या निकोबारी जनजाति की है। उनकी संख्या 20,000 है। इन 6 जनजातियों पर काफी धन व्यय किया गया है। हमारी सरकार ने जाखा जनजाति को जंगलों में उपहार भेजे। मुझे पता नहीं है कि क्या उन्हें सौ फी सदी उपहार मिल हैं या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों को सभ्य तथा मित्र योग्य बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है।

जब मुख्य भूमि से कोई अनुसूचित जाति का आदमी अन्डमान जाता है तो वह वहां अनुसूचित जाति का नहीं रह जाता क्योंकि उसके साथ वहां अन्य लोगों की तरह व्यवहार किया जाता है। इस तरह का भेदभाव दूर किया जाना चाहिए।

जिन सिविल अधिकारियों को दिल्ली में रखने की इच्छा नहीं होती, उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूहों या लक्षद्विप में भेज दिया जाता है। इसका क्या कारण है। इसमें क्या संगतता है? जिन सिविल अधिकारियों को वहां भेजा जाता है वे यह समझते हैं कि उन्हें दंड देने के लिए ही इस स्थान पर भेजा गया है और इसलिए वे इन पृथक तथा सुदूर क्षेत्रों को विकास में रुचि नहीं रखते। वे वहां के लोगों को अच्छा प्रशासन नहीं देते। बल्कि उन्हें वे वहां और अधिक संकट पैदा करते हैं, जिससे वहां के लोगों में असंतोष फैल जाता है। सरकार की ऐसी नीति स्वयं के लिए घातक है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध है।

अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, लक्षद्वीप अमिनोद्वी, दादर तथा नगर हवेली तथा अन्य छोटे छोटे संघ राज्य क्षेत्रों में कोई लोकप्रिय प्रशासन तथा लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। हम ऐसे सुदूर क्षेत्र में हैं कि केन्द्रीय सरकार हमारा समुचित ध्यान नहीं रख सकती। वहां जनता द्वारा निर्वाचित सरकार

[श्री मनोरंजन भक्त]

बनाई जानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को सरकार चलाने तथा विकास कार्य करने में भागीदार बनने का अवसर मिल सके।

जो शरणार्थी वहां 20 वर्ष पूर्व बस गये थे, उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत अभी तक उनकी समस्याओं को भी हल नहीं किया गया है। उन्हें अभी भी भूमि तथा अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक दृष्टि से बस सकें।

वहां कुछ तमिल परिवार हैं। जो गत 10 वर्षों से सरकारी भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष उन्हें वहां से हटा दिया गया था किन्तु उन्हें उसके बदले में और भूमि नहीं दी गई है।

वहां काम कर रहे तीसरी तथा चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत विशेष भत्ता नहीं दिया जा रहा है जब कि वे वहां 1954 से काम कर रहे हैं और उस स्थान के स्थानीय निवासी हैं। इससे उन सरकारी कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है, और इससे उनकी क्षमता भी कम हो रही है। अतः अनुरोध है कि वहां जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती किया जाता है, उसे यह भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके लिए भर्ती का स्थान तथा निवास स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

1976 में मकान बनाने के लिए जगह तथा कृषि भूमि देने का थोड़ा बहुत काम आरम्भ हुआ था। किन्तु नई सरकार के सत्ता में आने के बाद यह काम ठप्प हो गया। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके फलस्वरूप भूमिहीनों तथा गरीब लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है। वहां सब लोगों को कृषि भूमि वितरित की जानी चाहिए।

ग्रेट निकोबार द्वीप में एक निशुःल्क पत्तन की स्थापना की जानी चाहिए जो कि अन्तराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से बहुत समीप हो। इससे वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

Shri Ram Bilas Paswan (Hajipur): A good deal has been said about the atrocities on Harijans. Even a suggestion has been made that a separate Harijan Ministry should be formed. But unless a radical change is brought about in the social approach towards them, nothing will prove effective. One can find that inspite of a Harijan Minister being incharge of Defence Department, 15 percent quota reserved for Harijans has not fulfilled and the regiments on the basis of castes still continue there. Therefore, in order to improve the situation in this regard, I will like to suggest that inter-caste marriages should be arranged and the priests of temples should be appointed not on the basis of caste but on the basis of education. Then, priority should be given to Harijans in the matter of distribution of land. Moreover, the root causes of atrocities on Harijans should be identified and a specified programme should be formulated to improve the economic condition of these people. At the same time, when the question of law and order or the question of atrocities on Harijans arises, the police should change their attitude to these people. Even the opposition Members should give their constructive suggestions and suggest the measures which the Government should take up for putting an end to this menace of

atrocities on Harijans. On the question of law and order and on the question of atrocities on Harijans a national programme should be chalked out and solid steps should be taken to implement it.

श्री नाना साहिब बोंडे (अमरावती) : गृह मंत्रालय का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। आम जनता वर्तमान प्रशासन से खुश नहीं है क्योंकि जिस स्वतंत्रताओं के लिए वह हकदार है वह उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। देश भर में कहीं भी चले जाइए लोग बेचैन ही नजर आएंगे। देश की वर्तमान स्थिति से कोई भी खुश नहीं है। चारों ओर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उस पर भी मंत्रालय कह रहा है कि वह लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव कार्यवाही कर रहा है। सरकार को विशेषकर गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में किसी किस्म का अपराध न हों। निष्पक्ष जांच के लिए सरकार को कोई सक्षम तंत्र होना चाहिए अन्यथा तथ्यों का सही रूप से पता नहीं लगाया जा सकेगा और वास्तविक अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यदि यही स्थिति जारी रही तो कोई भी इस सरकार का पक्ष नहीं लेगा।

देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को इसके लिए दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं। आप यह कह कर कि यह राज्य का विषय है अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। यदि कोई राज्य कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो उस राज्य को आड़े हाथों लेना चाहिए और उसे अपने यहाँ की स्थिति को ठीक करने के लिए कहना चाहिए। ऐसा कहने में कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

Shri Hukmdeo Narain Yadav (Madhubani): We can not blame any particular period for injustices being done to Harijans. History of thousands of years is responsible for it. Our Caste System is to be blamed.

After the Janata Party came to power the percentage of Harijans taken in government services has gone up. In 1977 the percentage was much more than the percentage for previous years. The figure for 1977 was higher even than figures for 1975 and 1976 the years of emergency. Similarly the percentage of Adivasis in government services in 1977 had also increased. If Congress Government did anything for Harijans they propagated it too much. But the Janata Government is doing more for Harijans, but they are not propagating it.

During the last 30 years the quota reserved for Harijans and Adivasis in Government services could not be filled up. It was said that suitable persons are not available. Who is responsible for not making these people suitable all these years? This question has to be properly considered.

In 1978-79 an amount of Rs. 2405 lakh has been allocated for the welfare of backward classes. This is in addition to Rs. 70 crores kept separately for adivasis. As against this, only Rs. 8917.78 lakhs, have been spent in 5 years prior to this.

In Bihar and U.P. backward communities have not progressed whereas condition of backward communities in Southern States has improved. The reason for this is that in Bihar and U.P. inadequate funds have been spent on uplift of these communities.

[Shri Hukmdeo Narain Yadav]

In Bihar, U.P., Rajasthan and Madhya Pradesh, Harijans and other backward people do not know English. These people cannot compete for services because they do not know English. If we want that these people should also progress and get into services, we will have to give up love for English.

We will have to remove both the evils of caste system and class system if we want that our country should progress. We should usher in a casteless and classless society. Caste System is responsible for the suppression of backward people. If we want to root out Caste System we should make inter-caste marriages compulsory. 60 percent of posts in government service, politics, business and army should be reserved for harijans, adivasis, women and Muslims. Those who do menial jobs should be given big salaries.

Land should be owned by tillers only. Those who do not cultivate land should not be owners of land. Land should be taken away from these people. Also we should follow the policy of one man one job. That is the only way to tackle the problem of unemployment.

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 26 अप्रैल, 1978/6 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April, 26, 1978/Vaisakha 6, 1900 (Saka).